

बैंकिंग परिचालन

और

विकास विभाग

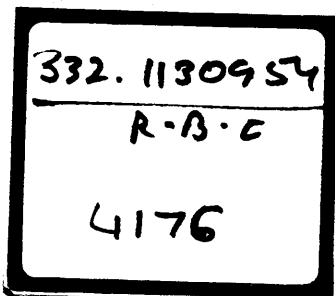
के परिपत्र-1997

CIRCULARS OF THE

DEPARTMENT OF

BANKING OPERATIONS

AND DEVELOPMENT-1997



भारतीय रिज़र्व बैंक
मुंबई

**RESERVE BANK OF INDIA
MUMBAI**

$$\begin{array}{r}
 5/5 \\
 \hline
 R\beta L \\
 4176
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 332.1130954 \\
 \hline
 R\beta L \\
 4176
 \end{array}$$

बैंकिंग परिचालन

और

विकास विभाग

के परिपत्र-1997

**CIRCULARS OF THE
DEPARTMENT OF
BANKING OPERATIONS
AND DEVELOPMENT-1997**



प्रकाशक :

ए. घोष

मुख्य महाप्रबंधक

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई - 400 005

Published by :

A. Ghosh

Chief General Manager

Department of Banking Operations
and Development

Reserve Bank of India

Mumbai 400 005

मुद्रक :

मयूर ट्रेडिंग कार्पोरेशन,

फोर्ट, मुंबई - 400 001

टेलीफोन : 208 24 28 / 206 61 91

फैक्स : 206 50 13

Printed by :

Mayur Trading Corporation

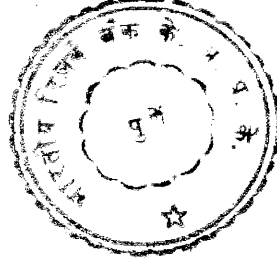
Fort, Mumbai - 400 001.

Tel.: 208 24 28 / 206 61 91

Fax : 206 50 13

भारत में मुद्रित

Printed in India



सामान्य विषयवस्तु, अनुभागवार अनुक्रमणिका
और कालानुक्रमणिका

**GENERAL CONTENTS, SECTIONAL
INDEX AND
CHRONOLOGICAL INDEX**

सामान्य विषयवस्तु

पृष्ठ सं.

भाग II	:	जमाराशि	1
भाग III	:	ऋण नीति/बैंकों को पुनर्वित्त की समीक्षा	45
भाग IV	:	निवेश	49
भाग V	:	अग्रिम	91
भाग VI	:	ऋण नियंत्रण - सामान्य	155
भाग VII	:	ऋण सूचना	237
भाग IX	:	विवरणी	241
भाग X	:	विविध	255
		क) शाखा विस्तार	255
		ख) बैंकों द्वारा शुरू किये गये गैर-पारंपरिक कार्य - व्यापारी बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड प्रणाली, किराया खरीद व्यवसाय, आदि	277
		ग) बैंकों में ग्राहक सेवा	289
		घ) बैंकों में धोखाधड़ी, आदि	295
		ड) अन्य	298

GENERAL CONTENTS

Page No.

Section II	:	Deposits	1
Section III	:	Review of Credit Policy/Refinance to banks	45
Section IV	:	Investments	49
Section V	:	Advances	91
Section VI	:	Credit Control - General	155
Section VII	:	Credit Information	237
Section IX	:	Returns	241
Section X	:	Miscellaneous :	255
		a) Branch expansion	255
		b) Non-traditional type of work	277
		taken up by banks - Merchant banking,	
		credit card system, hire-purchase business etc.	
		c) Customer Service in banks	289
		d) Frauds, etc. in banks	295
		e) Others	298

अनुक्रमणिका

परिपत्र सं. एवं. तारीख	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
		भाग II
		जमा राशि
बैंपवि. सं. डीआइआर.बीसी. 12/13.01.01/97 14 फरवरी 1997	जमाराशियों पर ब्याज दरें	1
बैंपवि. सं. डीआइआर.बीसी. 22/13.01.05/97 15 मार्च 1997	जमाराशियों पर ब्याज दरें- मीयादी जमाराशियों का समय से पूर्व आहरण	2
बैंपवि. सं. डीआइआर.बीसी. 21/13.01.05/97 15 मार्च 1997	जमाराशियों पर ब्याज दरें	3
बैंपवि. सं. डीआइआर.बीसी. 34/13.01.01/97 15 अप्रैल 1997	जमाराशियों पर ब्याज दरें	5
बैंपवि. सं. डीआइआर.बीसी. 33/13.01.01/97 15 अप्रैल 1997	जमाराशियों पर ब्याज दरें	7
बैंपवि. सं. डीआइआर.बीसी. 36/13.01.01/97 15 अप्रैल 1997	जमाराशियों पर ब्याज दरें- पूंजी लाभ खाता योजना, 1988	9
बैंपवि. सं. डीआइआर.बीसी. 35/13.01.01/97 15 अप्रैल 1997	जमाराशियों पर ब्याज दरें- पूंजी लाभ खाता योजना, 1988	10
बैंपवि. सं. डीआइआर.बीसी. 38/13.01.09/97 15 अप्रैल 1997	अनिवासी(बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें	11
बैंपवि. सं. डीआइआर.बीसी. 37/13.01.09/97 15 अप्रैल 1997	अनिवासी(बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें	13

परिपत्र सं. एवं. तारीख	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
बैपवि. सं. डीआइआर.बीसी. 41/13.01.09/97 15 अप्रैल 1997	विदेशी मुद्रा(अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें	14
बैपवि. सं. डीआइआर.बीसी. 40/13.01.09/97 15 अप्रैल 1997	विदेशी मुद्रा(अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें	16
बैपवि. सं. बीपी.बीसी. 49/21.03.053/97 22 अप्रैल 1997	जमा प्रमाणपत्र	18
बैपवि. सं. डीआइआर.बीसी. 70/13.01.01/97 25 जून 1997	जमाराशियों पर ब्याज दरें	19
बैपवि. सं. डीआइआर.बीसी. 69/13.01.01/97 25 जून 1997	जमाराशियों पर ब्याज दरें	21
बैपवि. सं. डीआइआर.बीसी. 72/13.01.01/97 25 जून 1997	जमाराशियों पर ब्याज दरें- पूंजी लाभ खाता योजना, 1988	23
बैपवि. सं. डीआइआर.बीसी. 71/13.01.01/97 25 जून 1997	जमाराशियों पर ब्याज दरें- पूंजी लाभ खाता योजना, 1988	24
बैपवि. सं. डीआइआर.बीसी. 74/13.01.09/97 25 जून 1997	अनिवासी(बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें	25
बैपवि. सं. 73/13.01.09/97 25 जून 1997	अनिवासी(बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें	27
बैपवि. सं. डीआइआर.बीसी. 94/13.01.11/97 26 अगस्त 1997	जमाराशि जुटाने की योजनायें	29

परिपत्र सं. एवं. तारीख	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
बैंपवि. सं. डीआइआर.बीसी. 106/13.01.09/97 12 सितम्बर 1997	अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें	31
बैंपवि. सं. 105/13.01.09/97 12 सितम्बर 1997	अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें	33
बैंपवि. सं. डीआइआर.बीसी. 120/13.01.01/97 21 अक्टूबर 1997	जमाराशियों पर ब्याज दरें	34
बैंपवि. सं. डीआइआर.बीसी. 119/13.01.01/97 21 अक्टूबर 1997	जमाराशियों पर ब्याज दरें	36
बैंपवि. सं. डीआइआर.बीसी. 122/13.01.01/97 21 अक्टूबर 1997	जमाराशियों पर ब्याज दरें- पूंजी लाभ खाता योजना, 1988	38
बैंपवि. सं. डीआइआर.बीसी. 121/13.01.01/97 21 अक्टूबर 1997	जमाराशियों पर ब्याज दरें- पूंजी लाभ खाता योजना, 1988	39
बैंपवि. सं. बीपी.बीसी. 128/21.03.053/97 21 अक्टूबर 1997	जमा प्रमाणपत्र	40
बैंपवि. सं. डीआइआर.बीसी. 140/13.01.09/97 21 अक्टूबर 1997	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता(बैंक) योजना के अंतर्गत रखी गयी जमाराशियों पर ब्याज दरें	41
बैंपवि. सं. डीआइआर.बीसी. 139/13.01.09/97 21 अक्टूबर 1997	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता(बैंक) योजना के अंतर्गत रखी गयी जमाराशियों पर ब्याज दरें	43

परिपत्र सं. एवं. तारीख	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.

भाग III.

ऋण नीति / बैंकों को पुनर्वित्त की समीक्षा

बैंपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 17/24.91.001/96-97 3 मार्च 1997	माँग/सूचना मुद्रा बाजार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति- निजी क्षेत्र म्युचुअल फंड	45
बैंपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 28/24.91.001/96-97 09 अप्रैल 1997	माँग/सूचना मुद्रा बाजार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति- निजी क्षेत्र म्युचुअल फंड	46
बैंपविवि. सं. डीआइआर.बीसी. 131/13.07.05/97 21 अक्टूबर 1997	शेयरों और डिबेंचरों / बांडों की जमानत पर अग्रिम	47

भाग IV.

निवेश

बैंपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 5/24.76.002/96-97 10 जनवरी 1997	हाज़िर वायदा लेनदेन	49
बैंपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 4/24.76.002/96-97 10 जनवरी 1997	हाज़िर वायदा लेनदेन	50
बैंपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 19/24.76.002/96-97 03 मार्च 1997	हाज़िर वायदा लेनदेन	51
बैंपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 18/24.76.002/96-97 03 मार्च 1997	हाज़िर वायदा लेनदेन	52
बैंपविवि. सं. डीआइआर.बीसी. 42/13.07.05/97 15 अप्रैल 1997	कंपनी निकायों के शेयरों और डिबेंचरों में निवेश और हामीदारी	54
बैंपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 54/24.76.002/96-97 29 अप्रैल 1997	हाज़िर वायदा लेनदेन	56

परिपत्र सं. एवं. तारीख	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
बैपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 53/24.76.002/96-97 29 अप्रैल 1997	हाज़िर वायदा लेनदेन	57
एफएससी.बीसी. 57/24.76.002/96-97 20 मई 1997	हाज़िर वायदा लेनदेन	58
बैपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 56/24.76.002/96-97 20 मई 1997	हाज़िर वायदा लेनदेन	59
बैपविवि. सं. डीआइआर.बीसी. 60/13.07.05/97 28 मई 1997	कंपनी निकायों के शेयरों और डिबेंचरों में निवेश और हामीदारी	60
बैपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 66/24.76.002/96-97 5 जून 1997	हाज़िर वायदा लेनदेन	61
बैपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 65/24.76.002/96-97 5 जून 1997	हाज़िर वायदा लेनदेन	62
बैपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 77/24.76.002/96-97 26 जून 1997	हाज़िर वायदा लेनदेन	63
बैपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 76/24.76.002/96-97 26 जून 1997	हाज़िर वायदा लेनदेन	64
बैपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 82/24.76.002/97 24 जुलाई 1997	हाज़िर वायदा लेनदेन	65
बैपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 81/24.76.002/97 24 जुलाई 1997	हाज़िर वायदा लेनदेन	66

परिपत्र सं. एवं. तारीख	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
बैंपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 87/24.76.002/97 4 अगस्त 1997	हाज़िर वायदा लेनदेन	67
बैंपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 86/24.76.002/97 04 अगस्त 1997	हाज़िर वायदा लेनदेन	68
बैंपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 92/24.76.002/97 16 अगस्त 1997	हाज़िर वायदा लेनदेन	69
बैंपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 91/24.76.002/97 16 अगस्त 1997	हाज़िर वायदा लेनदेन	70
बैंपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 101/24.76.002/97 05 सितम्बर 1997	हाज़िर वायदा लेनदेन	71
बैंपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 100/24.76.002/97 05 सितम्बर 1997	हाज़िर वायदा लेनदेन	72
बैंपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 112/24.76.002/97 14 अक्टूबर 1997	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों में लेनदेन - दलालों की भूमिका	73
बैंपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 114/24.76.002/97 20 अक्टूबर 1997	हाज़िर वायदा लेनदेन	74
बैंपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 113/24.76.002/97 20 अक्टूबर 1997	हाज़िर वायदा लेनदेन	75
बैंपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 129/24.76.002/97 22 अक्टूबर 1997	सरकारी प्रतिभूतियों का खुदरा लेनदेन	79

परिपत्र सं. एवं. तारीख	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
बैपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 151/24.76.002/97-98 09 दिसंबर 1997	प्रतिवर्ती हाज़िर वायदा लेनदेन	80
बैपविवि. सं. एफएससी.बीसी. 150/24.76.002/97 09 दिसंबर 1997	प्रतिवर्ती हाज़िर वायदा लेनदेन	82
		भाग V
		अग्रिम
बैपविवि. सं. डीआईआर.बीसी. 8/13.01.09/97 28 जनवरी 1997	एफसीएनआर/एनआरई जमाराशियों पर निवासीयों को ऋण	91
बैपविवि. सं. डीआईआर.बीसी. 10/13.07.01/97 12 फरवरी 1997	अग्रिमों पर ब्याज दरें - आधार (प्राइम) ऋण दर	92
बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 16/21.04.009/97 28 फरवरी 1997	बैंक गारंटी के अधीन भुगतान - मामलों का तत्काल निपटान	94
बैपविवि. सं. बीपी.बीसी. 20/21.04.012/97 14 मार्च 1997	जम्मू और काश्मीर राज्य में व्यापार और उद्योग को छूट	95
औनिक्कवि 27/04.02.01/96-97 15 अप्रैल 1997	निर्यात ऋण - ब्याज दरें	96
बैपविवि. सं. बीसी. 39/13.07.01/97 15 अप्रैल 1997	अग्रिमों पर ब्याज दरें	98
बैपविवि. सं. डीआईआर.बीसी. 43/13.07.05/97 15 अप्रैल 1997	शेयरों की जमानत पर अग्रिम	100

परिपत्र सं. एवं. तारीख	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
औनिक्कवि. सं. 32/04.02.01/96-97 25 जून 1997	निर्यात ऋण- ब्याज दरें	102
बैपविवि. सं. बीसी. 75/13.07.01/97 25 जून 1997	अग्रिमों पर ब्याज दरें	103
औनिक्कवि. सं. 9/04.02.01/97-98 12 सितम्बर 1997	निर्यात ऋण-पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर ब्याज दरें	105
बैपविवि. सं. बीसी. 104/13.07.01/97 12 सितम्बर 1997	अग्रिमों पर ब्याज दरें	107
बैपविवि. सं. डीआइआर.बीसी. 124/13.07.01/97-98 21 अक्तूबर 1997	अग्रिमों पर ब्याज दरें	111
बैपविवि. सं. डीआइआर.बीसी. 123/13.07.01/97-98 21 अक्तूबर 1997	अग्रिमों पर ब्याज दरें	114
बैपविवि. सं. डीआइआर.बीसी. 133/13.01.09/97 21 अक्तूबर 1997	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना(एफसीएनआर (बी))/एकत्रित(पूल्ड) संसाधनों के प्रति ऋण	119
बैपविवि. सं. डीआइआर.बीसी. 132/13.01.09/97 21 अक्तूबर 1997	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना/एकत्रित संसाधनों (पूल्ड रिसोर्सेस) की जमानत पर ऋण	121
बैपविवि. सं. डीआइआर. 138/13.07.05/97-98 21 अक्तूबर 1997	तात्कालिक ऋण	122
बैपविवि. सं. डीआइआर.बीसी. 141/13.07.05/97 08 नवम्बर 1997	शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर ऋण तथा अग्रिम	124

परिपत्र सं. एवं. तारीख	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
औनिक्कवि.सं. 18/04.02.01/97-98 26 नवम्बर 1997	निर्यात ऋण-पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर ब्याज दरें	127
बैपविवि. सं.बीसी. 143/13.07.01/97 26 नवम्बर 1997	अग्रिमों पर ब्याज दरें	128
औनिक्कवि.सं. 19/04.02.01/97-98 29 नवम्बर 1997	निर्यात ऋण-पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर ब्याज दरें	132
बैपविवि. सं. डीआइआर.बीसी. 144/13.07.01/97 29 नवम्बर 1997	अग्रिमों पर ब्याज दरें	133
बैपविवि. सं. 153/13.01.05/97 09 दिसम्बर 1997	निक्षेपागार में संस्थागत लेनदेनों का निपटान	136
औनिक्कवि.सं. 26/04.02.01/97-98 17 दिसम्बर 1997	निर्यात ऋण- पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर ब्याज दरें	138
बैपविवि. सं. डीआइआर. 154/13.07.01/97 17 दिसम्बर 1997	अग्रिमों पर ब्याज दरें	140
बैपविवि. सं. डीआइआर.बीसी. 158/13.07.05/97 23 दिसम्बर 1997	निक्षेपागार में संस्थागत लेनदेनों का निपटान	144
औनिक्कवि.सं. 31/04.02.01/97-98 31 दिसम्बर 1997	निर्यात ऋण- पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर ब्याज दरें	145
बैपविवि. सं. डीआइआर. 159/13.07.01/97 31 दिसम्बर 1997	अग्रिमों पर ब्याज दरें	146

परिपत्र सं. एवं. तारीख	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
औनिऋवि. सं. 32/04.02.01/97-98 31 दिसम्बर 1997	निर्यात ऋण- अतिदेय निर्यात बिलों पर ब्याज की दर	148
बैपविवि. सं. डीआइआर. 160/13.07.01/97 31 दिसम्बर 1997	अग्रिमों पर ब्याज दरें	150
भाग VI		
ऋण नियंत्रण		
बैपविवि. सं. बीसी. 7/12.01.001/97 16 जनवरी 1997	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 - भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखे विनिर्दिष्ट अतिरिक्त नकदी शेष पर ब्याज का भुगतान	155
बैपविवि. सं. डीआइआर.बीसी. 27/13.08.01/97 7 अप्रैल 1997	चयनात्मक ऋण नियंत्रण - गेहूँ की जमानत पर दिये जानेवाले अग्रिमों पर नियंत्रणों को पुनः आरंभ करना	156
बैपविवि. सं. डीआइआर.बीसी. 26/13.08.01/97 7 अप्रैल 1997	चयनात्मक ऋण नियंत्रण - गेहूँ की जमानत पर दिये जानेवाले अग्रिमों पर नियंत्रणों को पुनः आरंभ करना	158
बैपविवि. सं. बीसी. 46/12.01.001/96-97 15 अप्रैल 1997	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1ए)- अनिवासी जमाराशियों पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात	166
बैपविवि. सं. बीसी. 44/12.01.001/96-97 15 अप्रैल 1997	अधिसूचना	188
बैपविवि. सं. बीसी. 47/12.01.001/96-97 15 अप्रैल 1997	नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात / सांविधिक चलनिधि अनुपात (सीआरआर/एसएलआर) बनाये रखने में कमियां होने पर दंड ब्याज दर	189
बैपविवि. सं. बीसी. 50/12.01.001/96-97 15 अप्रैल 1997	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में परिवर्तन	190

परिपत्र सं. एवं. तारीख	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
बैपविवि. सं.बीसी. 45/12.01.001/96-97 15 अप्रैल 1997	अधिसूचना	192
बैपविवि. सं.बीसी. 51/12.02.001/96-97 25 अप्रैल 1997	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24- बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताओं के बारे में सांविधिक चलनिधि अनुपात	193
बैपविवि. सं. बीसी. 78/12.01.001/96-97 25 जून 1997	नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात / सांविधिक चलनिधि अनुपात (सीआरआर/एसएलआर) बनाये रखने में कमियां होने पर दंड ब्याज दर	195
बैपविवि. सं. 96/12.02.001/97-98 28 अगस्त 1997	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - वोस्ट्रो खातों में एसीयू डॉलर शेष राशियों पर सांविधिक चलनिधि अनुपात (सां.च.अ.) अपेक्षा	196
बैपविवि. सं. 97/12.02.001/97-98 28 अगस्त 1997	एसीयू डॉलर शेष राशियों पर प्रारक्षित निधि अनुपात संबंधी अपेक्षाएं	197
बैपविवि. सं. बीसी. 98/12.02.001/97-98 28 अगस्त 1997	अधिसूचना	199
बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 103/21.01.023/97 09 सितम्बर 1997	चलनिधि आस्तियां रखने के लिए गैर बैंकिंग कवकत्तय कंपनियों की प्रतिभूतियों की नामित बैंकों के पास अभिरक्षा - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1997	200
बैपविवि. सं. बीसी. 111/12.02.001/97 13 अक्टूबर 1997	विदेशी मुद्रा नियंत्रण नियम-पुस्तक (मैन्युअल) के पैरा 5बी. 8(i) के अंतर्गत उधार - प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं का अनुरक्षण	204
बैपविवि. सं. बीसी. 118/12.01.001/97-98 21 अक्टूबर 1997	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कटौती तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1बी)- पात्र नकद शेष राशियों पर ब्याज की अदायगी	210
बैपविवि.सं. बीसी. 116/12.01.001/97-98 21 अक्टूबर 1997	अधिसूचना	213
बैपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 126/13.08.01/97 21 अक्टूबर 1997	चीनी की जमानत पर अग्रिमों के संबंध में चयनात्मक ऋण नियंत्रण - न्यूनतम मार्जिन	215

परिपत्र सं. एवं. तारीख	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
बैपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 125/13.08.01/97 21 अक्तूबर 1997	चीनी की जमानत पर अग्रिमों के संबंध में चयनात्मक ऋण नियंत्रण - न्यूनतम मार्जिन	216
बैपविवि. सं. बीसी. 136/12.02.001/97-98 21 अक्तूबर 1997	नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात / सांविधिक चलनिधि अनुपात (सीआरआर/एसएलआर) बनाये रखने में कमियां होने पर ब्याज दर	218
बैपविवि. सं. बीसी. 137/12.02.001/97-98 21 अक्तूबर 1997	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1934 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को युक्तिसंगत बनाना	219
बैपविवि. सं. बीसी. 117/12.02.001/97-98 21 अक्तूबर 1997	अधिसूचना	220
बैपविवि. सं. बीसी. 142/09.16.001/97-98 19 नवम्बर 1997	बचत बैंक जमाराशियों का माँग और मीयादी अयेताओं के बीच विभाजन - भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित बैंक विनियमावली 1951 के विनियम 7 में संशोधन	221
बैपविवि. सं. बीसी. 149/12.01.001/97-98 02 दिसम्बर 1997	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) और 42(1ए)- प्रारक्षित नकदी निधी अनुपात में वृद्धि और एनआरआई तथा एनआरएनआर जमाखाता योजनाओं के अंतर्गत देयताओं पर वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात से छूट	224
बैपविवि. सं. बीसी. 147/12.01.001/97-98 02 दिसम्बर 1997	अधिसूचना	226
बैपविवि. सं. बीसी. 148/12.01.001/97-98 02 दिसम्बर 1997	अधिसूचना	227
बैपविवि. सं. बीसी. 156/12.01.001/97-98 23 दिसम्बर 1997	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की पात्र शेष राशियों पर तिमाही तदर्थ ब्याज दावे प्रस्तुत करने के लिए संशोधित प्रोफार्मा	229

भाग VII

ऋण सूचना

बैपविवि. सं. बीसी.डीएल. 61/20.16.002/96-97 28 मई 1997	बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के चूककर्ता उधारकर्ताओं के बारे में सूचना- मार्च 1996	237

परिपत्र सं. एवं. तारीख	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
बैपविवि. सं.बीसी.डीएल. 155/20.16.002/97-98 22 दिसम्बर 1997	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के चूककर्ता और उधारकर्ताओं के संबंध में सूचना का प्रकटीकरण- सितम्बर 1996 को समाप्त छमाही	239

भाग IX विवरणी

बैपविवि. सं. आरसी. 13/12.05.007/96-97 19 फरवरी 1997	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) फार्म “ए” में दिनांक 31-03-1997 की स्थिती की विशेष त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27-फार्म “X” में दिनांक 31-03-1997 की स्थिती की विशेष मासिक विवरणी प्रस्तुत करना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26-फार्म “IX” में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करना- दिनांक 31-03-1996 तक दावा न की गयी बकाया जमा राशियों के आंकड़े	241
बैपविवि. सं.बीसी. 58/12.01.001/96-97 20 मई 1997	प्रारक्षित निधि की अपेक्षाएँ फार्म “ए” और फार्म “टफफफ” प्रस्तुत करना	243
बैपविवि. सं.बीसी. 62/12.01.001/96-97 03 जून 1997	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42-प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की पात्र शेष राशियों पर तिमाही तदर्थ ब्याज दावे प्रस्तुत करने के लिए संशोधित प्रोफार्मा	246
बैपविवि. सं.बीसी. 95/12.02.001/97-98 26 अगस्त 1997	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना और अंतर बैंक विदेशी मुद्रा जमाराशि योजना से ऋण	253

भाग X विविध

(क) शाखा विस्तार

बैपविवि. सं. बीएल.बीसी. 64/22.01.003/97 05 जून 1997	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वाणिज्य बैंकों के कार्यालय खोलना- दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र	255

परिपत्र सं. एवं. तारीख	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
बैपविवि. सं. बीएल. बीसी. 115/22.06.001/97 21 अक्टूबर 1997	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23- शाखा बैंकिंग संबंधी आंकड़े- मासिक विवरणियों का प्रस्तुतीकरण- प्रोफार्मा 2 तथा 3 का संशोधन	258
(ख)		
बैंकों द्वारा शुरू किये गये गैर-पारंपारिक कार्य - व्यापारी बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड प्रणाली, किराया खरीद व्यवसाय, आदि		
बैपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 63/24.47.001/97 05 जून 1997	स्टाकइनव्हेस्ट (एसआइ)	277
एफएससी. बीसी. 90/24.01.001/97-98 13 अगस्त 1997	उपस्कर पट्टेपर देना, किराया खरीद, फैक्ट्रिंग आदी कार्यकलाप	279
बैपविवि. सं.एफएससी. बीसी. 130/24.01.013/97-98 22 अक्टूबर 1997	मुद्रा बाजार पारस्परिक निधियों द्वारा निवेश	280
बैपविवि. सं.एफएससी. बीसी. 152/24.01.011/97-98 09 दिसम्बर 1997	देश में बैंकों का क्रेडिट कार्ड कारोबार	282
(ग)		
बैंकों में ग्राहक सेवा		
बैपविवि. सं. बीसी. 48/09.07.007/97 22 अप्रैल 1997	ग्राहक सेवा- स्थानीय चेकों की वसूली	289
बैपविवि. सं. बीसी. 88/09.07.007/97-98 05 अगस्त 1997	बैंकों में ग्राहक-सेवा संबंधी समिति- गोडपोरिया समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन	290
बैपविवि. सं. 248/09.07.007/97-98 12 दिसम्बर 1997	ग्राहक सेवा- बाहरी लिखतों की वसूली	292

परिपत्र सं. एवं. तारीख	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
	(घ)	
	बैंकों में धोखाधड़ी आदी	
बैपविवि. सं.बीपी.बीसी. 80/21.01.023/97 2 जुलाई 1997	बैंकों में धोखाधड़ी - लाभांश वारंट / ब्याज वारंट और धन वापसी आदेश के लिए 'सममूल्य' सुविधा प्रदान करना	295
बैपविवि. सं. 109/21.01.023/97 30 सितम्बर 1997	बैंकों में धोखाधड़ी - लाभांश / ब्याज वारंटों और धन वापसी आदेशों के लिए 'सममूल्य' सुविधा देना	296
	(ड)	
	अन्य	
बैपविवि. सं.पीएसबीएस.बीसी. 1/16.13.100/96-97 01 जनवरी 1997	समीक्षा कैलेंडर-निदेशक मंडल एवं प्रबंध समिति के समक्ष रखे जाने वाले मामले	298
बैपविवि. सं.बीसी. 6/09.08.001/96-97 11 जनवरी 1997	“ मद्रास ” का नाम बदलकर “चेन्नई”	313
बैपविवि. सं.बीपी.बीसी. 9/21.04.048/97 29 जनवरी 1997	विवेकपूर्ण मानदंड-पूंजी पर्याप्तता, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान करना	314
बैपविवि. सं.बीसी. 11/12.06.109/97 13 फरवरी 1997	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में संम्मिलन-‘कुंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड’	320
बैपविवि. सं. 448/09.07.007/96-97 18 फरवरी 1997	इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा(ईसीएस)- उपयोगिता भुगतान(रैपिड) योजना	321
बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 14/21.04.048/97 19 फरवरी 1997	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण- कृषी अग्रिम	323

परिपत्र सं. एवं. तारीख	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
बैपविवि. सं. बीसी. 15/09.08.004/96-97 28 फरवरी 1997	बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम 1983 और बैंककारी कंपनी(नामन)नियमावली 1985	324
बैपविवि. सं. बीसी. 23/09.07.007/96-97 25 मार्च 1997	इलेक्ट्रानिक समाशोधन योजना(जमा समाशोधन)- सेवा प्रभार लगाना	326
बैपविवि. सं. 24/21.01.040/97 25 मार्च 1997	राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक निदेशक को शक्तियों का प्रत्यायोजन	327
बैपविवि. सं.बीपी. बीसी. 25/21.04.018/97 26 मार्च 1997	लेखांकन मानक 11(संशोधित)	330
बैपविवि. सं. बीपी.बीसी. 29/21.04.048/97 09 अप्रैल 1997	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण- कृषि अग्रिम	331
बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 30/21.04.048/97 09 अप्रैल 1997	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण प्रावधान तथा अन्य संबंधित मामले-निवेशों का मूल्यन	332
बैपविवि. सं. बीपी.बीसी. 31/21.04.048/97 10 अप्रैल 1997	बैंकों का निवेश संविभाग- निवेशों का “स्थायी” और “चालू” श्रेणी में वर्गीकरण	341
बैपविवि. सं. बीपी.बीसी. 32/21.04.048/97 12 अप्रैल 1997	विवेकपूर्ण मानदंड- पूंजी पर्याप्तता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करना	343
बैपविवि. सं. बीसी. 52/12.06.110/97 29 अप्रैल 1997	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन- ओवरसी-चाइनीज बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड,	344
बैपविवि. सं. डीआयआर बीसी. 55/13.01.10/97 05 मई 1997	दान राशियों की वार्षिक समीक्षा	346
बैपविवि. सं. बीपी.बीसी. 59/21.04.048/97 21 मई 1997	बैंकों का तुलनपत्र - प्रकट करना	349

परिपत्र सं. एवं. तारीख	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
बैपविवि. सं.बीपी.बीसी. 67/21.04.048/97 12 जून 1997	निवेशों पर मूल्यहास के लिए किये गये अधिक प्रावधान को वापस लिखना	352
बैपविवि. सं. बीसी. 68/09.07.007/96-97 23 जून 1997	इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा(जमा समाशोधन)	353
बैपविवि. सं.डीआइआर.बीसी. 79/13.01.04/97 30 जून 1997	दावा ट्रिब्यूनलों द्वारा स्वीकृत क्षतीपूर्ती की राशि की जमा और दावेदारों द्वारा इसका आहरण- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत	355
बैपविवि. सं..बीसी. 83/12.06.112/97 24 जुलाई 1997	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन- 'दि सुमिटोमो बैंक लिमिटेड'	367
बैपविवि. सं.बीपी.बीसी. 84/21.01.007/97 28 जुलाई 1997	ब्याजकर अधिनियम, 1974- ब्याज कर को 3% से घटाकर 2% करना	368
बैपविवि. सं.बीसी. 85/12.06.113/97 31 जुलाई 1997	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन- 'हनिल बैंक'	371
बैपविवि. सं.बीसी. 89/12.06.111/97-98 11 अगस्त 1997	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन-'दि कमर्शियल बैंक ऑफ कोरिया लिमिटेड'	372
बैपविवि. सं. बीपी.बीसी. 99/21.03.054/97 02 सितम्बर 1997	अलग-अलग समूह उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण जोखिम सीमाओं	373
बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 102/21.01.001/97 05 सितम्बर 1997	ओज़ोन को कम करने वाली वस्तुओं का उत्पदना/उपभोग करनेवाले उद्योगों को वित्तीय सहायता	374
बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 107/21.01.007/97 22 सितम्बर 1997	ब्याजकर अधिनियम, 1974- ब्याज कर को 3% से घटाकर 2% करना	378

परिपत्र सं. एवं. तारीख	विषय	पृष्ठ सं.
1.	2.	3.
बैपविवि. सं. बीसी. 108/09.07.007/97-98 25 सितम्बर 1997	चेकबुक जारी करना	379
बैपविवि. सं. 269/09.07.007/97-98 22 दिसम्बर 1997	स्वैच्छिक आय घोषणा योजना, 1997 के अंतर्गत प्रत्यक्ष करों को स्वीकार करना	381
बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 157/21.04.048/97 23 दिसम्बर 1997	बैंकों का निवेश संविभाग - निवेशों का 'स्थायी' और 'चालू' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकरण	383

Circular No. & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
		Section II Deposits
DBOD No. Dir.BC. 12/13.01.01/97 dated 14-02-1997	Interest rates on deposits	1
DBOD No. Dir.BC. 22/13.01.05/97 dated 15-03-1997	Interest rates on deposits- Premature withdrawal of term deposits (Covering letter)	2
DBOD No. Dir.BC. 21/13.01.05/97 dated 15-03-1997	Interest rates on deposits (Directive)	3
DBOD No. Dir.BC. 34/13.01.01/97 dated 15-04-1997	Interest rates on deposits (Covering letter)	5
DBOD No. Dir.BC. 33/13.01.01/97 dated 15-04-1997	Interest rates on deposits (Directive)	7
DBOD No. Dir.BC. 36/13.01.01/97 dated 15-04-1997	Interest rates on deposits- Capital Gains Accounts Scheme, 1988 (Covering letter)	9
DBOD No. Dir.BC. 35/13.01.01/97 dated 15-04-1997	Interest rates on deposits- Capital Gains Accounts Scheme, 1988 (Directive)	10
DBOD No. Dir.BC. 38/13.01.09/97 dated 15-04-1997	Interest rates on term deposits under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts) (Covering letter)	11
DBOD No. Dir.BC. 37/13.01.09/97 dated 15-04-1997	Interest rates on term deposits under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts) (Directive)	13
DBOD No. Dir.BC. 41/13.01.09/97 dated 15-04-1997	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non- resident) Accounts (Banks) Scheme (Covering letter)	14
DBOD No. Dir.BC. 40/13.01.09/97 dated 15-04-1997	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non- resident) Accounts (Banks) Scheme (Directive)	16

Circular No. & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD. No. BP.BC. 49/21.03.053/97 dated 22- 04-1997	Certificates of Deposit (CDs)	18
DBOD. No. Dir.BC. 70/13.01.01/97 dated 25-06-1997	Interest rates on deposits (Covering letter)	19
DBOD. No. Dir.BC. 69/13.01.01/97 dated 25-06- 1997	Interest rates on deposits (Directive)	21
DBOD. No. Dir.BC. 72/13.01.01/97 dated 25-06-1997	Interest rates on deposits- Capital Gains Accounts Scheme,1988 (Covering letter)	23
DBOD. No. Dir. BC. 71/13.01.01/97 dated 25-06-1997	Interest rates on deposits - Capital Gains Accounts Scheme,1988 (Notification)	24
DBOD. No. Dir.BC. 74/13.01.09/97 dated 25-06-1997	Interest rates on deposits under Non-Resident (External) Rupee (NRE) Accounts Scheme (Covering letter)	25
DBOD. No. Dir.BC. 73/13.01.09/97 dated 25-06-1997	Interest rates on term deposits under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts) (Directive)	27
DBOD. No. Dir.BC. 94/13.01.11/97 dated 26-08-1997	Deposit Mobilisation Schemes	29
DBOD. No. Dir.BC. 106/13.01.09/97 dated 12-09-1997	Interest rates on deposits under Non-Resident (External) Rupee (NRE) Accounts Scheme (Covering letter)	31
DBOD. No. Dir.BC. 105/13.01.09/97 dated 12-09-1997	Interest rates on term deposits under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts) (Directive)	33
DBOD. No. Dir.BC. 120/13.01.01/97 dated 21-10-1997	Interest rates on deposits (Covering letter)	34
DBOD. No. Dir.BC. 119/13.01.01/97 dated 21-10-1997	Interest rates on deposits (Directive)	36

Circular No. & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD. No. Dir.BC. 122/13.01.01/97 dated 21-10-1997	Interest rates on deposits - Capital Gains Accounts Scheme,1988 (Covering letter)	38
DBOD. No. Dir. BC. 121/13.01.01/97 dated 21-10-1997	Interest rates on deposits - Capital Gains Accounts Scheme,1988 (Notification)	39
DBOD. No. BP.BC. 128/21.03.053/97 dated 21-10-1997	Certificates of Deposit (CDs)	40
DBOD. No. Dir.BC. 140/13.01.09/97 dated 21-10-1997	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non- Resident) Accounts (Banks) Scheme - FCNR (B) Scheme (Covering letter)	41
DBOD. No. Dir.BC. 139/13.01.09/97 dated 21-10-1997	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non- Resident) Accounts (Banks) Scheme - FCNR(B) Scheme (Directive)	43

SECTION III

Review Of Credit Policy / Refinance To Banks

DBOD. No. FSC.BC. 17/24.91.001/97 dated 03-03-1997	Permission to participate in Call/Notice Money Market and Bills Rediscounting Scheme - Private Sector Mutual Funds	45
DBOD. No. FSC.BC. 28/24.91.001/97 dated 09-04-1997	Permission to participate in Call/Notice Money Market and Bills Rediscounting Scheme - Private Sector Mutual Funds	46
DBOD. No. Dir.BC. 131/13.07.05/97 dated 21-10-1997	Advances against Shares and Debentures/Bonds	47

SECTION IV

Investments

DBOD. No. FSC.BC. 5/24.76.002/95-96 dated 10-01-1997	Ready Forward Transactions (Covering letter)	49
DBOD. No. FSC.BC. 4/24.76.002/95-96 dated 10-01-1997	Ready Forward Transactions (Directive)	50

Circular No. & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD. No. FSC.BC. 19/24.76.002/97 dated 03-03-1997	Ready Forward Transactions (Covering letter)	51
DBOD. No. FSC.BC. 18/24.76.002/97 dated 03-03-1997	Ready Forward Transactions (Directive)	52
DBOD. No. Dir.BC. 42/13.07.05/97 dated 15-04-1997	Investments in and under-writing of shares and debentures of corporate bodies	54
DBOD. No. FSC.BC. 54/24.76.002/97 dated 29-04-1997	Ready Forward Transactions (Covering letter)	56
DBOD. No. FSC.BC. 53/24.76.002/97 dated 29-04-1997	Ready Forward Transactions (Directive)	57
DBOD. No. FSC.BC. 57/24.76.002/97 dated 20-05-1997	Ready Forward Transactions (Covering letter)	58
DBOD. No. FSC.BC. 56/24.76.002/97 dated 20-05-1997	Ready Forward Transactions (Directive)	59
DBOD. No. Dir.BC. 60/13.07.05/97 dated 28-05-1997	Investments in and under-writing of shares and debentures of corporate bodies	60
DBOD. No. FSC.BC. 66/24.76.002/97 dated 05-06-1997	Ready Forward Transactions (Covering letter)	61
DBOD. No. FSC.BC. 65/24.76.002/97 dated 05-06-1997	Ready Forward Transactions (Directive)	62
DBOD. No. FSC.BC. 77/24.76.002/97 dated 26-06-1997	Ready Forward Transactions (Covering letter)	63
DBOD. No. FSC.BC. 76/24.76.002/97 dated 26-06-1997	Ready Forward Transactions (Directive)	64

Circular No. & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD. No. FSC.BC. 82/24.76.002/97 dated 24-07-1997	Ready Forward Transactions (Covering letter)	65
DBOD. No. FSC.BC. 81/24.76.002/97 dated 24-07-1997	Ready Forward Transactions (Directive)	66
DBOD. No. FSC.BC. 87/24.76.002/97 dated 04-08-1997	Ready Forward Transactions (Covering letter)	67
DBOD. No. FSC.BC. 86/24.76.002/97 dated 04-08-1997	Ready Forward Transactions (Directive)	68
DBOD. No. FSC.BC. 92/24.76.002/97 dated 16-08-1997	Ready Forward Transactions (Covering letter)	69
DBOD. No. FSC.BC. 91/24.76.002/97 dated 16-08-1997	Ready Forward Transactions (Directive)	70
DBOD. No. FSC.BC. 101/24.76.002/97 dated 05-09-1997	Ready Forward Transactions (Covering letter)	71
DBOD. No. FSC.BC. 100/24.76.002/97 dated 05-09-1997	Ready Forward Transactions (Directive)	72
DBOD. No. FSC.BC. 112/24.76.002/97 dated 14-10-1997	Investment portfolio of banks - Transactions in securities - Role of brokers	73
DBOD. No. FSC.BC. 114/24.76.002/97 dated 20-10-1997	Ready Forward Transactions (Covering letter)	74
DBOD. No. FSC.BC. 113/24.76.002/97 dated 20-10-1997	Ready Forward Transactions (Directive)	75
DBOD. No. FSC.BC. 129/24.76.002/97 dated 22-10-1997	Retailing of Government securities	79

Circular No. & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD. No. FSC.BC. 151/24.76.002/97-98 dated 09-12-1997	Reverse Ready Forward Transactions (Covering letter)	80
DBOD. No. FSC.BC. 150/24.76.002/97-98 dated 09-12-1997	Reverse Ready Forward Transactions (Directive)	82
		Section V
		Advances
DBOD. No. Dir.BC. 8/13.01.09/97 dated 28-01-1997	Loans to residents against FCNR/NRE deposits	91
DBOD. No. Dir.BC. 10/13.07.01/97 dated 12-02-1997	Interest rates on advances- Prime Lending Rate	92
DBOD. No. BP .BC. 16/21.04.009/97 dated 28-02-1997	Payment under bank guarantees- Immediate settlement of cases	94
DBOD. No. BP.BC. 20/21.04.012/97 dated 14-03-1997	Relaxations to trade and industry in the state of Jammu and Kashmir	95
IECD. No. 27/04.02.01/96-97 dated 15-04-1997	Export Credit- Interest rates (Covering letter)	96
DBOD. No. BC. 39/13.07.01/97 dated 15-04-1997	Interest rates on advances (Directive)	98
DBOD. No. Dir..BC. 43/13.07.05/97 dated 15-04-1997	Advances against shares	100
IECD. No. 32/04.02.01/96-97 dated 25-06-1997	Export credit- Interest rates (Covering letter)	102
DBOD. No. BC. 75/13.07.01/97 dated 25-06-1997	Interest rates on advances (Directive)	103
IECD. No. 9/04.02.01/97-98 dated 12-09-1997	Export Credit- Interest rates on Post-shipment Rupee Credit (Covering letter)	105

Circular No. & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD. No. BC. 104/13.07.01/97 dated 12-09-1997	Interest rates on advances (Directive)	107
DBOD. No. Dir.BC. 124/13.07.01/97-98 dated 21-10-1997	Interest rates on advances (Covering letter)	111
DBOD. No. Dir.BC. 123/13.07.01/97-98 dated 21-10-1997	Interest rates on advances (Directive)	114
DBOD. No. Dir.BC. 133/13.01.09/97 dated 21-10-1997	Loans against Foreign Currency (Non- Resident)Accounts (Banks) Scheme [FCNR(B)]/pooled resources (Covering letter)	119
DBOD. No. Dir.BC. 132/13.01.09/97 dated 21-10-1997	Loans against Foreign Currency (Non- Resident)Accounts (Banks) Scheme/pooled resources (Directive)	121
DBOD. No. Dir.BC. 138/13.07.05/97-98 dated 21-10-1997	Bridge Loans	122
DBOD. No. Dir.BC. 141/13.07.05/97 dated 08-11-1997	Loans and advances against shares and debentures	124
IECD. No. 18/04.02.01/97-98 dated 26-11-1997	Export Credit- Interest rates on Post-shipment Rupee Credit (Covering letter)	127
DBOD No.BC. 143/13.07.01/97 dated 26-11-1997	Interest rates on advances (Directive)	128
IECD. No. 19/04.02.01/97-98 dated 29-11-1997	Export Credit- Interest rates on Post-shipment Rupee Credit (Covering letter)	132
DBOD. No. Dir.BC. 144/13.07.01/97 dated 29-11-1997	Interest rates on advances (Directive)	133
DBOD. No. Dir.BC. 153/13.01.05/97 dated 09-12-1997	Settlement of Institutional Transactions in the Depository	136

Circular No. & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
IECD. No. 26/04.02.01/97-98 dated 17-12-1997	Export Credit - Interest rates on Post-shipment Rupee Credit (Covering letter)	138
DBOD. No. Dir. BC. 154/13.07.01/97 dated 17-12-1997	Interest rates on advances (Directive)	140
DBOD. No. Dir. BC. 158/13.07.05/97 dated 23-12-1997	Settlement of Institutional Transactions in the Depository	144
IECD. No. 31/04.02.01/97-98. dated 31-12-1997	Export Credit - Interest rates on Post - shipment Rupee Credit (Covering letter)	145
DBOD. No. Dir. BC. 159/13.07.01/97 dated 31-12-1997	Interest rates on advances (Directive)	146
IECD. No. 32/04.02.01/97-98 dated 31-12-1997	Export Credit - Rate of interest on overdue export bills (Covering letter)	148
DBOD. No. Dir. BC. 160/13.07.01/97 dated 31-12-1997	Interest rates on advances (Directive)	150
Section VI		
Credit Control (General)		
DBOD. No. BC. 7/12.01.001/97 dated 16-01-1997	Section 42 of Reserve Bank of India Act, 1934 - Payment of interest on specified additional cash balances maintained with Reserve Bank of India	155
DBOD. No. Dir. BC. 27/13.08.01/97 dated 07-04-1997	Selective Credit Controls - Reintroduction of controls on advances against wheat (Covering letter)	156
DBOD. No. Dir. BC. 26/13.08.01/97 dated 07-04-1997	Selective Credit Controls - Reintroduction of controls on advances against wheat (Directive)	158
DBOD. No. BC. 46/12.01.001/96-97 dated 15-04-1997	Section 42 (1A) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Cash Reserve Ratio (CRR) on Non-Resident Deposits (Covering letter)	166
DBOD. No. BC. 44/12.01.001/96-97 dated 15-04-1997	Section 42 (1A) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Cash Reserve Ratio (CRR) on Non-Resident Deposits (Notification)	188

Circular No. & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD. No. BC. 47/12.01.001/96-97 dated 15-04-1997	Penal rate of interest on the shortfalls in the maintenance of CRR/SLR	189
DBOD. No. BC. 50/12.01.001/96-97 dated 15-04-1997	Section 42 (1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Change of Cash Reserve Ratio on liabilities to the Banking System (Covering letter)	190
DBOD. No. BC. 45/12.01.001/96-97 dated 15-04-1997	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Change of Cash Reserve Ratio on liabilities to the Banking System (Notification)	192
DBOD. No. BC. 51/12.02.001/96-97 dated 25-04-1997	Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949- Statutory Liquidity Ratio (SLR) on liabilities to the Banking System	193
DBOD. No. BC. 78/12.01.001/96-97 dated 25-06-1997	Penal rate of interest on the shortfalls in the maintenance of CRR/SLR	195
DBOD. No. BC. 96/12.02.001/97-98 dated 28-08-1997	Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949- Statutory Liquidity Ration (SLR) requirement on ACU Dollar Balances in Vostro accounts	196
DBOD. No. BC. 97/12.02.001/97-98 dated 28-08-1997	Reserve Requirements on ACU Dollar Balances (Covering letter)	197
DBOD. No. BC. 98/12.02.001/97-98 dated 28-08-1997	Reserve Requirements on ACU Dollar Balances (Directive)	199
DBOD. No. BP.BC. 103/21.01.023/97 dated 09-09-1997	Custody of securities of NBFCs with designated banks towards maintenance of liquid assets- Non Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1977	202
DBOD. No. BC. 111/12.02.001/97 dated 13-10-1997	Borrowings under paragraph 5.B.8(i) of Exchange Control Manual - Maintenance of reserve requirements	204
DBOD No.BC. 118/12.01.001/97-98 dated 21-10-1997	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934-Reduction in Cash Reserve Ratio (CRR) and Section 42(1B) of the Reserve Bank of India Act, 1934- Payment of interest on eligible cash balances (Covering letter)	210
DBOD. No. BC. 116/12.01.001/97-98 dated 21-10-1997	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934- Reduction in Cash Reserve Ratio (CRR) and Section 42(1B) of the Reserve Bank of India Act, 1934- Payment of interest on eligible cash balances (Notification)	213

Circular No. & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD. No. Dir.BC. 126/13.08.01/97 dated 21-10-1997	Selective Credit Control on advances against sugar- Minimum margin (Covering letter)	215
DBOD. No.Dir. BC. 125/13.08.01/97 dated 21-10-1997	Selective Credit Control on advances against sugar- Minimum margin (Directive)	216
DBOD. No. BC. 136/12.02.001/97-98 dated 21-10-1997	Penal rate of interest on the shortfall in maintenance of CRR/SLR	218
DBOD. No. BC. 137/12.02.001/97-98 dated 21-10-1997	Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949-Rationalisation of Statutory Liquidity Ratio (SLR) (Covering letter)	219
DBOD. No. BC. 117/12.02.001/97-98 dated 21-10-1997	Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949- Rationalisation of Statutory Liquidity Ratio(SLR) (Notification)	220
DBOD. No. BC. 142/09.16.001/97-98 dated 19-11-1997	Division of savings bank deposits into demand and time liabilities- Amendment to the Regulation 7 of the Reserve Bank of India Scheduled Banks' Regulation, 1951	221
DBOD. No. BC. 149/12.01.001/97-98 dated 02-12-1997	Section 42(1) and 42(1A) of the Reserve Bank of India Act, 1934- Increase in Cash Reserve Ratio (CRR) and exemptions from incremental Cash Reserve Ratio on liabilities under NRE and NRNR Deposit Accounts Schemes (Covering letter)	224
DBOD. No. BC. 147/12.01.001/97-98 dated 02-12-1997	Section 42(1) and 42(1A) of the Reserve Bank of India Act, 1934- Increase in Cash Reserve Ratio (CRR) and exemptions from incremental Cash Reserve Ratio on liabilities under NRE and NRNR Deposit Accounts Schemes (Notification)	226
DBOD. No. BC. 148/12.01.001/97-98 dated 02-12-1997	Section 42(1) and 42(1A) of the Reserve Bank of India Act, 1934- Increase in Cash Credit Ratio (CRR) and exemptions from incremental Cash Reserve Ratio on liabilities under NRE and NRNR Deposit Accounts Schemes (Notification)	227
DBOD No.BC. 156/12.01.001/97-98 dated 23-12-1997	Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934- Revised format for submission of quarterly ad-hoc interest claims on eligible CRR balances	229

Circular No. & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
		Section VII
		Credit Information
DBOD. No. BC.DL. 61/20.16.002/96-97 dated 28-05-1997	Disclosure of information regarding defaulting borrowers of banks and financial institutions - Half year ended March 1996	237
DBOD. No. BC.DL. 155/20.16.002/97-98 dated 22-12-1997	Disclosure of information regarding defaulting borrowers of banks / financial institutions - Half year ended September 1996	239
		Section IX
		Returns
DBOD. No. BC. 13/12.05.007/96-97 dated 19-02-1997	Section 42 (2) of Reserve Bank of India Act, 1934- Submission of Special Fortnightly Return in Form A as on 31.03.1997	241
	Section 27 of the Banking Regulation Act, 1949- Submission of Special Monthly Return in Form X as on 31.03.1997	
	Section 26 of the Banking Regulation Act, 1949 Submission of Annual Return in Form XI- Data of unclaimed deposits outstanding as on 31.12.1996	
DBOD. No. BC. 58/12.01.001/96-97 dated 20-05-1997	Reserve Requirements-Submission of Form A and Form VIII	243
DBOD. No. BC. 62/12.01.001/96-97 dated 03-06-1997	Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934- Revised format for submission of quarterly ad-hoc interest claims on eligible CRR balances	246
DBOD. No. BC. 95/12.02.001/97-98 dated 26-08-1997	Loans out of Foreign Currency Non-Resident Accounts (Banks) [FCNR(B)] Scheme and Inter-bank Foreign Currency Deposits (IBFCD) Scheme	253
		Section X
		Miscellaneous
		(a) Branch expansion
DBOD. No. BL. BC. 64/22.01.003/97 dated 05-06-1997	Opening of offices of commercial banks in the National Capital Territory (NCT) of Delhi - No Objection Certificate (NOC) from Delhi Development Authority (DDA)	255

Circular No. & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD. No.BL. BC. 115/22.06.001/97 dated 21-10-1997	Section 23 of the Banking Regulation Act, 1949- Branch Banking Statistics-Submission of Monthly Returns-Revision of proformae II and III	258
	(b) Non-traditional type of work taken up by banks-Merchant banking, credit card system, hire-purchase business etc.	
DBOD. No.FSC. BC. 63/24.47.001/97 dated 05-06-1997	Stockinvest Scheme (SI)	277
DBOD. No.FSC. BC. 90/24.01.001/97-98 dated 13-08-1997	Equipment leasing, hire purchase, factoring etc. activities	279
DBOD. No.FSC. BC. 130/24.01.013/97-98 dated 22-10-1997	Investment by-Money Market Mutual Funds (MMMFs)	280
DBOD. No.FSC. BC. 152/24.01.011/97-98 dated 09-12-1997	Domestic credit card business of banks	282
	(c) Customer Service in banks	
DBOD. No. BC. 48/09.07.007/96-97 dated 22-04-1997	Customer Service - Collection of local cheques	289
DBOD. No. BC. 88/09.07.007/97-98 dated 05-08-1997	Committee on Customer Service in Banks- Implementation of recommendations of the Goiporia Committee	290
DBOD. No. 248/09.07.007/97-98 dated 12-12-1997	Customer Service - Collection of outstation instruments	248
	(d) Frauds etc. in banks	
DBOD. No.BP. BC. 80/21.01.023/97 dated 02-07-1997	Frauds in banks - Granting of 'at par' facility for dividend warrants/interest warrants and refund orders	295
DBOD. No.BP. BC. 109/21.01.023/97 dated 30-09-1997	Frauds in banks - Grant of 'at par' facility for dividend/interest warrants and refund orders	296

Circular No. & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
		(e) Others
DBOD. No.PSBS. BC. 1/16.13.100/96-97 dated 01-01-1997	Calendar of reviews - Matters to be placed before Board of Directors and Management Committee	298
DBOD. No. BC. 6/09.08.001/96-97 dated 11-01-1997	Change of name of 'Madras' to 'Chennai'	313
DBOD. No.BP. BC. 9/21.04.048/97 dated 29-01-1997	Prudential norms- Capital adequacy, income recognition, asset classification and provisioning	314
DBOD. No.BC. 11/12.06.109/97 dated 13-02-1997	Inclusion in the Second Schedule to Reserve Bank of India Act,1934- "Krung Thai Public Company Limited"	320
DBOD. No. 448/09.07.007/96-97 dated 18-02-1997	Electronic Clearing Service (ECS)- Utility Payment (RAPID) Scheme	321
DBOD. No. BP.BC 14/21.04.048/97 dated 19-02-1997	Income recognition, asset classification and provisioning- Agricultural advances	323
DBOD. No. BC. 15/09.08.004/96-97 dated 28-02-1997	Banking Laws (Amendment) Act, 1983 and Banking Companies (Nomination) Rules, 1985	324
DBOD. No.BC 23/09.07.007/96-97 dated 25-03-1997	Electronic Clearing Scheme (Credit Clearing)-Levy of service charges	326
DBOD. No.BP. BC. 24/21.01.040/97 dated 25-03-1997	Delegation of powers to CMD/ MD of nationalised banks	327
DBOD. No.BP. BC. 25/21.04.018/97 dated 26-03-1997	Accounting Standards 11(Revised)	330
DBOD. No.BP. BC. 29/21.04.048/97 dated 09-04-1997	Income recognition, asset classification and provisioning- Agricultural advances	331
DBOD. No.BP. BC. 30/21.04.048/97 dated 09-04-1997	Income recognition, asset classification, provisioning and other related matters- Valuation of investments	332

Circular No. & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD. No. BP.BC. 31/21.04.048/97 dated 10-04-1997	Investment portfolio of banks- Classification of investments under 'permanent' and 'current' category	341
DBOD. No.BP. BC. 32/21.04.048/97 dated 12-04-1997	Prudential norms- Capital adequacy, income recognition, asset classification and provisioning	343
DBOD. No.BC. 52/12.06.110/97 dated 29-04-1997	Inclusion in the Second Schedule to Reserve Bank of India Act,1934- 'Overseas-Chinese Banking Corporation Limited', Singapore	344
DBOD. No. Dir.BC 55/13.01.10/97 dated 05-05-1997	Annual Review of Donations	346
DBOD. No. BP.BC. 59/21.04.048/97 dated 21-05-1997	Balance Sheets of banks- Disclosures	349
DBOD. No. BP.BC. 67/21.04.048/97 dated 12-06-1997	Write back of excess provision towards depreciation on investments	352
DBOD. No. BC. 68/09.07.007/96-97 dated 23-06-1997	Electronic Clearing Service (Credit Clearing)	353
DBOD. No. Dir.BC. 79/13.01.04/97 dated 30-06-1997	Deposit of the amount of compensation awarded by the Claims Tribunal and its withdrawal by the claimants - Guidelines laid down by the Supreme Court	355
DBOD. No.BC. 83/12.06.112/97 dated 24-07-1997	Inclusion in the Second Schedule to Reserve Bank of India Act,1934 - " The Sumitomo Bank Ltd. "	367
DBOD. No.BP. BC. 84/21.01.007/97 dated 28-07-1997	Income Tax Act, 1974 - Reduction of interest tax from 3% to 2%	368
DBOD. No.BC. 85/12.06.113/97 dated 31-07-1997	Inclusion in the Second Schedule to Reserve Bank of India Act,1934 - " Hanil Bank" , Seoul, South Korea	371
DBOD. No. BC. 89/12.06.111/97 dated 11-08- 1997	Inclusion in the Second Schedule to Reserve Bank of India Act,1934 - " The Commercial Bank of Korea Ltd."	372

Circular No. & Date	Subject	Page No.
1.	2.	3.
DBOD. No. BP. BC. 99/21.03.054/97 dated 02-09-1997	Limit on credit exposure to individual / group borrowers	373
DBOD. No. BP. BC. 102/21.01.001/97 dated 05-09-1997	Financial assistance to industries producing/consuming Ozone Depleting Substances (ODS)	374
DBOD. No. BP. BC. 107/21.01.007/97 dated 22-09-1997	Income Tax Act, 1974- Reduction of interest tax from 3% to 2%	378
DBOD. No. BC. 108/09.07.007/97-98 dated 25-09-1997	Issue of cheque books	379
DBOD. No. 269/09.07.007/97-98 dated 22-12-1997	Acceptance of Direct taxes under Voluntary Disclosure of Income Scheme (VDIS), 1997.	381
DBOD. No. BP. BC. 157/21.04.048/97 dated 23-12-1997	Investment portfolio of banks- Classification of investments under “ Permanent” and “ Current” category	383

परिपत्र संख्या तथा तारीख	विषय	खंड
1	2	3
बैंपविवि.सं. पीएसबीएस. बीसी. 1/16.13.100/96-97 दिनांक 01-01-1997	समीक्षा कैलेण्डर - निदेशक मंडल एवं प्रबंध समिति के समक्ष रखे जानेवाले मामले	X(ड)
वर्षाविवि.सं. एफएससी.बीसी.4/ 24.76.002/95-96 दिनांक 10.01.1997	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी.5/ 24.76.002/96-97 दिनांक 10.01.1997	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि.सं. बीसी.6/09.08.001/ 96-97 दिनांक 11.01.1997	'मद्रास' का नाम बदल कर 'चेन्नई'	X(ड)
बैंपविवि.सं. बीसी.7/12.01.001/ 97 दिनांक 16.01.1997	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 - भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखे विनिर्दिष्ट अतिरिक्त नकदी शेष पर ब्याज का भुगतान	VI
बैंपविवि.सं.डीआईआर.बीसी.8/ 13.01.09/97 दिनांक 28.01.1997	एफसीएनआर/एनआरई जमाराशियों पर निवासियों का ऋण	V
बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.9/ 21.04.048/97 दिनांक 29.01.1997	विवेकपूर्ण मानदंड - पूंजी पर्याप्तता, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान करना	X(ड)
बैंपविवि.सं.डीआईआर.बीसी.10/ 13.07.01/97 दिनांक 12.02.1997	अग्रिमों पर ब्याज दरें - आधार (प्राइम) ऋण दर	V
बैंपविवि.सं. बीसी.11/12.06.109/ 97 दिनांक 13.02.1997	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - 'क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड'	X(ड)
बैंपविवि.सं.डीआईआर.बीसी.12/ 13.01.01/97 दिनांक 14.02.1997	जमाराशियों पर ब्याज दरें	II

परिपत्र संख्या तथा तारीख	विषय	खंड
1	2	3
बैंपविवि.सं.448/09.07.007/ 96-97 दिनांक 18.02.1997	इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा - उपयोगिता भुगतान (रैपिड) योजना	X(ड)
बैंपविवि.सं.बीसी.13/12.05.007/ 96-97 दिनांक 19.02.1997	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) - फार्म 'ए' में दिनांक 31.3.1997 की स्थिति की विशेष पाक्षिक विवरणी प्रस्तुत करना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 - फार्म 'X' में दिनांक 31.3.1997 की स्थिति की विशेष मासिक विवरणी प्रस्तुत करना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26 - फार्म XI में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करना - दिनांक 31.12.1996 तक दावा न की गयी बकाया जमाराशियों के आंकड़े	IX
बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.14/21.04. 048/97 दिनांक 19.02.1997	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण - कृषि अग्रिम	X(ड)
बैंपविवि.सं.बीसी.15/09.08.004/ 96-97 दिनांक 28.02.1997	बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 और बैंककारी कंपनी (नामन) नियमावली, 1985	X(ड)
बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.16/ 21.04.009/97 दिनांक 28.02.1997	बैंक गारंटी के अधीन भुगतान - मामलों का तत्काल निपटान	V
बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी.17/ 24.91.001/97 दिनांक 03.03.1997	मांग/सूचना मुद्रा बाजार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्यूचुअल फंड	III
बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी.18/ 24.76.002/97 दिनांक 03.03.1997	हाज़िर वायदा लेनदेन (निर्देश)	IV
बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी.19/ 24.76.002/97 दिनांक 03.03.1997	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV

परिपत्र संख्या तथा तारीख	विषय	खंड
1	2	3
बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.20/21.04. 012/97 दिनांक 14.03.1997	जम्मू और कश्मीर राज्य में व्यापार और उद्योग को छूट	V
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 21/13.01.05/97 दिनांक 15.03.1997	जमाराशियों पर ब्याज दरें (निर्देश)	II
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 22/13.01.05/97 दिनांक 15.03.1997	जमाराशियों पर ब्याज दरें - मीयादी जमाराशियों का समय से पूर्व आहरण (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि.सं.बीसी.23/09.07. 007/96-97 दिनांक 25.03.1997	इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन योजना (जमा समाशोधन) - सेवा प्रभार लगाना	X(ड)
बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.24/ 21.01.040/97 दिनांक 25.03.1997	राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / प्रबंध निदेशक को शक्तियों का प्रत्यायोजन	X(ड)
बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.25/21.04. 018/97 दिनांक 26.03.1997	लेखांकन मानक 11 (संशोधित)	X(ड)
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.26 /13.08.01/97 दिनांक 07.04.1997	चयनात्मक ऋण नियंत्रण - गेहूं की जमानत पर दिये जानेवाले अग्रिमों पर नियंत्रणों को पुनः आरंभ करना (निर्देश)	VI
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 27/13.08.01/97 दिनांक 07.04.1997	चयनात्मक ऋण नियंत्रण - गेहूं की जमानत पर दिये जानेवाले अग्रिमों पर नियंत्रणों को पुनः आरंभ करना (प्रावरण पत्र)	VI
बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी.28/ 24.91.001/97 दिनांक 09.04.1997	मांग / सूचना मुद्रा बाजार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्युचुअल फंड	III
बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.29/21.04. 048/97 दिनांक 09.04.1997	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण - कृषि अग्रिम	X(ड)

परिपत्र संख्या तथा तारीख	विषय	खंड
1	2	3
बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.30/21.04. 048/97 दिनांक 09.04.1997	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान तथा अन्य संबंधित मामले - निवेशों का मूल्यन	X(ड)
बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.31/21.04. 048/97 दिनांक 10.04.1997	बैंकों का निवेश संविभाग - निवेशों का 'स्थायी' और 'चालू' श्रेणी में वर्गीकरण	X(ड)
बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.32/21.04. 048/97 दिनांक 12.04.1997	विवेकपूर्ण मानदंड - पूंजी पर्याप्तता, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करना	X(ड)
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 33/13.01.01/97 दिनांक 15.04.1997	जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	II
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 34/13.01.01/97 दिनांक 15.04.1997	जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 35/13.01.01/97 दिनांक 15.04.1997	जमाराशियों पर ब्याज दरें - पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 (निदेश)	II
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 36/13.01.01/97 दिनांक 15.04.1997	जमाराशियों पर ब्याज दरें - पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि.सं.बीसी.37/13.01.09 /97 दिनांक 15.04.1997	अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	II
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 38/13.01.09/97 दिनांक 15.04.1997	अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	II
औनिक्कवि.सं.27/04.02.01 /96-97 दिनांक 15.04.1997	निर्यात ऋण - ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	V

परिपत्र संख्या तथा तारीख	विषय	खंड
1	2	3
बैंपविवि.सं.बीसी. 39/13.07.01/97 दिनांक 15.04.1997	अग्रिमों पर ब्याज दरें (निदेश)	V
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 40/13.01.09/97 दिनांक 15.04.1997	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	II
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 41/13.01.09/97 दिनांक 15.04.1997	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 42/13.07.05/97 दिनांक 15.04.1997	कंपनी निकायों के शेयरों और डिबेंचरों में निवेश और हामीदारी	IV
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 43/13.07.05/97 दिनांक 15.04.1997	शेयरों की जमानत पर अग्रिम	V
बैंपविवि.सं.बीसी.44/12.01.001 /96-97 दिनांक 15.04.1997	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) - अनिवासी जमाराशियों पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (अधिसूचना)	VI
बैंपविवि.सं.बीसी.45/12.01.001 /96-97 दिनांक 15.04.1997	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में परिवर्तन (अधिसूचना)	VI
बैंपविवि.सं.बीसी.46/12.01.001 /96-97 दिनांक 15.04.1997	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) - अनिवासी जमाराशियों पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रावरण पत्र)	VI
बैंपविवि.सं.बीसी.47/12.01.001 /96-97 दिनांक 15.04.1997	प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात / सांविधिक चलनिधि अनुपात (सीआरआर / एसएलआर) बनाये रखने में कमियां होने पर दंड ब्याज दर	VI

परिपत्र संख्या तथा तारीख	विषय	खंड
1	2	3
बैंपविवि.सं.बीसी.50/12.01.001 /96-97 दिनांक 15.04.1997	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में परिवर्तन (प्रावरण पत्र)	VI
बैंपविवि.सं.बीसी.48/09.07.007 /96-97 दिनांक 22.04.1997	ग्राहक सेवा - स्थानीय चेकों की वसूली	X(ग)
बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.49/21.03. 053/97 दिनांक 22.04.1997	जमा प्रमाणपत्र	II
बैंपविवि.सं.बीसी.51/12.02.001 /96-97 दिनांक 25.04.1997	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताओं के बारे में सांविधिक चलनिधि अनुपात	VI
बैंपविवि.सं.बीसी.52/12.06.110 /97 दिनांक 29.04.1997	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - 'ओवरसी - चाइनीज़ बैंकिंग कार्पोरेशन लि.', सिंगापुर	X(ड)
बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी.53 /24.76.002/97 दिनांक 29.04.1997	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी.54 /24.76.002/97 दिनांक 29.04.1997	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 55/13.01.10/97 दिनांक 05.05.1997	दान राशियों की वार्षिक समीक्षा	X(ड)
बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी.56/ 24.76.002/97 दिनांक 20.05.1997	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 57/24.76.002/97 दिनांक 20.05.1997	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV

परिपत्र संख्या तथा तारीख	विषय	खंड
1	2	3
बैंपविवि.सं.बीसी.58/12.01.001/ 96-97 दिनांक 20.05.1997	प्रारक्षित निधि की अपेक्षाएं - फार्म ए और फार्म VIII प्रस्तुत करना	IX
बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.59/21.04. 048/97 दिनांक 21.05.1997	बैंकों का तुलनपत्र - प्रकट करना	X(ड)
बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी.60/13.07.05/97 दिनांक 28.05.1997	कंपनी निकायों के शेयरों और डिबेंचरों में निवेश और हामीदारी	IV
बैंपविवि.सं.बीसी.डीएल. 61/20.16.002/96-97 दिनांक 28.05.1997	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के चूककर्ता उधारकर्ताओं के बारे में सूचना प्रकट करना - मार्च 1996 को समाप्त छमाही	VII
बैंपविवि.सं.बीसी.62/12.01.001 /96-97 दिनांक 03.06.1997	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की पात्र शेष राशियों पर तिमाही तदर्थ ब्याज दावे प्रस्तुत करने के लिए संशोधित प्रोफार्मा	IX
बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 63/24.47.001/97 दिनांक 05.06.1997	स्टाकइनवेस्ट योजना (एसआइ)	X(ख)
बैंपविवि.सं.बीएल.बीसी. 64/22.01.003/97 दिनांक 05.06.1997	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वाणिज्य बैंकों के कार्यालय खोलना - दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र	X(क)
बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 65/24.76.002/97 दिनांक 05.06.1997	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 66/24.76.002/97 दिनांक 05.06.1997	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.67 /21.04.048/97 दिनांक 12.06.1997	निवेशों पर मूल्यहास के लिए किये गये अधिक प्रावधान को वापस लिखना	X(ड)

परिपत्र संख्या तथा तारीख	विषय	खंड
1	2	3
बैंपविवि.सं.बीसी.68/09.07.007 /96-97 दिनांक 23.06.1997	इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (जमा समाशोधन)	X(ड)
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 69/13.01.01/97 दिनांक 25.06.1997	जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	II
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 70/13.01.01/97 दिनांक 25.06.1997	जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 71/13.01.01/97 दिनांक 25.06.1997	जमाराशियों पर ब्याज दरें - पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 (अधिसूचना)	II
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 72/13.01.01/97 दिनांक 25.06.1997	जमाराशियों पर ब्याज दरें - पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 73/13.01.09/97 दिनांक 25.06.1997	अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	II
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 74/13.01.09/97 दिनांक 25.06.1997	अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	II
औनिक्कवि.सं.32/04.02.01 /96-97 दिनांक 25.06.1997	निर्यात ऋण - ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	V
बैंपविवि.सं.बीसी.75/13.07.01 /97 दिनांक 25.06.1997	अग्रिमों पर ब्याज दरें (निदेश)	V
बैंपविवि.सं.बीसी.78/12.01.001 /96-97 दिनांक 25.06.1997	प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात/सांविधिक चलनिधि अनुपात (सीआरआर/एसएलआर) बनाये रखने में कमियां होने पर दंड ब्याज दर	VI

परिपत्र संख्या तथा तारीख	विषय	खंड
1	2	3
बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी.76 /24.76.002/97 दिनांक 26.06.1997	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी.77 /24.76.002/97 दिनांक 26.06.1997	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 79/13.01.04/97 दिनांक 30.06.1997	दावा ट्रिब्यूनलों द्वारा स्वीकृत क्षतिपूर्ति की राशि जमा करना और दावेदारों द्वारा इसका आहरण - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत	X(ड)
बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.80/21.01. 023/97 दिनांक 02.07.1997	बैंकों में धोखाधड़ी - लाभांश वारंट/ब्याज वारंट और धन वापसी आदेश के लिए 'सममूल्य' सुविधा प्रदान करना	X(घ)
बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी.81/ 24.76.002/97 दिनांक 24.07.1997	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी.82/ 24.76.002/97 दिनांक 24.07.1997	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि.सं.बीसी.83/ 12.06.112/97 दिनांक 24.07.1997	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - 'द सुमिटोमो बैंक लिमिटेड'	X(ड)
बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.84/ 21.01.007/97 दिनांक 28.07.1997	ब्याज कर अधिनियम, 1974 - ब्याज कर को 3% से घटाकर 2% करना	X(ड)
बैंपविवि.सं.बीसी.85/ 12.06.113/97 दिनांक 31.07.1997	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - 'हनिल बैंक', सिओल, दक्षिण कोरिया	X(ड)

परिपत्र संख्या तथा तारीख	विषय	खंड
1	2	3
बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी.86/ 24.76.002/97 दिनांक 04.08.1997	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी.87/ 24.76.002/97 दिनांक 04.08.1997	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि.सं.बीसी.88/09.07.007 /97-98 दिनांक 05.08.1997	बैंकों में ग्राहक-सेवा संबंधी समिति - गोइपोरिया समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन	X(ग)
बैंपविवि.सं.बीसी.89/ 12.06.111/97 दिनांक 11.08.1997	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - 'दि कमर्शियल बैंक ऑफ कोरिया लि.'	X(ङ)
बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी.90/ 24.01.001/97-98 दिनांक 13.08.1997	उपस्कर पट्टे पर देना, किराया खरीद, फैक्टरिंग आदि कार्यकलाप	X(ख)
बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी.91/ 24.76.002/97 दिनांक 16.08.1997	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी.92/ 24.76.002/97 दिनांक 16.08.1997	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 94/13.01.11/97 दिनांक 26.08.1997	जमाराशि जुटाने की योजनाएं	II
बैंपविवि.सं.बीसी.95/ 12.02.001/97-98 दिनांक 26.08.1997	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना और अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा जमाराशि योजना से ऋण	IX

परिपत्र संख्या तथा तारीख	विषय	खंड
1	2	3
बैंपविवि.सं.बीसी.96/12.02.001 /97-98 दिनांक 28.08.1997	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - वोस्ट्रो खातों में एसीयू डॉलर शेष राशियों पर सांविधिक चलनिधि अनुपात (सां.च.अ.) की अपेक्षा	VI
बैंपविवि.सं.बीसी.97/12.02.001 /97-98 दिनांक 28.08.1997	एसीयू डॉलर शेष राशियों पर प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाएं (प्रावरण पत्र)	VI
बैंपविवि.सं.बीसी.98/12.02.001 /97-98 दिनांक 28.08.1997	एसीयू डॉलर शेष राशियों पर प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाएं (निदेश)	VI
बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.99/ 21.03.054/97 दिनांक 02.09.1997	अलग-अलग/समूह उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण जोखिम सीमाएं	X(ड)
बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 100/24.76.002/97 दिनांक 05.09.1997	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 101/24.76.002/97 दिनांक 05.09.1997	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 102/21.01.001/97 दिनांक 05.09.1997	ओज़ोन को कम करनेवाली वस्तुओं का उत्पादन/उपभोग करने वाले उद्योगों को वित्तीय सहायता	X(ड)
बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 103/21.01.023/97 दिनांक 09.09.1997	चलनिधि आस्तियां रखने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की प्रतिभूतियों की नामित बैंकों के पास अभिरक्षा - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1977	VI
ऑनिक्रवि.सं.9/04.02.01/ 97-98 दिनांक 12.09.1997	निर्यात ऋण - पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	V
बैंपविवि.सं.बीसी.104/ 13.07.01/97 दिनांक 12.09.1997	अग्रिमां पर ब्याज दरें (निदेश)	V

परिपत्र संख्या तथा तारीख	विषय	खंड
1	2	3
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 105/13.01.09/97 दिनांक 12.09.1997	अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	II
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 106/13.01.09/97 दिनांक 12.09.1997	अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 107/21.01.007/97 दिनांक 22.09.1997	ब्याज कर अधिनियम, 1974 - ब्याज कर को 3% से घटाकर 2% करना	X(ड)
बैंपविवि.सं.बीसी.108/09.07. 007/97-98 दिनांक 25.09.1997	चेकबुक जारी करना	X(ड)
बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.109/ 21.01.023/97 दिनांक 30.09.1997	बैंकों में धोखाधड़ी - लाभांश/ब्याज वारंटों और धनवापसी आदेशों के लिए 'सममूल्य' सुविधा देना	X(घ)
बैंपविवि.सं.बीसी.111 /12.02.001/97 दिनांक 13.10.1997	विदेशी मुद्रा नियंत्रण नियम-पुस्तक (मैन्युअल) के पैरा 5.बी.8(i) के अंतर्गत उधार - प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं का अनुरक्षण	VI
बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 112/24.76.002/97 दिनांक 14.10.1997	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों में लेनदेन - दलालों की भूमिका	IV
बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 113/24.76.002/97 दिनांक 20.10.1997	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 114/24.76.002/97 दिनांक 20.10.1997	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि.सं.बीएल.बीसी. 115/22.06.001/97 दिनांक 21.10.1997	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा बैंकिंग संबंधी आंकड़े- मासिक विवरणियों का प्रस्तुतीकरण - प्रोफार्मा II तथा III का संशोधन	X(क)

परिपत्र संख्या तथा तारीख	विषय	खंड
1	2	3
बैंपविवि.सं.बीसी.116/ 12.01.001/97-98 दिनांक 21.10.1997	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कटौती तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1बी) - पात्र नकद शेष राशियों पर ब्याज की अदायगी (अधिसूचना)	VI
बैंपविवि.सं.बीसी.117/12.02. 01/97-98 दिनांक 21.10.1997	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात को युक्तिसंगत बनाना (अधिसूचना)	VI
बैंपविवि.सं.बीसी.118/ 12.01.001/97-98 दिनांक 21.10.1997	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कटौती तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1बी) - पात्र नकद शेष राशियों पर ब्याज की अदायगी (प्रावरण पत्र)	VI
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 119/13.01.01/97 दिनांक 21.10.1997	जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	II
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 120/13.01.01/97 दिनांक 21.10.1997	जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 121/13.01.01/97 दिनांक 21.10.1997	जमाराशियों पर ब्याज दरें - पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 (अधिसूचना)	II
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 122/13.01.01/97 दिनांक 21.10.1997	जमाराशियों पर ब्याज दरें - पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 123/13.07.01/97-98 दिनांक 21.10.1997	अग्रिमों पर ब्याज दरें (निदेश)	V

परिपत्र संख्या तथा तारीख	विषय	खंड
1	2	3
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 124/13.07.01/97-98 दिनांक 21.10.1997	अग्रिमों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	V
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 125/13.08.01/97 दिनांक 21.10.1997	चीनी की जमानत पर दिये गये अग्रिमों के संबंध में चयनात्मक ऋण नियंत्रण - न्यूनतम मार्जिन (निदेश)	VI
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 126/13.08.01/97 दिनांक 21.10.1997	चीनी की जमानत पर दिये गये अग्रिमों के संबंध में चयनात्मक ऋण नियंत्रण - न्यूनतम मार्जिन (प्रावरण पत्र)	VI
बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 128/21.03.053/97 दिनांक 21.10.1997	जमा प्रमाणपत्र	II
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 131/13.07.05/97 दिनांक 21.10.1997	शेयरों और डिबेंचरों/वांडों की जमानत पर अग्रिम	III
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 132/13.01.09/97 दिनांक 21.10.1997	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना /एकत्रित (पूल्ड) संसाधनों की जमानत पर ऋण (निदेश)	V
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 133/13.01.09/97 दिनांक 21.10.1997	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना (एफसीएनआर (बी))/एकत्रित (पूल्ड) संसाधनों की जमानत पर ऋण (प्रावरण पत्र)	V
बैंपविवि.सं.बीसी.136/12.02. 001/97-98 दिनांक 21.10.1997	प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात/सांविधिक चलनिधि अनुपात (सीआरआर/एसएलआर) बनाये रखने में कमियां होने पर दंड ब्याज दर	VI
बैंपविवि.सं.बीसी.137/12.02. 001/97-98 दिनांक 21.10.1997	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को युक्तिसंगत बनाना (प्रावरण पत्र)	VI

परिपत्र संख्या तथा तारीख	विषय	खंड
1	2	3
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 138/13.07.05/97-98 दिनांक 21.10.1997	तात्कालिक ऋण	V
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 139/13.01.09/97 दिनांक 21.10.1997	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी गयी जमाराशियों पर ब्याज दरें - एफसीएनआर (बी) योजना (निदेश)	II
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 140/13.01.09/97 दिनांक 21.10.1997	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी गयी जमाराशियों पर ब्याज दरें - एफसीएनआर (बी) योजना (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 129/24.76.002/97 दिनांक 22.10.1997	सरकारी प्रतिभूतियों का खुदरा लेनदेन	IV
बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 130/24.01.013/97-98 दिनांक 22.10.1997	मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों द्वारा निवेश	X(ख)
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 141/13.07.05/97 दिनांक 08.11.1997	शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर ऋण तथा अग्रिम	V
बैंपविवि.सं.बीसी. 142/09.16.001/97-98 दिनांक 19.11.1997	बचत बैंक जमाराशियों का मांग और मीयादी देयताओं के बीच विभाजन- भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित बैंक विनियमावली, 1951 के विनियम 7 में संशोधन	VI
औनिऋवि.सं.बीसी.18/04.02. 01/97-98 दिनांक 26.11.1997	निर्यात ऋण - पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	V
बैंपविवि.सं.बीसी.143 /13.07.01/97 दिनांक 26.11.1997	अग्रिमों पर ब्याज दरें (निदेश)	V
औनिऋवि.सं.बीसी.19/04.02.01 /97-98 दिनांक 29.11.1997	निर्यात ऋण - पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	V

परिपत्र संख्या तथा तारीख	विषय	खंड
1	2	3
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 144/13.07.01/97 दिनांक 29.11.1997	अग्रिमों पर ब्याज दरें (निदेश)	V
बैंपविवि.सं.बीसी.147/ 12.01.001/97-98 दिनांक 02.12.1997	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) और 42(1ए) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि और एनआरई तथा एनआरएनआर जमाखाता योजनाओं के अंतर्गत देयताओं पर वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात से छूट (अधिसूचना)	VI
बैंपविवि.सं.बीसी.148/ 12.01.001/97-98 दिनांक 02.12.1997	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) और 42(1ए) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि और एनआरई तथा एनआरएनआर जमाखाता योजनाओं के अंतर्गत देयताओं पर वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात से छूट (अधिसूचना)	VI
बैंपविवि.सं.बीसी.149/ 12.01.001/97-98 दिनांक 02.12.1997	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) और 42(1ए) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि और एनआरई तथा एनआरएनआर जमाखाता योजनाओं के अंतर्गत देयताओं पर वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात से छूट (प्रावरण पत्र)	VI
बैंपविवि.सं.एफएससी. 150/24.76.002/97-98 दिनांक 09.12.1997	प्रतिवर्ती हाज़िर-वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि.सं.एफएससी. 151/24.76.002/97-98 दिनांक 09.12.1997	प्रतिवर्ती हाज़िर-वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि.सं.एफएससी. 152/24.01.011/97-98 दिनांक 09.12.1997	देश में बैंकों का क्रेडिट कार्ड कारोबार	X(ख)
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 153/13.01.05/97-98 दिनांक 09.12.1997	निक्षेपागार में संस्थागत लेनदेनों का निपटान	V

परिपत्र संख्या तथा तारीख	विषय	खंड
1	2	3
बैंपविवि.सं.248/09.07.007 /97-98 दिनांक 12.12.1997	ग्राहक सेवा- बाह्य लिखतों की वसूली	X(ग)
औनिक्कवि.सं.26/04.02.01/ 97-98 दिनांक 17.12.1997	निर्यात ऋण - पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	V
बैंपविवि.सं.डीआरआर.बीसी. 154/13.07.01/97 दिनांक 17.12.1997	अग्रिमों पर ब्याज दरें (निदेश)	V
बैंपविवि.सं.डीएल.बीसी. 155/20.16.002/97-98 दिनांक 22.12.1997	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के चूककर्ता उधारकर्ताओं के संबंध में सूचना का प्रकटीकरण - सितंबर 1996 को समाप्त छमाही	VII
बैंपविवि.सं.269/09.07.007/ 97-98 दिनांक 22.12.1997	स्वैच्छिक आय घोषणा योजना, 1997 के अंतर्गत प्रत्यक्ष करों को स्वीकार करना	X(ड)
बैंपविवि.सं.बीसी.156/ 12.01.001/97-98 दिनांक 23.12.1997	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की पात्र शेष राशियों पर तिमाही तदर्थ ब्याज दावे प्रस्तुत करने के लिए संशोधित प्रोफार्मा	VI
बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 157/21.04.048/97 दिनांक 23.12.1997	बैंकों का निवेश संविभाग - निवेशों का 'स्थायी' और 'चालू' श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकरण	X(ड)
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 158/13.07.05/97 दिनांक 23.12.1997	निक्षेपागार में संस्थागत लेनदेनों का निपटान	V
औनिक्कवि.सं.31/04.02.01/ 97-98 दिनांक 31.12.1997	निर्यात ऋण - पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	V
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 159/13.07.01/97 दिनांक 31.12.1997	अग्रिमों पर ब्याज दरें (निदेश)	V

परिपत्र संख्या तथा तारीख	विषय	खंड
1	2	3
औनिक्कवि.सं.32/04.02.01/ 97-98 दिनांक 31.12.1997	निर्यात ऋण - अतिदेय निर्यात बिलों पर ब्याज की दर (प्रावरण पत्र)	V
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 160/13.07.01/97 दिनांक 31.12.1997	अग्रिमों पर ब्याज दरें (निदेश)	V

CHRONOLOGICAL INDEX

Circular No. & Date	Subject	Section
1	2	3
DBOD No. PSBS.BC.1/16.13. 100/96-97 dated 01.01.1997	Calendar of reviews - Matters to be placed before Board of Directors and Management Committee.	X(e)
DBOD No. FSC.BC.4/24.76. 002/95-96 dated 10.01.1997	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD No. FSC.BC.5/24.76. 002/95-96 dated 10.01.1997	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD No. BC.6/09.08. 001/96-97 dated 11.01.1997	Change of name of 'Madras' to 'Chennai'	X(e)
DBOD No. BC.7/12.01. 001/97 dated 16.01.1997	Section 42 of Reserve Bank of India Act, 1934 - Payment of interest on specified additional cash balances maintained with Reserve Bank of India	VI
DBOD No. Dir. BC.8/13.01. 09/97 dated 28.01.1997	Loans to residents against FCNR/NRE deposits	V
DBOD No. BP.BC.9/21.04. 048/97 dated 29.01.1997	Prudential norms - Capital adequacy, income recognition, asset classification and provisioning	X(e)
DBOD No. Dir.BC.10/13.07. 01/97 dated 12.02.1997	Interest rates on advances - Prime Lending Rate	V
DBOD No. BC.11/12.06. 109/ 97 dated 13.02.1997	Inclusion in Second Schedule to Reserve Bank of India Act, 1934 - "Krung Thai Bank Public Company Limited"	X(e)
DBOD No. Dir.BC.12/13.01. 01/97 dated 14.02.1997	Interest rates on deposits	II
DBOD No. 448/09.07. 007/96-97 dated 18.02.1997	Electronic Clearing Service (ECS) - Utility Payment (RAPID) Scheme	X(e)
DBOD No. BC.13/12.05. 007/96-97 dated 19.02.1997	Section 42 (2) of Reserve Bank of India Act, 1934 - Submission of Special Fortnightly Return in Form A as on 31.03.1997 Section 27 of the Banking Regulation Act, 1949 - Submission of Special Monthly Return in Form X as on 31.03.1997 Section 26 of the Banking Regulation Act, 1949 - Submission of Annual Return in Form XI - Data of unclaimed deposits outstanding as on 31.12.1996	IX

Circular No. & Date	Subject	Section
1	2	3
DBOD No. BP.BC.14/21.04. 048/97 dated 19.02.1997	Income recognition, asset classification and provisioning - Agricultural advances	X(e)
DBOD No. BC.15/09.08. 004/96-97 dated 28.02.1997	Banking Laws (Amendment) Act, 1983 and Banking Companies (Nomination) Rules, 1985	X(e)
DBOD No. BP.BC.16/21.04. 009/97 dated 28.02.1997	Payment under bank guarantees - Immediate settlement of cases	V
DBOD No. FSC.BC.17/24.91. 001/97 dated 03.03.1997	Permission to participate in Call/Notice Money Market and Bills Rediscounting Scheme - Private Sector Mutual Funds	III
DBOD No. FSC.BC.18/24.76. 002/97 dated 03.03.1997	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD No. FSC.BC.19/24.76. 002/97 dated 03.03.1997	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD No. BP.BC.20/21.04. 012/97 dated 14.03.1997	Relaxations to trade and industry in the State of Jammu and Kashmir	V
DBOD No. Dir.BC.21/13.01. 05/97 dated 15.03.1997	Interest rates on deposits (Directive)	II
DBOD No. Dir.BC.22/13.01. 05/97 dated 15.03.1997	Interest rates on deposits - Premature withdrawal of term deposits (Covering letter)	II
DBOD No. BC.23/09.07. 007/96-97 dated 25.03.1997	Electronic Clearing Scheme (Credit Clearing) - Levying of service charges	X(e)
DBOD No. BP.BC.24/21.01. 040/97 dated 25.03.1997	Delegation of powers to CMD/MD of nationalised banks	X(e)
DBOD No. BP.BC.25/21.04. 018/97 dated 26.03.1997	Accounting Standards 11 (Revised)	X(e)

Circular No. & Date	Subject	Section
1	2	3
DBOD No. Dir.BC.26/13.08. 01/97 dated 07.04.1997	Selective Credit Controls - Reintroduction of controls on advances against wheat (Directive)	VI
DBOD No. Dir.BC.27/13.08. 01/97 dated 07.04.1997	Selective Credit Controls - Reintroduction of controls on advances against wheat (Covering letter)	VI
DBOD No. FSC.BC.28/24.91. 001/97 dated 09.04.1997	Permission to participate in Call/Notice Money Market and Bills Rediscounting Scheme - Private Sector Mutual Funds	III
DBOD No. BP.BC.29/21.04. 048/97 dated 09.04.1997	Income recognition, asset classification and provisioning - Agricultural advances	X(e)
DBOD No. BP.BC.30/21.04. 048/97 dated 09.04.1997	Income recognition, asset classification, provisioning and other related matters - Valuation of investments	X(e)
DBOD No. BP.BC.31/21.04. 048/97 dated 10.04.1997	Investment portfolio of banks - Classification of investments under 'permanent' and 'current category'	X(e)
DBOD No. BP.BC.32/21.04. 048/97 dated 12.04.1997	Prudential norms - Capital adequacy, income recognition asset classification and provisioning	X(e)
DBOD No. Dir.BC.33/13.01. 01/97 dated 15.04.1997	Interest rates on deposits (Directive)	II
DBOD No. Dir.BC.34/13.01. 01/97 dated 15.04.1997	Interest rates on deposits (Covering letter)	II
DBOD No. Dir.BC.35/13.01. 01/97 dated 15.04.1997	Interest rates on deposits - Capital Gains Accounts Scheme, 1988 (Directive)	II
DBOD No. Dir.BC.36/13.01. 01/97 dated 15.04.1997	Interest rates on deposits - Capital Gains Accounts Scheme, 1988 (Covering letter)	II
DBOD No. BC.37/13.01. 09/97 dated 15.04.1997	Interest rates on term deposits under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts) (Directive)	II

Circular No. & Date	Subject	Section
1	2	3
DBOD No. Dir.BC.38/13.01. 09/97 dated 15.04.1997	Interest rates on term deposits under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts) (Covering letter)	II
IECD No. 27/04.02.01 /96-97 dated 15.04.1997	Export credit - Interest rates (Covering letter)	V
DBOD No. BC.39/13.07. 01/97 dated 15.04.1997	Interest rates on advances (Directive)	V
DBOD No. Dir.BC.40/13.01. 09/97 dated 15.04.1997	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-resident) Accounts (Banks) Scheme (Directive)	II
DBOD No. Dir.BC.41/13.01. 09/97 dated 15.04.1997	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-resident) Accounts (Banks) Scheme (Covering letter)	II
DBOD No. Dir.BC.42/13.07. 05/97 dated 15.04.1997	Investments in and under-writing of shares and debentures of corporate bodies	IV
DBOD No. Dir.BC.43/13.07. 05/97 dated 15.04.1997	Advances against shares	V
DBOD No. BC.44/12.01. 001/96-97 dated 15.04.1997	Section 42 (1A) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Cash Reserve Ratio (CRR) on Non-Resident Deposits (Notification)	VI
DBOD No. BC.45/12.01. 001/96-97 dated 15.04.1997	Section 42 (1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Change of Cash Reserve Ratio on liabilities to the Banking System (Notification)	VI
DBOD No. BC.46/12.01. 001/96-97 dated 15.04.1997	Section 42 (1A) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Cash Reserve Ratio (CRR) on Non-Resident Deposits (Covering letter)	VI
DBOD No. BC.47/12.01. 001/96-97 dated 15.04.1997	Penal rate of interest on the shortfalls in the maintenance of CRR/SLR	VI
DBOD No. BC.50/12.01. 001/96-97 dated 15.04.1997	Section 42 (1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Change of Cash Reserve Ratio on liabilities to the Banking System (Covering letter)	VI

Circular No. & Date	Subject	Section
1	2	3
DBOD No. BC.48/09.07. 007/96-97 dated 22.04.1997	Customer Service - Collection of local cheques	X(c)
DBOD No. BP.BC.49/21.03 053/97 dated 22.04.1997	Certificates of Deposit (CDs)	II
DBOD No. BC.51/12.02. 001/96-97 dated 25.04.1997	Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949 - Statutory Liquidity Ratio (SLR) on liabilities to the Banking System	VI
DBOD No. BC.52/12.06. 110/97 dated 29.04.1997	Inclusion in the Second Schedule to Reserve Bank of India Act, 1934 'Oversea -Chinese Banking Corporation Limited', Singapore	X(e)
DBOD No. FSC.BC.53/24.76. 002/97 dated 29.04.1997	Ready Forward Transactions - (Directive)	IV
DBOD No. FSC.BC.54/24.76. 002/97 dated 29.04.1997	Ready Forward Transactions - (Covering letter)	IV
DBOD No. Dir.BC.55/13.01. 10/97 dated 05.05.1997	Annual Review of Donations	X(e)
DBOD No. FSC.BC.56/24.76. 002/97 dated 20.05.1997	Ready Forward Transactions - (Directive)	IV
DBOD No. FSC.BC.57/24.76. 002/97 dated 20.05.1997	Ready Forward Transactions - (Covering letter)	IV
DBOD No. BC.58/12.01. 001/96-97 dated 20.05.1997	Reserve Requirements - Submission of Form A and Form VIII	IX
DBOD No. BP.BC.59/21.04. 048/97 dated 21.05.1997	Balance Sheets of banks - Disclosures	X(e)
DBOD No. Dir.BC.60/13.07. 05/97 dated 28.05.1997	Investments in and underwriting of shares and debentures of corporate bodies	IV

Circular No. & Date	Subject	Section
1	2	3
DBOD No. BC.DL.61/20.16. 002/96-97 dated 28.05.1997	Disclosure of information regarding defaulting borrowers of banks and financial institutions - Half year ended March 1996	VII
DBOD No. BC.62/12.01 001/96-97 dated 03.06.1997	Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Revised format for submission of quarterly ad-hoc interest claims on eligible CRR balances	IX
DBOD No. FSC.BC.63/24.47. 001/97 dated 05.06.1997	Stockinvest Scheme (SI)	X(b)
DBOD No. BL.BC.64/22.01. 003/97 dated 05.06.1997	Opening of offices of commercial banks in the National Capital Territory (NCT) of Delhi - No Objection Certificate (NOC) from Delhi Development Authority (DDA)	X(a)
DBOD No. FSC.BC.65/24.76. 002/97 dated 05.06.1997	Ready Forward Transactions - (Directive)	IV
DBOD No. FSC.BC.66/24.76. 002/97 dated 05.06.1997	Ready Forward Transactions - (Covering letter)	IV
DBOD No. BP.BC.67/21.04. 048/97 dated 12.06.1997	Write back of excess provision towards depreciation on investments	X(e)
DBOD No. BC.68/09.07. 007/96-97 dated 23.06.1997	Electronic Clearing Service (Credit Clearing)	X(e)
DBOD No. Dir.BC.69/13.01. 01/97 dated 25.06.1997	Interest rates on deposits (Directive)	II
DBOD No. Dir.BC.70/13.01. 01/97 dated 25.06.1997	Interest rates on deposits (Covering letter)	II
DBOD No. Dir.BC.71/13.01. 01/97 dated 25.06.1997	Interest rates on deposits - Capital Gains Accounts Scheme, 1988 (Notification)	II
DBOD No. Dir.BC.72/13.01. 01/97 dated 25.06.1997	Interest rates on deposits - Capital Gains Accounts Scheme, 1988 (Covering letter)	II

Circular No. & Date	Subject	Section
1	2	3
DBOD No. Dir.BC.73/13.01. 09/97 dated 25.06.1997	Interest rates on term deposits under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts) (Directive)	II
DBOD No. Dir.BC..74/13.01. 09/97 dated 25.06.1997	Interest rates on deposits under Non-Resident (External) Rupee (NRE) Accounts Scheme (Covering letter)	II
IECD No. 32/04.02.01/ 96-97 dated 25.06.1997	Export credit - Interest rates (Covering letter)	V
DBOD No. BC.75/13.07. 01/97 dated 25.06.1997	Interest rates on advances (Directive)	V
DBOD No. BC.78/12.01. 001/96-97 dated 25.06.1997	Penal rate of interest on the shortfalls in the maintenance of CRR/SLR	VI
DBOD No. FSC.BC.76/24.76. 002/97 dated 26.06.1997	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD No. FSC.BC.77/24.76. 002/97 dated 26.06.1997	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD No. Dir.BC.79/13.01. 04/97 dated 30.06.1997	Deposit of the amount of compensation awarded by the Claims Tribunal and its withdrawal by the claimants - Guidelines laid down by the Supreme Court	X(e)
DBOD No. BP.BC.80/21.01. 023/97 dated 02.07.1997	Frauds in banks - Granting of 'at par' facility for dividend warrants/interest warrants and refund orders	X(d)
DBOD No. FSC.BC.81/24.76. 002/97 dated 24.07.1997	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD No. FSC.BC.82/24.76. 002/97 dated 24.07.1997	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD No. BC.83/12.06. 112/97 dated 24.07.1997	Inclusion in the Second Schedule to Reserve Bank of India Act, 1934 - "The Sumitomo Bank Ltd." -	X(e)

Circular No. & Date	Subject	Section
1	2	3
DBOD No. BP.BC.84/21.01. 007/97 dated 28.07.1997	Interest Tax Act, 1974 - Reduction of interest tax from 3% to 2%	X(e)
DBOD No. BC.85/12.06. 113/97 dated 31.07.1997	Inclusion in the Second Schedule to Reserve Bank of India Act, 1934 - "Hanil Bank", Seoul, South Korea	X(e)
DBOD No. FSC.BC.86/24.76. 002/97 dated 04.08.1997	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD No. FSC.BC.87/24.76. 002/97 dated 04.08.1997	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD No. BC.88/09.07. 007/97-98 dated 05.08.1997	Committee on Customer Service in Banks - Implementation of recommendations of the Goiporia Committee	X(c)
DBOD No. BC.89/12.06. 111/97 dated 11.08.1997	Inclusion in the Second Schedule to Reserve Bank of India Act, 1934 - "The Commercial Bank of Korea Ltd."	X(e)
DBOD No. FSC.BC.90/24.01. 001/97-98 dated 13.08.1997	Equipment leasing, hire purchase, factoring etc. activities	X(b)
DBOD No. FSC.BC.91/24.76. 002/97 dated 16.08.1997	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD No. FSC.BC.92/24.76. 002/97 dated 16.08.1997	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD No. Dir.BC.94/13.01. 11/97 dated 26.08.1997	Deposit Mobilisation Schemes	II
DBOD No. BC.95/12.02. 001/97-98 dated 26.08.1997	Loans out of Foreign Currency Non-Resident Accounts (Banks) [FCNR(B)] Scheme and Inter-bank Foreign Currency Deposits (IBFCD) Scheme	IX
DBOD No. BC.96/12.02. 001/97-98 dated 28.08.1997	Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949 - Statutory Liquidity Ratio. (SLR) requirement on ACU Dollar Balances in Vostro accounts	VI

Circular No. & Date	Subject	Section
1	2	3
DBOD No. BC.97/12.02. 001/97-98 dated 28.08.1997	Reserve Requirements on ACU Dollar Balances (Covering letter)	VI
DBOD No. BC.98/12.02. 001/97-98 dated 28.08.1997	Reserve Requirements on ACU Dollar Balances (Directive)	VI
DBOD No. BP.BC.99/21.03. 054/97 dated 02.09.1997	Limit on credit exposure to individual/group borrowers	X(e)
DBOD No. FSC.BC.100/24.76. 002/97 dated 05.09.1997	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD No. FSC.BC.101/24.76. 002/97 dated 05.09.1997	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD No. BP.BC.102/21.01. 001/97 dated 05.09.1997	Financial assistance to industries producing/consuming Ozone Depleting Substances (ODS)	X(e)
DBOD No. BP.BC.103/21.01. 023/97 dated 09.09.1997	Custody of securities of NBFCs with designated banks towards maintenance of liquid assets - Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1977	VI
IECD No. 9/04.02.01/ 97-98 dated 12.09.1997	Export Credit - Interest rates on Post-shipment Rupee Credit (Covering letter)	V
DBOD No. BC.104/13.07. 01/97 dated 12.09.1997	Interest rates on advances (Directive)	V
DBOD No. Dir.BC.105/13.01. 09/97 dated 12.09.1997	Interest rates on term deposits under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts) (Directive)	II
DBOD No. Dir.BC.106/13.01. 09/97 dated 12.09.1997	Interest rates on deposits under Non-Resident (External) Rupee (NRE) Accounts Scheme (Covering letter)	II
DBOD No. BP.BC.107/21.01. 007/97 dated 22.09.1997	Interest Tax Act, 1974 - Reduction of interest tax from 3% to 2%	X(e)

Circular No. & Date	Subject	Section
1	2	3
DBOD No. BC.108/09.07. 007/97-98 dated 25.09.1997	Issue of cheque books	X(e)
DBOD No. BP.BC.109/21.01. 023/97 dated 30.09.1997	Frauds in banks - Grant of 'at par' facility for dividend/ interest warrants and refund orders	X(d)
DBOD No. BC.111/12.02. 001/97 dated 13.10.1997	Borrowings under paragraph 5.B. 8(i) of Exchange Control Manual - Maintenance of reserve requirements	VI
DBOD No. FSC.BC.112/24.76. 002/97 dated 14.10.1997	Investment portfolio of banks - Transactions in securities - Role of brokers	IV
DBOD No. FSC.BC.113/24.76. 002/97 dated 20.10.1997	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD No. FSC.BC.114/24.76. 002/97 dated 20.10.1997	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD No. BL.BC.115/22.06. 001/97 dated 21.10.1997	Section 23 of the Banking Regulation Act, 1949 - Branch Banking Statistics - Submission of Monthly Returns - Revision of proformae II and III	X(a)
DBOD No. BC 116/12.01.001/ 97-98 dated 21.10.1997	Section 42 (1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio (CRR) and Section 42 (1B) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Payment of interest on eligible cash balances (Notification)	VI
DBOD No. BC.117/12.02.01/ 97-98 dated 21.10.1997	Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949 - Rationalisation of Statutory Liquidity Ratio (SLR) (Notification)	VI
DBOD No. BC.118/12.01. 001/97-98 dated 21.10.1997	Section 42 (1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio (CRR) and Section 42 (1B) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Payment of interest on eligible cash balances (Covering letter)	VI
DBOD No. Dir.BC.119/13.01. 01/97 dated 21.10.1997	Interest rates on deposits (Directive)	II
DBOD No. Dir.BC.120/13.01. 01/97 dated 21.10.1997	Interest rates on deposits (Covering letter)	II

Circular No. & Date	Subject	Section
1	2	3
DBOD No. Dir.BC.121/13.01. 01/97 dated 21.10.1997	Interest rates on deposits - Capital Gains Accounts Scheme, II 1988, (Notification)	
DBOD No. Dir.BC.122/13.01. 01/97 dated 21.10.1997	Interest rates on deposits - Capital Gains Accounts Scheme, II 1988, (Covering letter)	
DBOD No. Dir.BC.123/13.07. 01/97-98 dated 21.10.1997	Interest rates on advances (Directive)	V
DBOD No. Dir.BC.124/13.07. 01/97-98 dated 21.10.1997	Interest rates on advances (Covering letter)	V
DBOD No. Dir.BC.125/13.08. 01/97 dated 21.10.1997	Selective Credit Control on advances against sugar - Minimum margin (Directive)	VI
DBOD No. Dir.BC.126/13.08. 01/97 dated 21.10.1997	Selective Credit Control on advances against sugar - Minimum margin (Covering letter)	VI
DBOD No. BP.BC.128/21.03. 05/97 dated 21.10.1997	Certificates of Deposit (CDs)	II
DBOD No. Dir. BC 131/13.07 05/97 dated 21.10.1997	Advances against Shares and Debentures/Bonds	III
DBOD No. Dir.BC.132/13.01. 09/97 dated 21.10.1997	Loans against Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme/pooled resources (Directive)	V
DBOD No. Dir.BC.133/13.01. 09/97 dated 21.10.1997	Loans against Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme [FCNR (B)]/pooled resources (Covering letter)	V
DBOD No. BC.136/12.02. 001/97-98 dated 21.10.1997	Penal rate of interest on the shortfall in maintenance of CRR/SLR	VI
DBOD No. BC.137/12.02. 001/97-98 dated 21.10.1997	Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949 - Rationalisation of Statutory Liquidity Ratio (SLR) (Covering letter)	VI

Circular No. & Date	Subject	Section
1	2	3
DBOD No. Dir.BC.138/13.07. 05/97-98 dated 21.10.1997	Bridge Loans	V
DBOD No. Dir.BC.139/13.01. 09/97 dated 21.10.1997	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme - FCNR (B) Scheme (Directive)	II
DBOD No. Dir.BC.140/13.01. 09/97 dated 21.10.1997	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme - FCNR (B) Scheme (Covering letter)	II
DBOD No. FSC.BC.129/24.76. 002/97 dated 22.10.1997	Retailing of Government securities	IV
DBOD No. FSC.BC.130/24.01. 013/97-98 dated 22.10.1997	Investment by Money Market Mutual Funds (MMMFs)	X(b)
DBOD No. Dir.BC.141/13.07. 05/97 dated 08.11.1997	Loans and advances against shares and debentures	V
DBOD No. BC.142/09.16. 001/97-98 dated 19.11.1997	Division of savings bank deposits into demand and time liabilities - Amendment to the Regulation 7 of the Reserve Bank of India Scheduled Bank's Regulation, 1951	VI
IECD No. BC 18/04.02 01/97-98 dated 26.11.1997	Export Credit - Interest rates on Post-shipment Rupee Credit (Covering letter)	V
DBOD No. BC.143/13.07. 01/97 dated 26.11.1997	Interest rates on advances (Directive)	V
IECD No. BC 19/04.02 01/97-98 dated 29.11.1997	Export Credit - Interest rates on Post-shipment Rupee Credit (Covering letter)	V
DBOD No. Dir.BC.144/13.07. 01/97 dated 29.11.1997	Interest rates on advances (Directive)	V
DBOD No. BC.147/12.01. 001/97-98 dated 02.12.1997	Section 42 (1) and 42(1A) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Increase in Cash Reserve Ratio (CRR) and exemptions from incremental Cash Reserve Ratio on liabilities under NRE and NRNR Deposit Accounts Schemes (Notification)	VI

Circular No. & Date	Subject	Section
1	2	3
DBOD No. BC.148/12.01. 001/97-98 dated 02.12.1997	Section 42 (1) and 42(1A) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Increase in Cash Reserve Ratio (CRR) and exemptions from incremental Cash Reserve Ratio on liabilities under NRE and NRNR Deposit Accounts Schemes (Notification)	VI
DBOD No. BC.149/12.01. 001/97-98 dated 02.12.1997	Section 42 (1) and 42(1A) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Increase in Cash Reserve Ratio (CRR) and exemptions from incremental Cash Reserve Ratio on liabilities under NRE and NRNR Deposit Accounts Schemes (Covering letter)	VI
DBOD No. FSC.150/24.76. 002/97-98 dated 09.12.1997	Reverse Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD No. FSC.151/24.76. 002/97-98 dated 09.12.1997	Reverse Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD No. FSC.152/24.01. 011/97-98 dated 09.12.1997	Domestic credit card business of banks	X(b)
DBOD No. Dir.BC.153/13.01. 05/97-98 dated 09.12.1997	Settlement of Institutional Transactions in the Depository	V
DBOD No. 248/09.07. 007/97-98 dated 12.12.1997	Customer Service - Collection of outstation instruments	X(c)
IECD No. 26/04.02 01/97-98 dated 17.12.1997	Export Credit - Interest rates on Post-shipment Rupee Credit (Covering letter)	V
DBOD No. Dir.BC.154/13.07. 01/97 dated 17.12.1997	Interest rate on advances (Directive)	V
DBOD No. DL.BC 155/20.16 002/97-98 dated 22.12.1997	Disclosure of information regarding defaulting borrowers of banks/financial institutions - Half year ended September 1996	VII
DBOD No. 269/09.07. 007/97-98 dated 22.12.1997	Acceptance of Direct taxes under Voluntary Disclosure of Income Scheme (VDIS), 1997.	X(e)
DBOD No. BC.156/12.01. 001/97-98 dated 23.12.1997	Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Revised format for submission of quarterly ad-hoc interest claims on eligible CRR balances	VI

Circular No. & Date	Subject	Section
1	2	3
DBOD No. BP.BC.157/21.04.048/97 dated 23.12.1997	Investment portfolio of banks - Classification of investments under "Permanent" and "Current" category	X(e)
DBOD No. Dir.BC.158/13.07.05/97 dated 23.12.1997	Settlement of Institutional Transactions in the Depository	V
IECD No. 31/04.02.01/97-98 dated 31.12.1997	Export Credit - Interest rates on Post-shipment Rupee Credit (Covering letter)	V
DBOD No. Dir.BC.159/13.07.01/97 dated 31.12.1997	Interest rates on advances (Directive)	V
IECD No. 32/04.02.01/97-98 dated 31.12.1997	Export Credit - Rate of interest on overdue export bills (Covering letter)	V
DBOD No. Dir.BC.160/13.07.01/97 dated 31.12.1997	Interest rates on advances (Directive)	V

भाग II
जमाराशि

SECTION II
DEPOSITS

14 फरवरी 1997
25 माघ 1918 (शक)

February 14, 1997
Magha 25, 1918 (Saka)

सर्वे वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

All Commercial Banks
(including Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sirs,

जमाराशियों पर ब्याज दरें

INTEREST RATES ON DEPOSITS

हमारी जानकारी में यह बात लायी गयी है कि कुछ बैंक जनता से जमाराशियों के लिए निवेदन करते समय अवधि विशेष के लिए बैंक द्वारा प्रस्तावित वास्तविक साधारण ब्याज दर का उल्लेख किये बिना मीयादी जमाराशियों पर प्राप्त होनेवाली यौगिक दर का ही उल्लेख कर रहे हैं। चूंकि ग्राहक इस बात से गुमराह हो सकते हैं, अतः जमाराशियों के लिए निवेदन संबंधी किसी भी विज्ञापन या साहित्य में बैंकों को जमाराशि की अवधि के लिए वार्षिक साधारण ब्याज दर का उल्लेख करना चाहिए।

It has been brought to our notice that some banks, while soliciting deposits from the public, have resorted to highlighting only the compounded yield on term deposits without indicating the actual rate of simple interest offered by the bank for the particular period. As this is likely to mislead the customers the banks should in any advertisement and literature soliciting deposits indicate the simple rate of interest per annum for the period of the deposit.

2. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे इन अनुदेशों का अतिसावधानी से पालन करें।

2. The banks are advised to follow these instructions scrupulously.

भवदीया,

Yours faithfully,

(श्यामला गोपीनाथ)

(Smt. Shyamala Gopinath)

अपर मुख्य महा प्रबंधक

Additional Chief General Manager

बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 22 / 13.01.05/97

15 मार्च 1997
24 फाल्गुन 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

प्रिय महोदय,

जमाराशियों पर ब्याज दरें— मीयादी
जमाराशियों का समय से पूर्व आहरण

कृपया 13 मार्च 1991 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी.95/सी.347/-91 के साथ पठित 27 दिसंबर 1985 के हमारे निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी.151/सी.347-85 का पैरा 8 देखें जो कि मीयादी जमाराशियों के समय से पूर्व आहरण के संबंध में है।

2. हमें भारतीय बैंक संघ ने बताया है कि जिन मामलों में बैंकों द्वारा दी गयी मीयादी जमा दरें बढ़ते हुए क्रम में अर्थात् कम समय, कम दर पर नहीं होती, उनमें कुछ मामलों में मीयादी जमाराशियों के समय से पूर्व आहरण पर वर्तमान शर्तों के अनुसार जमाकर्ता जमाराशि के समय से पूर्व आहरण पर संविदा की गयी दर से ऊँची दर पर ब्याज पा सकते हैं। मामले की जाँच की गयी है और यह निर्णय लिया गया है कि 1 अप्रैल 1997 से मीयादी जमाराशि के समय से पूर्व आहरण पर, उस अवधि के लिए लागू दर से जिस अवधि तक जमाराशि बैंक के पास रही हो अथवा संविदा की गयी दर से, इन दोनों में से जो भी कम हो, समय से पूर्व आहरण के लिए दंड स्वरूप एक प्रतिशत कम की दर पर ब्याज अदा किया जाना चाहिए।

3. इस संबंध में समय-समय पर जारी अन्य सभी

DBOD No. Dir. BC. 22 / 13.01.05 / 97

March 15, 1997
Phalguna 24, 1918 (Saka)

All Commercial Banks
(including Regional Rural Banks)

Dear Sirs,

**INTEREST RATES ON DEPOSITS
PREMATURE WITHDRAWAL OF
TERM DEPOSIT**

Please refer to paragraph 8 of our directive DBOD.No. Dir. BC.151/C.347-85 dated 27 December 1985 read with Circular DBOD.No. Dir. BC.95/C.347-91 dated 13 March 1991 regarding premature withdrawal of term deposit.

2. It has been brought to our notice by the Indian Banks' Association that in cases, where the term deposit rates offered by a bank are not in ascending order, i.e. lower the period, lower the rate, the depositor, on premature withdrawal of the deposit, may, in some cases, get interest at a rate higher than the contracted rate in terms of the extant stipulations on premature withdrawal of term deposits. The matter has been examined and it has been decided that effective April 1, 1997, on premature withdrawal of a term deposit, the interest should be paid at the rate applicable to the period for which the deposit remained with the bank or at the contracted rate, whichever is lower, less one per cent penalty for the premature withdrawal.

3. All other instructions issued from time to

अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

4. दिनांक 15 मार्च 1997 का एक संशोधनकारी निदेश सं.डीआइआर.बीसी. 21 / 13.01.05/97 संलग्न है।

भवदीया,

(श्रीमती श्यामला गोपीनाथ)

अपर मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 21 / 13.01.05/97

15 मार्च 1997
24 फाल्गुन 1918 (शक)

जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक एवं समीचीन है, एतद्वारा यह निदेश देता है कि 1 अप्रैल 1997 से समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 दिसंबर 1985 के इसके निदेश डीबीओडी सं. डीआइआर.बीसी.151/सी.347-85 के पैरा 8 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“8. मीयादी जमाराशियों का समय से पूर्व आहरण जमाकर्ता के अनुरोध पर बैंक, जमाराशि की परिपक्वता की वह अवधि पूरी होने से पूर्व जिस पर राशि जमा करते समय सहमति व्यक्त की गयी थी, किसी मीयादी

time in this regard will remain unchanged.

4. An amending directive DBOD No.Dir.BC. 21 / 13.01.05/97 dated March 15, 1997 is enclosed.

Yours faithfully,

(Smt. Shyamala Gopinath)

Additional Chief General Manager

DBOD No. Dir. BC. 21 / 13.01.05 / 97

March 15, 1997
Phalguna 24, 1918 (Saka)

INTEREST RATES ON DEPOSITS

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that with effect from April 1, 1997 paragraph 8 of its directive DBOD No. Dir.BC.151/C.347-85 dated 27 December 1985, as amended from time to time, shall be substituted by the following :

“8. Premature withdrawal of term deposit

The bank, at the request from the depositor, shall allow withdrawal of a term deposit before completion of the period of the deposit

जमा के समय से पूर्व आहरण की अनुमति देगा। ऐसे मामले में, ऐसी मीयादी जमा के संबंध में देय ब्याज दर उस अवधि के लिए लागू दर से जिस अवधि तक जमाराशि बैंक के पास रही हो, अथवा संविदा की गयी दर से, इन दोनों में से जो भी कम हो, समय से पूर्व आहरण के लिए दंडस्वरूप एक प्रतिशत कम होगी।

परंतु पुनर्निवेश योजना के अंतर्गत, जिसमें ब्याज के पुनर्निवेश का प्रावधान हो, किसी जमाराशि को समय से पूर्व बंद करने अथवा उसके आहरण के मामले में, यथा अनुमत ब्याज का भुगतान, उस अवधि के लिए जिसके दौरान जमाराशि बैंक के पास रही हो तिमाही अथवा उससे अधिक अंतरालों पर चक्रवृद्धि आधार पर किया जाएगा।

2. समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 दिसंबर 1985 के निदेश डीबीओडी.सं.डीआइआर.बीसी.151/सी.347-85 के अन्य प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

(जे. आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

agreed upon at the time of making the deposit. In such an event, the interest payable in respect of such term deposit shall be at the rate applicable to the period for which the deposit remained with the bank or at the contracted rate, whichever is lower, less one per cent penalty for the premature withdrawal.

Provided that in the event of premature closure or withdrawal of a deposit under reinvestment plan, which provides for reinvestment of interest, interest as permissible shall be paid on a compounded basis with quarterly or longer rests for the period during which the deposit remained with the bank."

2. The other provisions of directive DBOD No.Dir.BC.151/C.347-85 dated 27 December 1985, as amended from time to time, shall remain unchanged.

(J.R. Prabhu)
Executive Director

बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 34 / 13.01.01/97

15 अप्रैल 1997
25 चैत्र 1919 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

प्रिय महोदय,

जमाराशियों पर ब्याज दरें

कृपया आप समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 दिसंबर 1985 का हमारा निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर.बीसी.151/सी.347-85 देखें। इस संबंध में आपका ध्यान गवर्नर के 15 अप्रैल 1997 के परिपत्र सं.सीपीसी.बीसी.162/07.01.279/96-97 के पैरा 17 (सी)(i) की ओर आकर्षित किया जाता है।

वर्तमान में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की घरेलू मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें 30 दिन और 1 वर्ष तक की परिपक्वता अवधि के लिए '10.0 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं' के आदेश के अधीन हैं। एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि के लिए बैंक अपनी ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह निर्णय किया गया है कि 16 अप्रैल 1997 से 30 दिन और एक वर्ष तक की परिपक्वता अवधि के लिए जमाराशियों पर ब्याज दर घटा दी जाये और उसे बैंक दर से भी सम्बद्ध कर दिया जाये। तदनुसार 16 अप्रैल 1997 से 30 दिन और एक वर्ष तक की घरेलू सावधि जमाराशियों पर ब्याज दर '10 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं' से बदलकर 'वार्षिक बैंक दर से दो प्रतिशत अंक कम से अधिक नहीं', कर दी जाये। घरेलू मीयादी जमाराशियों पर ये संशोधित ब्याज दरें केवल नई जमाराशियों तथा परिपक्व (अवधि पूर्ण

DBOD No. Dir. BC. 34 / 13.01.01 / 97

April 15, 1997
Chaitra 25, 1919 (Saka)

All Commercial Banks
(including Regional Rural Banks)

Dear Sirs,

INTEREST RATES ON DEPOSITS

Please refer to our directive DBOD. No.Dir.BC.151/C.347/85 dated December 27, 1985, as amended from time to time. In this connection, attention is invited to paragraph 17(c)(i) of Governor's circular No. CPC. BC. 162/07.01.279/96-97 dated April 15, 1997.

At present, interest rates on domestic term deposits of scheduled commercial banks are subject to a prescription of 'not exceeding 10.0 per cent per annum' for maturity of 30 days and upto 1 year.. For maturity of over one year, banks are free to fix their own interest rates. It has been decided to reduce, effective from April 16, 1997, the maximum deposit rate for maturity of 30 days and upto one year and also link this rate to the Bank Rate. Accordingly, with effect from April 16, 1997, the interest rate on domestic term deposits of maturity of 30 days and upto one year is changed from 'not exceeding 10 per cent per annum' to 'not exceeding bank rate minus two percentage points per annum'. The revised domestic term deposit rates will apply only

होनेवाली) जमाराशियों के नवीकरण पर ही लागू होंगी। एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाली जमाराशियों पर दी जानेवाली ब्याज दरों के लिए बैंक अपने संबंधित बोर्ड से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना जारी रखें। प्रत्येक बैंक अपनी सभी शाखाओं और सभी ग्राहकों के लिए एक समय में एक समान ब्याज दर ही अपनाएं।

इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

दिनांक 15 अप्रैल 1997 का संशोधनकारी निदेश बैंकवि.सं डीआइआर. बीसी. 33/13.01.01/97 संलग्न है।

भवदीया,

(श्यामला गोपीनाथ)

अपर मुख्य महा प्रबंधक

to fresh deposits and on renewal of maturing deposits. Banks should obtain the prior approval of their respective Board of Directors for the deposit rates they will be offering on deposits of various maturities. At any point of time, individual banks should adopt uniform rates at all their branches and for all customers.

All other instructions issued from time to time in this regard will remain unchanged.

Amending directive DBOD. No. Dir.BC.33/13.01.01/97 dated April 15, 1997 is enclosed.

Yours faithfully,

(Shyamala Gopinath)

Additional Chief General Manager.

बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 33 / 13.01.01/97

15 अप्रैल 1997
25 चैत्र 1919 (शक)

DBOD No. Dir. BC. 33 / 13.01.01 / 97

April 15, 1997
Chaitra 25, 1919 (Saka)

जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समय-समय पर यथासंशोधित 27 दिसंबर 1985 के अपने निदेश डीबीओडी.सं. डीआइआर.बीसी. 151/सी.347-85 में संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा यह निदेश देता है कि ऊपर उल्लिखित निदेश का अनुबंध I संलग्न संशोधित अनुबंध से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

2. यह संशोधन 16 अप्रैल 1997 से लागू होगा।

(जे.आर. प्रभु)

कार्यपालक निदेशक

INTEREST RATES ON DEPOSITS

In exercise of the powers conferred by the Sections 21 and 35 A of Banking Regulation of Act, 1949 and in modification of its directive DBOD. No.Dir.BC.151/C.347-85 dated December 27, 1985, as amended from time to time, the Reserve Bank Of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that the Annexure -I to the aforesaid directive shall be substituted by the enclosed revised Annexure.

2. The amendment shall be effective from April 16, 1997.

(J.R. Prabhu)

Executive Director.

अनुबंध - I

जमाराशियों पर 16 अप्रैल 1997 से
लागू ब्याज दरें

(अनिवासी जमाराशियों को छोड़कर)

खाते की श्रेणी	प्रतिशत वार्षिक
(i) चालू	शून्य
(ii) बचत	4.5
(iii) सावधि जमाराशियां	
30 दिन और एक वर्ष तक	बैंक दर से दो प्रतिशत अंक कम से अधिक नहीं
एक वर्ष से अधिक	मुक्त

.....

Annexure - I

Rate of interest on deposits applicable
with effect from April 16, 1997.

(Excluding Non-Resident Deposits)

Category of Account	Per cent per annum
(i) Current	Nil
(ii) Savings	4.5
(iii) Term deposits	
30 days and upto one year	Not exceeding Bank Rate minus 2 per centage points
Over one year	Free

.....

बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 36 / 13.01.01/97

DBOD No. Dir. BC. 36 / 13.01.01 / 97

15 अप्रैल 1997
25 चैत्र 1919 (शक)

April 15, 1997
Chaitra 25, 1919 (Saka)

सहकारी क्षेत्र के सभी बैंक

All Public Sector Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sirs,

जमाराशियों पर ब्याज दरें-
पूंजी लाभ खाता योजना, 1988

**INTEREST RATES ON DEPOSITS -
CAPITAL GAINS ACCOUNTS SCHEME,
1988**

कृपया आप 19 अक्टूबर 1996 की हमारी अधिसूचना बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 135/13.01.01/96 देखें, जिसके अनुसार भारत सरकार द्वारा लागू की गयी पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 के अंतर्गत जमा की गयी राशियों पर ब्याज - दरें बैंकों को सूचित की गयी हैं। हमने इन दरों की समीक्षा की है और संशोधित ब्याज दरों की हमारी 15 अप्रैल 1997 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 35/13.01.01/97 संलग्न है। संशोधित ब्याज दरें 16 अप्रैल 1997 से लागू होंगी।

Please refer to our Notification DBOD.No. Dir.BC. 135/13.01.01/96 dated October 19, 1996 in terms of which the banks were advised of the rates of interest on deposits made under Capital Gains Accounts Scheme, 1988, introduced by Government of India. We have reviewed these rates and our Notification DBOD.No.Dir.BC. 35/13.01.01/97 dated April 15, 1997 advising the revised rates of interest, is enclosed. The revised rates will come into effect from April 16, 1997.

2. इस संबंध में, जमाराशियों पर ब्याज दरों से संबंधित 15 अप्रैल 1997 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 34/13.01.01/97 की विषयवस्तु की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. In this connection, a reference is invited to the contents of our circular DBOD.No.Dir.BC. 34/13.01.01/97 dated April 15, 1997 on interest rates on deposits.

भवदीय,

Yours faithfully,

(यशवंत मर्डीकर)
महा प्रबंधक

(Y.W. Mardikar)
General Manager.

15 अप्रैल 1997
25 चैत्र 1919 (शक)

April 15, 1997
Chaitra 25, 1919 (Saka)

अधिसूचना

NOTIFICATION

**जमाराशियों पर ब्याज दरें-
पूंजी लाभ खाता योजना, 1988**

**INTEREST RATES ON DEPOSITS -
CAPITAL GAINS ACCOUNTS
SCHEME, 1988**

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क और पूंजी लाभ खाता योजना (कैपिटल गेन्स एकाउंट्स स्कीम), 1988 के पैराग्राफ 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 19 अक्टूबर 1996 की अपनी अधिसूचना बैंकवि.सं. डीआइआर. बीसी. 135/13.01.01/96 में संशोधन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 के अंतर्गत खाता अ और खाता आ में जमा की गयी राशियों पर बैंकों द्वारा अदा किया जानेवाला ब्याज 16 अप्रैल 1997 से निम्नलिखित होगा :

In exercise of the powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and paragraph 8 of the Capital Gains Accounts Scheme, 1988 and in modification of its Notification DBOD.No.Dir.BC. 135/13:01:01/96 dated October 19, 1996, Reserve Bank of India, hereby specifies that the interest paid by the banks on deposits made in Account A and B under the Capital Gains Accounts Scheme, 1988 shall be as hereunder, effective April 16, 1997.

खाते की श्रेणी	प्रतिशत वार्षिक
(i) खाता - अ	4.5
(ii) खाता - आ	
30 दिन और एक वर्ष तक के लिए	बैंक दर से दो प्रतिशत अंक कम से अधिक नहीं
एक वर्ष से अधिक	मुक्त

Category of Account	Per cent per annum
(i) Account 'A'	4.5
(ii) Account 'B'	
30 days and upto one year	'Not exceeding Bank Rate minus 2 percentage points'
Over one year	Free

(जे. आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

(J.R. Prabhu)
Executive Director

15 अप्रैल 1997
25 चैत्र 1919 (शक)

April 15, 1997
Chaitra 25, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक

All Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sirs,

अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना
के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें

**INTEREST RATES ON DEPOSITS
UNDER NON-RESIDENT (EXTERNAL)
RUPEE (NRE) ACCOUNTS SCHEME,**

कृपया आप समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 दिसंबर 1985 का हमारा निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी.347-85 देखें। इस संबंध में आपका ध्यान गवर्नर महोदय के 15 अप्रैल 1997 के परिपत्र सं.सीपीसी.बीसी.162/07.01.279/96-97 के पैराग्राफ 17(सी)(ii) की ओर आकर्षित किया जाता है।

Please refer to our directive DBOD.No. Dir.BC. 151/C.347-85 dated December 27, 1985 as amended from time to time. In this connection, attention is invited to paragraph 17(c)(ii) of the Governor's circular No. CPC.BC. 162/07.01.279/96-97 dated April 15, 1997.

2. अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत मीयादी जमाराशियों के ब्याज दर विन्यास को घरेलू मीयादी जमाराशियों के अनुसार बेहतर बनाने की दृष्टि से अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें 16 अप्रैल 1997 से स्वतंत्र कर दी गयी हैं। इसके अलावा अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत मीयादी जमाराशियों पर दी जानेवाली ब्याज दरों को घरेलू मीयादी जमाराशियों के समान बनाने की दृष्टि से छह महीने और एक वर्ष तक की अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता मीयादी जमाराशियों पर दी जानेवाली ब्याज दर 16 अप्रैल 1997 से 'बैंक दर से

2. With a view to bringing about a better alignment of the interest rate structure of term deposits under Non-Resident (External) Rupee (NRE) Accounts Scheme with that on domestic term deposits, effective April 16, 1997, the interest rates on term deposits under NRE Accounts Scheme of over one year are being freed. Furthermore, with a view to bringing the interest rates offered on term deposits under NRE Accounts on par with those on domestic term deposits, effective April 16, 1997, the interest rate offered on NRE term deposits of 6 months and upto one year is prescribed at 'not exceeding Bank Rate

दो प्रतिशत अंक कम से अधिक नहीं” निर्धारित की गयी है। विभिन्न परिपक्वता अवधि की जमाराशियों पर बैंक जो जमा दरें देंगे, उसके लिए वे अपने संबंधित निदेशक बोर्ड का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें। संशोधित मीयादी जमा दरें नयी जमाराशियों और परिपक्व जमाराशियों के नवीकरण पर लागू होंगी। अनिवारी (बाह्य) रुपया मीयादी दर का मौजूदा और संशोधित विन्यास नीचे दिया गया है :

अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ब्याज दरें

(प्रतिशत वार्षिक)

मौजूदा		नयी	
अवधि	दरें	अवधि	दरें
(16 अप्रैल 1997 से लागू)			
6 महीने और 2 वर्ष तक	12.0 से अधिक नहीं	6 महीने और 1 वर्ष तक	‘बैंक दर से दो प्रतिशत अंक कम से अधिक नहीं’
2 वर्ष से अधिक	स्वतंत्र	1 वर्ष से अधिक	स्वतंत्र

3. किसी भी समय, प्रत्येक बैंक अपनी सभी शाखाओं में और सभी ग्राहकों के लिए एक समान दरें अपनायें।

4. इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

5. दिनांक 15 अप्रैल 1997 का संशोधक निदेश बैंपवि.सं.डीआइआर.बीसी.37/13.01.09/97 संलग्न है।

भवदीया,

(श्यामला गोपीनाथ)
अपर मुख्य महा प्रबंधक

minus two percentage points. Banks should obtain prior approval of their respective Board of Directors for the deposit rates they will be offering on deposits of various maturities. The revised term deposit rates will apply only to fresh deposits and on renewal of maturing deposits. The existing and the revised NRE term deposit rates are set out below :

Scheduled Commercial Banks interest rates on Deposits under Non-Resident (External) Rupee (NRE) Accounts Scheme

(Per cent per annum)

Existing		New	
Duration	Rates	Duration	Rates
(Effective April 16, 1997)			
6 Months and upto 2 years	‘not exceeding 12.0’	6 months and upto 1 year	‘not exceeding Bank Rate minus two percentage points’
Over 2 years	Free	Over one year	Free

3. At any point of time, individual banks should adopt uniform rates at all their branches and for all customers.

4. All other instructions issued from time to time in this regard shall remain unchanged.

5. An amending directive DBOD.No. Dir. BC. 37/13.01.09/97 dated April 15, 1997 is enclosed.

Yours faithfully,

(Shyamala Gopinath)
Additional Chief General Manager.

15 अप्रैल 1997
25 चैत्र 1919 (शक)

April 15, 1997
Chaitra 25, 1919 (Saka)

**अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत
मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें**

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों से संबंधित 3 अप्रैल 1996 के निदेश बैंपविवि.सं.बीसी. 34/13.01.09/96 में संशोधन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा यह निदेश देता है कि विदेशी मुद्रा का प्राधिकृत व्यापारी एवं अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत मीयादी जमाराशियां स्वीकार करनेवाला कोई भी वाणिज्य बैंक, इस प्रकार की जो भी जमाराशियां स्वीकार करेगा अथवा उनका नवीकरण करेगा, उन पर नीचे बतायी गयी दरों को छोड़कर अन्य किसी दर पर ब्याज अदा नहीं करेगा :

(प्रतिशत वार्षिक)

मौजूदा		नयी	
अवधि	दरें	अवधि	दरें
(16 अप्रैल 1997 से लागू)			
6 महीने और 2 वर्ष तक	'12.0 से अधिक नहीं'	6 महीने और 1 वर्ष तक	'बैंक दर से 2 प्रतिशत अंक से कम से अधिक नहीं'

INTEREST RATES ON TERM DEPOSITS UNDER NON-RESIDENT (EXTERNAL) RUPEE ACCOUNTS (NRE ACCOUNTS)

In exercise of powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and in modification of the directive DBOD. No.BC 34/13:01:09/96 dated April 03, 1996 relating to deposits accepted under Non-Resident (External) Rupee Accounts Scheme, the Reserve Bank of India being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that no commercial bank, which is an Authorised Dealer in foreign exchange and which accepts term deposits under the Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts) Scheme, shall pay interest on such deposits of money accepted by it or renewed by it except in accordance with the rates as indicated below

(Per cent per annum)

Existing		New	
Duration	Rates	Duration	Rates (Effective from April 16, 1997)
6 months and upto 2 years	'Not exceeding 12.0'	6 months and upto 1 year	'Not exceeding Bank Rate minus 2 percentage points'

2 वर्ष से अधिक स्वतंत्र 1 वर्ष से अधिक स्वतंत्र

Over 2 years Free Over one year Free

2. 27 दिसंबर 1985 के निदेश बैंपविवि.सं. डीआइआर.बीसी. 151/सी. 347-85, समय-समय पर यथासंशोधित, के अन्य सभी उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

2. All other provisions of the directive DBOD No.Dir.BC.151/C.347-85 dated December 27, 1985 as amended from time to time shall remain unchanged.

(जे. आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

(J.R. Prabhu)
Executive Director

बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 41 / 13.01.09/97

DBOD No. Dir. BC. 41 / 13.01.09 / 97

15 अप्रैल 1997
25 चैत्र 1919 (शक)

April 15, 1997
Chaitra 25, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक

All Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sirs,

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना
के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें

**INTEREST RATES ON DEPOSITS HELD
UNDER FOREIGN CURRENCY (NON-
RESIDENT) ACCOUNTS (BANKS)
SCHEME**

कृपया आप उपर्युक्त विषय पर हमारा 16 नवंबर 1996 का परिपत्र बैंपविवि सं.डीआइआर. बीसी. 147/13.01.09/96 देखें। इस संबंध में आपका ध्यान गवर्नर महोदय के 15 अप्रैल 1997 के परिपत्र सं. 162/07.01.279/ 96-97 के पैराग्राफ 17(सी) (iii) की ओर आकर्षित किया जाता है।

Please refer to our circular DBOD No.Dir.BC. 147/13.01.09/96 dated November 16, 1996 on the captioned subject. In this connection attention is invited to paragraph 17 (c) (iii) of Governor's Circular No. CPC. BC 162/07.01.279/96-97 dated April 15, 1997.

2. अप्रैल 1993 में लागू की गयी विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत वर्तमान में विशिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित ब्याज दरों पर चार विदेशी मुद्राओं अर्थात् अमरीकी डॉलर, पौंड स्टर्लिंग, ड्यूश मार्क और जापानी येन में जमाराशियां स्वीकृत की जाती हैं। बैंकों को और अधिक लचीलापन देने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया है कि 16 अप्रैल 1997 से प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस तरह की जमाराशियों पर रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित उच्चतम सीमा के अंतर्गत ब्याज निर्धारित कर सकते हैं। ब्याज दर की उच्चतम सीमा केवल नयी और अवधि पूर्ण होने पर नवीकृत की जाने वाली जमाराशियों पर ही लागू होगी।

3. किसी भी समय, प्रत्येक बैंक अपनी सभी शाखाओं में और सभी ग्राहकों के लिए एक समान दरें अपनायें।

4. ब्याज दरों पर उच्चतम सीमा दर्शाने वाला 15 अप्रैल 1997 का संशोधनकारी निदेश बैंपवि.सं. डीआइआर. बीसी. 40/13.01.09/97 संलग्न है।

भवदीय,

(यशवंत मर्डिकर)
महा प्रबंधक

2. At present deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) [FCNR(B)] Scheme introduced in April 1993, accepted at interest rates for specified maturities prescribed by RBI from time to time in four foreign currencies, viz., the US Dollar, the Pound Sterling, the Deutsche Mark and the Japanese Yen. With a view to giving more flexibility to banks it has been decided that effective April 16, 1997, banks which are Authorised Dealers may determine interest rates on such deposits subject to a ceiling prescribed by RBI from time to time. The ceilings on interest rates will apply only to fresh deposits and on renewals of maturing deposits.

3. At any point of time, individual banks should adopt uniform rates at all their branches and for all customers.

4. An amending directive DBOD. No. Dir. BC. 40/13.01.09/97 dated April 15, 1997, indicating the ceilings on interest rates is enclosed.

Yours faithfully,

(Y.W. Mardikar)
General Manager

15 अप्रैल 1997
25 चैत्र 1919 (शक)

April 15, 1997
Chaitra 25, 1919 (Saka)

**विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना
के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें**

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों से संबंधित, समय-समय पर यथासंशोधित, 29 अप्रैल 1993 के निदेश बैंपविवि.सं.बीसी. 115/13.01.09/93 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा निदेश देता है कि अप्रैल 16, 1997 से कोई भी अनुसूचित वाणिज्य बैंक, जो विदेशी मुद्रा का प्राधिकृत व्यापारी है, विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत अथवा नवीकृत जमाराशियों पर नीचे विनिर्दिष्ट दरों के सिवाय अन्य दरों पर ब्याज अदा नहीं करेगा जो कि निम्नलिखित उच्चतम सीमाओं के अधीन होंगे :

**विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना
के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों पर ब्याज दरों की
उच्चतम सीमाएँ-दिनांक अप्रैल 16, 1997 से**

ब्याज दर (प्रतिशत वार्षिक)

अवधि	पौंड	अमेरिकी	ड्यूश	जापानी
	स्टर्लिंग	डालर	मार्क	येन

(क) 6 महीने और उससे अधिक,
किंतु 1 वर्ष से कम की

**INTEREST RATES ON DEPOSITS
HELD UNDER FOREIGN CURRENCY
(NON-RESIDENT) ACCOUNTS
(BANKS) SCHEME**

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and in partial modification of the directive DBOD. No.BC. 115/13:01:09/93 dated April 29, 1993 as amended from time to time, relating to deposits accepted under Foreign Currency (Non-resident) Accounts (Bank) Scheme, the Reserve Bank of India, being satisfied that, it is necessary in public interest so to do, hereby directs that with effect from April 16, 1997 scheduled commercial banks, which are Authorised Dealers in foreign exchange, shall pay interest on deposits accepted by it or renewed by it under Foreign Currency (Non-resident) Accounts (Banks) Scheme subject to the following ceilings :

**Ceilings on interest rates on deposits
accepted under FCNR (Banks) Scheme
with effect from April 16, 1997**

(Per cent per annum)

Maturity	Pound	U.S.	Deutsche	Japanese
Period	Sterling	Dollar	Mark	Yen

(a) For deposits for
6 months & above

जमाराशियों के लिए 5.25 4.50 2.75 0.50
 (ख) 1 वर्ष और उससे अधिक,
 किंतु 2 वर्ष से कम की
 जमाराशियों के लिए 6.25 5.75 3.50 0.75
 (ग) 2 वर्ष और उससे अधिक,
 किंतु 3 वर्ष से कम की
 जमाराशियों के लिए 6.75 6.00 4.25 1.00
 (घ) केवल 3 वर्ष की
 जमाराशियों के लिए 7.00 6.25 4.75 1.50

2. हमारे 11 सितंबर 1986 के निदेश डीबीओडी.सं. डीआइआर.बीसी. 95/सी. 347(1)-86 और 29 अप्रैल 1993 के निदेश बैंपविवि.सं.बीसी. 115/13.01.09/93, समय-समय पर यथा संशोधित, के अन्य सभी उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

(वी. सुब्रह्मण्यम)
 कार्यपालक निदेशक

but less than 1 year 5.25 4.50 2.75 0.50
 (b) For deposits for 1
 year and above but
 less than 2 years 6.25 5.75 3.50 0.75
 (c) For deposits for 2
 years & above but
 less than 3 years 6.75 6.00 4.25 1.00
 (d) For deposits for 3
 years only. 7.00 6.25 4.75 1.50

2. All other provisions of directives DBOD No. Dir.BC. 95/C. 347 (I)-86 dated September 11, 1986 and also directive DBOD No. Dir.BC. 115/13:01:09/93 dated April 29, 1993 as amended from time to time shall remain unchanged.

(V. Subrahmanyam)
 Executive Director

22 अप्रैल 1997

April 22, 1997

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

प्रिय महोदय,

CERTIFICATES OF DEPOSIT (CDs)

जमा प्रमाणपत्र

Please refer to paragraph 2(ii) of our circular DBOD.No.BP.BC.60/65-90 dated 20 December 1990 on Certificates of Deposit (CDs).

कृपया आप जमा प्रमाणपत्रों से संबंधित 20 दिसंबर 1990 के हमारे परिपत्र बैंपवि.सं.बीपी. बीसी. 60/65-90 का पैराग्राफ 2 (ii) देखें।

2. As indicated in paragraph 17(f)(ii) of Governor's circular No. CPC.BC.162/07.01.279/96-97 dated 15 April 1997, the minimum deposit that can be accepted from a single investor has been further reduced from the existing Rs.25 lakhs to Rs. 10 lakhs. The CDs above Rs. 10 lakhs will be in multiplies of Rs. 5 lakhs. The amount relates to face value (i.e. maturity value) of CDs issued.

2. जैसा कि गवर्नर महोदय के 15 अप्रैल 1997 के परिपत्र सं.सीपीसी.बीसी. 162/07.01.279/96-97 के पैराग्राफ 17 (च) (ii) में उल्लेख किया गया है, एकल निवेशक से स्वीकार की जानेवाली न्यूनतम जमा राशि को मौजूदा रु. 25 लाख से और घटाकर रु. 10 लाख कर दिया गया है। रु.10 लाख से अधिक राशि के जमा प्रमाणपत्र रु. 5 लाख के गुणजों में होंगे। यह राशि जारी किये गये जमा प्रमाणपत्र की अंकित राशि (अर्थात् परिपक्वता मूल्य) से संबंधित है।

3. All other terms and conditions relating to issue of CDs by banks remain unchanged.

3. बैंकों द्वारा जारी किये जानेवाले जमा प्रमाणपत्रों से संबंधित सभी अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

Yours faithfully,

भवदीय,

(A. Ghosh)
Chief General Manager.

(ए. घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 70 / 13.01.01/97

DBOD No. Dir. BC. 70 / 13.01.01 / 97

25 जून 1997
4 आषाढ़ 1919 (शक)

June 25, 1997
Aashadha 4, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

All Commercial Banks
(including Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sirs,

जमाराशियों पर ब्याज दरें

INTEREST RATES ON DEPOSITS

कृपया आप समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 दिसंबर 1985 का हमारा निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी.151/सी. 347-85 देखें। इस संबंध में आपका ध्यान गवर्नर महोदय के 25 जून 1997 के परिपत्र सं.सीपीसी.बीसी.163/07.01.279/96-97 के पैरा 5(बी)(i) की ओर आकर्षित किया जाता है।

Please refer to our directive DBOD.No. Dir. BC. 151/C. 347/85 dated December 27, 1985, as amended from time to time. In this connection, attention is invited to paragraph 5(b) (i) of Governor's circular No. CPC.BC.163/07.01.279/96-97 dated June 25, 1997.

वर्तमान में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की 30 दिन और 1 वर्ष तक की परिपक्वता अवधि के लिए घरेलू मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें 'बैंक दर से दो प्रतिशत अंक कम वार्षिक से अधिक नहीं' के आदेश के अधीन हैं। एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि के लिए बैंक अपनी ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। 26 जून 1997 से बैंक दर 11.0 प्रतिशत से घटाकर 10.0 प्रतिशत कर दिये जाने के फलस्वरूप, 30 दिन और एक वर्ष तक की परिपक्वता वाली घरेलू मीयादी जमाराशियों पर दी जानेवाली ब्याज दर '9.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक नहीं' की

At present, interest rates on domestic term deposits of scheduled commercial banks are subject to a prescription of 'not exceeding Bank Rate minus two percentage points per annum' for maturity of 30 days and upto one year. For maturity of over one year, banks are free to fix their own interest rates. Consequent upon the reduction in the Bank Rate from 11.0 per cent to 10.0 per cent, with effect from June 26, 1997, the interest rate offered on domestic term deposits of maturity of 30 days and upto one year will be 'Not exceeding 8.0 per cent per annum' instead of the present rate of 'Not

वर्तमान दर के बजाय '8.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक नहीं' होगी। घरेलू मीयादी जमाराशियों पर ये संशोधित ब्याज दरें केवल नयी जमाराशियों तथा परिपक्व (अवधि पूर्ण) होनेवाली जमाराशियों के नवीकरण पर ही लागू होंगी।

विभिन्न परिपक्वता वाली जमाराशियों पर दी जानेवाली ब्याज दरों के लिए बैंक अपने संबंधित बोर्ड से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना जारी रखें। प्रत्येक बैंक अपनी सभी शाखाओं और सभी ग्राहकों के लिए एक समय में एक समान ब्याज दर ही अपनायें।

इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

दिनांक 25 जून 1997 का संशोधनकारी निदेश बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.69/13.01.01/97 संलग्न है।

भवदीय,

(यशवंत मर्डीकर)

महा प्रबंधक

exceeding 9.0 per cent per annum'. The revised domestic term deposit rates will apply only to fresh deposits and on renewal of maturing deposits.

Banks should obtain the prior approval of their respective Boards for the deposit rates they will be offering on deposits of various maturities. At any point of time, individual banks should adopt uniform rates at all their branches and for all customers.

All other instructions issued from time to time in this regard will remain unchanged.

Amending directive DBOD.No.Dir.BC. 69/13.01.01/97 dated June 25, 1997 is enclosed.

Yours faithfully,

(Y.W. Mardikar)
General Manager.

बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 69 / 13.01.01/97

DBOD No. Dir. BC. 69 / 13.01.01 / 97

25 जून 1997
4 आषाढ़ 1919 (शक)

June 25, 1997
Aashadha 4, 1919 (Saka)

जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समय-समय पर यथासंशोधित 27 दिसंबर 1985 के अपने निदेश डीबीओडी.सं.डीआइआर.बीसी.151/सी.347-85 में संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा यह निदेश देता है कि ऊपर उल्लिखित निदेश का अनुबंध I संलग्न संशोधित अनुबंध से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

2. यह संशोधन 26 जून 1997 से लागू होगा।

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

INTEREST RATES ON DEPOSITS

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and in modification of its directive DBOD.No.Dir.BC. 151/C. 347/85 dated December 27, 1985, as amended from time to time, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that the Annexure - I to the aforesaid directive shall be substituted by the enclosed revised Annexure.

2. The amendment shall be effective from June 26, 1997.

(S. Gurumurthy)
Executive Director

अनुबंध - I

ANNEXURE - I

जमाराशियों पर 26 जून 1997 से लागू ब्याज दर

Rate of interest on deposits applicable
with effect from June 26, 1997.

(अनिवासी जमाराशियों को छोड़कर)

(Excluding Non-Resident Deposits)

खाते की श्रेणी	प्रतिशत वार्षिक	Category of Account	Per cent per annum
(i) चालू	शून्य	(i) Current	Nil
(ii) बचत	4.5	(ii) Savings	4.5
(iii) सावधि जमाराशियां		(iii) Term deposits	
30 दिन और एक वर्ष तक	बैंक दर से दो प्रतिशत अंक कम से अधिक नहीं (अर्थात् प्रतिवर्ष 8.0 प्रतिशत से अधिक नहीं)	30 days and] upto one year]	'Not exceeding Bank Rate <u>minus 2</u> percentage points'(i.e. not exceeding 8.0 per cent per annum)
एक वर्ष से अधिक	मुक्त	Over one year	Free

.....

.....

बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 72 / 13.01.01/97

DBOD No. Dir. BC. 72 / 13.01.01 / 97

25 जून 1997
4 आषाढ़ 1919 (शक)

June 25, 1997
Aashadha 4, 1919 (Saka)

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक

All Public Sector Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sirs,

जमाराशियों पर ब्याज दरें-
पूँजी लाभ खाता योजना, 1988

**INTEREST RATES ON DEPOSITS-
CAPITAL GAINS ACCOUNTS
SCHEME, 1988**

कृपया आप 15 अप्रैल 1997 की हमारी अधिसूचना बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.35/13.01.01/97 देखें, जिसके अनुसार भारत सरकार द्वारा लागू की गयी पूँजी लाभ खाता योजना, 1988 के अंतर्गत जमा की गयी राशियों पर ब्याज दरें बैंकों को सूचित की गयी हैं। हमने इन दरों की समीक्षा की है और संशोधित ब्याज दरों की हमारी 25 जून 1997 की अधिसूचना बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 71/13.01.01/97 संलग्न है। संशोधित ब्याज दरें 26 जून 1997 से लागू होंगी।

Please refer to our Notification DBOD.No.Dir.BC. 35/13:01:01/97 dated April 15, 1997 in terms of which the banks were advised of the rates of interest on deposits made under Capital Gains Accounts Scheme, 1988, introduced by Government of India. We have reviewed these rates and our Notification DBOD.No. Dir.BC.71/13.01.01/97 dated June 25, 1997 advising the revised rates of interest is, enclosed. The revised rates will come into effect from June 26, 1997.

2. इस संबंध में, जमाराशियों पर ब्याज दरों से संबंधित 25 जून 1997 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं. डीआइआर. बीसी. 70/13.01.01/97 की विषयवस्तु की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. In this connection, a reference is invited to the contents of our circular DBOD.No.Dir.BC.70 / 13.01.01/97 dated June 25, 1997 on interest rates on deposits.

भवदीय,

Yours faithfully,

(यशवंत मर्डिकर)

(Y.W. Mardikar)

महा प्रबंधक

General Manager

बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 71 / 13.01.01/97

DBOD No. Dir. BC. 71 / 13.01.01 / 97

25 जून 1997
4 आषाढ़ 1919 (शक)

June 25, 1997
Aashadha 4, 1919 (Saka)

अधिसूचना

जमा राशियों पर ब्याज दरें- पूंजी लाभ खाता योजना, 1988

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क और पूंजी लाभ खाता योजना (कैपिटल गेन्स एकाउंट्स स्कीम), 1988 के पैराग्राफ 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 15 अप्रैल 1997 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि.सं. डीआइआर. बीसी.35/13.01.01/97 में संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 के अंतर्गत खाता अ और खाता आ में जमा की गयी राशियों पर बैंकों द्वारा अदा किया जानेवाला ब्याज 26 जून 1997 से निम्नलिखित होगा :

खाते की श्रेणी	प्रतिशत वार्षिक
(i) खाता - अ	4.5
(ii) खाता - आ	
30 दिन और 1 वर्ष तक	बैंक दर से दो प्रतिशत कम से अधिक नहीं (अर्थात् 8.0 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं)
एक वर्ष से अधिक	स्वतंत्र

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

INTEREST RATES ON DEPOSITS - CAPITAL GAINS ACCOUNTS SCHEME, 1988

In exercise of the powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and paragraph 8 of the Capital Gains Accounts Scheme, 1988 and in modification of its Notification DBOD.No.Dir.BC.35/13:01:01/97 dated April 15, 1997, Reserve Bank of India, hereby specifies that the interest paid by the banks on deposits made in Account A and B under the Capital Gains Accounts Scheme, 1988 shall be as hereunder, effective June 26, 1997.

Category of Account	Per cent per annum
(i) Account 'A'	4.5
(ii) Account 'B'	
30 days and] upto one year]	'Not exceeding Bank Rate minus 2 percentage points'(i.e. not exceeding 8.0 percent per annum)
Over one year	Free

(S. Gurumurthy)
Executive Director

बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 74 / 13.01.09/97

DBOD No. Dir. BC. 74 / 13.01.09 / 97

25 जून 1997
4 आषाढ़ 1919 (शक)

June 25, 1997
Aashadha 4, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक

All Commercial Banks

अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना
के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें

**INTEREST RATES ON DEPOSITS
UNDER NON-RESIDENT (EXTERNAL)
RUPEE (NRE) ACCOUNTS SCHEME**

कृपया आप समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 दिसंबर 1985 का हमारा निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर.बीसी. 151/सी.347-85 देखें। इस संबंध में आपका ध्यान गवर्नर महोदय के 25 जून 1997 के परिपत्र सं.सीपीसी.बीसी.163/07.01.279/96-97 के पैराग्राफ 5ख(ii) की ओर आकर्षित किया जाता है।

Please refer to our directive DBOD.No. Dir.BC. 151/C.347-85 dated December 27, 1985 as amended from time to time. In this connection, attention is invited to paragraph 5b(ii) of the Governor's circular No. CPC.BC. 163/07.01.279/96-97 dated June 25, 1997.

2. वर्तमान में अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत छः महीना और एक वर्ष तक की अवधि वाली सावधि जमाराशियों पर ब्याज दर "बैंक दर से दो प्रतिशत अंक कम से अधिक नहीं" निर्धारित की गयी है, जबकि बैंक एक वर्ष से अधिक की एनआरई सावधि जमाराशियों पर ब्याज दर तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। बैंक दर को 11 प्रतिशत से घटाकर 26 जून 1997 से 10 प्रतिशत कर दिये जाने के परिणामस्वरूप छः महीने और एक वर्ष तक की एनआरई सावधि जमाराशियों पर दी जानेवाली ब्याज दर "8.0 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं" होगी, न कि वर्तमान की "9.0 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं"। बैंक विभिन्न अवधिपूर्णतावाली जमाराशियों पर दी जानेवाली जमा ब्याज दरों के लिए अपने संबंधित निदेशक मंडल का

2. At present, interest rates on term deposits under Non-Resident (External) Rupee (NRE) Account Scheme with a maturity of 6 months and upto one year is prescribed at 'not exceeding Bank Rate minus 2 percentage points' while banks are free to fix the interest rates on NRE term deposits of over one year. Consequent upon the reduction in the Bank Rate from 11.0 per cent to 10.0 per cent, with effect from June 26, 1997, the interest rate offered on NRE term deposits of 6 months and upto one year will be 'not exceeding 8.0 per cent per annum' instead of the present rate of 'not exceeding 9.0 per cent per annum'. Banks should obtain prior approval of their respective Board of Directors for the deposit rates they will be offering on deposits of

पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें। संशोधित सावधि जमा दरें केवल नयी जमाराशियों पर और अवधि पूर्ण वाली जमाराशियों के नवीकरण पर लागू होंगी। मौजूदा और संशोधित सावधि जमा दरें नीचे दी गयी हैं :

अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ब्याज दरें

(प्रतिशत वार्षिक)			
मौजूदा		नयी	
अवधि	ब्याज दरें	अवधि	दरें
(26 जून 1997 से लागू)			

6 महीने और 1 वर्ष तक	‘बैंक दर से दो प्रतिशत अंक कम से अधिक नहीं’(अर्थात् 9.0 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं)	6 महीने और 1 वर्ष तक	‘बैंक दर से दो प्रतिशत अंक कम से अधिक नहीं’(अर्थात् 8.0 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं)

एक वर्ष से अधिक स्वतंत्र एक वर्ष से अधिक स्वतंत्र

3. किसी भी समय, प्रत्येक बैंक अपनी सभी शाखाओं में और सभी ग्राहकों के लिए एक समान दरें अपनायें।

4. इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

5. दिनांक 25 जून 1997 का संशोधक निदेश बैंकवि. सं. डीआइआर.बीसी.73/13.01.09/97 संलग्न है।

भवदीय,

(यशवंत मर्डिकर)
महा प्रबंधक

various maturities. The revised NRE term deposits rates will apply only to fresh deposits and on renewal of maturing deposits. The existing and the revised NRE term deposits rates are set out below :

Scheduled Commercial Banks interest rates on Deposits under Non-Resident (External) Rupee (NRE) Accounts Scheme

(Per cent per annum)

Existing		New	

Duration Rates Duration Rates(Effective

June 26, 1997)

6 Months and upto 1 year	‘Not exceeding Bank Rate minus 2 percentage points’ (i.e. not exceeding 9.0 per cent per annum)	6 months & upto 1 year	‘Not exceeding Bank Rate minus two percentage points’ (i.e. not exceeding 8.0 per cent per annum)

Over one year Free Over one year Free

3. At any point of time, individual banks should adopt uniform rates at all their branches and for all customers.

4. All other instructions issued from time to time in this regard shall remain unchanged.

5. An amending directive DBOD.No. Dir. BC. 73/13.01.09/97 dated June 25, 1997 is enclosed.

Yours faithfully,

(Y.W. Mardikar)
General Manager.

25 जून 1997
4 आषाढ़ 1919 (शक)

June 25, 1997
Aashadha 4, 1919 (Saka)

**अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत
मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें**

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों से संबंधित 15 अप्रैल 1997 के निदेश बैंपविवि.सं.बीसी. 37/13.01.09/97 में संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा यह निदेश देता है कि विदेशी मुद्रा का प्राधिकृत व्यापारी एवं अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत मीयादी जमाराशियां स्वीकार करनेवाला कोई भी वाणिज्य बैंक इस प्रकार की जो भी जमाराशियां स्वीकार करेगा अथवा उनका नवीकरण करेगा, उन पर नीचे बतायी गयी दरों को छोड़कर अन्य किसी दर पर ब्याज अदा नहीं करेगा :

**INTEREST RATES ON TERM
DEPOSITS UNDER NON-RESIDENT
(EXTERNAL) RUPEE ACCOUNTS
(NRE ACCOUNTS)**

In exercise of powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and in modification of the directive DBOD. No.BC.37/13:01:09/97 dated April 15, 1997 relating to deposits accepted under Non-Resident (External) Rupee Accounts Scheme, the Reserve Bank of India being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that no commercial bank, which is an Authorised Dealer in foreign exchange and which accepts term deposits under the Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts) Scheme, shall pay interest on such deposits of money accepted by it or renewed by it except in accordance with the rates as indicated below :

(प्रतिशत वार्षिक)

मौजूदा		नयी	
अवधि	दरें	अवधि	दरें
(26 जून 1997 से लागू)			

6 महीने और 1 वर्ष तक	बैंक दर से दो प्रतिशत अंक कम से अधिक नहीं (अर्थात् 9.0 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं)	6 महीने और 1 वर्ष तक	बैंक दर से दो प्रतिशत अंक कम से अधिक नहीं (अर्थात् 8.0 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं)
एक वर्ष से अधिक	स्वतंत्र	एक वर्ष से अधिक	स्वतंत्र

2. 27 दिसंबर 1985 के निदेश बैंपविवि.सं. डीआइआर.बीसी. 151 /सी. 347-85, समय-समय पर यथासंशोधित, के अन्य सभी उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

(एस. गुरुमूर्ति)

कार्यपालक निदेशक

(Per cent per annum)

Existing		New	
Duration	Rates	Duration	Rates (Effective from June 26, 1997)

6 Months and upto 1 year	'Not exceeding Bank Rate minus 2 percentage points' (i.e. not exceeding 9.0 per cent per annum)	6 months & upto 1 year	'Not exceeding Bank Rate minus two percentage points' (i.e. not exceeding 8.0 per cent per annum)

Over one year	Free	Over one year	Free

2. All other provisions of the directive DBOD No.Dir.BC.151/C.347-85 dated December 27, 1985 as amended from time to time shall remain unchanged.

(S. Gurumurthy)

Executive Director

• 26 अगस्त 1997
4 भाद्र 1919 (शक)

August 26, 1997
Bhadra 4, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

All Commercial Banks
(including Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sirs,

जमाराशि जुटाने की योजनाएं

DEPOSIT MOBILISATION SCHEMES

हमारे 31 जनवरी 1992 के परिपत्र बैंपविवि.बीसी.सं. 75/13.01.11/92 के अनुसार जो बैंक भारतीय बैंक संघ के सदस्य हैं उनसे अपेक्षा की गयी है कि वे जमाराशि जुटाने की कोई नयी योजना लागू करने के लिए भारतीय बैंक संघ की पूर्व सहमति प्राप्त कर लें। इसके अतिरिक्त हमारे 15 जनवरी 1996 के परिपत्र बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 6/13.01.11/96 के पैराग्राफ 5 में दिये गये अनुदेशों के अनुसार जो अन्य बैंक भारतीय बैंक संघ के सदस्य नहीं हैं उन्हें इस तरह की योजनायें लागू करने से पहले रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

In terms of our circular DBOD.BC. No.75/13.01.11/92 dated January 31, 1992, banks which are members of the Indian Banks Association (IBA) are required to obtain prior concurrence of IBA for introducing any new deposit mobilisation schemes. Further, as per instructions contained in paragraph 5 of our circular DBOD No. Dir.BC.6/13.01.11/96 dated January 15, 1996, other banks which are not members of IBA should obtain prior approval of the RBI before introducing such Schemes.

2. इस विषय की समीक्षा करके यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में घरेलू जमाराशि जुटाने की नयी योजना लागू करने के लिए बैंकों को भारतीय बैंक संघ की पूर्व सहमति अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु जमाराशि जुटाने की कोई नयी योजना प्रारंभ करने से पहले बैंकों को अपने संबंधित निदेशक मंडल का पूर्व

2. On a review, it has been decided that, in future, banks need not obtain prior concurrence of the Indian Banks' Association or prior approval of the RBI for introduction of their new domestic deposit mobilisation Schemes. However, before launching any new deposit mobilisation scheme banks should obtain the prior approval of their respective

अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए। योजनायें बनाते समय बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जमाराशियों पर ब्याज दरों, सावधि जमाराशियों के अवधिपूर्व आहरण, सावधि जमाराशियों पर ऋणों/अग्रिमों की स्वीकृति आदि के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये रिज़र्व बैंक के निदेशों के प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाये। इस संबंध में किसी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जायेगा और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत दंड लगाया जा सकता है।

3. अनिवासी जमा योजना लागू करने के मामले में बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे सदैव की तरह हमारे विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग का अनुमोदन प्राप्त करें।

भवदीय,

(एम.पी. कोटारी)

महा प्रबंधक

boards. While formulating the schemes, banks should ensure that the provisions of RBI directives on interest rates on deposits, premature withdrawal of term deposits, sanction of loans/advances against term deposits, etc., issued from time to time, are strictly adhered to. Any violation in this regard will be viewed seriously and may attract penalty under the Banking Regulation Act, 1949.

3. In the case of introduction of NRI deposit scheme, banks are required to obtain the approval of our Exchange Control Department as usual.

Yours faithfully,

(M.P. Kothari)

General Manager

बैंपविवि सं.डीआइआर. बीसी. 106 / 13.01.09/97

DBOD No.Dir. BC. 106 / 13.01.09 / 97

12 सितंबर 1997
21 भाद्र 1919 (शक)

September 12, 1997
Bhadra 21, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक

All Commercial Banks

अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना
के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें

**INTEREST RATES ON DEPOSITS
UNDER NON-RESIDENT (EXTERNAL)
RUPEE (NRE) ACCOUNTS SCHEME**

कृपया आप समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 दिसंबर 1985 का हमारा निदेश डीबीओडी.सं. डीआइआर.बीसी. 151/सी.347-85 देखें। इस संबंध में आपका ध्यान गवर्नर महोदय के 12 सितंबर 1997 के परिपत्र सं.सीपीसी.बीसी.164/07.01.279/97-98 के पैराग्राफ 1(i) की ओर आकर्षित किया जाता है।

Please refer to our directive DBOD.No. Dir.BC. 151/C.347-85 dated December 27, 1985 as amended from time to time. In this connection, attention is invited to paragraph 1(i) of the Deputy Governor's circular No. CPC. BC.164/07.01.279/97-98 dated September 12, 1997.

2. वर्तमान में अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत छः महीने और एक वर्ष तक की अवधि वाली सावधि जमाराशियों पर ब्याज दर "बैंक दर से दो प्रतिशत अंक कम से अधिक नहीं" निर्धारित की गयी है, जबकि बैंक एक वर्ष से अधिक की एनआरई सावधि जमाराशियों पर ब्याज दर तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। अनिवासी जमाराशियां जुटाने में बैंकों को और अधिक लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया है कि अनिवासी सावधि जमाराशियों पर ब्याज दरें तय करने के लिए बैंकों को स्वतंत्रता दी जाए। तदनुसार 13 सितंबर 1997 से बैंक 6 महीने और उससे अधिक की अनिवासी सावधि जमाराशियों पर अपनी ब्याज दरें तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। बैंकों को विभिन्न अवधिपूर्णतावाली जमाराशियों पर अपनी प्रस्तावित ब्याज दरों के लिए अपने निदेशक मंडल का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए। अनिवासी सावधि

2. At present, interest rates on term deposits under Non-Resident (External) Rupee (NRE) Accounts Scheme with a maturity of 6 months and upto one year is prescribed at 'not exceeding Bank Rate minus 2 percentage points' while banks are free to fix the interest rates on NRE term deposits of over one year. With a view to providing greater flexibility to the banks in mobilising non-resident deposits, it has been decided to give banks the freedom to fix interest rates on NRE term deposits. Accordingly, effective September 13, 1997, banks are free to fix their own interest rates on NRE term deposits of 6 months and over. Banks should obtain prior approval of their respective Boards of Directors for the interest rates they will be offering on deposits of various maturities. The

जमाराशियों के लिए संशोधित दरें केवल नयी जमाराशियों अथवा अवधि पूर्ण होने पर नवीकृत की जानेवाली जमाराशियों पर लागू होंगी। मौजूदा और संशोधित सावधि जमा दरें नीचे दी हैं :

अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ब्याज दरें
(प्रतिशत वार्षिक)

मौजूदा		नयी	
अवधि	दरे	अवधि	दरें
(13 सितंबर 1997 से लागू)			
6 महीने और 1 वर्ष तक	'बैंक दर से दो प्रतिशत अंक कम से अधिक नहीं' (अर्थात् 8.0 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं)	6 महीने और उससे अधिक	स्वतंत्र

एक वर्ष से अधिक स्वतंत्र

3. किसी भी समय, प्रत्येक बैंक अपनी सभी शाखाओं में और सभी ग्राहकों के लिए एक समान दरें अपनायें।
4. इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।
5. दिनांक 12 सितंबर 1997 का संशोधक निदेश बैंपवि.सं.डीआइआर.बीसी. 105/13.01.09/97 संलग्न है।

भवदीय,

(एम.पी. कोठारी)

महा प्रबंधक

revised NRE term deposits rates will apply only to fresh deposits and on renewal of maturing deposits. The existing and the revised NRE term deposit rates are set out below :

Scheduled Commercial Banks' interest rates on Deposits under Non-Resident (External) Rupee (NRE) Accounts Scheme

(Per cent per annum)

Existing		New	
Duration	Rates	Duration	Rates (Effective September 13, 1997)
6 Months and upto 1 year	'Not exceeding Bank Rate minus 2 percentage points' (i.e. not exceeding 8.0 per cent per annum)	6 months and over	Free
Over one year	Free		

3. At any point of time, individual banks should adopt uniform rates at all their branches and for all customers.

4. All other instructions issued from time to time in this regard shall remain unchanged.

5. An amending directive DBOD. No.Dir.BC. 105/13.01.09/97 dated September 12, 1997 is enclosed.

Yours faithfully,

(M.P. Kothari)
General Manager.

12 सितंबर 1997
21 भाद्र 1919 (शक)

September 12, 1997
Bhadra 21, 1919 (Saka)

**अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत
मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें**

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों से संबंधित 25 जून 1997 के निदेश बैंपविवि.सं.बीसी. 73/13.01.09/97 में संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा यह निदेश देता है कि 13 सितंबर 1997 से विदेशी मुद्रा का प्राधिकृत व्यापारी एवं अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत मीयादी जमाराशियां स्वीकार करनेवाला कोई भी वाणिज्य बैंक 6 महीने और उससे अधिक के लिए स्वीकृत या नवीकृत की जानेवाली ऐसी जमाराशियों पर अपनी ब्याज दरें तय करने के लिए स्वतंत्र होगा।

2. 27 दिसंबर 1985 के निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 151 /सी. 347-85, समय-समय पर यथासंशोधित, के अन्य सभी उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

**INTEREST RATES ON TERM
DEPOSITS UNDER NON-RESIDENT
(EXTERNAL) RUPEE ACCOUNTS
(NRE ACCOUNTS)**

In exercise of powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and in modification of the directive DBOD. No.BC 73/13:01:09/97 dated June 25, 1997 relating to deposits accepted under Non-Resident (External) Rupee (NRE) Accounts Scheme, the Reserve Bank of India being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that effective September 13, 1997, a commercial bank, which is an Authorised dealer in foreign exchange and which accepts term deposits under the Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts) Scheme, shall be free to fix its own interest rates on such deposits of money accepted by it or renewed by it for 6 months and over.

2. All other provisions of the directive DBOD No.Dir.BC.151/C.347-85 dated December 27, 1985 as amended from time to time shall remain unchanged.

(S. Gurumurthy)
Executive Director

बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी.120 / 13.01.01/97

DBOD No.Dir. BC. 120 / 13.01.01 / 97

21 अक्टूबर 1997
29 आश्विन 1919 (शक)

October 21, 1997
Ashwina 29, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

All Commercial Banks
(including Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sirs,

जमाराशियों पर ब्याज दरें

INTEREST RATES ON DEPOSITS

कृपया आप समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 दिसंबर 1985 का हमारा निदेश डीबीओडी. सं.डीआइआर.बीसी.151/सी. 347-85 देखें। इस संबंध में आपका ध्यान गवर्नर महोदय के 21 अक्टूबर 1997 के परिपत्र सं.सीपीसी.बीसी.165/07.01.279/97-98 के पैरा 17(ई) की ओर आकर्षित किया जाता है।

Please refer to our directive DBOD.No.Dir. BC. 151/C. 347/85 dated December 27, 1985. as amended from time to time. In this connection, attention is invited to paragraph 17 (e) of Governor's circular No. CPC.BC.165/07.01.279/96-97 dated October 21, 1997.

2. वर्तमान में घरेलू मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें 30 दिन और 1 वर्ष तक की परिपक्वता अवधि के लिए "बैंक दर से दो प्रतिशत अंक कम वार्षिक से अधिक नहीं" निर्धारित की गयी हैं, जबकि एक वर्ष से अधिक की घरेलू मीयादी जमाराशियों पर बैंक अपनी ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। बैंकों को मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें निर्धारित करने की पूरी स्वतंत्रता देने की दृष्टि से, 22 अक्टूबर 1997 से बैंक 30 दिन और अधिक की घरेलू मीयादी जमाराशियों पर अपनी ब्याज दरें निर्धारित करने के

2. At present, interest rates on domestic term deposits with a maturity of 30 days and upto one year are prescribed at 'Not exceeding Bank Rate minus 2 percentage points per annum' while banks are free to fix the interest rate on domestic term deposits of over one year. With a view to giving banks full freedom to determine the interest rates on term deposits, effective October 22, 1997, banks are free to fix their own interest rates on domestic term deposits of 30 days and over. Banks should obtain the prior approval from

लिए स्वतंत्र हैं। विभिन्न परिपक्वताओं की जमाराशियों पर प्रस्तावित ब्याज दरों के लिए बैंकों को अपने संबंधित बोर्ड से पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए। फलस्वरूप, बैंक जमाराशियों पर निश्चित दर अथवा एक आधार दर (एँकर रेट) से स्पष्टतः संबद्ध अस्थायी दर पर ब्याज दे सकते हैं। बैंक नयी जमाराशियों और परिपक्व हो रही जमाराशियों के नवीकरण पर नयी दरों पर ब्याज दे सकते हैं।

3. प्रत्येक बैंक अपनी सभी शाखाओं और सभी ग्राहकों के लिए एक समय में एक समान ब्याज दर ही अपनाएँ।

4. इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गये अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

5. दिनांक 21 अक्टूबर 1997 का संशोधनकारी निदेश बैंपविचि.सं.डीआइआर.बीसी.119/13.01.01/97 संलग्न है।

भवदीय,

(एम.पी. कोठारी)

महा प्रबंधक

their respective Boards for the interest rates they will be offering on deposits of various maturities. Consequently, banks may offer a fixed rate on deposits or a floating rate clearly linked to an anchor rate. Banks may offer new rate on fresh deposits and on renewal of maturing deposits.

3 At any point of time, individual banks should adopt uniform rates at all their branches and for all customers..

4. All other instructions issued from time to time in this regard will remain unchanged.

5. Amending directive DBOD.No.Dir.BC. 119/13.01.01/97 dated October 21, 1997 is enclosed.

Yours faithfully,

(M.P. Kothari)
General Manager.

21 अक्टूबर 1997
29 आश्विन 1919 (शक)

October 21, 1997
Ashwina 29, 1919 (Saka)

जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समय-समय पर यथासंशोधित 27 दिसंबर 1985 के अपने निदेश डीबीओडी.सं.डीआइआर.बीसी.151/सी.347-85 में संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा यह निदेश देता है कि ऊपर उल्लिखित निदेश का अनुबंध I संलग्न संशोधित अनुबंध से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

2. यह संशोधन 22 अक्टूबर 1997 से लागू होगा।

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

INTEREST RATES ON DEPOSITS

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and in modification of its directive DBOD.No.Dir.BC. 151/C. 347/85 dated December 27, 1985, as amended from time to time, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that the Annexure - I to the aforesaid directive shall be substituted by the enclosed revised Annexure.

2. The amendment shall be effective from **October 22, 1997.**

(S. Gurumurthy)
Executive Director

अनुबंध - I

जमाराशियों पर 22 अक्टूबर 1997 से
लागू ब्याज दर

(अनिवासी जमाराशियों को छोड़कर)

ANNEXURE - I

Rate of interest on deposits applicable
with effect from October 22, 1997.

(Excluding Non-Resident Deposits)

खाते की श्रेणी	प्रतिशत वार्षिक	Category of Account	Per cent per annum
(i) चालू	शून्य	(i) Current	Nil
(ii) बचत	4.5	(ii) Savings	4.5
(iii) सावधि जमाराशियां		(iii) Term deposits	
30 दिन और उससे अधिक	स्वतंत्र	30 days and over	Free

.....

.....

बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 122/ 13.01.01/97

DBOD No.Dir. BC. 122 / 13.01.01 / 97

21 अक्टूबर 1997
29 आश्विन 1919 (शक)

October 21, 1997
Ashwina 29, 1919 (Saka)

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक

All Public Sector Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sirs,

जमाराशियों पर ब्याज दरें-
पूंजी लाभ खाता योजना, 1988

INTEREST RATES ON DEPOSITS-
CAPITAL GAINS ACCOUNTS SCHEME,
1988

कृपया आप 25 जून 1997 की हमारी अधिसूचना बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.71/13.01.01/97 देखें, जिसके अनुसार भारत सरकार द्वारा लागू की गयी पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 के अंतर्गत जमा की गयी राशियों पर ब्याज - दरें बैंकों को सूचित की गयी हैं। हमने इन दरों की समीक्षा की है और संशोधित ब्याज दरों की हमारी 21 अक्टूबर 1997 की अधिसूचना बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 121/13.01.01/97 संलग्न है। संशोधित ब्याज दरें **22 अक्टूबर 1997** से लागू होंगी।

Please refer to our Notification DBOD.No.Dir.BC. 71/13:01:01/97 dated June 25, 1997 in terms of which the banks were advised of the rates of interest on deposits made under Capital Gains Accounts Scheme, 1988, introduced by Government of India. We have reviewed these rates and our Notification DBOD.No. Dir.BC.121/ 13.01.01/97 dated October 21, 1997 advising the revised rates of interest is enclosed. The revised rates will come into effect from **October 22, 1997.**

2. इस संबंध में, जमाराशियों पर ब्याज दरों से संबंधित 21 अक्टूबर 1997 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं. डीआइआर.बीसी. 120/13.01.01/97 की विषयवस्तु की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. In this connection, a reference is invited to the contents of our circular DBOD.No.Dir.BC.120 / 13.01.01/97 dated October 21, 1997 on interest rates on deposits.

भवदीय,

Yours faithfully,

(एम.पी. कोठारी)
महा प्रबंधक

(M.P. Kothari)
General Manager

बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी.121 / 13.01.01/97

DBOD No. Dir. 121 / 13.01.01 / 97

21 अक्टूबर 1997
29 आश्विन 1919 (शक)

October 21, 1997
Ashwina 29, 1919 (Saka)

अधिसूचना

जमाराशियों पर ब्याज दरें- पूंजी लाभ खाता योजना, 1988

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क और पूंजी लाभ खाता योजना (कैपिटल गेन्स एकाउंट्स स्कीम), 1988 के पैराग्राफ 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 25 जून 1997 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि.सं. डीआइआर. बीसी. 71/ 13.01.01/97 में संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 के अंतर्गत खाता अ और खाता आ में जमा की गयी राशियों पर बैंकों द्वारा अदा किया जानेवाला ब्याज 22 अक्टूबर 1997 से निम्नलिखित होगा :

खाते की श्रेणी	प्रतिशत वार्षिक
(i) खाता - अ	4.5
(ii) खाता - आ	
30 दिन और उससे अधिक	स्वतंत्र

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

INTEREST RATES ON DEPOSITS - CAPITAL GAINS ACCOUNTS SCHEME, 1988

In exercise of the powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and paragraph 8 of the Capital Gains Accounts Scheme, 1988 and in modification of its Notification DBOD.No.Dir.BC.71/ 13:01:01/97 dated June 25, 1997, Reserve Bank of India, hereby specifies that the interest paid by the banks on deposits made in Account A and B under the Capital Gains Accounts Scheme, 1988 shall be as hereunder, effective October 22, 1997.

Category of Account	Per cent per annum
(i) Account 'A'	4.5
(ii) Account 'B'	
30 days and over	Free

(S. Gurumurthy)
Executive Director

21 अक्टूबर 1997
29 आश्विन 1919 (शक)

October 21, 1997
Ashwina 29, 1919 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

**All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)**

Dear Sir,

प्रिय महोदय,

जमा प्रमाणपत्र

CERTIFICATES OF DEPOSIT (CDs)

कृपया आप जमा प्रमाणपत्रों से संबंधित 22 अप्रैल 1997 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी. बीसी. 49/21.03.053/97 देखें।

Please refer to our circular DBOD.No. BP.BC.49/21.03.053/97 dated April 22, 1997 on Certificates of Deposit (CDs).

2. जैसा कि गवर्नर महोदय के 21 अक्टूबर 1997 के परिपत्र सं.सीपीसी.बीसी. 165/07.01.279/97-98 के पैराग्राफ 17 (आइ) (ii) में उल्लेख किया गया है, एकल निवेशक को जारी किये जानेवाले जमा प्रमाणपत्रों का न्यूनतम आकार मौजूदा रु. 10 लाख से घटाकर रु. 5 लाख कर दिया गया है। रु.5 लाख से अधिक राशि के जमा प्रमाणपत्र रु. 1 लाख के गुणजों में होंगे। यह राशि जारी किये गये जमा प्रमाणपत्रों के अंकित मूल्य (अर्थात परिपक्वता मूल्य) से संबंधित है।

2. As indicated in paragraph 17(1)(ii) of Governor's circular No. CPC.BC.165/07.01.279/97-98 dated October 21, 1997, the minimum size of issue of certificates of deposit (CDs) to a single investor has been reduced from the existing Rs.10 lakhs to Rs. 5 lakhs. The CDs above Rs. 5 lakhs will be in multiples of Rs. 1 lakhs. The amount relates to face value (i.e. maturity value) of CDs issued.

3. बैंकों द्वारा जारी किये जानेवाले जमा प्रमाणपत्रों से संबंधित सभी अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

3. All other terms and conditions relating to issue of CDs by banks remain unchanged.

भवदीया,

Yours faithfully,

(श्रीमती श्यामला गोपीनाथ)
अपर मुख्य महा प्रबंधक

(Smt. Shyamala Gopinath)
Additional Chief General Manager.

बैंपवि सं. डीआइआर.बीसी. 140 / 13.01.09/97

DBOD No. Dir. BC. 140 / 13.01.09 / 97

21 अक्टूबर 1997
29 आश्विन 1919 (शक)

October 21, 1997
Ashwina 29, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक

All Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sirs,

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना
के अंतर्गत रखी गयी जमाराशियों पर ब्याज दरें-एफ
सी एन आर(बी) योजना

**INTEREST RATES ON DEPOSITS
HELD UNDER FOREIGN CURRENCY
(NON-RESIDENT) ACCOUNTS (BANKS)
SCHEME - FCNR (B) SCHEME**

Please refer to our circular DBOD No.Dir.BC. 41/13.01.09/97 dated April 15, 1997 on the captioned subject. In this connection attention is invited to paragraph 17 (f) of Governor's Circular No. CPC. BC 165/07.01.279/97-98 dated October 21, 1997.

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 15 अप्रैल 1997 का हमारा परिपत्र बैंपवि.सं.डीआइआर. बीसी. 41/13.01.09/97 देखें। इस संबंध में 21 अक्टूबर 1997 के गवर्नर महोदय के परिपत्र सं.सीपीसी.बीसी. 165/07.01.279 97-98 के पैरा 17(एफ) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. वर्तमान में, बैंकों को विशिष्ट मुद्राओं/परिपक्वता अवधियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित उच्चतम सीमाओं के अधीन विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता योजना के अंतर्गत रखी गयी जमाराशियों पर ब्याज दरें निश्चित करने की अनुमति दी गयी है। बैंकों को इस संबंध में और अधिक लचीलापन प्रदान करने के दृष्टिकोण से यह निर्णय किया गया है कि बैंक ऐसी जमाराशियों पर संबंधित परिपक्वता अवधि और मुद्रा के लिए पिछले सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस को प्रचलित लिबोर/स्वैप

2. Presently, banks are permitted to determine interest rates on deposits held under Foreign Currency Non-Resident (Banks) Accounts [FCNR(B)] Scheme subject to ceilings prescribed by RBI for specified currencies/maturities from time to time. With a view to providing further flexibility to banks, it has been decided that banks may offer interest on such deposits at rates not more than LIBOR/SWAP rates prevailing on the last working day of the previous week for the relevant maturity and currency. Subject to this guidelines.

दरों से अनधिक ब्याज दरें दे सकते हैं। इस दिशा-निर्देश के अधीन, बैंक ऐसी जमाराशियों पर या तो निश्चित या अस्थिर ब्याज दरें दे सकते हैं। अस्थिर दर जमाराशियों के लिए ब्याज पुनर्निर्धारण अवधि छह महीना होनी चाहिए।

3. किसी भी समय, प्रत्येक बैंक को अपनी सभी शाखाओं में और सभी ग्राहकों के लिए एकसमान दरें अपनानी चाहिए।

4. संबंधित निदेश के अनुपालन पर निगरानी रखने के लिए ब्याज दरें निर्धारित करते समय बैंक अपने द्वारा अपनायी गयी लिबोर/स्वैप दरों से संबंधित जानकारी का स्रोत सूचित करें और उसकी सूचना बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को उनकी जानकारी और रिकार्ड के लिए दें।

5. 21 अक्टूबर 1997 का एक संशोधनकारी निदेश बैंपविवि.सं. डीआइआर. बीसी. 139/13.01.09/97 संलग्न है।

भवदीय,

(एम.पी. कोठारी)
महा प्रबंधक

banks may offer either fixed or floating rates of interest on such deposits. For floating rate deposits, the interest reset period shall be six months.

3. At any point of time, individual banks should adopt uniform rates at all their branches and for all customers.

4. In order to monitor compliance of the directive, banks may indicate the source of information on LIBOR/SWAP rates used by them while fixing the interest rates and communicate the same to the Department of Banking Supervision, Reserve Bank of India for information and record.

5. An amending directive DBOD. No. Dir. BC 139/13.01.09/97 dated October 21, 1997, is enclosed.

Yours faithfully,

(M.P. Kothari)
General Manager

21 अक्टूबर 1997
29 आश्विन 1919 (शक)

October 21, 1997
Ashwina 29, 1919 (Saka)

**विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना
के अंतर्गत रखी गयी जमाराशियों पर ब्याज दरें**

**INTEREST RATES ON DEPOSITS
HELD UNDER FOREIGN CURRENCY
NON-RESIDENT ACCOUNTS (BANKS)
SCHEME**

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 21 और 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों से संबंधित दिनांक 29 अप्रैल 1993 के निदेश डीबीओडी.सं.बीसी 115/13.01.09/93 के पैराग्राफ (vi) का आशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित के लिए आवश्यक है, इसके द्वारा निदेश देता है कि **22 अक्टूबर 1997** से विदेशी मुद्रा में व्यापार करने के लिए प्राधिकृत अनुसूचित वाणिज्य बैंक उनके द्वारा विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकार की गयी जमाराशियों पर निम्नानुसार स्थिर/अस्थिर ब्याज दर अदा करेंगे :

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A read with Section 56 of Banking Regulation Act, 1949 and in modification of paragraph (vi) of directive DBOD No. BC 115/13.01.09/93 dated April 29, 1993, as amended from time to time, relating to deposits accepted under Foreign Currency Non-Resident Accounts (Banks) Scheme, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary in the public interest to do so, hereby directs that, with effect from **October 22, 1997**, scheduled commercial banks authorised to deal in foreign exchange shall pay fixed/floating rate of interest on deposits accepted by them under Foreign Currency Non-Resident Accounts (Banks) Scheme as under :

(i) छह महीने और उससे अधिक लेकिन एक वर्ष से कम की अवधि की जमाराशियों के संबंध में और अस्थिर दर वाली जमाराशियों के संबंध में संबंधित मुद्रा/परिपक्वता के लिए लिबोर की उच्चतम सीमा के अंतर्गत ब्याज का भुगतान किया जाएगा। अस्थिर ब्याज वाली जमाराशियों के लिए ब्याज रीसेट अवधि छह महीनों की होगी।

(i) In respect of deposits of six months and above but less than one year, and floating rate deposits, interest shall be paid within the ceiling of LIBOR for the respective currency/maturity. For floating rate deposits, the interest reset period shall be six months.

(ii) एक वर्ष और उससे अधिक अवधि की परिपक्वतावाली जमाराशियों के संबंध में ब्याज का भुगतान संबंधित मुद्रा/परिपक्वता के लिए स्वैप दरों की उच्चतम सीमा के अंतर्गत किया जाएगा।

(iii) पिछले सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस को यथा-विद्यमान लिबोर/स्वैप दरें अगले सप्ताह के लिए प्रभावी ब्याज दरों की उच्चतम दरें होंगी।

2. समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 11 सितंबर 1986 के निदेश डीबीओडी.सं.डीआईआर.बीसी. 95/सी (I) 86 और दिनांक 29 अप्रैल 1993 के निदेश डीबीओडी.सं.डीआईआर.बीसी 115/13.01.09/93 के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

(ii) In respect of deposits for maturity of one year and above, the interest shall be paid within the ceiling of Swap rates for the respective currency/maturity.

(iii) The LIBOR/Swap rates as on the last working day of the preceding week would be the ceiling rates for the interest rates that would be offered effective the following week.

2. All other provisions of directives DBOD No. DIR.BC.95/C(1)-86 dated September 11, 1986 and also directive DBOD No. BC. 115/13.01.09/93 dated April 29, 1993, as amended from time to time, shall remain unchanged.

(वि. सुब्रह्मण्यम)

कार्यपालक निदेशक

(V. Subrahmanyam)

Executive Director

भाग III

ऋण नीति/बैंकों को पुनर्वित्त की समीक्षा

SECTION III

REVIEW OF CREDIT POLICY/ REFINANCE TO BANKS

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी.17/24.91.001/96-97

DBOD No. FSC. BC. 17 / 24.91.001 / 97

3 मार्च 1997
12 फाल्गुन 1918 (शक)

March 3, 1997
Phalguna 12, 1918 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक और माँग/सूचना मुद्रा बाजार में
सहभागिता के लिए अनुमत अन्य संस्थाएँ

All Commercial Banks and other
Institutions permitted to participate in
Call/Notice Money Market

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

माँग/सूचना मुद्रा बाजार और बिल पुनर्भुनाई योजना
में सहभागिता के लिए अनुमति -
निजी क्षेत्र म्युचुअल फंड

**PERMISSION TO PARTICIPATE IN
CALL/NOTICE MONEY MARKET AND
BILLS REDISCOUNTING SCHEME -
PRIVATE SECTOR MUTUAL FUNDS**

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 30 सितंबर 1996
का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 124/
24.91.001/95-96 देखें। यह निर्णय किया गया है
कि 'सुंदरम म्युचुअल फंड' को केवल उधारदाता के
रूप में माँग/सूचना मुद्रा बाजार (रात भर की माँग मुद्रा
और 14 दिन तक की अवधिवाली अल्प सूचना मुद्रा)
तथा बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने की अनुमति
प्रदान की जाये।

Please refer to our circular DBOD
No.FSC.BC. 124/24.91.001/95-96 dated Sep-
tember 30, 1996 on the above subject. It has
been decided to permit 'Sundaram Mutual
Fund' to participate **only as a lender** in the
Call/Notice Money Market (overnight call
money and short notice money for period upto
and including 14 days) and Bills Rediscount-
ing Scheme.

भवदीय,

Yours faithfully,

(बी.एस.एम.आचार्य)
महा प्रबंधक

(B.S.M. Acharya)
General Manager

9 अप्रैल 1997
19 चैत्र 1919 (शक)

April 9, 1997
Chaitra 19, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक और माँग/सूचना मुद्रा बाजार में
सहभागिता के लिए अनुमत अन्य संस्थाएँ

All Commercial Banks and other
institutions permitted to participate in Call/
Notice Money Market.

प्रिय महोदय,

Dear Sirs,

माँग/सूचना मुद्रा बाजार और बिल पुनर्भुनाई योजना
में सहभागिता के लिए अनुमति -
निजी क्षेत्र म्युचुअल फंड

**PERMISSION TO PARTICIPATE IN
CALL/NOTICE MONEY MARKET AND
BILLS REDISCOUNTING SCHEME -
PRIVATE SECTOR MUTUAL FUNDS**

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 3 मार्च 1997 का
हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 17/
24.91.001/96-97 देखें। यह निर्णय किया गया है
कि 'डीएसपी मेरिल लिंच म्युचुअल फंड' को केवल
उधारदाता के रूप में माँग/सूचना मुद्रा बाजार (रात
भर की माँग मुद्रा और 14 दिन तक की अवधिवाली
अल्प सूचना मुद्रा) तथा बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग
लेने की अनुमति प्रदान की जाये।

Please refer to our circular DBOD
No.FSC.BC. 17/24.91.001/97 dated March
03, 1997 on the above subject. It has been
decided to permit 'DSP Merrill Lynch Mutual
Fund' to participate **only as a lender** in the
Call/Notice Money Market (overnight call
money and short notice money for period upto
and including 14 days) and Bills
Rediscounting Scheme.

भवदीय,

Yours faithfully,

(बी.एस.एम.आचार्य)
महा प्रबंधक

(B.S.M. Acharya)
General Manager

21 अक्टूबर 1997
29 आश्विन 1919 (शक)

October 21, 1997
Ashwina 29, 1919 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sirs,

शेयरों और डिबेंचरों/बांडों की जमानत पर अग्रिम

ADVANCES AGAINST SHARES AND
DEBENTURES /BONDS

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 7 अप्रैल 1993 का हमारा परिपत्र बैंपवि.सं.बीसी. 105/21.01.001/93 देखें, जिसके अनुसार अलग-अलग व्यक्तियों को शेयरों और डिबेंचरों/बांडों की जमानत पर ऋण देने के संबंध में 8 अप्रैल 1993 से 50 प्रतिशत का न्यूनतम मार्जिन रखने की शर्त लगायी गयी थी। 21 अक्टूबर 1997 के गवर्नर महोदय के परिपत्र सं.सीपीसी.बीसी.165/07.01.279/97-98 के पैरा 17 (पी) में किये गये उल्लेख के अनुसार यह निर्णय किया गया है कि बैंकों को कंपनी निकायों के अधिमान शेयरों और डिबेंचरों/बांडों की जमानत पर अलग-अलग व्यक्तियों को दिये जानेवाले ऋणों के संबंध में मार्जिन निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी जाये।

Please refer to our circular DBOD No.BC. 105/21.01.001/93 dated April 7, 1993 in terms of which a minimum margin of 50 per cent was stipulated on loans to individuals against shares and debentures/bonds effective from April 8, 1993. As indicated in paragraph 17(p) of Governor's circular No. CPC. BC 165/07.01.279/97-98 dated October 21, 1997. It has been decided to give freedom to banks to stipulate margins on loans to individuals against preference shares and debentures/bonds of corporate bodies.

2. फिर भी, ईक्विटी शेयरों की जमानत पर अलग-अलग व्यक्तियों को दिये जानेवाले ऋणों पर 50 प्रतिशत का न्यूनतम मार्जिन अब तक की तरह जारी रहेगा।

2. However, the minimum margin on loans to individuals against equity shares will continue to be 50 per cent as hitherto..

3. ये अनुदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किये जा रहे हैं।

3. These instructions are issued in exercise of powers conferred on Reserve Bank of India by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949.

भवदीय,

Yours faithfully,

(एम.पी. कोठारी)
महा प्रबंधक

(M.P. Kothari)
General Manager

**भाग IV
निवेश**

**SECTION IV
INVESTMENTS**

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 5 /24.76.002/96-97

10 जनवरी 1997
19 पौष 1918 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक,
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 16 दिसंबर 1996 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 159/24.76.002/95-96 देखें।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब 13.40 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1999 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर खातों (एसजीएल) के माध्यम से किये जायें।

3. इस संबंध में जारी किया गया 10 जनवरी 1997 का एक निदेश बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 4/ 24.76.002/96-97 संलग्न है।

भवदीय,

(अमलेंदु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

DBOD No. FSC. BC. 5 / 24.76.002 / 95-96

January 10, 1997
Pausha 19, 1918 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
all Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD- No.FSC.BC. 159/24.76.002/95-96 dated December 16, 1996 on the above subject.

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved 13.40 percent Government Stock 1999 for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.
3. A directive DBOD.No.FSC.BC. 4/ 24.76.002./95-96 dated 10th January 1997 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Chief General Manager

10 जनवरी 1997
19 पौष 1918 (शक)

January 10, 1997
Pausha 19, 1918 (Saka)

हाज़िर वायदा लेनदेन

READY FORWARD TRANSACTIONS

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद “बैंक” के रूप में उल्लिखित ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 425 (ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ.2561 के अनुसरण में 13.40 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1999 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अतः बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 13.40 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1999 के हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

1. बैंक 13.40 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1999 के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे;

As the Reserve Bank of India (hereinafter referred to as the ‘Bank’) has in terms of Notification No.S.O. 2561 dated June 27, 1969 as amended vide Notification No.S. 0.425 (E) dated June 1, 1994, and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 approved the 13.40 percent Government Stock 1999 for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 13.40 percent Government Stock 1999 subject to the condition that:

(i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 13.40 per-cent Government Stock 1999 only at Mumbai.

2. ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायेंगे।

(ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(जे.आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

(J.R. Prabhu)
Executive Director

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 19 /24.76.002/97

DBOD No. FSC. BC. 19 / 24.76.002 / 97

3 मार्च 1997
12 फाल्गुन 1918 (शक)

March 3, 1997
Phalguna 12, 1918 (S)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक,
सभी वाणिज्य बैंक

The Chairmen/Chief Executives of
all Commercial Banks

Dear Sir,

प्रिय महोदय,

READY FORWARD TRANSACTIONS

हाज़िर वायदा लेनदेन

Please refer to our circular DBOD No.FSC.BC. 5/24.76.002/97 dated January 10, 1997 on the above subject

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 10 जनवरी 1997 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 5/24.76.002/96-97 देखें।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित द्विनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब 13.65 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2007 को हाज़िर

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved 13.65 percent Government Stock 2007 for the purpose of ready forward contracts.

वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर खातों (एसजीएल) के माध्यम से किये जायें।

3. इस संबंध में जारी किया गया 3 मार्च 1997 का एक निदेश बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 18/24.76.002/96-97 संलग्न है।

भवदीय,

(अमलेंदु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD.No.FSC.BC. 18/24.76.002./97 dated 3rd March 1997 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Chief General Manager

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 18/24.76.002/95-96

3 मार्च 1997
12 फाल्गुन 1918 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद “बैंक” के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं.एस.ओ.425 (ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

DBOD No. FSC.BC. 18/24.76.002/95-96

March 3, 1997
Phalguna 12, 1918 (S)

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India (hereinafter referred to as the ‘Bank’) has in terms of Notification No.S.O. 2561 dated June 27, 1969 as amended vide Notification No.S. 0.425 (E) dated June 1, 1994, and issued by the Central Government in exercise of the powers con-

हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ.2561 के अनुसरण में 13.65 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2007 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अतः बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 13.65 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2007 के हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

1. बैंक 13.65 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2007 के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे;

2. ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायेंगे।

ferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 approved the 13.65 percent Government Stock 2007 for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 13.65 percent Government Stock 2007 subject to the condition that:

(i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 13.65 percent Government Stock 2007 only at Mumbai.

(ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(जे.आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

(J.R. Prabhu)
Executive Director

15 अप्रैल 1997
25 चैत्र 1919 (शक)

April 15, 1997
Chaitra 25, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक

All Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sirs,

कंपनी निकायों के शेयरों और डिबेंचरों
में निवेश और हामीदारी

**INVESTMENTS IN AND
UNDERWRITING OF SHARES AND
DEBENTURES OF CORPORATE
BODIES**

कृपया आप 18 मई 1994 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं.डीआइआर.बीसी. 61/13.07.05/94 देखें, जिसके अनुसार वर्तमान में बैंकों को उनकी पिछले वर्ष की वृद्धिशील जमाराशियों का 5 प्रतिशत तक निजी कंपनी निकायों के शेयरों और डिबेंचरों/बांडों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों में निवेश करने की अनुमति दी गयी है। इसी उच्चतम सीमा के भीतर 25 अक्टूबर 1996 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी.145/13.07.05/96 के अनुसार बैंकों को द्वितीयक बाजार में शेयरों और डिबेंचरों/बांडों की खरीद करने की अनुमति भी दी गयी है।

Please refer to our circular DBOD No.Dir.BC. 61/13.07.05/94 dated May 18, 1994 in terms of which banks are at present allowed to invest in shares and debentures/bonds of private corporate bodies and PSU shares upto 5 per cent of their incremental deposits of the previous year. Within this ceilings, banks are also allowed to purchase shares and debentures/bonds in the secondary market, as per our circular DBOD. No. Dir.BC. 145/13.07.05/96 dated October 25, 1996.

2. अब यह निर्णय किया गया है कि निजी कंपनी निकायों के अधिमान शेयरों और अपरिवर्तनीय डिबेंचरों/बांडों में किये गये निवेशों को इस सीमा से अलग कर दिया जाये। दूसरे शब्दों में, 5 प्रतिशत की सीमा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित कंपनियों के साधारण शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेश के लिए लागू होगी (गवर्नर महोदय के 15 अप्रैल 1997 के परिपत्र

2. It has now been decided to exclude from this limit, investments in preference shares and non-convertible debentures/bonds of private corporate bodies. In other words, the limit of 5 per cent will be applicable for investments in ordinary shares/convertible debentures of corporates, including PSU shares (vide paragraph 17(i) of Governor's

सं.सीपीसी.बीसी. 162/07.01.279/96-97 का
पैराग्राफ 17(i) देखें)

3. इस संबंध में हमारे 25 जनवरी 1994 के परिपत्र
बैंपविवि.सं. निदेश बीसी.4/13.07.05/94 और 28
दिसंबर, 1994 के परिपत्र बैंपविवि.सं. डीआईआर.
बीसी.151/13.07.05/94 की ओर भी ध्यान आकर्षित
किया जाता है, जिनके अनुसार बैंक बिना किसी उच्चतम
सीमा के अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की ईक्विटी/
बांडों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमां द्वारा जारी किये
गये बांडों में निवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं।

4. एकल उधारकर्ता और उधारकर्ता समूह के लिए
ऋण जोखिम के विवेकपूर्ण मानदंडों के निर्धारण के
प्रयोजन हेतु शेयरों और डिबेंचरों/बांडों में किये जानेवाले
निवेशों को वर्तमान की तरह हिसाब में लिया जाये,
जैसा कि 26 मई 1989 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं.
बीपी.बीसी. 132/66-89 में निर्दिष्ट है।

5. दिनांक 18 मई 1994 के परिपत्र में निहित तथा
समय-समय पर यथासंशोधित उपर्युक्त विषयक अन्य
सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीया,

(श्यामला गोपीनाथ)
अपर मुख्य महा प्रबंधक

circular No. CPC. BC. 162/07.01.279/96-97
dated April 15, 1997.)

3. In this connection, a reference is also in-
vited to our circulars DBOD.No. Dir.BC 4/
13.07.05/94 dated January 25, 1994 and
DBOD.No. Dir.BC.151/13.07.05/94 dated
December 28, 1994 in terms of which banks
are free to invest in .equities/bonds of All In-
dia Financial Institutions and in bonds issued
by Public Sector Undertakings without any
ceiling.

4. Investments in shares and debentures/
bonds should, as hitherto, be reckoned for the
purpose of arriving at the prudential norms of
credit exposure for single borrower and group
of borrowers as stipulated in our circular
DBOD.No.BP.BC.132/66-89 dated 26 May
1989.

5. All other instructions on the subject con-
tained in the circular dated May 18, 1994 as
amended from time to time, will remain un-
changed.

Yours faithfully,

(Shyamala Gopinath)
Additional Chief General Manager

29 अप्रैल 1997
9 वैशाख 1919 (शक)

April 29, 1997
Vaisakha 9, 1919 (Saka)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक,
सभी वाणिज्य बैंक

The Chairmen/Chief Executives of
all Commercial Banks

Dear Sir,

प्रिय महोदय,

READY FORWARD TRANSACTIONS

हाज़िर वायदा लेनदेन

Please refer to our circular DBOD No. FSC.BC. 19/24.76.002/97 dated March 3. 1997 on the above subject

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 3 मार्च 1997 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 19/24.76.002/97 देखें।

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved 13.05 per cent Government Stock, 2007 (I and II issues) for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब 13.05 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2007 (I और II निर्गम) को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर खातों (एसजीएल) के माध्यम से किये जायें।

3. A directive DBOD.No.FSC.BC. 53/24.76.002./97 dated 29th April 1997 issued in this regard is enclosed.

3. इस संबंध में जारी किया गया 29 अप्रैल 1997 का एक निदेश बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 53/24.76.002/96-97 संलग्न है।

Yours faithfully,

भवदीय,

(A. Ghosh)
Chief General Manager

(अमलेंदु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

29 अप्रैल 1997
9 वैशाख 1919 (शक)

April 29, 1997
Vaisakha 9, 1919 (S)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद “बैंक” के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं.एस.ओ.425 (ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ.2561 के अनुसरण में 13.05 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2007 (I और II निर्गम) को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अतः बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 13.05 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2007 (I और II निर्गम) के हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

1. बैंक 13.05 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2007 (I और II निर्गम) के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे;

2. ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायेंगे।

(जे.आर. प्रभु)

कार्यपालक निदेशक

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India. (hereinafter referred to as the ‘Bank’) has in terms of Notification No.S.O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No.S. 0.425 (E) dated June 1, 1994, and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 approved the 13.05 per cent Government Stock 2007 (I & II Issues) for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 13.05 per cent Government Stock 2007 (I & II issues) subject to the condition that:

(i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 13.05 percent Government Stock 2007 (I & II Issues) only at Mumbai.

(ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(J.R. Prabhu)

Executive Director

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 57/24.76.002/96-97

DBOD No. FSC. BC. 57/24.76.002/96-97

20 मई 1997

30 वैशाख 1919 (शक)

May 20, 1997

Vaisakha 30, 1919 (S)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक,
सभी वाणिज्य बैंक

The Chairmen/Chief Executives of
all Commercial Banks

प्रिय महोदय.

Dear Sir,

हाज़िर वायदा लेनदेन

READY FORWARD TRANSACTIONS

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 29 अप्रैल 1997 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 54/24.76.002/96-97 देखें।

Please refer to our circular DBOD No.FSC.BC. 54/24.76.002/97 dated April 29, 1997 on the above subject.

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब 12.69 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2002 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर खातों (एसजीएल) के माध्यम से किये जायें।

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved 12.69 percent Government Stock 2002 for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. इस संबंध में जारी किया गया 20 मई 1997 का एक निदेश बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 56/24.76.002/96-97 संलग्न है।

3. A directive DBOD.No.FSC.BC. 56/24.76.002./97 dated 20th May 1997 issued in this regard is enclosed.

भवदीय,

Yours faithfully,

(अमलेंदु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

(A. Ghosh)
Chief General Manager

20 मई 1997

30 वैशाख 1919 (शक)

May 20, 1997

Vaisakha 30, 1919 (Saka)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं.एस.ओ.425 (ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ.2561 के अनुसरण में 12.69 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2002 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अतः बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 12.69 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2002 के हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

1. बैंक 12.69 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2002 के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे;
2. ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायेंगे।

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India (hereinafter referred to as the 'Bank') has in terms of Notification No.S.O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No.S.O.425 (E) dated June 1, 1994, and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved the 12.69 percent Government Stock 2002 for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 12.69 per cent Government Stock 2002 subject to the condition that:

- (i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 12.69 per cent Government Stock 2002 only at Mumbai.
- (ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(S. Gurumurthy)
Executive Director

28 मई 1997
7 ज्येष्ठ 1919 (शक)

May 28, 1997
Jyestha 7, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक

All Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sirs,

कंपनी निकायों के शेयरों और डिबेंचरों
में निवेश और हामीदारी

**INVESTMENTS IN AND
UNDERWRITING OF SHARES AND
DEBENTURES OF CORPORATE
BODIES**

कृपया आप 15 अप्रैल 1997 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 42/13.07.05/97 देखें, जिसके अनुसार निजी कंपनी निकायों के अधिमान शेयरों और अपरिवर्तनीय डिबेंचरों/बांडों में बैंकों के निवेशों को कंपनी शेयरों और डिबेंचरों में निवेशों के लिए निर्धारित पिछले वर्ष की वृद्धिशील जमाराशियों के 5 प्रतिशत की सीमा से बाहर रखा गया है। यह निर्णय किया गया है कि पारस्परिक निधियों की उन स्कीमों के अंतर्गत यूनिटों में निवेशों को भी इस सीमा से बाहर रखा जाये, जहां उनकी राशि एकमात्र कंपनी ऋण लिखतों में ही निवेश की जाती है। परिणामस्वरूप वृद्धिशील जमाराशियों की 5 प्रतिशत की उक्त सीमा अब सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों सहित कंपनियों के साधारण शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा पारस्परिक निधियों की उन स्कीमों के यूनिटों में किये गये निवेशों पर लागू होगी जिन यूनिटों की राशि एकमात्र रूप से कंपनी ऋण लिखतों में ही निवेश के लिए नहीं है।

Please refer to our circular DBOD No. Dir. BC. 42/13.07.05/97 dated April 15, 1997, in terms of which banks' investments in preference shares and non-convertible debentures/bonds of private corporate bodies are excluded from the limit of 5% of incremental deposits of the previous year prescribed for investments in corporate shares and debentures. It has been decided to exclude from this limit, investments in units of Mutual Funds under schemes where the corpus is invested exclusively in debt instruments. Consequently, the limit of 5% of incremental deposits will now be applicable to investments in ordinary shares, including PSU shares and convertible debentures of corporates and in Units of Mutual Fund Schemes the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt instruments.

2. इस विषय पर समय-समय पर जारी किये गये अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित हैं।

2. All other instructions on the subject issued from time to time remain unchanged.

भवदीया,

Yours faithfully,

(श्यामला गोपीनाथ)
अपर मुख्य महा प्रबंधक

(Shyamala Gopinath)
Additional Chief General Manager

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 66/24.76.002/97

DBOD No. FSC. BC. 66/24.76.002/97

5 जून 1997
15 ज्येष्ठ 1919 (शक)

June 5, 1997
Jyestha 15, 1919 (Saka)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक,
सभी वाणिज्य बैंक

The Chairmen/Chief Executives of
all Commercial Banks

Dear Sir,

प्रिय महोदय,

READY FORWARD TRANSACTIONS

हाज़िर वायदा लेनदेन

Please refer to our circular DBOD No.FSC.BC. 57/24.76.002/97 dated May 20, 1997 on the above subject

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 20 मई 1997 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 57/24.76.002/96-97 देखें।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब 12.14 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2000 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर खातों (एसजीएल) के माध्यम से किये जायें।

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved 12.14 per cent Government Stock 2000 for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. इस संबंध में जारी किया गया 5 जून 1997 का एक निदेश बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 65/24.76.002/96-97 संलग्न है।

3. A directive DBOD.No.FSC.BC. 65/24.76.002./97 dated 5th June 1997 issued in this regard is enclosed.

भवदीय,

Yours faithfully,

(अमलेंदु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

(A. Ghosh)
Chief General Manager

5 जून 1997
15 ज्येष्ठ 1919 (शक)

June 5, 1997
Jyestha 15, 1919 (Saka)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं.एम.ओ.425 (ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ.2561 के अनुसरण में 12.14 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2000 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अतः बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 12.14 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2000 के हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

1. बैंक 12.14 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2000 के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे;
2. ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायेंगे।

(एस. गुरुमूर्ति)

कायपालक निदेशक

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India (hereinafter referred to as the 'Bank') has in terms of Notification No.S.O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No.S. 0.425 (E) dated June 1, 1994, and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 approved the 12.14 per cent Government Stock, 2000 for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 12.14 percent Government Stock 2000 subject to the condition that:

- (i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 12.14 per cent Government Stock 2000 only at Mumbai.
- (ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(S. Gurumurthy)
Executive Director

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 77/24.76.002/97

DBOD No. FSC. BC. 77/24.76.002/97

26 जून 1997
5 आषाढ़ 1919 (शक)

June 26, 1997
Aashadha 5, 1919 (Saka)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक,
सभी वाणिज्य बैंक

The Chairmen/Chief Executives of
all Commercial Banks

Dear Sir,

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

READY FORWARD TRANSACTIONS

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 5 जून 1997 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 66/24.76.002/96-97 देखें।

Please refer to our circular DBOD No.FSC.BC. 66/24.76.002/97 dated June 05, 1997 on the above subject

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब 12.59 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2004 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर खातों (एसजीएल) के माध्यम से किये जायें।

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved 12.59 per cent Government Stock 2004 for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. इस संबंध में जारी किया गया 26 जून 1997 का एक निदेश बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 76/24.76.002/96-97 संलग्न है।

3. A directive DBOD.No.FSC.BC. 76/24.76.002./97 dated 26th June 1997 issued in this regard is enclosed.

भवदीया,

Yours faithfully,

(श्यामला गोपीनाथ)
अपर मुख्य महा प्रबंधक

(Shyamala Gopinath)
Additional Chief General Manager

26 जून 1997
5 आषाढ़ 1919 (शक)

June 26, 1997
Aashadha 5, 1919 (Saka)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं.एस.ओ.425 (ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ.2561 के अनुसरण में 12.59 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2004 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अतः बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 12.59 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2004 के हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

1. बैंक 12.59 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2004 के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे;
2. ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायेंगे।

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as the 'Bank') has in terms of Notification No.S.O. 2561 dated June 27, 1969 as amended vide Notification No.S. 0.425 (E) dated June 1, 1994, and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act. 1956 approved the 12.59 percent Government Stock 2004 for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 12.59 per cent Government Stock 2004 subject to the condition that:

- (i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 12.59 percent Government Stock 2004 only at Mumbai.
- (ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(S. Gurumurthy)
Executive Director

24 जुलाई 1997

July 24, 1997

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक,
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 26 जून 1997 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 77/24.76.002/97 देखें।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब 11.83 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2003 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर खातों (एसजीएल) के माध्यम से किये जायें।

3. इस संबंध में जारी किया गया 24 जुलाई 1997 का एक निदेश बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 81/24.76.002/97 संलग्न है।

भवदीय,

(ए. घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

The Chairmen/Chief Executives of
all Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD No.FSC.BC. 77/24.76.002/97 dated June 26, 1997 on the above subject

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved 11.83 per cent Government Stock 2003 for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD.No.FSC.BC. 81/24.76.002./97 dated 24th July 1997 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Chief General Manager

24 जुलाई 1997

July 24, 1997

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद “बैंक” के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं.एस.ओ.425 (ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ.2561 के अनुसरण में 11.83 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2003 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अतः बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 11.83 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2003 के हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

1. बैंक 11.83 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2003 के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे;
2. ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायेंगे।

(वी. रंगराजन)

कार्यपालक निदेशक

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as the ‘Bank’) has in terms of Notification No.S.O. 2561 dated June 27, 1969 as amended vide Notification No.S. 0.425 (E) dated June 1, 1994, and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved the 11.83 per cent Government Stock 2003 for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 11.83 per cent Government Stock 2003 subject to the condition that:

- (i) -the banks would undertake all transactions of ready forward in 11.83 per-cent Government Stock 2003 only at Mumbai.
- (ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(V. Rangarajan)

Executive Director

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 87 /24.76.002/97

DBOD No. FSC. BC. 87/24.76.002/97

4 अगस्त 1997
13 श्रावण 1919 (शक)

August 4, 1997
Sravana 13, 1919 (Saka)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक,
सभी वाणिज्य बैंक

The Chairmen/Chief Executives of
all Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

हाज़िर वायदा लेनदेन

READY FORWARD TRANSACTIONS

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 24 जुलाई 1997 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 82/24.76.002/97 देखें।

Please refer to our circular DBOD No.FSC.BC. 82/24.76.002/97 dated July 24, 1997 on the above subject

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब 10.85 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2001 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर खातों (एसजीएल) के माध्यम से किये जायें।

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved 10.85 per cent Government Stock 2001 for the purpose of ready forward contracts. In addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. इस संबंध में जारी किया गया 4 अगस्त 1997 का एक निदेश बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 86/24.76.002/97 संलग्न है।

3. A directive DBOD.No.FSC.BC. 86/24.76.002./97 dated 4th August 1997 issued in this regard is enclosed.

भवदीय,

Yours faithfully,

(ए. घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

(A. Ghosh)
Chief General Manager

4 अगस्त 1997
13 श्रावण 1919 (शक)

August 4, 1997
Sravana 13, 1919 (Saka)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद “बैंक” के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं.एस.ओ.425 (ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ.2561 के अनुसरण में 10.85 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2001 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अतः बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 10.85 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2001 के हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

1. बैंक 10.85 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2001 के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे;
2. ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायेंगे।

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India (hereinafter referred to as the ‘Bank’) has in terms of Notification No.S.O. 2561 dated June 27, 1969 as amended vide Notification No.S. O.425 (E) dated June 1, 1994, and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act. 1956 approved the 10.85 per cent Government Stock, 2001 for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 10.85 per cent Government Stock 2001 subject to the condition that:

(i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 10.85 per cent Government Stock 2001 only at Mumbai.

(ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(S. Gurumurthy)
Executive Director

16 अगस्त 1997
25 श्रावण 1919 (शक)

August 16, 1997
Sravana 25, 1919 (Saka)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक,
सभी वाणिज्य बैंक

The Chairmen/Chief Executives of
all Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

हाज़िर वायदा लेनदेन

READY FORWARD TRANSACTIONS

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 4 अगस्त 1997 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 87/24.76.002/97 देखें।

Please refer to our circular DBOD No.FSC.BC. 87/24.76.002/97 dated August 04, 1997 on the above subject.

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब 11.19 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2005 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर खातों (एसजीएल) के माध्यम से किये जायें।

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved 11.19 per cent Government Stock 2005 for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. इस संबंध में जारी किया गया 16 अगस्त 1997 का एक निदेश बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 91/ 24.76.002/97 संलग्न है।

3. A directive DBOD.No.FSC.BC. 91/ 24.76.002./97 dated 16th August 1997 issued in this regard is enclosed.

भवदीय,

Yours faithfully,

(ए. घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

(A. Ghosh)
Chief General Manager

16 अगस्त 1997
25 श्रावण 1919 (शक)

August 16, 1997
Sravana 25, 1919 (Saka)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद “बैंक” के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं.एस.ओ.425 (ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ.2561 के अनुसरण में 11.19 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2005 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अतः बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 11.19 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2005 के हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

1. बैंक 11.19 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2005 के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे;

2. ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायेंगे।

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as the ‘Bank’) has in terms of Notification No.S.O. 2561 dated June 27, 1969 as amended vide Notification No.S. O.425 (E) dated June 1, 1994, and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act. 1956 approved the 11.19 per cent Government Stock, 2005 for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 11.19 per cent Government Stock 2005 subject to the condition that:

(i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 11.19 per cent Government Stock 2005 only at Mumbai.

(ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(S. Gurumurthy)
Executive Director

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 101 /24.76.002/97

DBOD No. FSC. BC. 101/24.76.002/97

5 सितंबर 1997
14 भाद्र 1919 (शक)

September 5, 1997
Bhadra 14, 1919 (Saka)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक,
सभी वाणिज्य बैंक

The Chairmen/Chief Executives of
all Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

हाज़िर वायदा लेनदेन

READY FORWARD TRANSACTIONS

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 16 अगस्त 1997 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 92/24.76.002/97 देखें।

Please refer to our circular DBOD No.FSC.BC. 92/24.76.002/97 dated August 16, 1997 on the above subject

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब 11.15 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2002 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर खातों (एसजीएल) के माध्यम से किये जायें।

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved 11.15 per cent Government Stock 2002 for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. इस संबंध में जारी किया गया 5 सितंबर 1997 का एक निदेश बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 100/24.76.002/97 संलग्न है।

3. A directive DBOD.No.FSC.BC. 100/24.76.002./97 dated 5th September 1997 issued in this regard is enclosed.

भवदीय,

Yours faithfully,

(श्यामला गोपीनाथ)

(Shyamala Gopinath)

अपर मुख्य महा प्रबंधक

Additional Chief General Manager

5 सितंबर 1997
14 भाद्र 1919 (शक)

September 5, 1997
Bhadra 14, 1919 (Saka)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं.एस.ओ.425 (ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ.2561 के अनुसरण में 11.15 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2002 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अतः बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 11.15 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2002 के हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

1. बैंक 11.15 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2002 के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे;

2. ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायेंगे।

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as the 'Bank') has in terms of Notification No.S.O. 2561 dated June 27, 1969 as amended vide Notification No.S. O.425 (E) dated June 1, 1994, and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved the 11.15 per cent Government Stock, 2002 for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 11.15 percent Government Stock 2002 subject to the condition that:

(i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 11.15 per cent Government Stock 2002 only at Mumbai.

(ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(S. Gurumurthy)
Executive Director

14 अक्टूबर 1997
22 आश्विन 1919 (शक)

October 14, 1997
Ashwina 22, 1919 (Saka)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक,
सभी वाणिज्य बैंक

The Chairmen/Chief Executives of
all Commercial Banks

Dear Sir,

प्रिय महोदय,

बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों
में लेनदेन - दलालों की भूमिका

**INVESTMENT PORTFOLIO OF BANKS
- TRANSACTIONS IN SECURITIES -
ROLE OF BROKERS**

कृपया आप 16 नवंबर 1994 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 129/24.76.002/94-95 देखें, जिसके अनुसार बैंकों को राष्ट्रीय शेयर बाजार (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) के सदस्यों के माध्यम से आपस में अथवा गैर-बैंक ग्राहकों के साथ प्रतिभूतियों में लेनदेन करने की अनुमति दी गयी है। अब यह निर्णय किया गया है कि बैंकों को राष्ट्रीय शेयर बाजार के अलावा ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के सदस्यों के माध्यम से आपस में अथवा गैर-बैंक ग्राहकों के साथ प्रतिभूतियों में लेनदेन करने की अनुमति प्रदान की जाये।

Please refer to our circular DBOD No.FSC.BC. 129/24.76.002/94-95 dated November 16, 1994 in terms of which banks are permitted to undertake transactions in securities among themselves or with non-bank clients through members of the National Stock Exchange. It has since been decided to permit banks to undertake transactions in securities among themselves or with non-bank clients through the members of OTC Exchange of India, in addition to the National Stock Exchange.

2. 16 नवंबर 1994 के हमारे परिपत्र में निहित अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित हैं।

2. All other instructions contained in our circular dated 16th November 1994 remain unchanged.

भवदीय,

Yours faithfully,

(ए.एल. नरसिंहन)
अपर मुख्य महा प्रबंधक

(A.L. Narasimhan)

Additional Chief General Manager

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 114 /24.76.002/97

20 अक्टूबर 1997
28 आश्विन 1919 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक,
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 05 सितंबर 1997 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 101/24.76.002/97 देखें।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब अनुबंध में सूचीबद्ध सरकारी प्रतिभूतियों को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर खातों (एसजीएल) के माध्यम से किये जायें।

3. इस संबंध में जारी किया गया 20 अक्टूबर 1997 का एक निदेश बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 113/24.76.002/97 संलग्न है।

भवदीय,

(ए.एल. नरसिंहन)
अपर मुख्य महा प्रबंधक

DBOD No. FSC. BC. 114/24.76.002/97

October 20, 1997
Ashwina 28, 1919 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
all Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD No.FSC.BC. 101/24.76.002/97 dated September 05, 1997 on the above subject.

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved Government Securities listed in the Annexure for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD.No.FSC.BC. 113/24.76.002./97 dated 20th October 1997 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(A.I. Narasimhan)
Additional Chief General Manager

20 अक्टूबर 1997
28 आश्विन 1919 (शक)

October 20, 1997
Ashwina 28, 1919 (Saka)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद “बैंक” के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं.एस.ओ.425 (ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ.2561 के अनुसरण में अनुबंध में सूचीबद्ध सरकारी प्रतिभूतियों को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अतः बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुबंध में सूचीबद्ध सरकारी प्रतिभूतियों के हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

1. बैंक अनुबंध में सूचीबद्ध सरकारी प्रतिभूतियों के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे;
2. ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायेंगे।

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as the ‘Bank’) has in terms of Notification No.S.O. 2561 dated June 27, 1969 as amended vide Notification No.S. O.425 (E) dated June 1, 1994, and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved Government Securities listed in the Annexure for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in Government Securities listed in the Annexure subject to the condition that:

- (i) the banks would undertake all transactions of ready forward in Government Securities listed in the Annexure, only at Mumbai.
- (ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(S. Gurumurthy)
Executive Director

क्र.सं. प्रतिभूति का नाम

Sr. Nomenclature of the Security
No.

1. 6.25% ऋण, 1997
2. 11% सरकारी स्टाक, 1997 परिवर्तन 364 दिवसीय खज़ाना बिल
3. 7% ऋण, 1998
4. 10.50% ऋण, 1998
5. 13% सरकारी स्टाक, 1998
6. 6.5% ऋण, 1998
7. 6.25% ऋण, 1998
8. 12.30% सरकारी स्टाक, 1998
9. भारत सरकार का शून्य कूपन बांड, 1999
10. 5.50% ऋण, 1999
11. 10.50% ऋण, 1999
12. 13.12% सरकारी स्टाक, 1999
13. 12.60% सरकारी स्टाक, 2000
14. 5.50% ऋण, 2000
15. 13.25% सरकारी स्टाक, 2000 परिवर्तन 364 दिवसीय खज़ाना बिल
16. 10.75% ऋण, 2000
17. 6.50% ऋण, 2000
18. 11.64% सरकारी स्टाक, 2000
19. 13.25% सरकारी स्टाक, 2000
20. 12.70% सरकारी स्टाक, 2001
21. 12.08% सरकारी स्टाक, 2001
22. 12.08% भारत सरकार क्षतिपूरक (ईराक को परियोजना व्यय) बांड 2001
23. 5.75% ऋण, 2001
24. 6.50% ऋण, 2001
25. 7.50% ऋण, 2001
26. 10.75% ऋण, 2001

1. 6.25% Loan, 1997
2. 11% Govt. Stock, 1997 Conv. 364 D-T-Bills
3. 7% Loan, 1998
4. 10.50% Loan, 1998
5. 13% Govt. Stock, 1998
6. 6% Loan, 1998
7. 6.25% Loan, 1998
8. 12.30% Govt. Stock, 1998
9. GOI Zero Coupon Bonds, 1999
10. 5.50% Loan, 1999
11. 10.50% Loan, 1999
12. 13.12% Govt. Stock, 1999
13. 12.60% Govt. Stock, 2000
14. 5.50% Loan, 2000
15. 13.25% Govt. Stock, 2000 Conv. 364 D-T-Bills
16. 10.75% Loan, 2000
17. 6.50% Loan, 2000
18. 11.64% Govt. Stock, 2000
19. 13.25% Govt. Stock, 2000
20. 12.70% Govt. Stock, 2001
21. 12.08% Govt. Stock, 2001
22. 12.08% G.O.I. Comp. (Project Exp. to Iraq) Bonds 2001
23. 5.75% Loan, 2001
24. 6.50% Loan, 2001
25. 7.50% Loan, 2001
26. 10.75% Loan, 2001

27. 11.75% सरकारी स्टाक, 2001 परिवर्तन 364 दिवसीय खज़ाना बिल
28. 11% ऋण, 2001
29. 13.31% सरकारी स्टाक, 2001
30. 11% ऋण, 2002
31. 7.75% ऋण, 2002
32. 13.80% सरकारी स्टाक, 2002
33. 13.40% सरकारी स्टाक, 2002
34. 5.75% ऋण, 2002
35. 12.75% सरकारी स्टाक, 2002
36. 6.50% ऋण, 2002
37. 11.55% सरकारी स्टाक, 2002
38. 5.75% ऋण, 2003
39. 11% ऋण, 2003
40. 6.50% ऋण, 2003
41. 11% ऋण, 2004
42. 12.35% सरकारी स्टाक, 2004
43. 9.50% ऋण, 2004
44. 6.50% ऋण, 2004
45. 11.30% ऋण, 2004
46. 13.75% सरकारी स्टाक, 2005
47. 10.50% ऋण, 2005
48. 11.25% ऋण, 2005
49. 6.50% ऋण, 2005
50. 8.25% ऋण, 2005
51. 10% भारत सरकार राष्ट्रीयकृत बैंक पुनः पूंजीकरण बांड, 2006
52. 11.50% ऋण, 2006
53. 6.75% ऋण, 2006
54. 11.25% ऋण, 2006
55. 11.50% ऋण, 2006 (II शृंखला)
56. 12.50% ऋण, 2007
57. 11.50% ऋण, 2007
58. 6.75% ऋण, 2007
59. 9.50% ऋण, 2008
60. 11.50% ऋण, 2008
61. 10.80% ऋण, 2008

27. 11.75% Govt. Stock, 2001 Conv. 364 D-T-Bills
28. 11% Loan, 2001
29. 13.31% Govt. Stock, 2001
30. 11% Loan, 2002
31. 7.75% Loan, 2002
32. 13.80% Govt. Stock, 2002
33. 13.40% Govt. Stock, 2002
34. 5.75% Loan, 2002
35. 12.75% Govt. Stock, 2002
36. 6.50% Loan, 2002
37. 11.55% Govt. Stock, 2002
38. 5.75% Loan, 2003
39. 11% Loan, 2003
40. 6.50% Loan, 2003
41. 11% Loan, 2004
42. 12.35% Govt. Stock, 2004
43. 9.50% Loan, 2004
44. 6.50% Loan, 2004
45. 11.30% Loan, 2004
46. 13.75% Govt. Stock, 2005
47. 10.50% Loan, 2005
48. 11.25% Loan, 2005
49. 6.50% Loan, 2005
50. 8.25% Loan, 2005
51. 10% G.O.I. Nationalised Banks Recapitalisation Bonds, 2006
52. 11.50% Loan, 2006
53. 6.75% Loan, 2006
54. 11.25% Loan, 2006
55. 11.50% Loan, 2006 (II Series)
56. 12.50% Loan, 2007
57. 11.50% Loan, 2007
58. 6.75% Loan, 2007
59. 9.50% Loan, 2008
60. 11.50% Loan, 2008
61. 10.80% Loan, 2008

62. 11.50% ऋण, 2009
63. 7% ऋण, 2009
64. 7.50% ऋण, 2010
65. 11.50% ऋण, 2010
66. 8.75% ऋण, 2010
67. 8% ऋण, 2011
68. 11.50% ऋण, 2011
69. 12% ऋण, 2011
70. 10.25% ऋण, 2012
71. 9% ऋण, 2013
72. 10% ऋण, 2014
73. 10.50% ऋण, 2014
74. 11.50% ऋण, 2015

62. 11.50% Loan, 2009
63. 7% Loan, 2009
64. 7.50% Loan, 2010
65. 11.50% Loan, 2010
66. 8.75% Loan, 2010
67. 8% Loan, 2011
68. 11.50% Loan, 2011
69. 12% Loan, 2011
70. 10.25% Loan, 2012
71. 9% Loan, 2013
72. 10% Loan, 2014
73. 10.50% Loan, 2014
74. 11.50% Loan, 2015

22 अक्टूबर 1997

October 22, 1997

सभी बैंकों के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक,
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

**The Chairmen/Chief Executives of
all Banks (excluding Regional Rural Banks)**

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

सरकारी प्रतिभूतियों का खुदरा लेनदेन

**RETAILING OF GOVERNMENT
SECURITIES**

कृपया आप दिनांक 21 अक्टूबर 1997 के गवर्नर के परिपत्र सं.सीपीसी.बीसी. 165/07.01.279/97-98 के पैराग्राफ 17(एन) की मद (vi) देखें। फिलहाल बैंकों को इस शर्त के अधीन सरकारी प्रतिभूतियों का खुदरा लेनदेन करने की अनुमति दी गयी है कि बैंकों को उस व्यक्ति से प्रतिभूति नहीं खरीदनी चाहिए जिसे वह, 25 जुलाई 1996 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी. 101/24.76.002/96 के अनुसार, 30 दिन के भीतर बेची गयी हो। खुदरा बाजार को बढ़ावा देने और खुदरा निवेशकों को अधिक चलनिधि उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय किया गया है कि बैंकों को, खरीद और बिक्री के बीच अवधि पर कोई प्रतिबंध लगाये बिना, प्रचलित बाजार भाव पर एकमुश्त आधार पर मुक्त रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने और बेचने की अनुमति दी जाए। तथापि, हम यह बात दोहराना चाहते हैं कि बैंक बैंकेतर ग्राहकों के साथ सरकारी प्रतिभूतियों में हाजिर वायदा लेनदेन नहीं करेंगे। इस संबंध में दिनांक 8 जून 1996 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी.

Please refer to item (vi) of paragraph 17(m) of Governor's Circular No. CPC.BC. 165/07.01.279/97-98 dated October 21, 1997 At present, banks have been allowed to retail Government Securities subject to the stipulation that the banks should not buy the security from the person to whom it is sold within a period of 30 days vide our circular DBOD No. FSC. BC.101/24.76.002-96 dated 25th July 1996. In order to promote the retail market segment and to provide greater liquidity to retail investors, it has been decided to allow banks to freely buy and sell Government Securities on an **outright basis** at prevailing market prices, without any restriction on the period between sale and purchase. However, we reiterate that banks shall not undertake ready forward transactions in Government Securities with non-bank clients. All other conditions set out in our Circular DBOD.No. FSC. BC. 70/24.87.002-95/96 dated 8th June

70/24.87.002/95-96 में निर्दिष्ट सभी अन्य शर्तें
अपरिवर्तित रहेंगी।

भवदीया,

(श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन)

महा प्रबंधक

1996 remain unchanged..

Yours faithfully,

(Smt. Chitra Chandramouliswaran)
General Manager

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी.151 /24.76.002/97-98

9 दिसंबर 1997

18 अग्रहायण 1919 (शक)

DBOD No. FSC. BC. 151/24.76.002/97-98

December 9, 1997

Agrahayana 18, 1919 (Saka)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक,
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

प्रतिवर्ती हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप दिनांक 15 अप्रैल 1997 के गवर्नर के
परिपत्र सं.सीपीसी.बीसी. 162/07.01.279/96-97 के
पैराग्राफ 17 (जी)(i) की मद (बी) देखें।

2. जैसा कि आपको ज्ञात है, वर्तमान में सभी
परिपक्वताओं के खज़ाना बिलों और भारत सरकार
की ऐसी दिनांकित प्रतिभूतियों में, जो कि केन्द्र सरकार
के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित हैं,
हाज़िर वायदा संविदाएं बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों
द्वारा करने की अनुमति है, जैसा कि दिनांक 1 जून

The Chairmen/Chief Executives of
all Commercial Banks

Dear Sir,

**REVERSE READY FORWARD
TRANSACTIONS**

Please refer to item (b) of paragraph 17(g)(i)
of the Governor's Circular No.CPC.BC. 162/
07.01.279/96-97 dated April 15, 1997.

2. As you are aware, at present, ready
forward contracts in Treasury Bills of all
maturities and such dated securities of
Government of India as are approved by
Reserve Bank of India in consultation with
the Central Government, are allowed to be
entered into by banks and primary dealers as

1994 की अधिसूचना तथा 13 जून 1996 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 434 (ई) द्वारा घोषणा की गयी है।

3. भारत सरकार ने अब तक 19 बैंकेतर संस्थाओं को अधिसूचित किया है जिन्हें सभी परिपक्वताओं के खज़ाना बिलों और भारत सरकार की ऐसी दिनांकित प्रतिभूतियों में, जो कि केन्द्र सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित हैं, **प्रतिवर्ती हाजिर-वायदा संविदाएं** करने की अनुमति दी गयी है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 6 नवंबर 1997 की अधिसूचना सं. 764 (ई) की एक प्रति संलग्न है।

4. आपका ध्यान उपर्युक्त अधिसूचना के तीसरे परंतुक के अधीन स्पष्टीकरण की मद सं.(xxviii) की ओर विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। तदनुसार, उसमें उल्लिखित बैंकेतर संस्थाएं जब बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के साथ प्रतिवर्ती हाजिर वायदा संविदाएं करें तो शर्त यह है कि बैंकेतर संस्थाएं लेनदेन के प्रथम चरण में प्रतिभूतियां खरीदेंगी और दूसरे चरण में प्रतिभूतियां वापस बेचेंगी।

5. इस संबंध में जारी किया गया दिनांक 9, दिसंबर 1997 का निदेश बैंपवि.सं.एफएससी.बीसी. 150/24.76.002/97-98 संलग्न है।

भवदीया,

(श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन)
महा प्रबंधक.

announced vide the Notifications dated June 1, 1994 and No. S.O. 434 (E) dated June 13, 1996.

3. The Government of India has since notified 19 non-bank entities which are permitted to undertake **Reverse Ready Forward contracts** in Treasury Bills of all maturities and in such dated securities of Government of India as are approved by the Reserve Bank of India in consultation with the Central Government. A copy of the Notification No. 764(E) dated November 6, 1997 issued by Government of India in this regard is enclosed.

4. Your attention is invited in particular to item (xxviii) of the Explanation under the third proviso in the above Notification. Accordingly, when the non-bank entities mentioned therein enter into Reverse Ready Forward contracts with banks and primary dealers, it is stipulated that the non-bank entities will be purchasing securities in the first leg and will be selling back securities in the second leg of the transaction.

5. A directive DBOD.No.FSC.BC. 150/24.76.002/97-98 dated 9, December 1997 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(Smt. Chitra Chandramouliswaran)
General Manager

9 दिसंबर 1997

18 अग्रहायण 1919 (शक)

December 9, 1997

Agrahayana 18, 1919 (Saka)

प्रतिवर्ती हाज़िर वायदा लेनदेन

भारत सरकार ने प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गयी दिनांक 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ.2561 दिनांक 6 नवंबर 1997 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 764 (ई) (जिसे इसमें इसके बाद “अधिसूचना” कहा गया है) द्वारा यथासंशोधित, के अनुसार 19 बैंकेतर संस्थाओं को (जिन्हें अनुबंध में सूचीबद्ध किया गया है) यह अनुमति प्रदान की है कि वे भारत सरकार द्वारा जारी सभी परिपक्वताओं वाले खजाना बिलों में तथा भारत सरकार की उन दिनांकित प्रतिभूतियों में, जिन्हें केन्द्र सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया हो, प्रतिवर्ती हाज़िर वायदा संविदाएं कर सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा बैंकों को इसकी अनुमति प्रदान करता है कि वे उक्त संस्थाओं से प्रतिवर्ती हाज़िर वायदा सौदे इस शर्त पर स्वीकार कर सकते हैं कि-

1. भारत सरकार द्वारा जारी सभी परिपक्वताओं के खजाना बिलों में तथा केन्द्र सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में प्रतिवर्ती हाज़िर वायदा सौदे मुंबई में ही किये जायें।

REVERSE READY FORWARD TRANSACTIONS

The Government of India, in terms of Notification No. S.O.2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S.O. 764(E) dated November 6, 1997 (hereinafter referred to as “the Notification”) and issued in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act 1956 has permitted 19 non-bank entities (listed in the Annexure) to enter into reverse ready forward contracts in Treasury Bills of all maturities issued by Government of India and in such dated securities of Government of India as are approved by the Reserve Bank of India, in consultation with the Central Government. The Reserve Bank of India in exercise of the powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to accept the reverse ready forward deals by the aforesaid entities subject to the condition that

i) reverse ready forward deals in Treasury Bills of all maturities issued by Government of India and in such dated securities of Government of India as are approved by the Reserve Bank of India in consultation with the Central Government are undertaken only at Mumbai.

2. ऐसे लेनदेन भारतीय रिज़र्व बैंक में सहायक सामान्य लेजर खातों के माध्यम से किये जायेंगे।

(एस. गुरुमूर्ति)

कार्यपालक निदेशक

ii) such transactions shall be put through subsidiary General Ledger (SGL) Accounts with Reserve Bank of India.

(S. Gurumurthy)

Executive Director

**To be published in Gazette of India
Part II Section 3, Sub-section (ii)**

**MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC
AFFAIRS)**

(CM AND ECB DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, The 6th Nov. 1997

S.O. 764(E) - In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby further amends the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No.S.O.2561, dated the 27th June, 1969, namely :-

In the said notification, for the third proviso and the Explanation thereunder, the following shall be substituted, namely:-

“Provided further that reverse ready

forward contracts with the persons specified in second proviso may be entered into by-

- (a) Canbank Mutual Fund;
- (b) Export Credit Guarantee Corporation of India Limited;
- (c) Export Import Bank of India;
- (d) General Insurance Corporation of India;
- (e) GIC Mutual Fund;
- (f) Indian Bank Mutual Fund;
- (g) Industrial Credit & Investment Corporation of India Limited;
- (h) Industrial Development Bank of India;
- (i) IDBI Mutual Fund;
- (j) ITC Thread Needle Mutual Fund;
- (k) Life Insurance Corporation of India;
- (l) National Bank for Agriculture and Rural Development;
- (m) National Housing Bank;
- (n) New India Assurance Company Limited;
- (o) Oriental Insurance Company Limited;
- (p) Reliance Capital Mutual Fund;
- (q) SBI Mutual Fund;
- (r) Small Industries Development Bank of India;
- (s) Unit Trust of India;

Provided also that all transactions under the second proviso and third proviso are put through the Subsidiary General Ledger Account with the Reserve Bank of India in Treasury Bills of all maturities issued by the

Government of India and in such dated securities of Government of India as are approved by the Reserve Bank of India, in consultation with the Central Government.

EXPLANATION - For the purpose of this notification

(i) “banking Company” means a banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949);

(ii) “cooperative Bank” means a bank as defined in clause (cci) of section 5 read with clause (c) of section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949);

(iii) “Canbank Mutual Fund” means a trust sponsored by Canara Bank, a banking company and managed by Canbank Investment Management Services Limited, a company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and having its registered office at Orient House, Adi Marzaban Path, Ballard Estate, Mumbai - 400 038.;

(iv) “Discount and Finance House of India Limited” means a company incorporated under the Companies Act, 1956, (1 of 1956), jointly owned by the Reserve Bank of India, public sector banks and all India financial institutions;

(v) “Export Credit Guarantee Corporation of India Limited” means a company incorporated under the Companies Act, 1956, (1 of 1956), and having its registered office at Express Towers, 10th floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

- (vi) "Export Import Bank of India" means a bank established under sub-section (1) of Section 3 of the Export Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981);
- (vii) "General Insurance Corporation of India" means a (Government Company) incorporated under Section 9 of General Insurance Business Nationalisation Act, 1972 (57 of 1972);
- (viii) "GIC Mutual Fund" means a trust sponsored by General Insurance Corporation of India Limited and having its registered office at Universal Insurance Building, 2nd Floor, Sir P.M. Road, Fort, Mumbai - 400 001.;
- (ix) "Gilt Securities Trading Corporation Limited" means a company incorporated under the Companies Act, 1956, (1 of 1956), having its registered office at Varma Chambers, 31, Homji Street, Fort, Mumbai-400 001;
- (x) "ICICI Securities and Finance Company Limited" means a company incorporated under the Companies Act, 1956, (1 of 1956), having its registered office at the Hindustan Times House, 18/20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi- 110 001.;
- (xi) "Indian Bank Mutual Fund" means a trust sponsored by Indian Bank, a banking company, and having its registered office at Spenser Towers, 4th Floor, 770A, Anna Salai, Chennai - 600 002;
- (xii) "Industrial Credit & Investment Corporation of India Limited" means a company incorporated under the Companies Act, 1956, (1 of 1956), and having its registered office at 163, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400 020;

(xiii) “Industrial Development Bank of India” means a corporation established under sub-section (1) of Section 3 of the Industrial Development Act, 1964 (18 of 1964);

(xiv) “IDBI Mutual Fund” means a trust sponsored by Industrial Development Bank of India and having its registered office at Nariman Bhavan, 227, Vinay Shah Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021;

(xv) “ITC Thread Needle Mutual Fund” means a trust sponsored by ITC Classic Finance Limited and managed by Thread Needle Asset Management Limited, a company registered under the Companies Act, 1956, (1 of 1956), and having its registered office at World Trade Centre, 1, 18th Floor, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005;

(xvi) “Life Insurance Corporation of India” means a corporation established under sub-section (1) of Section 3 of the Life Insurance Corporation Act, 1956, (31 of 1956) ;

(xvii) “National Bank for Agriculture and Rural Development” means a bank established under Sub-section (1) of Section 3 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981)

(xviii) “National Housing Bank” means a bank established under sub-section (1) of Section 3 of National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987);

(xix) “New India Assurance Company Limited” means a Company incorporated under the Companies Act, 1956, (1 of 1956), and having its registered office at 87,

M.G.Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400 020;

(xx) “Oriental Insurance Company Limited” means a company incorporated under the Companies Act, 1956, (1 of 1956), and having its registered office at Oriental House, A-25/27, Asaf Ali Road, New Delhi - 110 002;

(xxi) “PNB Gilts Limited” means a company incorporated under the Companies Act, 1956, (1 of 1956), and having its registered office at 5, Parliament Street, New Delhi - 110 001;

(xxii) “The Reliance Capital Mutual Fund” means a trust sponsored by Reliance Capital Limited and having its registered office at 1203/06, Arcadia, 12th Floor, N.P.C.A. Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021;

(xxiii) “SBI Gilts Limited” means a company incorporated under the Companies Act, 1956, (1 of 1956), and having its registered office at Tulsiani Chambers (1st Floor, West Wing) Free Press Journal Marg, 212, Nariman Point, Mumbai - 400 021;

(xxiv) “SBI Mutual Fund” means a trust sponsored by State Bank of India and managed by SBI Funds Management Company Limited and having its registered office at 191, Maker Tower ‘E’, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai - 400 005;

(xxv) “Securities Trading Corporation of India Limited” means a company incorporated under the Companies Act, 1956, (1 of 1956), which is jointly owned by the Reserve Bank of India, public sector banks and all-India financial Institutions and having its registered

office at 3rd Floor, Amar Building,
Sir.P.M.Road, Mumbai - 400 001;

(xxvi) “Small Industries Development Bank of India” means a corporation established under sub-section (1) of Section 3 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989);

(xxvii) “Unit Trust of India” means a corporation established under sub-section (1) of Section 3 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963);

(xxviii) the first leg of the transaction in the case of reverse ready forward contracts under the third proviso shall be by way of purchase of securities from the persons specified under the second proviso and the second leg thereof shall be by way of selling back the securities.

(F.No.1\32\SE\97)
Dr. U. Saratchandran
Joint Secretary

Note : The Principal Notification was issued under S.O.No. 2561 dated 27-06-1969 published in the Gazette of India Part II, Section 3, page 839 dated 27-06-1969 and subsequent amendment Notifications S.O.425(E), S.O.No.750(E) and S.O.No.434(E) were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) on 01-06-1994, 18-10-1994 and 13-6-1996 respectively.

भाग V
अग्रिम

SECTION V
ADVANCES

बैंपविवि सं. डीआइआर.बीसी. 8/13.01.09/97

DBOD No. Dir. BC. 8/13.01.09/97

28 जनवरी 1997
/8 माघ 1918 (शक)

January 28, 1997
Magha 8, 1918 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक

All Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

कृपया 3 मई 1991 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं. डीआइआर.बीसी. 119/सी.347(1)-91 देखें, जिसके अनुसार कतिपय शर्तों के अधीन विदेशी मुद्रा अनिवासी/अनिवासी बाह्य जमाराशियों की जमानत पर निवासियों को ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों को अनुमति दी गयी है। इसके अलावा, यह भी कहा गया था कि बैंकों को सामान्य मानदंडों एवं विचारों का प्रयोग करना चाहिए तथा प्रयोजन की उपयुक्तता, उधारकर्ता की ऋण विषयक आवश्यकताओं की वास्तविकता एवं निधियों के अंतिम उपयोग के प्रति स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए।

Please refer to our circular DBOD.No.Dir.BC.119/C.347(1)-91 dated 3 May 1991 wherein banks have been permitted to grant loans to residents against FCNR/NRE deposits subject to certain conditions. Besides, it was stipulated that the bank should apply the usual norms and considerations and satisfy themselves as to the suitability of purpose, genuineness of credit needs of borrower and end-use of funds.

2. हाल ही में, जमा क्षेत्रों में कतिपय धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेनों का हमें पता चला था तथा 13 अप्रैल 1996 के हमारे परिपत्र डीओएस/एफजीवी(एफ)/7ए/23.04.001/96 द्वारा बैंकों को उनकी सूचना दी गयी थी। इस परिप्रेक्ष्य में, 3 मई 1991 के हमारे परिपत्र में उल्लिखित शर्तों के अलावा, बैंकों को चाहिए कि विदेशी मुद्रा अनिवासी/अनिवासी बाह्य जमाराशियों की जमानत पर अग्रिम स्वीकृत करते समय वे निम्नलिखित सावधानियां भी बरतें :

2. Recently, certain fraudulent transactions in deposit areas were noticed by us and these were brought to the notice of banks in terms of our circular DOS/FGV(F)/7A/23.04.001./96 dated 13 April 1996. Against this background, apart from the conditions mentioned in our circular of 3 May 1991, the banks should also observe the following safeguards while granting advances against FCNR/NRE deposits:

(i) ऋण देनेवाली शाखा को चाहिए के वह उन संबंधित जमा रसीदों को अपने पास रखे जिनकी जमानत पर ऋण स्वीकृत किया गया है तथा जारी करनेवाली शाखा को ग्रहणाधिकार की सूचना दी जाय।

(i) The branch giving the loan should hold the relative deposit receipts against which the loan is granted and the issuing branch advised of the lien.

(ii) विदेशी मुद्रा अनिवासी/अनिवासी बाह्य जमाराशियों की जमानत पर स्वयं जमाकर्ता को अथवा किसी तीसरी पार्टी को उसके विशिष्ट अनुरोध/आदेश के अंतर्गत ही तथा जमाकर्ता के हस्ताक्षर की वास्तविकता के सत्यापन के पश्चात् ही अग्रिम स्वीकृत किये जाएं।

3. आप अपनी शाखाओं तथा नियंत्रक कार्यालयों को उपयुक्त अनुदेश जारी करें।

भवदीया,

(श्यामला गोपीनाथ)

अपर मुख्य महा प्रबंधक

(ii) Advances against FCNR/NRE deposit to the depositor himself or to a third party is granted only under his specific request/mandate and after verifying the authenticity of the signature of the depositor.

3. You may issue suitable instructions to your branches and controlling offices.

Yours faithfully,

(Shyamla Gopinath)

Additional Chief General Manager

बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 10/13.07.01/97

12 फरवरी 1997
23 माघ 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

अग्रिमों पर ब्याज दरें-
आधार (प्राइम) ऋण दर

कृपया 19 अक्टूबर 1996 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 139/13.07.01/96 देखें। जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है, वाणिज्य बैंक 2 लाख रुपये से अधिक की सीमाओं वाले अपने

DBOD No.Dir. BC. 10/13.07.01/97

February 12, 1997
Magha 23, 1918 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sirs,

**INTEREST RATES ON ADVANCES -
PRIME LENDING RATE**

Please refer to our Circular DBOD.No. Dir.BC.139/13.07.01/96 dated October 19, 1996. As indicated therein, commercial banks are free to determine their own lending rates

अग्रिमों पर अपनी स्वयं की ऋण दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। बैंकों को एक आधार (प्राइम) ऋण दर घोषित करनी चाहिए, जो 2 लाख रुपये से अधिक की ऋण सीमाओं के लिए बैंकों द्वारा वसूल की जानेवाली न्यूनतम दर होगी। बैंकों को उपभोक्ता ऋण से इतर सभी अग्रिमों के लिए आधार ऋण दर से अधिक ली जानेवाली अधिकतम अंतर दर भी घोषित करनी चाहिए।

2. यह स्पष्टीकरण माँगा गया है कि ऋण सुपुर्दगी प्रणाली में अंतरण हेतु उधारकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से क्या बैंकों को ऋण-घटक तथा नकदी ऋण-घटक के लिए अलग आधार ऋण दरें निर्धारित करने और दोनों के लिए अलग अंतर दरें निर्धारित करने की अनुमति दी गयी है। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक अपने संबंधित बोर्डों के अनुमोदन से ऋण-घटक और नकदी ऋण-घटक के लिए आधार ऋण दरें तथा आधार ऋण दरों से अधिक अंतर दरें अलग-अलग निर्धारित कर सकते हैं।

3. अपने द्वारा निर्धारित आधार ऋण दरों की सूचना आप हमें भी दें।

भवदीया,

(श्यामला गोपीनाथ)

अपर मुख्य महा प्रबंधक

on their advances with credit limits of over Rs.2 lakhs. Banks are required to declare a prime lending rate (PLR) which will be the minimum rate charged by the banks for credit limits of over Rs. 2 lakhs. Banks are also required to announce the maximum spread over the PLR for all advances other than consumer credit.

2. Clarification has been sought whether with a view to encouraging borrowers to switch over to Loan Delivery System, banks are allowed to prescribe separate PLRs for loan Component and Cash Credit Component and also prescribe separate spreads for both. It is hereby clarified that banks could prescribe PLRs and spreads over PLRs separately for Loan Component and Cash Credit Component, with the approval of their respective Boards of Directors.

3. The PLRs prescribed by you may please be advised to us.

Yours faithfully,

(Shyamala Gopinath)

Additional Chief General Manager

बीपी. बीसी. 16 / 21.04.009/97

DBOD No. BP. BC. 16 / 21.04.009 / 97

28 फरवरी 1997
9 फाल्गुन 1918 (शक)

February 28, 1997
Phalgun 9, 1918 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्यपालक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

The Chief Executives of all
Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sirs,

बैंक गारंटी के अधीन भुगतान -
मामलों का तत्काल निपटान

**PAYMENT UNDER BANK GUARAN-
TEES - IMMEDIATE SETTLEMENT OF
CASES**

कृपया आप उपर्युक्त विषय पर 22 नवम्बर 1993 का परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.194/21.04.009/93 देखें, जिसमें बैंकों से कहा गया है कि वे जो गारंटियां जारी करें, उन गारंटियों के आह्वान को तत्परतापूर्वक सकारना आवश्यक है, क्योंकि आह्वान की गयी गारंटियों के संबंध में बैंकों को अपनी प्रतिबद्धता निभाने में विलंब के कारण बैंकिंग प्रणाली की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचती है। उपर्युक्त आवश्यकता के संबंध में बैंकों से बार-बार बल देकर कहने के बावजूद भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक को इस आशय की शिकायतें लगातार मिल रही हैं, जिनमें बैंक गारंटियों के आह्वान पर उनकी अदायगी न करने अथवा विलंब करने की शिकायत की गयी है। भारत सरकार ने इस पर चिंता व्यक्त की है। इसलिए हम यह पुनः दोहराना चाहते हैं कि बैंक गारंटियों का आह्वान करने पर तत्परतापूर्वक उनको सकारें। इस संबंध में हम हाल ही में सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का अंश आपकी जानकारी के लिए उद्धृत कर रहे हैं। यह निर्णय आह्वान की गयी गारंटियों के भुगतान पर पार्टियों द्वारा न्यायालय से निषेधाज्ञा जारी करने के

Please refer to our circular DBOD. No.BP.BC.194/21.04.009/93 dated 22 November 1993 on the captioned subject impressing upon the banks the need to honour bank guarantees issued by them promptly on their invocation as reluctance on the part of the banks to honour commitments in respect of invoked guarantees tends to bring the banking system into disrepute. Despite repeated emphasis given on the above obligation of the banks a large number of complaints continue to be received by Government of India/Reserve Bank of India on non-payment or delay in payment of bank guarantees upon invocation. Government of India have expressed concern over this. We therefore reiterate that the banks should honour the guarantees promptly on their invocation. In this connection we also append for your information an extract of a judgement of the Hon'ble Supreme Court recently in a case on the issue of injunctions obtained by parties from courts restraining payment of

संबंध में एक मामले में दिया गया है :

‘इसलिए हमारी राय में कानून की सही स्थिति यह है कि बैंकों की प्रतिबद्धता न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना निभायी जानी चाहिए और न्यायालय का हस्तक्षेप अपवादात्मक मामलों में ही होना चाहिए, जैसे कि धोखाधड़ी के मामले में अथवा बैंक गारंटी का नकदीकरण हो जाने पर ऐसा अन्याय होने पर जिसका सुधार नहीं हो सकता है।’

आप कृपया अपने कार्यालयों को हमारे अनुदेशों से अवगत करायें और कार्यान्वयन करने के लिए उनसे कहें।

भवदीय,

(अमलेंदु घोष)

मुख्य महा प्रबंधक

बीपी. बीसी. 20 / 21.04.012/97

14 मार्च 1997
23 फाल्गुन 1918 (शक)

प्रिय महोदय,

जम्मू और कश्मीर राज्य में
व्यापार और उद्योग को छूट

कृपया आप हमारा 10 अप्रैल 1996 का परिपत्र

invoked guarantees:

“We are, therefore, of the opinion that the correct position of law is that commitment of banks must be honoured free from interference by the courts and it is only in exceptional cases, that is to say, in case of fraud or in case where irretrievable injustice would be done if bank guarantee is allowed to be encashed, the court should interfere.”

You may please advise your offices the contents of our instructions for implementation by them.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)

Chief General Manager

DBOD No. BP. BC. 20 / 21.04.012 / 97

March 14, 1997
Phalguna 23, 1918 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sirs,

RELAXATIONS TO TRADE AND
INDUSTRY IN THE STATE OF
JAMMU & KASHMIR

Please refer to our circular letter DBOD.

बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 48/21.04.012/96 देखें, जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्य में ऋणकर्ताओं/ग्राहकों को छूट/ऋण में ढील की अवधि 31 मार्च 1997 तक बढ़ाने की सूचना दी गयी है। यह निर्णय लिया गया है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में ऋणकर्ताओं/ग्राहकों को मौजूदा छूट/ऋण में ढील की अवधि आगे और एक वर्ष अर्थात् 31 मार्च 1998 तक बढ़ा दी जाये।

2. इस संबंध में अपने नियंत्रक/शाखा कार्यालयों को कृपया उपयुक्त अनुदेश जारी करें।

भवदीय,

(सी.आर. मुरलीधरन)

उप महा प्रबंधक

No.BP.BC.48/21.04.012/96 dated 10 April 1996 extending the period of concessions/ credit relaxations to the borrowers/customers in the State of Jammu & Kashmir upto 31 March 1997. It has been decided that the existing concessions/credit relaxations to borrowers/customers in the State of Jammu and Kashmir will continue to be operative for a further period of one year upto 31 March 1998.

2. Suitable instructions may please be issued to your controlling/branch offices in this regard.

Yours faithfully,

(C.R. Muralidharan)

Deputy General Manager.

औनिस्त्रवि सं. 27/04.02.01/96-97

15 अप्रैल 1997

IECD.No. 27/04.02.01/96-97

April 15, 1997

सभी वाणिज्य बैंकों के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक

**The Chairmen/Chief Executives
of all Commercial Banks**

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

निर्यात ऋण - ब्याज दरें

EXPORT CREDIT-INTEREST RATES

कृपया गवर्नर का दिनांक 15 अप्रैल 1997 का पत्र सं.सीपीसी.बीसी.162/07.01.279/96-97 देखें।

Please refer to Governor's letter No.CPC.BC.162/07.01.279/96-97 dated April 15, 1997.

2. उक्त पत्र के पैराग्राफ 17 (घ) के अनुसार यह निर्णय किया गया है कि दिनांक 16 अप्रैल 1997 से,

2. In terms of paragraph 17(d) of the above letter it has been decided that effective April

90 दिनों तक के पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर ब्याज दर, वर्तमान 13.0 प्रतिशत वार्षिक से बदलकर “13.0 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं” कर दी जाए। तदनुसार, दिनांक 16 अप्रैल 1997 से, मांग बिलों पर दिये जानेवाले पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर पारवहन अवधि (फेडॉय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट) तथा मीयादी बिलों पर दिये जानेवाले पोतलदानोत्तर ऋण पर 90 दिन तक की अवधि (जिसमें निर्यात बिलों की कुल अवधि, फेडॉय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट पारवहन अवधि और जहां लागू हो, अनुग्रह अवधि शामिल है) के लिए ब्याज की दर वर्तमान 13.0 प्रतिशत वार्षिक के स्थान पर “13.0 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं” होगी।

3. पोतलदान की तारीख से लेकर 90 दिनों से अधिक किन्तु 6 माह से कम अवधि वाले निर्यात ऋण पर ब्याज की दर 15.0 प्रतिशत वार्षिक अपरिवर्तित रहेगी। कुल 90 दिनों से अधिक अवधि के पोतलदानोत्तर रुपया ऋण के संबंध में ब्याज की उच्चतर दर केवल 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए होगी, अग्रिम की तारीख से नहीं।

4. हमारे 15 अप्रैल 1997 के निदेश बैं.प.वि.वि.सं. डीआइआर.बीसी. 39/13.07.01/97 तथा 16 अप्रैल 1997 से लागू होने वाली संशोधित उधार दरों को दर्शानेवाले अनुबंध की एक-एक प्रतिलिपि संलग्न है।

भवदीय,

(अ.क. सिद्दीकी)
मुख्य महा प्रबंधक

16,1997, the interest rate on post-shipment rupee credit upto 90 days be changed from the existing 13.0 per cent per annum to ‘not exceeding 13.0 per cent per annum’. Accordingly, effective April 16, 1997, the interest rates on post-shipment rupee credit on demand bills for transit period (as specified by FEDAI) and usance bills for total period comprising usance period of export bills, transit period as specified by FEDAI, and grace period wherever applicable) upto 90 days will be ‘not exceeding 13.0 per cent per annum’ as against the existing rate of 13.0 per cent per annum.

3. Interest rate on export credit beyond 90 days and upto 6 months from the date of shipment will remain unchanged at 15.0 per cent per annum. As before, in respect of post-shipment rupee credit beyond 90 days, the higher rate of interest will apply only for the period beyond 90 days and not from the date of advance.

4. A copy of our Directive DBOD.No.Dir.BC.39/13.07.01/97 dated April 15, 1997 together with an annexure setting out revised lending rates effective April 16, 1997 is enclosed.

Yours faithfully,

(A.Q. Siddiqi)
Chief General Manager

बैं.प.वि.वि.सं.डी.सी. 39 / 13.07.01/97

15 अप्रैल 1997
25 चैत्र 1919 (शक)

DBOD.No.BC. 39 / 13.07.01 / 97

April 15, 1997
Chaitra 25, 1919 (Saka)

अग्रिमों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बारे में संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा निदेश देता है कि इसकी 27 फरवरी 1993 की निदेशावली बैं.प.वि.वि.सं.डीआइआर. बीसी. 85/13.07.01/93 के अनुबंध की मद 3(2)(i) और 3(2)(ii)क के सामने निर्दिष्ट ब्याज-दरों को दिनांक 16 अप्रैल 1997 से, अनुबंध में दिये गये अनुसार परिवर्तित कर दिया जाए।

(जे.आर. प्रभु)

कार्यपालक निदेशक

INTEREST RATES ON ADVANCES

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that with effect from April 16, 1997, the interest rates indicated against item 3(2)(i) and 3(2)(ii)(a) of the Annexure to its Directive DBOD.No.Dir.BC. 85/13.07.01/93 dated February 27, 1993 be changed as given in the Annexure.

(J.R. Prabhu)

Executive Director

अनुबंध

ANNEXURE

	ब्याज की दर (प्रतिशत वार्षिक)	
	वर्तमान	नयी (16 अप्रैल 1997 से लागू)

3. निर्यात ऋण

(2) पोतलदानोत्तर ऋण

(i) मांग बिल	13.0	“13.0 से अधिक नहीं”
पारवहन अवधि के लिए (फेडाय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट)		

(ii) मीयादी बिल

(कुल अवधि हेतु जिसमें निर्यात बिलों की व्यवहारी अवधि, फेडाय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट पारवहन अवधि तथा जहां लागू हो, अनुग्रह अवधि शामिल हैं।)

क) 90 दिनों तक	13.0	“13.0 से अधिक नहीं”

.....

	Rate of interest (per cent per annum)	
	Existing	New (Effective from April 16, 1997)

3. Export Credit

(2) Post -shipment Credit

(i) Demand bills for	13.0	“Not
transit period (as		Exceeding
specified by FEDAI)		13.0”

(ii) Usance Bills

(for total period comprising usance period of export bills, transit period as specified by FEDAI, and grace period wherever applicable)

a) Upto 90 days	13.0	“Not Exceeding 13.0”

.....

15 अप्रैल 1997
25 चैत्र 1919 (शक)

April 15, 1997
Chaitra 25, 1919 (S)

सभी वाणिज्य बैंक

All Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sirs,

शेयरों की जमानत पर अग्रिम

ADVANCES AGAINST SHARES

कृपया आप हमारा 13 दिसम्बर 1983 का परिपत्र डीबीओडी.सं.एफओएल.बीसी. 100/सी.249-83 देखें, जिसके अनुसार कंपनी की ईक्विटी पूंजी के लिए प्रवर्तकों (प्रमोटर्स) का अंशदान उनके अपने संसाधनों से आना चाहिए। इस संबंध में गवर्नर महोदय के 15 अप्रैल 1997 के परिपत्र सं. सीपीसी. 162/07.01.279/96-97 के पैराग्राफ 17(जे) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। अब यह निर्णय लिया गया है कि बैंक नयी कंपनियों की ईक्विटी पूंजी में प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए कंपनियों को ऋण इस आशा से दे सकते हैं कि संसाधन जुटाये जा सकेंगे। ये ऋण निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर होंगे :

- (i) ऋणों के लिए मार्जिन और चुकौती की अवधि बैंकों द्वारा तय की जा सकती है।
- (ii) जमानत के रूप में दिये जानेवाले शेयरों की वास्तविकता और उनकी विपणन क्षमता के संबंध में बैंक संतुष्ट हो लें।
- (iii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की

Please refer to our circular DBOD.No.Fol. BC. 100/C.249-83 dated December 13, 1983, in terms of which promoters' contribution towards the equity capital of the company should come from their own resources. In this connection, a reference is invited to paragraph 17(j) of Governor's circular No.CPC.162/07.01.279/96-97 dated April 15, 1997. It has now been decided that banks may extend loans to corporates to meet the promoters' contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources subject to the following terms and conditions:

- (i) The margin and period of repayment of the loans may be determined by the banks.
- (ii) Banks should satisfy themselves about the genuineness and marketability of the shares offered as security.
- (iii) The provisions of Section 19(2) of

धारा 19 (2) के उपबंधों का पालन किया जाना चाहिए। इन उपबंधों के अनुसार कोई भी बैंकिंग कंपनी किसी भी कंपनी में, बंधक, रेहन अथवा पूर्ण स्वामी के रूप में कंपनी की चुकता शेयर पूंजी के 30 प्रतिशत अथवा अपनी चुकता पूंजी और प्रारक्षित निधियों के 30 प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक के शेयर नहीं रखेगी।

(iv) अंशतः भुगतान किये गये शेयरों पर ऋण स्वीकृत नहीं किये जाने चाहिए।

(v) प्रवर्तकों का अंशदान पूरा करने के लिए कंपनियों को मंजूर किये गये ऋण बैंकों के शेयरों में निवेश माने जाने चाहिए और इसलिए पिछले वर्ष की वृद्धिशील जमाराशियों के 5 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत आयेंगे। यह सीमा सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों सहित कंपनी निकायों के शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेशों के लिए निर्धारित की गयी है।

2. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे ऊपर दिये गये अनुसार कंपनियों को ऋण देने के लिए अपने निजी दिशा-निर्देश बनायें, जिनमें अपने हितों की रक्षा के लिए उचित सुरक्षात्मक उपाय हों और निदेशक मंडल का अनुमोदन हो।

भवदीया,

(श्यामला गोपीनाथ)

अपर मुख्य महा प्रबंधक

the Banking Regulation Act, 1949 should be complied with. In terms of these provisions, no banking company shall hold shares in any company whether as pledgee, mortgagee or absolute owner of an amount exceeding thirty per cent of the paid up share capital of the company or thirty per cent of its own paid up capital and reserves, whichever is less.

(iv) Loans should not be sanctioned against partly paid shares.

(v) Loans sanctioned to corporates for meeting promoters' contribution should be treated as banks' investments in shares and would thus come under the ceiling of 5 per cent of the incremental deposits of the previous year prescribed for investments in shares/convertible debentures of corporate bodies, including PSUs.

2. Banks are advised to formulate their own internal guidelines with appropriate safeguards to protect their interests with the approval of their Boards of Directors for grant of loans to corporates as indicated above.

Yours faithfully,

(Shyamala Gopinath)

Additional Chief General Manager

25 जून 1997
4 आषाढ़ 1919(शक)

June 25, 1997
Aashadha 4, 1919 (S)

सभी वाणिज्य बैंकों के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक

The Chairmen/Chief Executives
of all Commercial Banks,

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

निर्यात ऋण - ब्याज दरें

कृपया गवर्नर का दिनांक 25 जून 1997 का पत्र सं.सीपीसी.बीसी.163/07.01.279/96-97 देखें।

2. उक्त पत्र के पैराग्राफ 5 (ग) के अनुसार यह निर्णय किया गया है कि पोतलदानोत्तर रुपया ऋण ब्याज दर घटा दी जाए। तदनुसार, दिनांक 26 जून 1997 से मांग बिलों पर दिए जानेवाले पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर पारवहन अवधि (फेडाय द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट) तथा मीयादी बिलों पर दिए जानेवाले पोतलदानोत्तर ऋण पर कुल 90 दिन तक की अवधि (जिसमें निर्यात बिलों की व्यवहारी अवधि, फेडाय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट पारवहन अवधि और जहां लागू हो, अनुग्रह अवधि शामिल है) के लिए ब्याज की दर बदलकर “12.0 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं” कर दी गयी है और पोतलदान की तारीख से लेकर 90 दिनों से अधिक और 6 माह तक की अवधि के मीयादी बिलों पर दिये जानेवाले ऋण पर ब्याज की दर घटाकर 14.0 प्रतिशत वार्षिक कर दी गयी है। कुल 90 दिनों से अधिक के पोतलदानोत्तर रुपया ऋण के संबंध में ब्याज की उच्चतर दर पहले की तरह केवल 90 दिनों के बाद की अवधि के लिए होगी, अग्रिम की तारीख से नहीं।

EXPORT CREDIT-INTEREST RATES

Please refer to Governor's letter No.CPC.BC.163/07.01.279/96-97 dated June 25, 1997.

2. In terms of paragraph 5(c) of the above letter it has been decided to reduce the interest rates on post-shipment rupee credit. Accordingly, effective June 26, 1997, the interest rate on post-shipment rupee credit on demand bills for transit period (as specified by FEDAI) and on usance bills for a total period (comprising usance period of export bills, transit period as specified by FEDAI, and grace period wherever applicable) upto 90 days is changed to 'Not Exceeding 12 per cent per annum' and that on usance bills for total period beyond 90 days and upto six months from the date of shipment is reduced to '14.0 per cent per annum'. As before, in respect of post-shipment rupee credit beyond 90 days, the higher rate of interest will apply only for the period beyond 90 days and not from the date of advance.

3. हमारे 25 जून 1997 के निदेश बैं.प.वि.वि.सं. डीआइआर.बीसी. 13.07.01/97 तथा वर्तमान दरों और 26 जून 1997 से लागू होनेवाली नयी उधार दरों को दर्शानेवाले अनुबंध की एक-एक प्रतिलिपि संलग्न है।

भवदीय,

(अ.क. सिद्दीकी)
मुख्य महा प्रबंधक

बैं.प.वि.वि.सं.बीसी. 75 / 13.07.01/97

25 जून 1997
4 आषाढ़ 1919 (शक)

अग्रिमों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बारे में संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा निदेश देता है कि इसकी 27 फरवरी 1993 की निदेशावली बैं.प.वि.वि.सं.डीआइआर. बीसी. 85/13.07.01/93 के अनुबंध की मद 3(2)(i), 3(2)(ii)(क) और 3(2)(ii)(ख) के सामने निर्दिष्ट ब्याज-दरों को, दिनांक 26 जून 1997 से, अनुबंध में दिये गये अनुसार परिवर्तित कर दिया जाए।

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

3. A copy of our Directive DBOD No. Dir.BC. /13.07.01/97 dated June 25, 1997 together with an annexure setting out existing and the new interest rate structure on post-shipment rupee credit effective June 26, 1997 is enclosed.

Yours faithfully,

(A.Q. Siddiqi)
Chief General Manager

DBOD No. BC. 75 / 13.07.01 / 97

June 25, 1997
Aashadha 4, 1919 (S)

INTEREST RATES ON ADVANCES

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that with effect from June 26, 1997, the interest rates indicated against item 3(2)(i), 3(2)(ii)(a) and 3(2)(ii)(b) of the Annexure to its Directive DBOD.No.Dir.BC.85/13.07.01/93 dated February 27, 1993 be changed as given in the Annexure.

(S. Gurumurthy)
Executive Director

अनुबंध

ब्याज की दर
(प्रतिशत वार्षिक)

वर्तमान	नयी (26 जून 1997 से लागू)

3. निर्यात ऋण

(2) पोतलदानोत्तर ऋण

- (i) मांग बिल '13.0 से '12.0 से
पारवहन अवधि अधिक नहीं'
के लिए (फेडाय अधिक
द्वारा यथाविनिर्दिष्ट) नहीं'

- (ii) मीयादी बिल
(कुल अवधि हेतु जिसमें
निर्यात बिलों की व्यवहारी
अवधि, फेडाय द्वारा
यथाविनिर्दिष्ट पारवहन
अवधि तथा जहां लागू हो,
अनुग्रह अवधि शामिल हैं।)

- क) 90 दिनों तक '13.0 से '12.0 से
अधिक नहीं' अधिक नहीं'

- ख) पोतलदान की तारीख 15.0 14.0
से 90 दिनों से अधिक
और छह महीने तक

ANNEXURE

Rate of interest
(per cent per annum)

Existing	New (Effective June 26, 1997)

3. Export Credit

(2) Post -shipment Credit

- (i) Demand Bills for 'Not 'Not
transit period Exceeding Exceeding
(as specified by 13.0' 12.0'
FEDAI)

- (ii) Usance Bills

(for total period
comprising usance
period of export
bills, transit
period as specified
by FEDAI, and grace
period wherever
applicable)

- a) Upto 90 days 'Not 'Not
Exceeding Exceeding
13.0' 12.0'
b) Beyond 90 days 15.0 14.0
and upto six
months from the
date of shipment

12 सितम्बर 1997
21 भाद्र 1919(शक)

September 12, 1997
Bhadra 21, 1919 (S)

सभी वाणिज्य बैंकों के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक

The Chairmen/Chief Executives
of all Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

निर्यात ऋण - पोतलदानोत्तर रुपया
ऋण पर ब्याज-दरें

**EXPORT CREDIT-INTEREST RATES
ON POST SHIPMENT RUPEE CREDIT**

कृपया उप गवर्नर का दिनांक 12 सितम्बर 1997 का पत्र सं.सीपीसी.बीसी.164/07.01.279/97-98 देखें।

Please refer to Deputy Governor's letter No.CPC.BC.164/07.01.279/97-98 dated September 12, 1997.

2. उपर्युक्त पत्र के पैराग्राफ (ii) के अनुसार 13 सितम्बर 1997 से पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर ब्याज दरों में संशोधन किया गया है। तदनुसार मांग बिलों पर दिये जानेवाले पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर पारवहन अवधि (फेडाय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट) तथा मीयादी बिलों पर दिये जानेवाले पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर 90 दिन तक की कुल अवधि (जिसमें निर्यात बिलों की व्यवहारी अवधि, फेडाय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट पारवहन अवधि और जहाँ भी लागू हो, अनुग्रह अवधि शामिल है) के लिए ब्याज की दर बदलकर "11.0 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं" कर दी गयी है तथा पोतलदान की तारीख से लेकर 90 दिनों से अधिक, परंतु छह माह तक की कुल अवधि के मीयादी बिलों पर दिये जानेवाले ऋण पर ब्याज की दर घटाकर "13 प्रतिशत वार्षिक" कर दी गयी है। 90 दिनों से अधिक और छह महीनों तक की कुल अवधि वाले मीयादी बिलों पर 13 प्रतिशत की ब्याज दर अग्रिम की तारीख से लागू होगी। इस संबंध में जारी किये गये दिनांक 12

2. In terms of paragraph (ii) of the above letter, interest rates on post-shipment rupee credit have been revised with effect from September 13, 1997. Accordingly, the interest rate on post-shipment rupee credit on demand bills for transit period (as specified by FEDAI) and on usance bills for a total period (comprising usance period of export bills, transit period as specified by FEDAI and grace period wherever applicable) upto 90 days is changed to 'Not Exceeding 11 per cent per annum' and that on usance bills for total period beyond 90 days and upto six months from the date of shipment is reduced to '13 per cent per annum'. The interest rate of 13 per cent on usance bills for total period beyond 90 days and upto six months will be applicable from the date of advance. A copy of our Directive DBOD No.DIR.BC. 104/13.07.01/97 dated September 12, 1997, issued

सितम्बर 1997 के हमारे निदेश बैंपवि.सं. डीआइआर बीसी. 104/13.07.01/97 की एक प्रति आपकी सूचना के लिए संलग्न है (संलग्नक - I)

3. ब्याज की दर में संशोधन नये अग्रिमों पर ही नहीं, बल्कि दिनांक 24 मार्च 1986 के परिपत्र बैंपवि.सं. डीआइआर.बीसी. 38/सी.96/86 में निर्दिष्ट किये अनुसार मौजूदा बकाया राशियों पर भी लागू होगा। तदनुसार यह स्पष्ट किया जाना है कि जहाँ बकाया राशि 90 दिनों से अधिक और छह महीनों तक की कुल अवधि के निर्यात बिल पर मूल रूप से अनुमत ऋण से संबंधित है, वहाँ 13 प्रतिशत की ब्याज-दर मूल ऋण की शेष अवधि के लिए 13 सितम्बर 1997 से लागू होगी।

4. 13 सितम्बर 1997 से प्रभावी निर्यात ऋण पर ब्याज दर का ढाँचा परिपत्र के संलग्नक-II में दिया गया है।

भवदीय,

(ए. चंद्रमौलीश्वरन्)
मुख्य महा प्रबंधक

in this regard is enclosed for your information.
(Annexure-I).

3. The revision in the interest rate will be applicable not only to fresh advances but also to the existing outstanding amounts as indicated in circular DBOD.No. Dir.BC. 38/C.96/86 dated 24 March 1986. Accordingly it is clarified that where the amount outstanding relates to the credit originally allowed on an export bill for a total period over 90 days and upto six months, the interest rate of 13 per cent would apply, with effect from September 13, 1997, for the remaining period of original credit.

4. The interest rate structure on export credit effective from September 13, 1997 is furnished in Annexure-II of the Circular.

Yours faithfully,

(A. Chandramouliswaran)
Chief General Manager

12 सितम्बर 1997
21 भाद्र 1919 (शक)

September 12, 1997
Bhadra 21, 1919 (Saka)

अग्रिमों पर ब्याज-दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बारे में संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा निदेश देता है कि उसके दिनांक 27 फरवरी 1993 के निदेश बैंपवि.सं.डीआइआर. बीसी. 85/13.07.01/93 के अनुबंध की मद 3(2)(i), 3(2)(ii)(क) और 3(2)(ii)(ख) के सामने निर्दिष्ट ब्याज-दरों को दिनांक 13 सितम्बर 1997 से, परिशिष्ट में दिये गये अनुसार परिवर्तित कर दिया जाए।

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

INTEREST RATES ON ADVANCES

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that with effect from September 13, 1997, the interest rates indicated against items 3(2)(i), 3(2)(ii)(a) and 3(2)(ii)(b) of the Annexure to its Directive DBOD.No.Dir.BC.85/13.07.01/93 dated February 27, 1993 be changed as given in the Appendix.

(S. Gurumurthy)
Executive Director

अनुबंध - I का परिशिष्ट

(Appendix to Annexure -I)

ब्याज की दर (प्रतिशत वार्षिक)	
वर्तमान	नई (13 सितम्बर 1997 से लागू)

Rate of interest (per cent per annum)	
Existing	New (Effective September 13, 1997)

3. निर्यात ऋण

3. Export Credit

(2) पोतलदानोत्तर ऋण

(2) Post -shipment Credit

(i) मांग बिल “12.0 से “11.0 से
पारवहन अवधि अधिक नहीं” अधिक नहीं”
के लिए (फेडाय
द्वारा यथाविनिर्दिष्ट)

(i) Demand Bills for ‘Not ‘Not
transit period Exceeding Exceeding
(as specified by 12.0’ 11.0’
FEDAI)

(ii) मीयादी बिल

(ii) Usance Bills

(कुल अवधि जिसमें
निर्यात बिलों की व्यवहारी
अवधि, फेडाय द्वारा
यथाविनिर्दिष्ट पारवहन
अवधि तथा जहां लागू हो,
अनुग्रह अवधि शामिल हैं।)

(for total period
comprising usance
period of export
bills, transit
period as specified
by FEDAI, and grace
period wherever
applicable)

क) 90 दिनों तक “12.0 से “11.0 से
अधिक नहीं” अधिक नहीं”

ख) पोतलदान की तारीख 14.0 13.0
से 90 दिनों से अधिक (अग्रिम की
और छह महीने तक तारीख से)

a) Upto 90 days ‘Not ‘Not
Exceeding Exceeding
12.0’ 11.0’

b) Beyond 90 days 14.0 13.0
and upto six (from the
months from the date of
date of shipment advance)

अनुबंध - II

Annexure -II

ब्याज की दर
(प्रतिशत वार्षिक)

Rate of interest
(per cent per annum)

निर्यात ऋण

Export Credit

(1) पोतलदान-पूर्व ऋण

(1) Pre-shipment Credit

(i) (क) 180 दिनों तक 13.00

(i) (a) Upto 180 days 13.00

(ख) 180 दिनों से अधिक
और 270 दिनों तक 15.00

(b) Beyond 180 days
and upto 270 days 15.00

(ii) भारतीय निर्यात ऋण और
गारंटी निगम (ईसीजीसी)
की गारंटी द्वारा रक्षित
सरकार से प्राप्य प्रोत्साहनों
की जमानत पर (90 दिनों तक) 13.00

(ii) Against incentives
receivable from
Government covered by
ECGC Guarantee (upto
90 days) 13.00

(2) पोतलदानोत्तर ऋण

(2) Post -shipment Credit

(i) पारवहन अवधि 11.0 से
हेतु माँग बिल (फेडाय
द्वारा यथाविनिर्दिष्ट) अधिक नहीं

(i) Demand bills for Not
transit period (as Exceeding
specified by FEDAI) 11.00

(ii) मीयादी बिल
(कुल अवधि हेतु जिसमें
निर्यात बिलों की व्यवहारी
अवधि, फेडाय द्वारा
यथाविनिर्दिष्ट पारवहन
अवधि तथा जहां लागू हो,
अनुग्रह अवधि शामिल हैं।)
क) 90 दिनों तक

11.0 से
अधिक नहीं

(ii) Usance Bills
(For total period
comprising usance
period of export
bills, transit
period as specified
by FEDAI, and grace
period wherever
applicable)
a) Upto 90 days Not
Exceeding
11.00

ख) पोतलदान की तारीख से लेकर 90 दिनों से अधिक तथा 6 महीने तक की अवधि के लिए	13.0 (अग्रिम की तारीख से)	b) Beyond 90 days and upto six months from the date of shipment	13.0 (from the date of advance)
(iii) पोतलदान की तारीख से 6 महीने की अवधि से अधिक के लिए	मुक्त*	(iii) Beyond six months from the date of shipment	Free*
(iv) ईएमजीसी की गारंटी द्वारा रक्षित सरकार से प्राप्य प्रोत्साहनों की जमानत पर (90 दिनों तक)	13.00	(iv) Against incentives receivable from Government covered by ECGC Guarantee (upto 90 days)	13.00
(v) अनाहरित शेष की जमानत पर (90 दिनों तक)	13.00	(v) Against undrawn balance (upto 90 days)	13.00
(vi) पोतलदान की तारीख से 1 वर्ष के भीतर देय प्रतिधारण राशि (केवल आपूर्ति भाग के लिए) की जमानत पर (90 दिनों तक)	13.00	(vi) Against retention money (for supplies portion only) payable within one year from the date of shipment (upto 90 days)	13.00
(3) आस्थगित ऋण		(3). Deferred Credit	
180 दिनों से अधिक की अवधि के लिए आस्थगित ऋण	मुक्त* (अग्रिम की तारीख से)	Deferred credit for the period beyond 180 days	Free* (from the date of advance)
(4) अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया निर्यात ऋण	मुक्त*	(4). Export credit not otherwise specified	Free*

* ब्याज दर निर्धारित करने के लिए बैंक स्वतंत्र हैं

* Banks are free to determine the rate

21 अक्टूबर 1997
29 आश्विन 1919 (शक)

October 21, 1997
Ashwina 29, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

अग्रिमों पर ब्याज दरें

INTEREST RATES ON ADVANCES

कृपया आप 21 सितम्बर 1990 का हमारा परिपत्र डीबीओडी.सं.डीआइआर.बीसी. 19/सी. 96-90 देखें, जिसके साथ उसी तारीख का निदेश डीबीओडी. सं.डीआइआर.बीसी. 18/सी.96-90 भेजा गया है तथा उक्त विषय पर बाद में हमारे द्वारा समय-समय पर जारी किये गये प्रासंगिक परिपत्र भी देखें। इस संबंध में आपका ध्यान गवर्नर के 21 अक्टूबर 1997 के परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी. 165/07.01.279/97-98 की ओर आकर्षित किया जाता है।

Please refer to our circular DBOD. No. Dir. BC. 19/C.96-90 dated September 21, 1990 forwarding the Directive DBOD.No. Dir. BC. 18/C.96/90 of even date as also relevant subsequent circulars issued by us from time to time on the above mentioned subject. In this connection, your attention is invited to our Governor's circular No.CPC.BC.165/07.01.279/97-98 dated October 21, 1997.

2. 22 अक्टूबर 1997 से अग्रिमों पर ब्याज दरों में निम्नलिखित परिवर्तन लागू होंगे :

2. The following changes in the interest rates on advances will become effective from October 22, 1997.

(i) उधार दर

(i) Lending Rates

अब तक रु.25,000 तक की ऋण सीमाओं पर उधार दर 12 प्रतिशत वार्षिक थी तथा रु. 25,000 से अधिक और रु. 2 लाख तक की ऋण सीमाओं के लिए यह दर 13.5 प्रतिशत वार्षिक थी। अब 21 अक्टूबर 1997 के उक्त परिपत्र के पैरा 17 (जी)(i) के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि रु. 25,000

Hitherto, the lending rate for credit limits upto Rs.25,000 was 12 per cent per annum and for credit limits of over Rs. 25,000 and upto Rs. 2 lakhs, the rate was 13.5 per cent per annum. Now in terms of paragraph 17(g)(i) of aforementioned circular dated October 21, 1997, it has been decided that in

से अधिक तथा रु. 2 लाख तक के ऋण स्तर में आनेवाले उधारकर्ताओं के संबंध में उधार दर '13.5 प्रतिशत वार्षिक से अनधिक' होगी। वाणिज्य बैंकों की मौजूदा और संशोधित उधार दरों का विन्यास निम्नानुसार होगा :

वाणिज्य बैंकों की उधार दरें

ऋण सीमा की मात्रा	(प्रतिशत वार्षिक)	
	मौजूदा दरें	नयी दरें
		(22 अक्टूबर 1997 से लागू)
रु. 25,000 तक	12.0	12.0
रु. 25,000 से अधिक और रु. 2 लाख तक	13.5	'13.5 से अनधिक'
रु. 2 लाख से अधिक	मुक्त	मुक्त

(ii) 3 वर्ष और उससे अधिक के मीयादी ऋणों पर ब्याज दरें

21 अक्टूबर 1997 के उक्त परिपत्र के पैरा 17(जी)(ii) के अनुसार बैंक अपने बोर्डों के अनुमोदन से तीन वर्ष और उससे अधिक के मीयादी ऋणों के लिए अलग मूल मीयादी उधार दरें घोषित कर सकते हैं।

(iii) रुपया निर्यात ऋण संबंधी

ब्याज दरों को युक्तिसंगत बनाना

21 अक्टूबर 1997 के परिपत्र आईसीडी.सं. 11/04.02.01/97-98 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें बैंकों को 21 अक्टूबर 1997 के गवर्नर के उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 17(एच)(i) और

respect of the borrowers in the credit limit of over Rs. 25,000 and upto Rs.2 lakhs the lending rate shall be 'not exceeding 13.5 per cent per annum'. The existing and the revised structure of lending rates of commercial banks are set out below:

Commercial Banks' Lending Rates

Size of Credit Limit	(Per cent per annum)	
	Existing Rates	New Rates (Effective October 22, 1997)
Upto and inclusive of Rs. 25,000/-	12.0	12.0
Over Rs. 25,000/- and upto Rs. 2 lakhs	13.5	'not exceeding 13.5'
Over Rs. 2 lakhs	Free	Free

(ii) Interest Rates on Term

Loans of 3 years and above

In terms of paragraph 17(g) (ii) of the aforementioned Circular dated October 21, 1997 banks can announce with the approval of their Boards, separate Prime Term Lending Rates (PTLR) for term loans of three years and above.

(iii) Rationalisation of Interest

Rates on Rupee Export Credit

A reference is invited to circular IECD.No. 11/04.02.01/97-98 dated October 21, 1997 advising banks of the revised interest rates structure on pre-shipment and post-

(ii) में बताया गया पोतलदान पूर्व और पोतलदानोत्तर रुपया ऋण से संबंधित संशोधित ब्याज दर ढांचा सूचित किया गया है।

**(iv) आवास वित्त मध्यवर्ती एजेंसियों को
बैंक वित्त के लिए ब्याज दरें**

21 अक्टूबर 1997 के गवर्नर के परिपत्र के पैरा 17 (आइ) के अनुसार यह निर्धारण कि बैंकों को 2 लाख रु. से अधिक की ऋण सीमाओं के लिए प्रत्येक बैंक की मूल उधार दर से 1.5 प्रतिशत अंक कम पर अंतिम हिताधिकारियों को आगे उधार देने के लिए आवास वित्त मध्यवर्ती एजेंसियों को वित्त प्रदान करना चाहिए, 22 अक्टूबर 1997 से समाप्त कर दिया गया है। अब से बैंकों को आवास वित्त मध्यवर्ती एजेंसियों को वित्त प्रदान करने के संबंध में अलग दरों पर ब्याज लगाने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वे मूल उधार दर से कम हों।

3. 21 अक्टूबर 1997 का निर्देश बैंपवि. सं. 123/13.07.01/97-98 तथा साथ ही 22 अक्टूबर 1997 से वाणिज्य बैंकों के अग्रिमों के लिए ब्याज दर के विन्यास का संशोधित अनुबंध संलग्न हैं।

भवदीया,

(श्यामला गोपीनाथ)

अपर मुख्य महा प्रबंधक

shipment rupee credit as contemplated in paragraphs 17(h) (i) & (ii) of Governor's aforesaid Circular dated October 21, 1997.

**(iv) Interest Rates on Bank
Finance to Housing Finance
Intermediary Agencies**

In terms of paragraph 17 (i) of Governor's circular dated October 21, 1997, the stipulation that banks should extend finance to housing finance intermediary agencies for onlending to ultimate beneficiaries at 1.5 percentage points below each bank's prime lending rate for credit limits of 'over Rs.2 lakhs' stands withdrawn with effect from October 22, 1997. Banks would, henceforth, be allowed to charge interest at different rates provided they are below the prime lending rate, to housing finance intermediary agencies.

3. A directive DBOD. No. 123/13.07.01/97-98 dated October 21, 1997 together with a revised annexure setting out the interest rate structure for advances of commercial banks effective October 22, 1997 is enclosed.

Yours faithfully,

(Shyamala Gopinath)

Additional Chief General Manager

21 अक्टूबर 1997
29 आश्विन 1919(शक)

October 21, 1997
Ashwina 29, 1919 (Saka)

अग्रिमों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा निदेश देता है कि समय-समय पर संशोधित 21 सितंबर 1990 के उसके निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 18/सी.96/90 का अनुबंध 22 अक्टूबर 1997 से इस निदेश से संलग्न संशोधित अनुबंध द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

2. समय-समय पर यथासंशोधित 21 सितंबर 1990 के उपर्युक्त निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

INTEREST RATES ON ADVANCES

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that with effect from October 22, 1997, the Annexure to its directive DBOD.No. Dir. BC. 18/C. 96/90 dated September 21, 1990, as amended from time to time, shall be substituted by the revised Annexure enclosed to this directive.

2. All other terms and conditions contained in the directive dated September 21, 1990 *ibid.*, as amended from time to time, shall remain unchanged.

(S. Gurumurthy)
Executive Director

अनुबंध

22 अक्टूबर 1997 से लागू वाणिज्य बैंकों के
रुपया अग्रिमों के लिए ब्याज दरों का विन्यास
(ब्याज कर छोड़कर)

ब्याज दर
(प्रतिशत वार्षिक)

सीमा की मात्रा	वर्तमान मीयादी ऋण सहित सभी अग्रिम	संशोधित (22 अक्टूबर 1997 से लागू)
1 (क) रु.25,000 तक	12.0	12.0
(ख) रु.25,000/- से अधिक और 2 लाख रुपये तक	13.5	13.5 से अधिक नहीं
(ग) 2 लाख रुपये से अधिक	मुक्त	मुक्त
2 (i) उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद के लिए ऋण	मुक्त	मुक्त
(ii) शेयरों और डिबेंचरों/ बांडों पर व्यक्तियों को ऋण	मुक्त	मुक्त
(iii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में न आनेवाले अन्य निजी ऋण	मुक्त	मुक्त

3 चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत आनेवाले पण्यों के
लिए उधार ब्याज दर

ANNEXURE

Interest rate structure for rupee advances
of commercial banks effective from
October 22, 1997 (excluding interest tax)

Size of limit	Rate of interest (per cent per annum)	
	Existing All advances including Term loans	Revised (effective October 22, 1997)
1 (a) Upto and inclusive of Rs.25,000	12.0	12.0
(b) Over Rs. 25,000 and upto Rs.2 lakhs	13.5	Not exceeding 13.5
(c) Over Rs. 2 lakhs	Free	Free
2 (i) Loans for purchase of consumer durables	Free	Free
(ii) Loans to individuals against shares and debentures/bonds	Free	Free
(iii) Other non-priority sector personal loans	Free	Free

3 Lending rate for commodities coming within the
purview of Selective Credit Control (SCC)

चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत आनेवाले पण्यों पर दिये जानेवाले ऋण/अग्रिम/नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट	मुक्त	मुक्त	Loans/Advances/Cash Credit/Overdrafts against commodities subject to SCC	Free	Free

4. निर्यात ऋण

(1) पोतलदानपूर्व ऋण

(i) (क) 180 दिन तक	13.0	12.0
(ख) 180 दिन से अधिक और 270 दिन तक	15.0	14.0
(ii) भा.नि.ऋ.गा.निगम की गारंटी में शामिल सरकार से प्राप्त नकदी प्रोत्साहनों पर (90 दिन तक)	13.0	12.0

(2) पोतलदान के बाद का ऋण

(i) मांग बिल - मार्गस्थ अवधि के लिए (जैसा कि भा.वि.मु.व्या.संघ द्वारा विनिर्दिष्ट है)	11.0 से अधिक नहीं	11.0 से अधिक नहीं
(ii) मीयादी बिल (निर्यात बिल की मीयादी अवधि, मार्गस्थ अवधि, जैसा कि भा.वि.मु.व्या. संघ द्वारा विनिर्दिष्ट है, और जहां लागू हो, वहां छूट अवधि को मिलाकर कुल अवधि)		
(क) 90 दिन तक	11.0 से अधिक नहीं	11.0 से अधिक नहीं

4. Export Credit

(1) Pre-shipment credit

(i) (a) Upto 180 days	13.0	12.0
(b) Beyond 180 days and upto 270 days	15.0	14.0
(ii) Against incentives receivable from Government covered by ECGC guarantee (upto 90 days)	13.0	12.0

(2) Post -shipment credit

(i) Demand bills for transit period (as specified by FEDAI)	Not exceeding 11.0	Not exceeding 11.0
(ii) Usance Bills (For total period comprising usance period of export bills, transit period as specified by FEDAI, and grace period wherever applicable)		
(a) Upto 90 days	Not exceeding 11.0	Not exceeding 11.0

(ख) 90 दिन से अधिक और पोतलदान की तारीख से छः महीने तक	13.0	13.0	(अग्रिम की तारीख से) 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए)	(b) Beyond 90 days and upto 6 months from date of Shipment	13.0	13.0	(from the date of advance) (only for period beyond 90 days)
(ग) पोतलदान की तारीख से छः महीने से अधिक	मुक्त	मुक्त		(c) Beyond six months from the date of shipment	Free	Free	
(iii) भा.नि.क्र.गा.निगम की गारंटी द्वारा रक्षित सरकार से प्राप्य प्रोत्साहनों पर (90 दिन तक)	13.0	11.0 से अधिक नहीं		(iii) Against incentives receivable from Government covered by ECGC Guarantee (upto 90 days)	13.0	Not exceeding 11.0	
(iv) अनाहरित शेष राशि पर (90 दिन तक)	13.0	11.0 से अधिक नहीं		(iv) Against undrawn balances (upto 90 days)	13.0	Not exceeding 11.0	
(v) पोतलदान की तारीख से एक वर्ष से भीतर देय प्रतिधारण धन पर (केवल आपूरित भाग के लिए) (90 दिन तक)	13.0	11.0 से अधिक नहीं		(v) Against retention money (for supplies portion only) payable within one year from the date of shipment (upto 90 days)	13.0	Not exceeding 11.0	
(3) आस्थगित ऋण				(3) Deferred Credit			
180 दिन से अधिक अवधि के लिए आस्थगित ऋण	मुक्त	मुक्त		Deferred credit for the period beyond 180 days	Free	Free	
(4) अन्यथा अविनिर्दिष्ट निर्यात ऋण	मुक्त	मुक्त		(4) Export Credit not otherwise specified	Free	Free	
(5) विभेदक व्याज दर अग्रिम	4.0	4.0		(5) DRI advances	4.0	4.0	

(6) (क) अंतिम हिताधिकारियों और निविष्ट सहायता देनेवाली एजेंसियों को आगे ऋण देने के लिए मध्यवर्ती एजेंसियों (आवास को छोड़कर) को प्रदत्त वित्त	अंतिम हिताधिकारियों तथा निविष्ट सहायता देनेवाली एजेंसियों को आगे ऋण देने के लिए मध्यवर्ती एजेंसियों (आवास सहित) को प्रदत्त वित्त के लिए 2 लाख रुपये से अधिक के अग्रिमों की श्रेणी की ऋण सीमाओं के लिए प्रत्येक बैंक की मूल उधार दर से 1.5 प्रतिशत अंक कम की दर होगी।	(6) (क) अंतिम हिताधिकारियों तथा निविष्ट सहायता देनेवाली एजेंसियों को आगे ऋण देने के लिए मध्यवर्ती एजेंसियों (आवास को छोड़कर) को प्रदत्त वित्त के लिए 2 लाख रुपये से अधिक के अग्रिमों की श्रेणी की ऋण सीमाओं के लिए प्रत्येक बैंक की मूल उधार दर से 1.5 प्रतिशत अंक कम की दर होगी।	(6)(a) Finance granted to inter- mediary agencies (excluding those for housing) for on lending to ultimate beneficiaries and agencies providing input support.	For finance granted to in- termediary agencies (in- cluding those for housing) for on lending to ultimate beneficiaries and agencies providing in- put support, the rate will be 1.5 percentage points below each bank's prime lending rate for credit limits in the category of advances over Rs. 2 lakhs.	(6)(a) For finance granted to intermediary agencies (excluding those for housing) for on lending to ultimate beneficiaries and agencies providing input support, the rate will be 1.5 percentage points below each bank's prime lending rate for credit limits in the category of advances over 2 lakhs.
(6) (ख) अंतिम हिताधिकारियों को आगे ऋण देने के लिए आवास वित्त मध्यवर्ती एजेंसियों को प्रदत्त वित्त		(6)(ख) आवास वित्त मध्यवर्ती एजेंसियों को प्रदत्त वित्त के लिए विभिन्न दरों पर ब्याज, बशर्ते वे लागू मूल उधार दर से कम हों।	(6)(b) Finance granted to housing finance intermediary agencies for onlending to ultimate beneficiaries		(6)(b) For finance granted to housing finance inter- mediary agencies interest at different rates provided they are below the applicable prime lending rate

टिप्पणी :

जहां ऋण प्रा.कृ.ऋ.स./बड़े आकार की बहु उ. स./कृ.से.स. के माध्यम से दिए जाने हैं, वहां बैंकों द्वारा प्रा. कृ. ऋ. स./बड़े आकार की बहु उ. स./कृ. से. स. से लिये जानेवाले ब्याज की दर ऊपर मद 1 (क) और 1(ख) में बतायी गयी अंतिम ऋणकर्ता के लिए लागू दरों से 1.5 प्रतिशत अंक कम होगी। मद 1(ग) के

NOTE :

Where loans are routed through PACS/LAMPS/FSS the rate of interest to be charged by banks to the PACS/LAMPS/FSS shall be 1.5 percentage points lower than the rates to the ultimate borrowers indicated in item 1(a) and 1(b) above. In respect of item 1(c), the

संदर्भ में दर प्रत्येक बैंक की उपयुक्त मूल उधार दर से 1.5 प्रतिशत अंक कम होगी।

rate will be 1.5 percentage points below the appropriate prime lending rate of each bank.

बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी सं.133 / 13.01.09/97

DBOD.No.Dir. BC.No.133/13.01.09/97

21 अक्तूबर 1997
29 आश्विन 1919 (शक)

October 21, 1997
Ashwina 29, 1919 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

All Scheduled Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक)
योजना (एफसीएनआर) (बी)/एकत्रित
(पूल्ड) संसाधनों की जमानत पर ऋण

LOANS AGAINST FOREIGN CURRENCY (NON-RESIDENT) ACCOUNT (BANKS) SCHEME [FCNR(B)]/POOLED RESOURCES

कृपया एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर 29 अप्रैल 1993 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 116/13.01.09/93 के खंड (viii) का अवलोकन करें। इस संबंध में, आपका ध्यान गवर्नर के 21 अक्तूबर 1997 के परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी. 165/07.01.279/97-98 के पैराग्राफ 17 (जी) (iii) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

Please refer to clause (viii) of our circular DBOD. No. BC. 116/13.01.09/93 dated April 29, 1993 on FCNR(B) deposits. In this connection, attention is invited to paragraph 17 (g)(iii) of Governor's circular No.CPC.BC.165/07.01.279/97-98 dated October 21, 1997.

2. मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, ऐसी जमाराशियों के प्रति रुपया ऋणों और अग्रिमों पर प्रभार्य ब्याज दरें निम्नानुसार हैं :

2. In terms of extant instructions, interest chargeable on rupee loans and advances, against such deposits are as under:

एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के प्रति ऋण

श्रेणी	प्रभार्य ब्याज
जमाकर्ताओं के प्रति	
(क) यदि विदेशी मुद्रा प्रेषण अथवा एफसीएनआर (बी) जमाराशियों की परिपक्वता राशियों में से चुकौती की गयी	जमा दर से 2% अधिक
(ख) यदि स्थानीय रुपया संसाधनों अर्थात् अनिवासी सामान्य खातों से चुकौती की गयी	रु. 2 लाख से ऊपर के अग्रिमों पर लागू ब्याज की वाणिज्यिक दर
II. तीसरे पक्षकारों को	भा.रि. बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अग्रिमों पर लागू ब्याज दर निदेश के अनुसार
III. एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के एकत्रित संसाधनों में से ऋण	किसी उधार दर की शर्त के अधीन नहीं

3. युक्तीकरण के मामले के रूप में, अब यह निर्णय लिया गया है कि एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के प्रति दिये जानेवाले ऐसे ऋणों तथा अग्रिमों पर अथवा योजना के अंतर्गत जुटाये गये संसाधनों में से दी गयी ऋण राशियों पर बहुल निर्धारणों को दूर किया जाए; तदनुसार ये ऋण और अग्रिम अब अग्रिमों पर जारी हमारे ब्याज दर निदेश की सीमा में आएंगे। इस संदर्भ में, कृपया 21 अक्टूबर 1997 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं. डीआइआर. बीसी. 124/13.07.01/97-98 देखें।

Loans against FCNR(B) deposits

Category	Interest chargeable

I To the depositors

(a) If repaid out of foreign currency remittance or maturity proceeds of FCNR(B) deposits	2% over the deposit rate.
(b) If repaid out of local rupee resources i.e. from NRO accounts	Commercial rate of interest applicable to advances over Rs.2 lakhs

II. To third parties As per interest rate directive on advances issued by RBI from time to time

III. Loans out of pooled resources of FCNR(B) deposits Not subject to any lending rate stipulation

3. As a matter of rationalisation, it has now been decided to dispense with the multiple prescriptions on such loans and advances against FCNR(B) deposits or lendings out of resources mobilised under the scheme; accordingly these loans and advances would now come under the purview of our interest rate directive on advances. In this context, please refer to our circular DBOD. No. DIR. BC. 124/13.07.01/97-98 dated October 21. 1997.

4. पात्र संसाधनों में से दिये गये विदेशी मुद्रा ऋण पर ब्याज दर संबंधी हमारे निदेश लागू नहीं होंगे। बैंकों को ऐसे ऋणों पर ब्याज दरें निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी।

5. 21 अक्टूबर 1997 का संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 132/13.01.09/97 संलग्न है।

भवदीया,

(श्यामला गोपीनाथ)

अपर मुख्य महा प्रबंधक

4. Loans in foreign currency out of eligible resources are not governed by our interest rate directives. Banks have the freedom to determine the interest rates on such loans.

5. An amending directive DBOD.No. Dir. BC. 132/13.01.09/97 dated October 21, 1997 is enclosed.

Yours faithfully,

(Shyamala Gopinath)

Additional Chief General Manager

बैंपविवि सं.डीआइआर.बीसी 132 / 13.01.09/97

DBOD No. Dir.BC. 132 / 13.01.09/97

21 अक्टूबर 1997
29 आश्विन 1919 (शक)

October 21, 1997
Ashwina 29, 1919 (S)

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना/एकत्रित (पूल्ड)संसाधनों की जमानत पर ऋण

**LOANS AGAINST FOREIGN
CURRENCY (NON-RESIDENT)
ACCOUNTS (BANKS) SCHEME/
POOLED RESOURCES**

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा निदेश देता है कि 29 अप्रैल 1993 के बैंक के निदेश बैंपविवि.सं. बीसी. 115/13.01.09/93 में

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that in the Banks' directive

मौजूदा खण्ड (viii) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा :

“उक्त योजना के अंतर्गत जुटाये गये संसाधनों में से दिये गये ऋणों और किसी जमाराशि की जमानत पर दिये गये अग्रिम पर ब्याज दर अग्रिमों पर ब्याज दर से संबंधित, समय-समय पर यथासंशोधित, भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार निर्धारित दरों के अधीन होगी”।

(एस. गुरुमूर्ति)

कार्यपालक निदेशक

DBOD.No. BC. 115/13.01.09/93 dated April 29, 1993, the existing Clause (viii) will be substituted as under:

“The rate of interest on loans out of resources mobilised under the scheme, as also the advances granted against a deposit will be governed by the rates prescribed in terms of Reserve Bank of India directives relating to the interest rate on advance as modified from time to time”.

(S. Gurumurthy)

Executive Director

बैंपविवि.सं.डीआइआर. 138 / 13.07.05/97-98

21 अक्टूबर 1997
29 आश्विन 1919 (शक)

DBOD No. Dir.BC. 138 / 13.07.05 / 97-98

October 21, 1997
Ashwina 29, 1919 (S)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

तात्कालिक ऋण

कृपया आप 21 अक्टूबर 1997 के हमारे गवर्नर के परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी. 165/ 07.01.279/97-

All Commercial Banks

Dear Sirs,

BRIDGE LOANS

Please refer to paragraph 17(k)(iii) of our Governor's circular No. CPC.BC.165/

98 का पैरा 17(के)(iii) देखें, जिसके अनुसार यह निर्णय किया गया है कि बैंकों को प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गमों पर एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कंपनियों को तात्कालिक ऋण मंजूर करने की अनुमति दी जाये। इस प्रकार के ऋण सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों सहित कंपनियों के सामान्य शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों, प्रोन्नतकर्ताओं के अंशदान को पूरा करने के लिए कंपनियों को मंजूर किये गये ऋणों और पारस्परिक निधियों की उन स्कीमों में जिनकी राशि एकमात्र रूप से कंपनी ऋण लिखतों में निवेश नहीं की जाती है, (संदर्भ : 28 मई 1997 के परिपत्र बैंपविवि.सं. डीआइआर. बीसी. 60/13.07.05/97 के साथ पठित 15 अप्रैल 1997 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं. डीआइआर. बीसी. 43/13.07.05/97) बैंक के निवेशों के लिए निर्धारित पिछले वर्ष की वृद्धिशील जमाराशियों के उच्चतम 5 प्रतिशत में समायोजित किये जायें।

बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे ऐसे ऋण मंजूर करने के लिए अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से अपने स्वयं के आंतरिक दिशा-निर्देश तैयार करें। इसके अलावा बैंक ऐसे ऋणों की जमानत के संबंध में पर्याप्त सावधानी और सतर्कता बरतें।

भवदीय,

(एम.पी. कोठारी)
महा प्रबंधक

07.01.279/97-98 dated 21 October, 1997 in terms of which it has been decided that banks may be permitted to sanction bridge loans to companies for a period not exceeding one year against expected equity flows/issues. Such loans should be accommodated within the ceiling of 5 per cent of incremental deposits of the previous year prescribed for bank's investments in ordinary shares/convertible debentures of corporates including PSU shares, loans sanctioned to corporates for meeting promoters contribution and units of mutual fund schemes, the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt instruments (cf: our circular DBOD.No.Dir. BC. 43/13.07.05/97 dated April 15, 1997 read with circular DBOD.No. Dir. BC. 60/13.07.05/97 dated May 28, 1997).

Banks are advised to formulate their own internal guidelines with the approval of their Board of Directors for grant of such loans. Further banks should exercise adequate caution and attention of security for such loans.

Yours faithfully,

(M.P. Kothari)
General Manager

8 नवम्बर 1997
17 कार्तिक 1919 (शक)

November 8, 1997
Kartika 17, 1919 (S)

सभी वाणिज्य बैंक

All Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

शेयरों और डिबेंचरों की जमानत
पर ऋण तथा अग्रिम

LOANS AND ADVANCES AGAINST
SHARES AND DEBENTURES

कृपया समय समय पर यथासंशोधित दिनांक 24 अक्टूबर 1986 के हमारे परिपत्र डीबीओडी. सं. एसआइसी. बीसी. 114/सी.739(ए-1)/86 में उक्त विषय पर दिये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के पैरा 9 और 10 का अवलोकन करें।

Please refer to paragraphs 9 and 10 of the guidelines on the captioned subject contained in our Circular DBOD.No. SIC.BC.114/C.739(A-I)/86 dated 24 October, 1986 as amended from time to time.

2. मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, जब कभी शेयरों/ डिबेंचरों की जमानत पर किसी उधारकर्ता को स्वीकृत अग्रिमों की सीमा रु. 10 लाख से अधिक हो जाती है, तब यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उक्त शेयर/ डिबेंचर बैंक के नाम में अंतरित कर दिये जाएं तथा बैंक के पास अनन्य और शर्तरहित मताधिकार हों। इसके अलावा, बैंक प्रतिभूति के रूप में अपने द्वारा धारित शेयरों के संबंध में मताधिकार का प्रयोग भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से ही कर सकते हैं।

2. As per current instructions whenever the limits of advances granted to a borrower against the security of shares/debentures exceed Rs. 10 lakhs, it should be ensured that the said shares/debentures are transferred in the bank's name and that the bank has exclusive and unconditional voting rights. Further, banks can exercise voting rights in respect of shares held by them as security only with the prior approval of RBI.

3. निक्षेपागार (डिपोजिटरी) प्रणाली संबंधी हाल की गतिविधियों को देखते हुए हमने बैंक के नाम में शेयरों के अंतरण संबंधी मामले की समीक्षा की है। भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) ने भी निर्भौतिकीकृत प्रतिभूतियों को गिरवी रखना सुविधाजनक बनाने के

3. The matter relating to transfer of shares in the bank's name has been reviewed by us following the recent developments relating to the depository system. The Securities Exchange Board of India (SEBI)

लिए दिनांक 5 सितंबर 1997 की राजपत्र की अधिसूचना एफ.सं.सेबी/एलईएक्स VI/ii द्वारा सेबी (निक्षेपागार और प्रतिभागी) विनियमावली, 1996 को संशोधित किया है। उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गयी प्रतिभूतियां उधारदाता बैंक के पक्ष में अवरुद्ध हो जाती हैं। उधारकर्ता द्वारा चूक किये जाने की स्थिति में, बैंक गिरवी संबंधी दस्तावेज के प्रावधानों के अधीन गिरवी लागू कर सकता है तथा ऐसा किये जाने पर, निक्षेपागार बैंक का नाम ऐसी प्रतिभूतियों के हिताधिकारी स्वामी के रूप में दर्ज करेगा। उक्त स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि निक्षेपागार प्रणाली के तहत निभौतिकीकृत रूप में धारित प्रतिभूतियों के लिए बैंक के नाम में शेयरों/डिबेंचरों को अंतरित किये जाने संबंधी अपेक्षा को समाप्त कर दिया जाए। अतः बैंक अपने नाम में प्रतिभूतियों के अंतरण के संबंध में अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, निक्षेपागार प्रणाली के तहत बैंक के पास गिरवी रखे गये शेयर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) में निर्धारित सीमाओं के निर्धारण के प्रयोजन के लिए शामिल किये जाते रहेंगे।

4. जो शेयर निभौतिकीकृत रूप में नहीं हैं, उनके संबंध में बैंक के नाम में शेयरों के अंतरण संबंधी दिनांक 6 सितंबर 1996 के हमारे परिपत्र बैंपवि. सं. डीआइआर. बीसी. 116/13.07.05/96 में दिया गया मौजूदा विनियम जारी रहेगा।

5. 24 अक्टूबर 1986 के हमारे उक्त परिपत्र में दिये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के पैरा 10 में यह निर्धारित किया गया है कि बैंक प्रतिभूतियों के रूप में उनके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में मताधिकारों का प्रयोग भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से ही करेंगे। यह अपेक्षा भी समाप्त कर दी गयी है तथा बैंक अब मताधिकारों

has also amended the SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 1996 vide Gazette Notification F.No. SEBI/LEXVI/ii dated September 5, 1997 to facilitate the pledge of dematerialised securities. The securities pledged by the borrower get blocked in favour of the lending bank. In the case of default by the borrower, the bank may invoke the pledge, subject to the provisions of the pledge document and on such invocation, the depository will register the name of the bank as beneficial owner of such securities. In view of the above position, it has been decided that for securities which are held in dematerialised form under the depository system the requirement that the shares/debentures should be transferred in bank's name be withdrawn. Banks are therefore free to take their own decision in regard to transfer of securities in their name. The shares pledged with the bank under the depository mode will however continue to be included for the purpose of determining the limits prescribed in Section 19(2) of the Banking Regulation Act 1949.

4. In regard to shares which are not held in dematerialised form, the existing regulation as prescribed in our circular DBOD.No. Dir. BC. 116/13.07.05/96 dated September 6, 1996 on transfer of shares in bank's name will continue.

5. In paragraph 10 of the guidelines contained in our circular dated October 24, 1986 referred to above, it is laid down that banks shall exercise voting rights in respect of shares held by them in securities only with prior approval of RBI. This requirement also

का प्रयोग करने के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

6. निभौतिकीकृत रूप में शेयर/डिबेंचर रखने के लिए निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के तहत निक्षेपागार प्रणाली द्वारा प्रदत्त सुविधा को देखते हुए बैंक अग्रिमों के लिए जमानत के तौर पर भौतिक रूप में रखे गये शेयरों/डिबेंचरों के अलावा उक्त रूप में रखे गये शेयरों/डिबेंचरों को अधिकाधिक मात्रा में स्वीकार कर सकते हैं।

भवदीया,

(श्यामला गोपीनाथ)

अपर मुख्य महा प्रबंधक

stands withdrawn and banks are now free to decide about the exercise of voting rights.

6. In view of the facility provided by the depository system under the Depositories Act, 1996 to hold shares/debentures in dematerialised form, banks could increasingly accept shares/debentures held in such form in addition to those in the physical form as security for advances.

Yours faithfully,

(Smt. Shyamala Gopinath)

Additional Chief General Manager

26 नवम्बर 1997
5 अग्रहायन 1919 (शक)

November 26, 1997
Agrahayana 5, 1919 (S)

सभी वाणिज्य बैंकों के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक

The Chairmen/Chief Executives
of all Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

निर्यात ऋण - पोतलदानोत्तर
रुपया ऋण पर ब्याज दरें

EXPORT CREDIT-INTEREST RATES
ON POST-SHIPMENT RUPEE CREDIT

कृपया आप उप गवर्नर महोदय का दिनांक 26 नवम्बर 1997 का पत्र सं.सीपीसी.बीसी.166/07.01.279/97-98 देखें।

Please refer to Deputy Governor's letter No.CPC.BC.166/07.01.279/97-98 dated November 26, 1997.

2. उपर्युक्त पत्र के अनुसार पोतलदान की तारीख से 90 दिनों से अधिक और छह माह तक की कुल अवधि के मीयादी बिलों पर दिये जानेवाले पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर ब्याज दर दिनांक 27 नवम्बर 1997 से मौजूदा 13 प्रतिशत वार्षिक से बढ़ाकर 15 प्रतिशत वार्षिक कर दी गयी है। 15 प्रतिशत वार्षिक की उक्त ब्याज-दर केवल 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए ही लागू होगी। इस संबंध में जारी किये गये दिनांक 26 नवम्बर 1997 के हमारे निदेश बैंपवि.सं. डीआइआर. बीसी. 143/13.07.01/97-98 की एक प्रति इसके साथ संलग्न है। (संलग्नक - I)

2. In terms of the above letter, interest rates on post-shipment rupee credit on usance bills for a total period beyond 90 days and upto six months from the date of shipment has been increased from the existing 13 per cent per annum to 15 per cent per annum, with effect from November 27, 1997. The interest rate of 15 per cent per annum will be applicable only for the period beyond 90 days. A copy of our Directive DBOD No.DIR.BC. 143/13.07.01/97-98 dated November 26, 1997 issued in this regard is enclosed (Annexure-I).

3. ब्याज दर में उक्त संशोधन केवल नये अग्रिमों पर ही नहीं, बल्कि दिनांक 24 मार्च 1986 के परिपत्र बैंपवि.सं. डीआइआर.बीसी. 38/सी.96/86 में निर्दिष्ट किये अनुसार मौजूदा बकाया राशियों पर भी लागू होगा। तदनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि जहाँ

3. The revision in the interest rate will be applicable not only to fresh advances but also to the existing outstanding amounts as indicated in circular DBOD.No. Dir.BC. 38/C.96/86 dated 24 March, 1986. Accordingly, it is clarified that where the amount

बकाया राशि 90 दिनों से अधिक और छह महीनों तक की कुल अवधि के निर्यात बिल पर मूल रूप से अनुमत ऋण से संबंधित है, वहाँ 15 प्रतिशत की ब्याज-दर मूल ऋण की शेष अवधि के लिए 27 नवम्बर 1997 से लागू होगी।

4. 27 नवम्बर 1997 से प्रभावी निर्यात ऋण पर ब्याज-दर का ढाँचा इस परिपत्र के संलग्नक-II में दिया गया है।

भवदीय,

(ए. चन्द्रमौलीश्वरन)

मुख्य महा प्रबंधक

outstanding relates to the credit originally allowed on an export bill for a total period over 90 days and upto six months, the interest rate of 15 per cent would apply, with effect from November 27, 1997, for the remaining period of original credit.

4. The interest rate structure on export credit effective from November 27, 1997 is furnished in Annexure-II of the Circular.

Yours faithfully,

(A. Chandramouliswaran)

Chief General Manager

बैंपवि.सं.बीसी 143 /13.07.01/97

DBOD No. BC. 143 /13.07.01/97

26 नवम्बर 1997
5 अग्रहायण 1919 (शक)

November 26, 1997
Agrahayana 5, 1919 (Saka)

अग्रिमों पर ब्याज-दरें

INTEREST RATES ON ADVANCES

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बारे में संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा निदेश देता है कि उसके दिनांक 21 अक्तूबर

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that with effect from November

1997 के निदेश बैंपचिवि.सं.डीआइआर. बीसी. 123/13.07.01/97-98 के संलग्नक की मद 4(2)(ii) (ख) के सामने निर्दिष्ट ब्याज-दर को दिनांक 27 नवम्बर 1997 से परिशिष्ट में दिये गये अनुसार परिवर्तित कर दिया जाए।

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

संलग्नक - I का परिशिष्ट

27, 1997, the interest rate indicated against the item 4(2)(ii)(b) of the Annexure to its Directive DBOD.No.DIR. BC.123/13.07.01/98 dated October 21, 1997, be changed as given in the Appendix.

(S. Gurumurthy)
Executive Director

(Appendix to Annexure -I)

ब्याज की दर (प्रतिशत वार्षिक)	
वर्तमान	नई (27 नवम्बर 1997 से लागू)

Rate of interest (per cent per annum)	
Existing	New (Effective November 27, 1997)

4. निर्यात ऋण

4. Export Credit

(2) पोतलदानोत्तर ऋण

(2) Post -shipment Credit

(ii) मीयादी बिल

(ii) Usance Bills

(ख) पोतलदान की तारीख 13.0 15.0
से 90 दिनों से अधिक
और छः महीने तक

(b) Beyond 90 days 13.0 15.0
and upto six
months from the
date of shipment

संलग्नक - II

Annexure -II

ब्याज की दर
(प्रतिशत वार्षिक)

27 नवम्बर 1997 से लागू)

Rate of interest
(per cent per annum)

effective November 27, 1997

निर्यात ऋण

Export Credit

(1) पोतलदान-पूर्व ऋण

(i) (क) 180 दिनों तक	12.0
(ख) 180 दिनों से अधिक और 270 दिनों तक	14.0
(ii) भारतीय निर्यात ऋण और गारंटी निगम (ईसीजीसी) की गारंटी द्वारा रक्षित सरकार से प्राप्य प्रोत्साहनों की जमानत पर	12.0

(1) Pre-shipment Credit

(i) (a) Upto 180 days	12.00
(b) Beyond 180 days and upto 270 days	14.00
(ii) Against incentives receivable from Government covered by ECGC Guarantee (upto 90 days)	12.00

(2) पोतलदानोत्तर ऋण

(i) पारवहन अवधि हेतु मांग बिल (फेडाय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट)	11.0 से अधिक नहीं

(2) Post -shipment Credit

(i) Demand bills for transit period (as specified by FEDAI)	Not Exceeding 11.0

(ii) मीयादी बिल

(कुल अवधि के लिए जिसमें
निर्यात बिलों की व्यवहारी
अवधि, फेडाय द्वारा
यथाविनिर्दिष्ट पारवहन
अवधि तथा जहां लागू हो,
अनुग्रह अवधि शामिल हैं।)

(ii) Usance Bills

(For total period
comprising usance
period of export
bills, transit
period as specified
by FEDAI, and grace
period wherever applicable)

क) 90 दिनों तक	11.0 से अधिक नहीं	a) Upto 90 days	Not Exceeding 11.0
ख) पोतलदान की तारीख से लेकर 90 दिनों से अधिक तथा 6 महीने तक की अवधि के लिए	15.0	b) Beyond 90 days and upto six months from the date of shipment	15.0
(iii) पोतलदान की तारीख लेकर से 6 महीने की अवधि से अधिक के लिए	मुक्त	(iii) Beyond six months from the date of shipment	Free
(iv) ईसीजीसी की गारंटी द्वारा रक्षित सरकार से प्राप्य प्रोत्साहनों की जमानत पर (90 दिनों तक)	11.0 से अधिक नहीं	(iv) Against incentives receivable from Government covered by ECGC Guarantee (upto 90 days)	Not Exceeding 11.0
(v) अनाहरित शेष की जमानत पर (90 दिनों तक)	11.0 से अधिक नहीं	(v) Against undrawn balance (upto 90 days)	Not Exceeding 11.0
(vi) पोतलदान की तारीख से 1 वर्ष के भीतर देय प्रतिधारण राशि (केवल आपूर्ति भाग के लिए) की जमानत पर (90 दिनों तक)	11.0 से अधिक नहीं	(vi) Against retention money (for supplies portion only) payable within one year from the date of shipment (upto 90 days)	Not Exceeding 11.00
(3) आस्थगित ऋण		(3) Deferred Credit	
180 दिनों से अधिक की अवधि के लिए आस्थगित ऋण	मुक्त	Deferred credit for the period beyond 180 days	Free
(4) अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया निर्यात ऋण	मुक्त	(4) Export credit not otherwise specified	Free

29 नवम्बर 1997
8 अग्रहायण 1919 (शक)

November 29, 1997
Agrahayana 8, 1919(S)

सभी वाणिज्य बैंकों के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक

The Chairmen/Chief Executives
of all Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

निर्यात ऋण - पोतलदानोत्तर

**EXPORT CREDIT-INTEREST RATES
ON POST-SHIPMENT RUPEE CREDIT**

रुपया ऋण पर ब्याज-दरें

कृपया आप उप गवर्नर महोदय का दिनांक 28 नवम्बर 1997 का पत्र सं.सीपीसी.बीसी.167/07.01.279/97-98 देखें।

Please refer to Deputy Governor's letter No.CPC.BC.167/07.01.279/97-98 dated November 28, 1997.

2. उपर्युक्त पत्र के अनुसार पोतलदान की तारीख से 90 दिनों से अधिक और छह माह तक की कुल अवधि (जिसमें निर्यात बिलों की व्यवहारी अवधि, फेडाय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट पारवहन अवधि तथा जहाँ लागू हो, अनुग्रह अवधि शामिल है) के मीयादी बिलों पर दिये जानेवाले पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर 15 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर 15 दिसम्बर 1997 से वर्तमान में प्रचलित रूप में "केवल 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए ही" के बदले अग्रिम की तारीख से लागू होगी। इस संबंध में जारी किये गये दिनांक 29 नवम्बर 1997 के हमारे निदेश बैंपवि.सं. डीआइआर बीसी. 144/13.07.01/97 की प्रति संलग्न है (संलग्नक - I)।

2. In terms of the above letter, effective December 15, 1997, the interest rates on post-shipment rupee credit on usance bills for a total period (comprising usance period of export bills, transit period as specified by FEDAI and grace period wherever applicable) beyond 90 days and upto six months from the date of shipment at 15 per cent per annum will apply from the date of advance instead of only for the period beyond 90 days as at present. A copy of our Directive DBOD No.DIR.BC. 144/13.07.01/97 dated November 29, 1997, issued in this regard is enclosed (Annexure-I).

3. जहाँ तक मौजूदा अग्रिमों के संबंध में बकाया राशियों अर्थात् 15 दिसम्बर 1997 से पहले प्रदत्त अग्रिमों का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि जहाँ

3. As regards outstanding amounts in respect of existing advances, i.e. granted prior to December 15, 1997, it is clarified that where the amount outstanding relates to the credit originally allowed on an export bill for a total

बकाया राशि पोतलदान की तारीख से 90 दिनों से अधिक और छह महीनों तक की कुल अवधि के निर्यात बिल पर मूल रूप से अनुमत ऋण से संबंधित है, वहाँ 15 प्रतिशत की ब्याज-दर दिनांक 24 मार्च 1986 के परिपत्र बैंपविवि.डीआइआर.बीसी. 38/सी.96/86 में निहित अनुदेशों के अनुसार मूल ऋण की शेष अवधि के लिए लागू होगी। इस प्रकार के अग्रिमों के संबंध में संशोधित ब्याज-दर लागू करने की पद्धति बैंकों के मागदर्शन के लिए संलग्नक - II में एक उदाहरण के रूप में स्पष्ट की गयी है।

भवदीय,

(ए. चन्द्रमौलीश्वरन)
मुख्य महा प्रबंधक

period over 90 days and upto six months from the date of shipment. the interest rate of 15 per cent would apply for the remaining period of original credit in terms of the instructions contained in circular DBOD.No. DIR. BC. 38/C.96/86 dated March 24. 1986. The method of application of the revised interest rate in respect of such advances has been explained by way of an example in Annexure-II for the guidance of banks.

Yours faithfully.

(A. Chandramouliswaran)
Chief General Manager

बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 144 /13.07.01/97

DBOD No. Dir.BC. 144 /13.07.01/97

29 नवम्बर 1997
8 अग्रहायण 1919 (शक)

November 29, 1997
Agrahayana 8, 1919 (Saka)

अग्रिमों पर ब्याज-दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बारे में संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा निदेश देता है कि उसके दिनांक 26 नवम्बर 1997 के निदेश बैंपविवि.सं.बीसी. 143/13.07.01/

INTEREST RATES ON ADVANCES

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that with effect from December 15, 1997, the interest rate indicated against

97 के संलग्नक की मद 4(2)(ii) (ख) के सामने निर्दिष्ट ब्याज-दर को दिनांक 15 दिसंबर 1997 से परिशिष्ट में दिये अनुसार परिवर्तित कर दिया जाए।

(जगदीश कपूर)
उप गवर्नर

the item 4(2)(ii)(b) of the Annexure to its Directive DBOD.No. BC. 143/13.07.01/97 dated November 26, 1997, be changed as given in the Appendix.

(Jagdish Kapoor)
Deputy Governor

संलग्नक - I का परिशिष्ट

ब्याज-दर (प्रतिशत वार्षिक)
वर्तमान (15 दिसम्बर 1997 से प्रभावी)

4. निर्यात ऋण

(2) पोतलदानोत्तर ऋण

ii) मीयादी बिल

(कुल अवधि के लिए जिसमें
निर्यात बिलों की व्यवहारी
अवधि, फेडाय द्वारा
ग्रथाविनिर्दिष्ट पारवहन
अवधि, और जहाँ लागू हों,

Appendix to Annexure -I

Rate of interest (per cent per annum)
Existing (Effective December 15, 1997)

4. Export Credit

(2) Post -shipment Credit

(ii) Usance Bills

(for total period
comprising usance
period of export
bills, transit period
as specified by
FEDAI, and grace
period wherever

अनुग्रह अवधि शामिल हैं।)

(ख) पोतलदान की तारीख	15.0	15.0
से 90 दिनों से अधिक	90	(अग्रिम
और छः महीनों तक की	दिनों से	की
अवधि के लिए	अधिक तारीख	
	अवधि से)	
	के लिए)	

applicable)

b) Beyond 90 days	15.0	15.0
and upto six	(for the	(from
months from the	period	the
date of shipment	beyond	date of
	90 days)	advance

संलग्नक - II

ANNEXURE -II

**15 दिसम्बर 1997 से पहले प्रदत्त अग्रिमों पर
ब्याज-दर की प्रयोज्यता स्पष्ट करनेवाला उदाहरण**

**Example illustrating the application of
interest rate on advances granted prior
to December 15, 1997**

यह मानते हुए कि 90 दिन तक की कुल अवधि के लिए बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज-दर 11 प्रतिशत वार्षिक है, 20-11-1997 को बैंक द्वारा भुनाये गये मीयादी बिल के संबंध में (जिसकी नियत तारीख 31-3-1998 है) बैंक ने 17-2-1998 तक 90 दिनों के लिए 11 प्रतिशत वार्षिक तथा 18-2-1998 से 31-3-1998 तक की अवधि के लिए 13 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज-दर लगायी होगी।

27-11-1997 से ब्याज-दर में संशोधन तथा 15-12-1997 से प्रभावी आशोधन के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा ब्याज-दरों का पुनर्निर्धारण निम्नानुसार किया गया होगा/करना अपेक्षित होगा :

Assuming that the rate of interest fixed by the bank for the total period upto 90 days is 11 per cent per annum, in respect of usance bill discounted by the bank on 20-11-1997 (with due date on 31-3-1998) the bank would have charged interest at 11 per cent per annum for 90 days upto 17-2-1998 and for the period from 18-2-1998 to 31-3-1998 at 13 per cent per annum.

Consequent to the revision in the interest rate effective 27-11-1997 and the modification which comes into effect from 15-12-1997 the bank would have refixed/ would be required to refix the interest rates as under:

ब्याज-दर में संशोधन/ आशोधन की तारीख	बैंक द्वारा किये गये/किये जानेवाले ब्याज-दरों के पुनर्निर्धारण का विवरण	Date of revision/ modification in interest rate	Details of refixation in interest rates done/to be done by the bank
27-11-1997	(i) 90 दिनों के 11% लिए (17-2-98 तक) (ii) अगले 42 दिन 15% (18-2-98 से 31-3-98 तक)	27-11-97	(i) For 90 days 11% (upto 17-2-1998) (ii) Next 42 15% days (from 18-2-98 to 31-3-98)
15-12-1997	(i) 25 दिनों के 11% लिए (14- 12-97 तक) (ii) अगले 107 15% दिन (15-12 -97 से 31- 3-98 तक)	15-12-97	(i) For 25 days 11% (upto 14-12-97) (ii) Next 107 15% days (from 15-12-97 to 31-3-98)

बैंपवि.सं. 153 / 13.01.05/97

DBOD No.Dir. BC. 153/ 13.01.05/97

9 दिसंबर 1997
18 अग्रहायण 1919 (शक)

December 9, 1997
Agrahayana 18, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक

All Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

निकषेपागार में संस्थागत लेनदेनों का निपटान

SETTLEMENT OF INSTITUTIONAL
TRANSACTIONS IN THE
DEPOSITORY

कृपया आप दिनांक 8 नवंबर 1997 का हमारा परिपत्र

Please refer to our circular DBOD No.Dir.BC.

बैंपवि.सं. डीआइआर.बीसी. 141/13.07.05/97 देखें। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूतियों के निर्भौतिकीकरण और निक्षेपागार (डिपोजिटरी) में प्रतिभूतियों के लेनदेन का निपटान करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार किया है। सेबी ने निर्णय लिया है कि कागज पर आधारित लेनदेनों में निहित जोखिम को कम करने के लिए निक्षेपागार का उपयोग करने हेतु संस्थागत और फ्रुटकर दोनों तरह के निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपये के प्रतिभूति निवेश सावभाग वाले संस्थागत निवेशकों/ बैंकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाये कि वे 15 जनवरी 1998 से निक्षेपागार के माध्यम से ही लेनदेनों का निपटान करें। तदनुसार, बैंक अनुबंध में बताया गया सेबी द्वारा अधिसूचित आठ प्रतिभूतियों के लेनदेन केवल निक्षेपागार के माध्यम से करें। इसके अतिरिक्त बैंक, विशेष रूप से अधिक शाखाओं वाले बैंक निक्षेपागार के सहभागियों के रूप में पंजीकृत होने पर विचार कर सकते हैं, जिससे कि वे अपने ग्राहकों को निक्षेपागार सेवाएं प्रदान कर सकें। यह निवेशकों और बैंकों, दोनों के लिए सहायक होगा।

भवदीय,

(ए.एल. नरसिंहन)

अपर मुख्य महा प्रबंधक

141/13.07.05/97 dated November 8, 1997. Recently the Securities Exchange Board of India (SEBI) considered various measures to expedite the process of dematerialisation of securities and settlement of transactions in the depository. SEBI has decided that in order to encourage the use of depository by both institutional and retail investors so as to reduce the risk associated with paper based transactions, it would be made compulsory for institutional investors/banks having a minimum portfolio of securities of Rs. 10 crores, to settle all transactions through the depository from January 15, 1998. Accordingly, banks may settle transactions in the eight securities as notified by SEBI indicated in the Annexure only through the depository. Further, banks particularly those with large branch network may consider the question of registering themselves as depository participants, in order to provide depository services to their customers which will help the investors as well as the banks.

Yours faithfully,

(A.L. Narasimhan)

Additional Chief General Manager

अनुबंध

निर्भौतिकीकृत रूप में व्यापार के लिए
अभिनिर्धारित प्रतिभूतियों की सूची

निम्नलिखित द्वारा जारी किये गये ईक्विटी शेयर

1. बैंक ऑफ इंडिया
2. इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लि.
3. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम
4. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
5. लार्सेन एंड टौब्रो लि.
6. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि.
7. भारतीय स्टेट बैंक
8. दि टाटा आयरन एंड स्टील कं. लि.

औनिक्कवि.सं. 26 / 04.02.01/97-98

17 दिसम्बर 1997
26 अग्रहायण 1919(शक)

सभी वाणिज्य बैंकों के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक

प्रिय महोदय,

निर्यात ऋण - पोतलदानोत्तर
रुपया ऋण पर व्याज दरें

कृपया आप हमारे ऋण आयोजना कक्ष का दिनांक 17
दिसम्बर 1997 का परिपत्र सं.सीपीसी.बीसी.169/

Annexure

List of securities indentified for trade in
dematerialised form

Equity shares issued by:

1. Bank of India
2. Indian Petrochemicals Ltd. (IPCL)
3. Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI)
4. Industrial Development Bank of India
5. Larsen & Toubro Ltd. (L&T)
6. Reliance Industries Ltd. (RIL)
7. State Bank of India (SBI)
8. The Tata Iron & Steel Co. Ltd. (TISCO)

IECD.No. 26/ 04.02.01/97-98

December 17, 1997
Agrahayana 26, 1919(S)

The Chairmen/Chief Executives
of all commercial banks

Dear Sir,

**EXPORT CREDIT-INTEREST RATES
ON POST-SHIPMENT RUPEE CREDIT**

Please refer to our Credit Planning Cell's
circular No.CPC.BC.169/07.01.279/97-98

07.01.279/97-98 देखें।

2. उपर्युक्त पत्र के अनुसार 18 दिसम्बर 1997 से अतिदेय निर्यात बिलों पर ब्याज दर संशोधित की गयी है। तदनुसार, अतिदेय निर्यात बिलों के संबंध में अगली सूचना तक बैंक अतिदेय बिलों की जमानत पर बकाया पोतलदानोत्तर ऋण पर 18 दिसम्बर 1997 से 20 प्रतिशत प्रति वर्ष (न्यूनतम) की दर से ब्याज प्रभारित करेंगे। ऐसे मामलों में उच्चतर ब्याज-दर अग्रिम की तारीख से लगायी जायेगी। माँग बिलों तथा अल्पावधि मीयादी बिलों के मामले में उच्चतर ब्याज-दर वहाँ नहीं लगायी जायेगी जहाँ अतिदेय की अवधि सहित ऋण की कुल अवधि बिल/परक्रामण, जैसी स्थिति हो, की तारीख से एक महीने से कम है। इस संबंध में जारी किये गये दिनांक 17 दिसम्बर 1997 के हमारे निदेश बैंपवि.सं. डीआइआर 154/13.07.01/97 की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न है (संलग्नक - I)।

3. निर्यात ऋण पर ब्याज-दर की संरचना जो 18 दिसम्बर 1997 से लागू होगी, इस परिपत्र के संलग्नक II में दी गयी है।

भवदीय,

(एम.टी पाबारी)

महा प्रबंधक

dated December 17, 1997.

2. In terms of the above letter, effective December 18, 1997, interest rate on Overdue export bills has been revised. Accordingly, until further notice, in respect of Overdue export bills, banks will charge with effect from December 18, 1997, interest at 20 per cent per annum (minimum) on post -shipment credit outstanding against Overdue bills. The higher rate of interest in such cases will apply from the date of advance. In the case of demand bills and short term usance bills, the higher rate of interest will not be applicable where the total period of credit including the period of Overdue is less than one month from the date of bill/negotiation, as the case may be. A copy of our Directive DBOD No.Dir. 154/13.07.01/97 dated December 17, 1997, issued in this regard is enclosed (Annexure-I).

3. The interest rate structure on export credit effective from December 18, 1997 is furnished in Annexure-II of this circular.

Yours faithfully,

(M.T. Pabari)

General Manager

बैंपविवि.सं.डीआइआर. 154 /13.07.01/97

DBOD No. Dir. 154/13.07.01/97

17 दिसम्बर 1997
26 अग्रहायण 1919 (शक)

December 17, 1997
Agrahayana 26, 1919 (Saka)

अग्रिमों पर ब्याज-दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बारे में संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा निदेश देता है कि उनके दिनांक 21 अक्टूबर 1997 के निदेश बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 123/13.07.01/97-98 के संलग्नक की मद 4(2)(ii) (ग) और 4(4) के सामने निर्दिष्ट ब्याज-दर को दिनांक 18 दिसम्बर 1997 से परिशिष्ट में दिये गये अनुसार परिवर्तित कर दिया जाए।

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

INTEREST RATES ON ADVANCES

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that with effect from December 18, 1997, the interest rate indicated against the item 4(2) (ii) (c) and 4(4) of the Annexure to its Directive DBOD.No.Dir. BC. 123/13.07.01/97-98 dated October 21, 1997, be changed as given in the Appendix.

(S. Gurumurthy)
Executive Director

(संलग्नक - I का परिशिष्ट)

(Appendix to Annexure -I)

ब्याज की दर (प्रतिशत वार्षिक)	
वर्तमान	नयी (18 दिसम्बर 1997 से लागू)

Rate of interest (per cent per annum)	
Existing	New (Effective December 18, 1997)

4. निर्यात ऋण

4. Export Credit

(2) पोतलदानोत्तर ऋण

(2) Post -shipment Credit

ii) मीयादी बिल

(ii) Usance Bills

(ग) पोतलदान की तारीख से 6 महीने से अधिक अवधि के लिए	मुक्त	20 प्रतिशत (न्यूनतम) (अग्रिम की तारीख से)
(4) अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया निर्यात ऋण	मुक्त	20 प्रतिशत (न्यूनतम) (अग्रिम की तारीख से)

(c) Beyond six months from date of shipment	Free	20 per cent (minimum) (from the date of advance)
(4) Export Credit not otherwise specified	Free	20 per cent (minimum) (from the date of advance)

संलग्नक - II

निर्यात ऋण पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ब्याज दरें

ब्याज की दर
(प्रतिशत वार्षिक)

18 दिसम्बर 1997 से लागू

निर्यात ऋण

(1) पोतलदान-पूर्व ऋण

(i) (क) 180 दिनों तक	12.0
(ख) 180 दिनों से अधिक और 270 दिनों तक	14.0
(ii) भारतीय निर्यात ऋण और गारंटी निगम (ईसीजीसी) की गारंटी द्वारा रक्षित सरकार से प्राप्य प्रोत्साहनों की जमानत पर (90 दिनों तक)	12.0

(2) पोतलदानोत्तर ऋण

(i) पारवहन अवधि हेतु माँग बिल (फेडाय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट)	11.0 से अधिक नहीं
(ii) मीयादी बिल (कुल अवधि के लिए जिसमें निर्यात बिलों की व्यवहारी	

Annexure -II

Interest Rates on Export Credit of scheduled commercial banks

Rate of interest
(per cent per annum)

effective December 18, 1997

Export Credit

(1) Pre-shipment Credit

(i) (a) Upto 180 days	12.00
(b) Beyond 180 days and upto 270 days	14.00
(ii) Against incentives receivable from Government covered by ECGC Guarantee (upto 90 days)	12.00

(2) Post -shipment Credit

(i) Demand bills for transit period (as specified by FEDAI)	Not Exceeding 11.0
(ii) Usance Bills (For total period comprising usance	

अवधि, फंडाय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट पारवहन अवधि तथा जहाँ लागू हो, अनुग्रह अवधि शामिल हैं।)		period of export bills, transit period as specified by FEDAI, and grace period wherever applicable)	
क) 90 दिनों तक	11.0 से अधिक नहीं	a) Upto 90 days	Not Exceeding 11.0
ख) पोतलदान की तारीख से लेकर 90 दिनों से अधिक तथा 6 महीने तक की अवधि के लिए	15.0 (अग्रिम की तारीख से)	b) Beyond 90 days and upto six months from the date of shipment	15.0 (from the date of advance)
(iii) पोतलदान की तारीख से 6 महीने से अधिक अवधि के लिए	20 प्रतिशत (न्यूनतम) (अग्रिम की तारीख से)	(iii) Beyond six months from the date of shipment	20 percent (minimum) (from the date of advance)
(iv) ईसीजीसी की गारंटी द्वारा रक्षित सरकार से प्राप्य प्रोत्साहनों की जमानत पर (90 दिनों तक)	11.0 से अधिक नहीं	(iv) Against incentives receivable from Government covered by ECGC Guarantee (upto 90 days)	Not Exceeding 11.0
(v) अनाहरित शेष की जमानत पर (90 दिनों तक)	11.0 से अधिक नहीं	(v) Against undrawn balance (upto 90 days)	Not Exceeding 11.0
(vi) पोतलदान की तारीख से 1 वर्ष के भीतर देय प्रतिधारण राशि (केवल आपूर्ति भाग के लिए) की जमानत पर (90 दिनों तक)	11.0 से अधिक नहीं	(vi) Against retention money (for supplies portion only) payable within one year from the date of shipment (upto 90 days)	Not Exceeding 11.0
(3) आस्थगित ऋण 180 दिनों से अधिक की अवधि के लिए आस्थगित ऋण	मुक्त	(3). Deferred Credit Deferred credit for the period beyond 180 days	Free
(4) अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया निर्यात ऋण	20 प्रतिशत (न्यूनतम) (अग्रिम की तारीख से)	(4). Export credit not Otherwise Specified	20 per cent (minimum) (from the date of adv- ance)

बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.सं. 158/13.07.05/97

23 दिसम्बर 1997
2 पौष 1919 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

निक्षेपागार में संस्थागत लेनदेनों का निपटान

कृपया उपर्युक्त विषय पर 9 दिसम्बर 1997 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं. डीआइआर.बीसी. 153/13.07.05/97 देखें। इस संबंध में अनुरोध है कि उपर्युक्त परिपत्र में निहित अनुदेशों के कार्यान्वयन के लिए की गयी कार्रवाई से कृपया हमें यथाशीघ्र अवगत करायें।

2. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि शीघ्र ही ऐसी उपयुक्त प्रणाली स्थापित की जाये जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि 15 जनवरी 1998 की अंतिम तिथि से पहले अधिसूचित प्रतिभूतियों के निर्भौतिकीकरण के लिए वे आवश्यक कार्रवाई करते हैं।

भवदीय,

(एस.पी. पाडगांवकर)
उप महा प्रबंधक

DBOD No.Dir. BC. 158/13.07.05/97

December 23, 1997
Pausha 2, 1919 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

SETTLEMENT OF INSTITUTIONAL TRANSACTIONS IN THE DEPOSITORY

Please refer to our circular DBOD. No.Dir.BC. 153/13.07.05/97 dated December 9, 1997 on the above subject. In this connection, we shall be glad to be apprised of the action taken for the implementation of the instructions contained in the above circular. at the earliest.

2. The banks are advised to ensure that a suitable system put in place early to ensure that before the deadline of January 15, 1998, they take necessary action for dematerialisation of the notified securities.

Yours faithfully,

(S.P. Padgaonkar)
Deputy General Manager

31 दिसम्बर 1997
10 पौष 1919 (शक)

December 31, 1997
Pausha 10, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंकों के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक

The Chairmen/Chief Executives
of all Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

निर्यात ऋण - पोतलदानोत्तर
रुपया ऋण पर ब्याज-दरें

**EXPORT.CREDIT-INTEREST RATES
ON POST-SHIPMENT RUPEE CREDIT**

कृपया आप हमारा 29 नवम्बर 1997 का परिपत्र
औनिऋवि.सं.19/04.02.01/97-98 देखें।

Please refer to our circular IECD.No.19/
04.02.01/97-98 dated November 29, 1997.

2. मीयादी बिलों पर पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात
ऋण पर ब्याज-दर पोतलदान की तारीख से 90 दिनों
से अधिक तथा छह महीने तक की कुल अवधि के लिए
1 जनवरी 1998 से 15 प्रतिशत वार्षिक से घटाकर
13 प्रतिशत वार्षिक कर दी गयी है। साथ ही, 13
प्रतिशत वार्षिक की ब्याज-दर केवल 90 दिनों से
अधिक अवधि के लिए ही लागू होगी, न कि अग्रिम की
तारीख से (ऋण आयोजना कक्ष का दिनांक 31 दिसम्बर
1997 का पत्र सं.सीपीसी.बीसी. 170/07.01.279/
97-98 देखें)। हमारे दिनांक 31 दिसम्बर 1997 के
निदेश बैंपवि.सं. डीआइआर.बीसी. 159/13.07.01/
97 की एक प्रति संलग्न है।

2. The interest rate on post-shipment rupee
export credit on usance bills for a total period
beyond 90 days and upto six months from
the date of shipment has been reduced,
effective January 1, 1998 to 13 per cent per
annum from 15 per cent per annum. Further,
the interest rate of 13 per cent per annum
would be applicable only for the period
beyond 90 days and **not** from the date of
advance. (cf. Credit Planning Cell's letter No.
CPC.BC./170/07.01.279/97-98 dated
December 31, 1997). A copy of our Directive
DBOD.No. DIR. BC. 159/13.07.01/97 dated
December 31, 1997 is enclosed.

3. उक्त निम्नतर ब्याज-दर केवल नये अग्रिमों पर
ही नहीं, बल्कि वर्तमान बकाया राशियों पर भी लागू

3. The lower rate of interest will be appli-
cable not only to fresh advances but also to

होगी जैसाकि दिनांक 24 मार्च 1986 के परिपत्र
बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी. 38/सी.96/86 में सूचित
किया गया था।

भवदीय,

(एम.टी. पाबारी)
महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं.डीआइआर. 159 /13.07.01/97

31 दिसम्बर 1998
10 पौष 1919 (शक)

अग्रिमों पर ब्याज-दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21
और 35क के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बारे में
संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक
और समीचीन है, इसके द्वारा निदेश देता है कि उनके
दिनांक 29 नवम्बर 1997 के निदेश बैंपविवि. सं.
डीआइआर. बीसी. 144/13.07.01/97 के संलग्नक
की मद 4(2) (ii) (ख) के सामने निर्दिष्ट ब्याज-दर को
दिनांक 1 जनवरी 1998 से परिशिष्ट में दिये गये
अनुसार परिवर्तित कर दिया जाए।

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

the existing outstanding amounts as indicated
in circular DBOD.No. Dir.BC. 38/C.96/86
dated March 24, 1986.

Yours faithfully,

(M.T. Pabari)
General Manager

DBOD No. Dir. 159 / 13.07.01/97

December 31, 1997
Pausha 10, 1919 (Saka)

INTEREST RATES ON ADVANCES

In exercise of the powers conferred by Sec-
tions 21 and 35A of the Banking Regulation
Act, 1949, the Reserve Bank of India, being
satisfied that it is necessary and expedient in
the public interest so to do, hereby directs that
with effect from January 1, 1998, the interest
rate indicated against the item 4(2) (ii) (b) of
the Annexure to its Directive DBOD.No.Dir.
BC. 144/13.07.01/97 dated November 29,
1997, be changed as given in the Appendix.

(S. Gurumurthy)
Executive Director

(संलग्नक का परिशिष्ट)

ब्याज की दर
(प्रतिशत वार्षिक)

वर्तमान नयी
(1 जनवरी
1998 से लागू)

4. निर्यात ऋण

(2) पोतलदानोत्तर ऋण

(ii) मीयादी बिल

(कुल अवधि के लिए जिसमें
निर्यात बिलों की व्यवहारी
अवधि, फेडाय द्वारा
यथाविनिर्दिष्ट पारवहन
अवधि तथा जहाँ लागू हो,
अनुग्रह अवधि शामिल हैं।)

ख) पोतलदान की तारीख	15.0	13.0
से 90 दिनों से अधिक	(अग्रिम	(90
तथा 6 माह तक की	की	दिनों
अवधि के लिए	तारीख	से
	से)	अधिक
	की	
	अवधि	
	के लिए)	

(Appendix to Annexure)

Rate of interest
(per cent per annum)

Existing New
(Effective
January
1, 1998)

4. Export Credit

(2) Post -shipment Credit

(ii) Usance Bills

(for total period
comprising usance
period of export
bills, transit period
as specified by
FEDAI, and grace
period wherever
applicable)

b) Beyond 90 days	15.0	13.0
and upto six	(from the	(for
months from the	date of	the
date of shipment	advance)	period
		beyond
		90
		days)

31 दिसम्बर 1997
10 पौष 1919 (शक)

December 31, 1997
Pausha 10, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंकों के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक

The Chairmen/Chief Executives
of all Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

निर्यात ऋण - अतिदेय निर्यात बिलों
पर ब्याज की दर

**EXPORT CREDIT-RATE OF INTER-
EST ON OVERDUE EXPORT BILLS**

कृपया आप दिनांक 17 दिसम्बर 1997 का हमारा
परिपत्र औनिऋवि.सं.26/04.02.01/97-98 देखें।

Please refer to our circular IECD.No.26/
04.02.01/97-98 dated December 17, 1997.

2. पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर ब्याज दर के
संबंध में निम्नलिखित रियायतें दी गयी हैं (देखें ऋण
आयोजना कक्ष का दिनांक 31 दिसम्बर 1997 का पत्र
सं.सीपीसी.बीसी. 170/07.01.279/97-98) :-

2. With regard to rate of interest on post-
shipment rupee credit, the following relax-
ations have been made (cf. Credit Planning
Cell's letter No. CPC.BC.170/07.01.279/97-
98 dated December 31, 1997):

- (क) अतिदेय बिलों की जमानत पर
बकाया पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात
ऋण पर 20 प्रतिशत वार्षिक
(न्यूनतम) की उच्चतर ब्याज-दर
केवल अतिदेय अवधि के लिए ही
लागू होगी, **न कि** अग्रिम की तारीख
से।
- (ख) 20 प्रतिशत वार्षिक (न्यूनतम)
की उच्चतर ब्याज-दर कुछ
दीर्घकालिक मामलों से संबंधित
अतिदेय राशियों पर लागू **नहीं** होगी
जो निर्यातक के नियंत्रण से बाहर
हों। इस प्रयोजन के लिए
दीर्घकालिक मामलों को उन मामलों
के रूप में परिभाषित किया गया है

- (a) The higher rate of interest of
20 per cent per annum (mini-
mum) on post-shipment rupee
export credit outstanding
against overdue bills will be
applicable only for the over-
due period and **not** from the
date of advance.
- (b) The higher rate of interest of
20 per cent per annum (mini-
mum) will **not** be applicable
to overdues in respect of cer-
tain chronic cases beyond the
control of the exporter. For
this purpose, chronic cases are
defined as those where even

जिनमें छह महीने से पहले भी बिल अतिदेय थे अर्थात् वे अतिदेय जो 1 जुलाई 1997 को विद्यमान थे।

उपर्युक्त दोनों रियायतें 18 दिसम्बर 1997 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होंगी।

3. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ग्राहकों से वसूल किये जा रहे ब्याज का तदनुसार समायोजन करें।

4. इस संबंध में जारी किये गये दिनांक 31 दिसम्बर 1997 के हमारे निदेश बैंपविवि.डीआइआर. 160/13.07.01/97 की एक प्रति संलग्न है (संलग्नक I)।

5. निर्यात ऋण पर दिनांक 1 जनवरी 1998 से प्रभावी ब्याज-दर संरचना इस परिपत्र के संलग्नक II में दी गयी है।

भवदीय,

(एम. टी. पावारी)

महा प्रबंधक

six months ago, the bills were overdue i.e. overdues which existed as on July 1, 1997.

Both the above relaxations will apply retrospectively from December 18, 1997.

3. Banks are advised to suitably adjust the interest charged to their customers accordingly.

4. A copy of our Directive DBOD.Dir. 160/13.07.01/97 dated December 31, 1997 issued in this regard is enclosed. (Annexure I)

5. The interest rate structure on export credit effective from January 1, 1998 is furnished in Annexure II of this circular.

Yours faithfully,

(M.T. Pabari)

General Manager

31 दिसम्बर 1997
10 पौष 1919 (शक)

December 31 , 1997
Pausha 10, 1919 (Saka)

अग्रिमों पर ब्याज-दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बारे में संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा निदेश देता है कि उसके दिनांक 17 दिसम्बर 1997 के निदेश बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 154/13.07.01/97 के संलग्नक की मद 4(2) (ii) (ग) और 4(4) के सामने निर्दिष्ट ब्याज-दर को दिनांक 1 जनवरी 1998 से, परिशिष्ट में दिये गये अनुसार परिवर्तित कर दिया जाए।

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

INTEREST RATES ON ADVANCES

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that with effect from January 1, 1998, the interest rate indicated against the items 4(2) (ii) (c) and 4 (4) of the Annexure to its Directive DBOD.No.Dir. 154/13.07.01/97 dated December 17, 1997, be changed as given in the Appendix.

(S. Gurumurthy)
Executive Director

(संलग्नक - I का परिशिष्ट)

(Appendix to Annexure -I)

ब्याज की दर
(प्रतिशत वार्षिक)Rate of Interest
(per cent per annum)

वर्तमान नयी
(1 जनवरी
1998 से लागू)

Existing New
(Effective
January
1, 1998)

4. निर्यात ऋण

4. Export Credit

(2) पोतलदानोत्तर ऋण

(2) Post -shipment Credit

(ii) मीयादी बिल

(ii) Usance Bills

(ग) पोतलदान की तारीख 20 20
से लेकर 6 महीने से प्रतिशत प्रतिशत
अधिक अवधि (न्यूनतम) (न्यूनतम)
के लिए (अग्रिम की
तारीख से)

(c) Beyond six 20 per 20 per
months from cent cent
date of (minimum) (mini-
shipment mum)
the date
of advance)

(4) अन्यथा विनिर्दिष्ट 20 20
न किया गया प्रतिशत प्रतिशत
निर्यात ऋण (न्यूनतम) (न्यूनतम)
(अग्रिम की
तारीख से)

(4) Export Credit not 20 per 20 per
otherwise specified cent cent
(minimum) (mini-
(from mum)
the date of
advance)

संलग्नक - II

Annexure -II

ब्याज की दर (प्रतिशत वार्षिक) 1 जनवरी 1998 से लागू

Rate of interest (per cent per annum) effective January 1, 1998

4. निर्यात ऋण

(1) पोतलदान-पूर्व ऋण

(i) (क) 180 दिनों तक	12.0
(ख) 180 दिनों से अधिक और 270 दिनों तक	14.0
(ii) भारतीय निर्यात ऋण और गारंटी निगम (ईसीजीसी) की गारंटी द्वारा रक्षित सरकार से प्राप्य प्रोत्साहनों की जमानत पर	12.0

(2) पोतलदानोत्तर ऋण

(i) पारवहन अवधि हेतु मांग बिल (फेडाय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट)	11.0 से अधिक नहीं
(ii) मीयादी बिल (कुल अवधि के लिए जिसमें निर्यात बिलों की व्यवहारी अवधि, फेडाय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट पारवहन अवधि तथा जहां लागू हो, अनुग्रह अवधि शामिल हैं।)	

4. Export Credit

(1) Pre-shipment Credit

(i) (a) Upto 180 days	12.00
(b) Beyond 180 days and upto 270 days	14.00
(ii) Against incentives receivable from Government covered by ECGC Guarantee (upto 90 days)	12.00

(2) Post -shipment Credit

(i) Demand bills for transit period (as specified by FEDAI)	Not Exceeding 11.0
(ii) Usance Bills (For total period comprising usance period of export bills, transit period as specified by FEDAI, and grace period wherever applicable)	

क) 90 दिनों तक	11.0 से अधिक नहीं
ख) पोतलदान की तारीख से लेकर 90 दिनों से अधिक तथा 6 महीने तक की अवधि के लिए	13.0 (90दिनों से अधिक अवधि केलिए)
(iii) पोतलदान की तारीख से लेकर 6 महीने से अधिक अवधि के लिए	20 प्रतिशत (न्यूनतम)
(iv) ईसीजीसी की गारंटी द्वारा रक्षित सरकार से प्राप्य प्रोत्साहनों की जमानत पर (90 दिनों तक)	11.0 से अधिक नहीं
(v) अनाहरित शेष की जमानत पर (90 दिनों तक)	11.0 से अधिक नहीं
(vi) पोतलदान की तारीख से 1 वर्ष के भीतर देय प्रतिधारण राशि (केवल आपूर्ति भाग के लिए) की जमानत पर (90 दिनों तक)	11.0 से अधिक नहीं
(3) आस्थगित ऋण	
180 दिनों से अधिक की अवधि के लिए आस्थगित ऋण	मुक्त
(4) अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया निर्यात ऋण	20 प्रतिशत (न्यूनतम)

a) Upto 90 days	Not Exceeding 11.0
b) Beyond 90 days and upto six months from the date of shipment	13.0 (For the Period beyond 90 days)
(iii) Beyond six months from the date of shipment	20percent (Minimum)
(iv) Against incentives receivable from Government covered by ECGC Guarantee (upto 90 days)	Not Exceeding 11.0
(v) Against undrawn balance (upto 90 days)	Not Exceeding 11.0
(vi) Against retention money (for supplies portion only) payable within one year from the date of shipment (upto 90 days)	Not Exceeding 11.00
(3) Deferred Credit	
Deferred credit for the period beyond 180 days	Free
(4) Export Credit not otherwise specified	20 percent (Minimum)

भाग VI
ऋण नियंत्रण (सामान्य)

SECTION VI
**CREDIT CONTROL
(GENERAL)**

16 जनवरी 1997
26 पौष 1918 (शक)

January 16, 1997
Pausha 26, 1918 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42-
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखे विनिर्दिष्ट अतिरिक्त
नकदी शेष पर ब्याज का भुगतान

**SECTION 42 OF RESERVE BANK OF
INDIA ACT, 1934 - PAYMENT OF
INTEREST ON SPECIFIED
ADDITIONAL CASH BALANCES
MAINTAINED WITH RESERVE BANK
OF INDIA.**

कृपया आप 2 दिसम्बर 1991 के हमारे परिपत्र
बैंपविवि.सं.आरईटी 1297/सी.110-91 का पैराग्राफ
2 देखें, जिसके अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास
रखे विनिर्दिष्ट अतिरिक्त नकदी शेष पर तदर्थ ब्याज
का भुगतान संबंधित तिमाहियों के लिए बैंकों को देय
पात्र ब्याज की राशि के 95 प्रतिशत तक किया जाता
है।

Please refer to paragraph 2 of our Circular
letter DBOD. No.Ret.1297/C.110-91 dated
December 2, 1991 in terms of which payment
of ad-hoc interest on specified additional bal-
ances maintained with Reserve Bank of In-
dia is made to banks upto 95 per cent of the
amount of eligible interest due to them for
the concerned quarters.

2. स्थिति की समीक्षा करके यह निर्णय लिया गया
है कि तदर्थ ब्याज का भुगतान बढ़ाकर दिसम्बर 1996
की तिमाही से बैंकों को देय पात्र ब्याज की राशि के
98 प्रतिशत तक कर दिया जाये। यह भी निर्णय
लिया गया है कि दिसम्बर 1994 में समाप्त तिमाही से
सितम्बर 1996 में समाप्त तिमाही तक के दौरान रखी
गयी पात्र शेषराशि पर बैंकों को देय ब्याज का जो 95
प्रतिशत अदा किया जा चुका है, उसके अतिरिक्त
तदर्थ आधार पर 3 प्रतिशत और अदा किया जाये।
ब्याज की शेष राशि, यदि कोई है, निर्धारित प्रारक्षित
नकदी निधि संबंधी अपेक्षाओं की तुलना में, वास्तव में
रखे गये नकदी शेष की हमारे रिकॉर्ड से पुष्टि के बाद

2. On a review of the position, it has been
decided to increase payment of ad-hoc interest
upto 98 per cent of the amount of eligible
interest due to the banks from the quarter
ended December 1996. It has also been
decided to pay 3 per cent interest due to banks
on the eligible balances maintained during
quarters ended December 1994 to September
1996 on an ad-hoc basis in addition to 95 per
cent already paid. The remaining balance of
interest, if any, will be paid in due course after
confirmation of actual cash balances
maintained with us from our records vis-a-

यथासमय अदा की जायेगी।

3. पात्र प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की शेष राशियों पर ब्याज की अदायगी के संबंध में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को समय-समय पर बतायी गयी अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

भवदीय,

(दिनेश वी. झवेरी)

महा प्रबंधक

बैंपवि.सं.डीआइआर.बीसी. 27 / 13.08.01/97

7 अप्रैल 1997
17 चैत्र 1919(शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

प्रिय महोदय,

चयनात्मक ऋण नियंत्रण - गेहूँ की जमानत पर दिये जानेवाले अग्रिमों पर नियंत्रणों को पुनः आरंभ करना

कृपया आप उप गवर्नर महोदय का 7 अप्रैल 1997 का परिपत्र सं.सीपीसी.बीसी.161/07.01.279/96-97 देखें। उसमें बताये गये अनुसार, वर्तमान भाव-उत्पादन वृद्धि की समीक्षा करने पर, यह निर्णय किया गया है

vis prescribed reserve requirements.

3. The other terms and conditions relating to payment of interest on eligible CRR balances conveyed to all the scheduled commercial banks from time to time remain unchanged.

Yours faithfully,

(D.V. Jhaveri)

General Manager

DBOD.No.Dir.BC. 27 / 13.08.01/97

April 7, 1997
Chaitra 17, 1919 (Saka)

All Commercial Banks
(including Regional Rural Banks)

Dear Sirs,

**SELECTIVE CREDIT CONTROLS -
REINTRODUCTION OF CONTROLS
ON ADVANCES AGAINST WHEAT**

Please refer to Deputy Governor's circular No.CPC.BC.161/07.01.279/96-97 dated April 7, 1997. As indicated therein, on a review of recent price-output developments, it has been decided that bank advances against

कि गेहूँ की जमानत पर दिये जानेवाले बैंक अग्रिमों को, जिन्हें चयनात्मक ऋण नियंत्रण के प्रावधानों से छूट दी गयी थी, 8 अप्रैल 1997 से तीन महीनों की अवधि के लिए अर्थात् 7 जुलाई 1997 तक फिर नियंत्रणों के अंतर्गत लाया जाये। गेहूँ के स्टॉकों की जमानत पर दिये जानेवाले अग्रिमों पर न्यूनतम मार्जिन, मिलों और अभिसंस्करण इकाइयों और भंडारगृह रसीदों के लिए 45 प्रतिशत होगा तथा 'अन्य' (मुख्यतः व्यापार) के लिए 60 प्रतिशत होगा। उच्चतम ऋण सीमा का स्तर 1995-96 (नवम्बर-अक्टूबर) को समाप्त तीन वर्षों में किसी भी वर्ष किसी पार्टी द्वारा बनाये रखे गये चरम ऋण स्तर का 100 प्रतिशत होगा।

2. 12 अक्टूबर 1993 को गेहूँ की जमानत पर दिये जानेवाले अग्रिमों पर से चयनात्मक ऋण नियंत्रण हटाने से पहले लागू सभी अन्य शर्तें/छूटें अब फिर लागू होंगी।

3. दिनांक 7 अप्रैल 1997 का संशोधनकारी निदेश बैंपवि.सं. डीआइआर. बीसी. 26/13.08.01/97 संलग्न है।

भवदीय,

(यशवंत मर्डिकर)

महा प्रबंधक

wheat which were exempt from the provisions of Selective Credit Controls, should be brought back under the controls with effect from April 8, 1997, for a period of three months i.e. upto July 7, 1997. The minimum margins on advances against stocks of wheat will be 45 per cent for Mills and Processing Units and against warehouse receipts and 60 per cent for "others", (mainly trade). The level of credit ceiling will be 100 per cent of the peak level of credit maintained by a party in any of the three years ended 1995-96 (November - October).

2. All other stipulations/exemptions which were in force prior to the removal of Selective Credit Controls on advances against wheat on October 12, 1993 would now be brought back into force.

3. An amending directive DBOD.No. Dir. BC. 26/13.08.01/97 dated April 7, 1997, is enclosed.

Yours faithfully,

(Y.W. Mardikar)

General Manager

7 अप्रैल 1997

April 7, 1997

17 चैत्र 1919 (शक)

Chaitra 17, 1919 (Saka)

चयनात्मक ऋण नियंत्रण - गेहूँ की जमानत पर दिये जानेवाले अग्रिमों पर नियंत्रणों को पुनः आरंभ करना

SELECTIVE CREDIT CONTROLS - REINTRODUCTION OF CONTROLS ON ADVANCES AGAINST WHEAT

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 31 मार्च 1987 के अपने निदेश डीबीओडी.सं. डीआइआर. बीसी. 38/ सी.218/87 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा यह निदेश देता है कि गेहूँ की जमानत पर दिये जानेवाले अग्रिमों को जिन्हें चयनात्मक ऋण नियंत्रणों के प्रावधानों से छूट दी गयी थी, 8 अप्रैल 1997 से तीन महीने की अवधि के लिए अर्थात् 7 जुलाई 1997 तक फिर नियंत्रणों के अंतर्गत लाया जाये। गेहूँ की जमानत पर दिये जानेवाले अग्रिमों पर न्यूनतम मार्जिन और उच्चतम ऋण सीमा का स्तर संलग्न अनुबंध के अनुसार होगा।

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and in partial modification of its directive DBOD No. Dir.BC. 38/C.218-87 dated March 31, 1987, as amended from time to time, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that bank advances against wheat which were exempt from the provisions of Selective Credit Controls shall be brought back under the controls with effect from April 8, 1997 for a period of three months, i.e. upto July 7, 1997. The minimum margins and levels of credit ceiling on advances against wheat shall be as per the Annexure attached.

2. 12 अक्टूबर 1993 को गेहूँ की जमानत पर दिये जानेवाले अग्रिमों पर से चयनात्मक ऋण नियंत्रण हटाने से पहले लागू सभी अन्य शर्तें/छूटें फिर लागू की जायें।

2. All other stipulations/exemptions which were in force prior to the removal of Selective Credit Controls on advances against wheat on October 12, 1993 shall be brought back into force.

3. समय-समय पर यथासंशोधित 31 मार्च 1987 के निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 38/ सी.218-87 के अन्य उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

3. All other provisions of directive DBOD. No. Dir. BC. 38/C.218-87 dated March 31, 1987 as amended from time to time, shall remain unchanged.

(जे.आर. प्रभु)

कार्यपालक निदेशक

(J.R. Prabhu)

Executive Director

न्यूनतम मार्जिन	ऋण का स्तर	न्यूनतम मार्जिन और ऋण के स्तर से छूट
1.	2.	3.
गेहूँ		
(i) मिलों/अभिसंस्करण इकाइयों को गेहूँ के स्टॉक के लिए अग्रिमों पर 45%	प्रत्येक पार्टी के लिए 1993-94, 1994-95 और 1995-96 (नवंबर अक्तूबर) के 3 वर्षों में से किसी एक वर्ष में पार्टी द्वारा बनाये रखे गये चरम ऋण स्तर का 100%	क. राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, त्रिपुरा और सिक्किम राज्यों में सभी पार्टियों को दिये गये अग्रिम, ख. सार्वजनिक उगाही, भंडारण और वितरण एजेंसियाँ (i) भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों को दिये गये अग्रिम। (ii) सहकारी विपणन संघों, केन्द्रीय या राज्य भंडार गृह निगमों तथा भारतीय खाद्य निगम/केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्नों की उगाही/वितरण के प्रयोजन के लिए एजेंट के रूप में विधिवत रूप से नियुक्त अन्य एजेंसियों को उनके द्वारा रखे गये स्टॉक की सीमा तक दिये गये अग्रिम। (iii) सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में सरकार द्वारा नियुक्त/लाइसेंसीकृत और/अथवा सार्वधिक राशनिंग/उचित मूल्य वितरण प्रणाली के अंतर्गत थोक और फुटकर विक्रेताओं को राशनवाले खाद्यान्नों पर दिये गये अग्रिम।
(ii) मिलों और अभिसंस्करण इकाइयों से भिन्न पार्टियों को गेहूँ के स्टॉक के लिए अग्रिमों पर 60%		
(iii) गेहूँ के स्टॉक से संबंधित भंडार गृह रसीदों के लिए अग्रिमों पर 45%		

ग. अन्य

- (i) बिस्कुट निर्माताओं को सूजी (रवा), आटा तथा मैदा पर दिये गये अग्रिम।
- (ii) गेहूँ लाने-ले जाने के संबंध में आहरित मांग प्रलेखी बिलों की जमानत पर या उनकी खरीद पर दिये गये अग्रिम।
- (iii) अधिक उपज देनेवाले ऐसे बीजों/ऐसे संकर बीजों की जमानत पर दिये गये अग्रिम जो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, दिल्ली अथवा किसी राज्य सरकार से किये गये करार के अधीन पैदा किये गये हों अथवा जिन पर, यथास्थिति, उक्त निगम अथवा संबंधित राज्य सरकार या ऐसी किसी प्रमाणक एजेंसी का कोई प्रमाण चिह्न लगा हो जो बीज अधिनियम, 1966 के अधीन प्राधिकृत हो तथा उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन बीज अधिसूचित हों।
- (iv) खादी और ग्रामोद्योग कमीशन और उसकी सहयोगी संस्थाओं को दिये गये अग्रिम।
- (v) थोक उपभोक्ता सहकारी भंडारों और उपभोक्ता सहकारी समितियों के राज्य तथा राष्ट्रीय महासंघों को दिये गये अग्रिम।
- (vi) प्रत्येक उधारकर्ता को एक लाख रुपये की कुल सीमा तक के अग्रिमों को चयनात्मक ऋण नियंत्रण के सभी उपबंधों से छूट दी गयी है बशर्ते कि उधारकर्ता एक ही बैंक से लेन-देन करता हो।

घ. निर्यात

पक्के निर्यात आर्डरों/अटल साख पत्रों के आधार पर निर्यातकों को गेहूँ की जमानत पर मंजूर किया गया पोतलदानपूर्व ऋण तथा गेहूँ के निर्यात से संबंधित निर्यात बिलों की खरीद, बेचान या भांजन के रूप में दिया जानेवाला पोतलदानोत्तर ऋण अथवा इनकी जमानत पर दिये गये अग्रिम।

- (1) चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अधीन आनेवाले पण्यों की बिक्री से संबंधित मीयादी बिलों को भांजन बैंकों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। बैंकों को ऐसा अंतर्देशीय साख पत्र नहीं खोलना चाहिए, जिसमें अन्य बैंकों द्वारा साख पत्र के अंतर्गत आनेवाले मीयादी बिलों की भुनाई करने की शर्त का प्रावधान हो।
- (2) कोई भी बैंक गेहूँ की जमानत पर अग्रिम नहीं देगा, जहां उक्त पण्य के व्यापार पर रोक लगा दी गयी हो। परंतु इसके अपवाद ऐसे थोक और फुटकर व्यापारी होंगे जो राज्य सरकार द्वारा उक्त खाद्यान्न का व्यापार करने के लिए प्राधिकृत किये गये हों तथा इसके अपवाद ऐसी अभिसंस्करण इकाइयाँ उस सीमा तक उस तरीके के अनुसार होंगी, जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ऐसे अभिसंस्करण की अनुमति दी गयी हो।
- (3) गोदाम रसीदें वे रसीदें हैं, जो केन्द्रीय/राज्य भंडार गृह निगमों अथवा किसी सरकारी योजना के अधीन स्थापित ग्रामीण गोदामों और विनियमित बाजार प्रांगण द्वारा स्थापित गोदामों द्वारा जारी की गयी हों।
- (4) उपर्युक्त स्तंभ 3 में उल्लिखित राज्यों और अग्रिमों की श्रेणियों को यद्यपि निर्धारित न्यूनतम मार्जिन और ऋण के स्तर से छूट दी गयी है तथापि वे मीयादी बिलों के भांजन, बही ऋणों तथा बेजमानती ऋण सुविधाओं आदि की अनुमति देने के लिए बैंकों पर रोक लगानेवाले अन्य अनुदेशों से नियंत्रित होते रहेंगे। इस पर भी ये अनुदेश उपर्युक्त स्तंभ 3 की मद ग (vi) में उल्लिखित अग्रिमों के मामले में लागू नहीं होंगे।
- (5) जहां एक से अधिक पण्यों की जमानत और/अथवा किसी अन्य प्रकार की जमानत पर ऋण सीमाएँ (अर्थात् संमिश्र ऋण सीमाएँ) मंजूर की गयी हों, वहां प्रत्येक पण्य की जमानत पर दी गयी ऋण सीमाएँ अलग-अलग की जायेंगी और इस प्रकार अलग की गयी प्रत्येक सीमा पर निदेश में अंतर्विष्ट प्रतिबंध लागू होगा।

ANNEXURE

WHEAT

Minimum Margin	Level of Credit	Exemption from minimum margin and level of credit
(1)	(2)	(3)
Wheat :		
i) 45% on advances against stock of Wheat to mills/processing units	For each party, 100% of the peak level of credit maintained by the party in any of the three years 1993-94, 1994-95 and 1995-96 (November-October)	A. States Advances to all parties in the state of Assam, Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Tripura and Sikkim.
ii) 60% on advances against stock of wheat to parties other than mills and processing units		B. Public Procurement, Storage and Distribution Agencies
iii) 45% on advances against warehouse receipts covering stocks of wheat		i) Advances to the Food Corporation of India and State Governments. ii) Advances to Co-operative Marketing Federations, Central or State Warehousing Corporations and such other agencies duly appointed as agents for the purpose of food procurement/distribution by the Food Corporation of India/ Central or State Governments to the extent of the stocks held by them as such agents.

- iii) Advances against rationed foodgrains granted to wholesale and retail dealers appointed/licensed by Government and/or operating under statutory rationing/fair price distribution system in all the States and Union Territories

C. Others

- i) Advances against the security of soji (rawa) , flour, (atta) and maida to biscuit manufacturers.
- ii) Advances against the security of, by way of purchase of, demand documentary bills drawn in connection with the movement of wheat.
- iii) Advances against high-yielding/hybrid seeds produced under contract with the National Seeds Corporation Ltd., Delhi, or State Government or which bear the certification of the said Corporation or as the case may be, the concerned State Government or of any certification agencies authorised under the Seeds Act, 1966 and seeds notified under Sec.5 of the said Act.
- (iv) Advances to Khadi and Village Industries Commission and its associate institutions.
- v) Advances to Wholesale Consumers' Co-operative Stores and State/National

all

Federations of Consumers' Co-operatives.

- vi) Advances upto an aggregate limit of Rs.1 lakh per borrower are exempt from the provisions of the Selective Credit Control subject to the conditions that the borrower deals with one bank only.

D. Exports

Pre-shipment credit granted to exporters against the security of wheat on the basis of firm export orders/irrevocable letters of credit and post-shipment credit given in the form of purchase, negotiation or discounting of export bills or advances thereagainst in respect of export of wheat.

NOTES:

i) Usance bills arising out of sale of commodities covered under Selective Credit Control should not be discounted by banks. Banks should not open inland L/Cs providing a clause therein which enables other banks to discount usance bills under the L/Cs.

ii) No bank shall advance against the security of wheat where a ban on trading has been imposed in respect of that commodity except to wholesale or retail traders who are authorised by the State Government to deal in that foodgrain and to processing units to the extent to which and the manner in which such processing is allowed by the respective State Governments.

iii) Warehouse receipts are those issued by Central/State Warehousing Corporations or rural godowns, set up under a Government Scheme and godowns set up by Regulated Market Yards.

(iv) States and categories of advances indicated in column 3 above, though exempted from minimum margin and level of credit prescribed, will continue to be governed by other instructions issued prohibiting banks from discounting usance bills, allowing book debts and clean credit facilities, etc., In case of advances mentioned at item C (vi) in column 3 above, however, these instructions will not be applicable.

(v) Where credit limits have been sanctioned against the security of more than one commodity and/or against any other type of security (i.e. composite credit limits), the credit limit against each commodity shall be segregated and the restrictions contained in the directive shall be made applicable to each such segregated limit.

15 अप्रैल 1997
25 चैत्र 1919 (शक)

April 15, 1997
Chaitra 25, 1919 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय

Dear Sir,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42
(1ए)- अनिवासी जमाराशियों पर प्रारक्षित नकदी
निधि अनुपात

SECTION 42(1A) OF RESERVE BANK
OF INDIA ACT, 1934 - CASH RESERVE
RATIO (CRR) ON NON-RESIDENT
DEPOSITS.

कृपया आप उपर्युक्त विषय के संबंध में गवर्नर महोदय
का 15 अप्रैल 1997 का परिपत्र सं.सीपीसी.बीसी.
162/07.01.279/96-97 देखें। इस संबंध में हम
निम्नप्रकार सूचित करते हैं :

Please refer to Governor's Circular No. CPC.
BC. 162/07.01.279/96-97 dated April 15.
1997 on the above subject. In this connection
we advise as under:

2. अनिवासी जमाराशियों पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात

2. Cash Reserve Ratio on Non-Resident Deposits

वर्तमान में विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना,
अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना और अनिवासी
(अप्रत्यावर्तनीय) रुपया खाता योजना के अंतर्गत
देयताओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात का निर्धारण
शून्य है। अब यह निर्णय किया गया है कि इन
जमाराशियों को प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की
परिधि में लाया जाये। तदनुसार सभी अनुसूचित
वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से
अपेक्षा की जाती है कि वे 26 अप्रैल 1997 से प्रारंभ
पखवाड़े से विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना,
अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना और अनिवासी
(अप्रत्यावर्तनीय) रुपया खाता योजना के अंतर्गत

At present, liabilities under Foreign
Currency Non-Resident Accounts (Banks)
[FCNR (B)] Scheme, Non-Resident (Non-
repatriable) Rupee [NRNR] Accounts Scheme
are subject to prescription of zero cash reserve
ratio (CRR). It has now been decided to bring
these deposits under the purview of CRR.
Accordingly, with effect from the fortnight
beginning from April 26, 1997. All Scheduled
Commercial Banks (excluding RRBs) are
required to maintain a CRR of 10 per cent on
the increase in liabilities under FCNR (B)
Accounts Scheme, NRE Accounts Scheme

देयताओं में 11 अप्रैल 1997 को बकाया स्तर से ऊपर होनेवाली वृद्धि पर 10 प्रतिशत का प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखेंगे। इस संबंध में 15 अप्रैल 1997 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि.सं. बीसी. 44/12.01.001/96-97 की प्रतिलिपि संलग्न है। यह ध्यान रखा जाये कि अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत देयताओं के संबंध में इस उपाय के अंतर्गत रखा जानेवाला प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात इस तारीख से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत यदि कोई प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने की अपेक्षा की गयी है, तो उसके अलावा होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने का एक उदाहरण संलग्न है।

यह बात दोहरायी जाती है कि विभिन्न श्रेणियों की देयताओं से संबंधित विभिन्न निर्धारणों, कुछ देयताओं से संबंधित शून्य प्रारक्षित अपेक्षा के निर्धारणों सहित, जैसा कि कानून द्वारा विनिर्दिष्ट है, को दृष्टि में रखते हुए कुल शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा अनुरक्षित प्रभावी प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात क्रमशः 3 प्रतिशत और 25 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

भवदीय,

(डी. वी. झवेरी)

महा प्रबंधक

and NRNR Accounts Scheme over the level outstanding as on April 11, 1997. A copy of the relevant notification DBOD.No. BC. 44/12.01.001/96-97 dated April 15, 1997 in this regard is enclosed. It may be noted that in respect of liabilities under NRE Accounts Scheme, CRR maintained under this measure would be in addition to CRR, if any, required to be maintained under Section 42(1A) of Reserve Bank of India Act, 1934 prior to this date. An Annexure setting out an Illustration on Maintenance of Incremental CRR under section 42(1A) of RBI Act, 1934 is enclosed.

It may be reiterated that in view of the multiple prescriptions on different categories of liabilities including prescription of a zero reserve requirement on some liabilities, as stipulated under the law, effective CRR and SLR maintained by scheduled commercial banks on total demand and time liabilities should not be less than 3 per cent and 25 per cent respectively.

Yours faithfully,

(D.V. Jhaveri)

General Manager

अनुबंध

भा.रि. बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत
वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने का एक उदाहरण

(करोड़ रु.)

निम्नलिखित तारीख की स्थिति	अंतर बैंक देयताओं और एनआरई जमाराशियों सहित देयताएं	परिदृश्य I			जोड़	
		निम्नलिखित के अंतर्गत देयताएं				
		एफ सीएन आर (बी) योजना	एनआर एनआर योजना	एनआरई योजना		शून्य प्रा. न. नि. अनुपात वाली देयताएं
1. 3 मई 1991	10000					
2. 17 अप्रैल 1992	11500					
3. 5 अगस्त 1994 (यदि लागू हो)	13000					
4. पुनः लागू करने की तारीख (यदि लागू हो)	14000					
5. 11 अप्रैल 1997		1000	500	400	200	
6. 25 अप्रैल 1997	15100	1500	700	200	500	
भा.रि. बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत 9 मई 1997 को समाप्त पखवाड़े के लिए अपेक्षित वृद्धिशील प्रा.न.नि.अ. की राशि						

[(11500-10000) के 10%] का 2/3 = 100 अथवा	(1500- 1000) का 10% = 50	(700- 500) का 10% = 20	(100- 400) का 10% = 0	0

[(15100-10000)
के 10%] का 2/3
= 340
जो भी कम हो

जाड़ें

(14000-13000)
का 10%
= 100
अथवा
(15100-13000)
का 10%
= 210
जो भी कम हो

जाड़	200	50	20	0	0	270

**भा.रि. बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत
वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने का एक उदाहरण**

(करोड़ रु.)

परिदृश्य II						जोड़
निम्नलिखित तारीख की स्थिति	अंतर बैंक देयताओं और एनआरई जमाराशियों सहित देयताएं	निम्नलिखित के अंतर्गत देयताएं				
		एफ सीएन आर (बी) योजना	एनआर एनआर योजना	एनआरई योजना	शून्य प्रा.न.नि. अनुपात वाली देयताएं	
1. 3 मई 1991	10000					
2. 17 अप्रैल 1992	11500					
3. 5 अगस्त 1994 (यदि लागू हो)	13000					
4. पुनः लागू करने की तारीख (यदि लागू हो)	14000					
5. 11 अप्रैल 1997		1000	500	600	200	
6. 25 अप्रैल 1997	15100	600	700	700	500	
भा.रि. बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत 9 मई 1997 को समाप्त पखवाड़े के लिए अपेक्षित वृद्धिशील प्रा.न.नि.अ. की राशि						

[(11500-10000) के 10%] का 2/3 = 100 अथवा	(600- 1000) का 10% = 0	(700- 800) का 10% = 0	(700- 600) का 10% = 10	0

[(15100-10000)
के 10%] का 2/3
= 340
जो भी कम हो

जोड़ें

(14000-13000)
का 10%
= 100
अथवा
(15100-13000)
का 10%
= 210
जो भी कम हो

जोड़	200	0	0	10	0	210

**भा.रि. बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत
वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने का एक उदाहरण**

(करोड़ रु.)

		परिदृश्य III				जोड़
निम्नलिखित तारीख की स्थिति	अंतर बैंक देयताओं और एनआरई जमाराशियों सहित देयताएं	निम्नलिखित के अंतर्गत देयताएं				
		एफ सीएन आर (बी) योजना	एनआर एनआर योजना	एनआरई योजना	शून्य प्रा.न.नि. अनुपात वाली देयताएं	
1. 3 मई 1991	10000					
2. 17 अप्रैल 1992	11500					
3. 5 अगस्त 1994 (यदि लागू हों)	13000					
4. पुनः लागू करने की तारीख (यदि लागू हों)	13500					
5. 11 अप्रैल 1997		1000	500	400	200	
6. 25 अप्रैल 1997	13300	1500	700	200	500	
भा.रि. बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत 9 मई 1997 को समाप्त पखवाड़े के लिए अपेक्षित वृद्धिशील प्रा.न.नि.अ. की राशि						

[(11500-10000) के 10%] का 2/3 = 100 अथवा	(1500- 1000) का 10% = 50	(700- 500) का 10% = 20	(200- 400 का 10% = 0	0

[(13300-10000)
के 10%] का 2/3
= 220
जो भी कम हो

जोड़ें

(13500-13000)
का 10%
= 50
अथवा
(13300-13000)
का 10%
= 30
जो भी कम हो

जोड़	130	50	20	0	0	200

**भा.रि. बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत
वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने का एक उदाहरण**

(करोड़ रु.)

परिदृश्य IV						जोड़
निम्नलिखित तारीख की स्थिति	अंतर बैंक देयताओं और एनआरई जमाराशियों सहित देयताएं	निम्नलिखित के अंतर्गत देयताएं				
		एफ सीएन आर (बी) योजना	एनआर एनआर योजना	एनआरई योजना	शून्य प्रा.न.नि. अनुपात वाली देयताएं	
1. 3 मई 1991	10000					
2. 17 अप्रैल 1992	15100					
3. 5 अगस्त 1994 (यदि लागू हो)	13000					
4. पुनः लागू करने की तारीख (यदि लागू हो)	14500					
5. 11 अप्रैल 1997		1000	500	400	200	
6. 25 अप्रैल 1997	14800	1500	700	200	500	
भा.रि. बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत 9 मई 1997 को समाप्त पखवाड़े के लिए अपेक्षित वृद्धिशील प्रा.न.नि.अ. की राशि						

[(15100-10000) के 10%] का 2/3 = 340 अथवा	(1500- 1000) का 10% = 50	(700- 500) का 10% = 20	(200- 400 का 10% = 0	0

[(14800-10000)
के 10%] का 2/3
= 320
जो भी कम हो

जोड़ें

(14500-13000)
का 10%
= 150
अथवा
(14800-13000)
का 10%
= 180
जो भी कम हो

जोड़	470	50	20	0	0	540

**भा.रि. बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत
वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने का एक उदाहरण**

(करोड़ रु.)

		परिदृश्य V			जोड़
निम्नलिखित तारीख की स्थिति	अंतर बैंक देयताओं और एनआरई जमाराशियों सहित देयताएं	निम्नलिखित के अंतर्गत देयताएं			
		एफ सीएन आर (बी) योजना	एनआर एनआर योजना	एनआरई योजना	शून्य प्रा.न.नि. अनुपात वाली देयताएं
1. 3 मई 1991	10000				
2. 17 अप्रैल 1992	9000				
3. 5 अगस्त 1994 (यदि लागू हो)	15000				
4. पुनः लागू करने की तारीख (यदि लागू हो)	16000				
5. 11 अप्रैल 1997		1000	500	600	200
6. 25 अप्रैल 1997	9500	1500	700	900	500
भा.रि. बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत 9 मई 1997 को समाप्त पखवाड़े के लिए अपेक्षित वृद्धिशील प्रा.न.नि.अ. की राशि					

[(9000-10000) के 10%] का 2/3 = 0 अथवा	(1500- 1000) का 10% = 50	(700- 500) का 10% = 20	(900- 600) का 10% = 30	0

[(9500-10000)
के 10%] का 2/3
= 0
जो भी कम हो

जोड़ें

(16000-15000)
का 10%
= 100
अथवा
(9500-15000)
का 10%
= 0
जो भी कम हो

जोड़	0	50	20	30	0	100

Annexure

An Illustration on Maintenance of Incremental CRR under Section 42(1A) of RBI Act, 1934

(Rs.crore)

As on		Scenario I				Total
		Liabilities including Inter-Bank Liabilities and NRE Deposits	Liabilities under			
			FCNR(B) Scheme	NRNRNRE Scheme	NRE Scheme	Zero CRR Liabilities
1.	May 3, 1991	10000				
2.	April 17, 1992	11500				
3.	August 5, 1994 (if applicable)	13000				
4.	Restoration Date (if applicable)	14000				
5.	April 11, 1997		1000	500	400	200
6.	April 25, 1997	15100	1500	700	200	500

Amount of Incremental
CRR required to be
maintained under
Section 42 (1A) of RBI
Act, 1934 for fortnight
ended May 9, 1997

Sec. VI

$\frac{2}{3}$ rd of [10% of (11500-10000)]	10% of (1500-1000)	10% of (700-500)	10% of (100-400)		
= 100	= 50	= 20	0	0	

OR

$$\frac{2}{3}\text{rd of [10\% of (15100-10000)]}$$

$$= 340$$

whichever is lower

Plus

$$10\% \text{ of } (14000-13000)$$

$$=100$$

OR

$$10\% \text{ of } (15100-13000)$$

$$=210$$

whichever is lower

Total	200	50	20	0	0	270

Sec. VI

**An Illustration on Maintenance of Incremental CRR
under Section 42(1A) of RBI Act, 1934**

(Rs.crore)

As on	Liabilities including Inter-Bank Liabilities and NRE Deposits	Scenario II			Total
		FCNR(B) Scheme	NRNRNRE Scheme	NRE Scheme	
					Zero CRR Liabilities
1. May 3, 1991	10000				
2. April 17, 1992	11500				
3. August 5, 1994 (if applicable)	13000				
4. Restoration Date (if applicable)	14000				
5. April 11, 1997		1000	800	600	200
6. April 25, 1997	15100	600	700	700	500

Amount of Incremental
CRR required to be
maintained under
Section 42 (1A) of RBI
Act, 1934 for fortnight
ended May 9, 1997

2/3 rd of [10% of (11500-10000)]	10% of (600-1000)	10% of (700-800)	10% of (700-600)	
= 100	= 0	= 0	= 10	0

OR

2/3rd of [10% of
(15100-10000)]
= 340

whichever is lower

Plus

10% of (14000-13000)
=100

OR

10% of (15100-13000)
=210

whichever is lower

Total	200	0	0	10	0	210

**An Illustration on Maintenance of Incremental CRR
under Section 42(1A) of RBI Act, 1934**

		(Rs.crore)			
As on		Scenario III			Total
		Liabilities including Inter-Bank Liabilities and NRE Deposits	Liabilities under		
			FCNR(B) Scheme	NRNRNRE Scheme	Zero CRR Liabilities
1.	May 3, 1991	10000			
2.	April 17, 1992	11500			
3.	August 5, 1994 (if applicable)	13000			
4.	Restoration Date (if applicable)	13500			
5.	April 11, 1997		1000	500	400
6.	April 25, 1997	13300	1500	700	200

Amount of Incremental CRR required to be maintained under Section 42 (1A) of RBI Act, 1934 for fortnight ended May 9, 1997

$$\begin{array}{cccc}
 \frac{2}{3} \text{ rd of } [10\% \text{ of} & 10\% \text{ of} & 10\% \text{ of} & 10\% \text{ of} \\
 (11500-10000)] & (1500-1000) & (700-500) & (200-400) \\
 = 100 & = 50 & = 20 & = 0 \quad 0
 \end{array}$$

OR

$$\begin{array}{l}
 \frac{2}{3} \text{rd of } [10\% \text{ of} \\
 (13300-10000)] \\
 = 220
 \end{array}$$

whichever is lower

Plus

$$\begin{array}{l}
 10\% \text{ of } (13500-13000) \\
 = 50
 \end{array}$$

OR

$$\begin{array}{l}
 10\% \text{ of } (13300-13000) \\
 = 30
 \end{array}$$

whichever is lower

Total	130	50	20	0	0	200

**An Illustration on Maintenance of Incremental CRR
under Section 42(1A) of RBI Act, 1934**

(Rs.crore)

As on	Scenario IV				Total
	Liabilities including Inter-Bank Liabilities and NRE Deposits	FCNR(B) Scheme	NRNRNRE Scheme	NRE Scheme	Zero CRR Liabilities
1. May 3, 1991	10000				
2. April 17, 1992	15100				
3. August 5, 1994 (if applicable)	13000				
4. Restoration Date (if applicable)	14500				
5. April 11, 1997		1000	500	400	200
6. April 25, 1997	14800	1500	700	200	500

Amount of Incremental CRR required to be maintained under Section 42 (1A) of RBI Act, 1934 for fortnight ended May 9, 1997

Sec. VI

2/3 rd of [10% of (15100-10000)]	10% of (1500-1000)	10% of (700-500)	10% of (200-400)	
= 340	= 50	= 20	= 0	0

OR

2/3rd of [10% of
(14800-10000)]
= 320

whichever is lower

Plus

10% of (14500-13000)
= 150

OR

10% of (14800-13000)
= 180

whichever is lower

Total	470	50	20	0	0	540

**An Illustration on Maintainance of Incremental CRR
under Section 42(1A) of RBI Act, 1934**

(Rs.crore)

As on	Scenario V				Total
	Liabilities including Inter-Bank Liabilities and NRE Deposits	Liabilities under			
		FCNR(B) Scheme	NRNRNRE Scheme	Zero CRR Liabilities	
1. May 3, 1991	10000				
2. April 17, 1992	9000				
3. August 5, 1994 (if applicable)	15000				
4. Restoration Date (if applicable)	16000				
5. April 11, 1997		1000	500	600	200
6. April 25, 1997	9500	1500	700	900	500

Amount of Incremental
CRR required to be
maintained under
Section 42 (1A) of RBI
Act, 1934 for fortnight
ended May 9, 1997

Sec. VI

$\frac{2}{3}$ rd of [10% of (9000-10000)]	10% of (1500-1000)	10% of (700-500)	10% of (900-600)	
= 0	= 50	= 20	= 30	0

OR

$$\frac{2}{3}\text{rd of [10\% of (9500-10000)]}$$

$$= 0$$

whichever is lower

Plus

$$10\% \text{ of } (16000-15000)$$

$$= 100$$

OR

$$10\% \text{ of } (9500-15000)$$

$$= 0$$

whichever is lower

Total	0	50	20	30	0	100

Sec. VI

15 अप्रैल 1997
25 चैत्र 1919 (शक)

April 15, 1997
Chaitra 25, 1919 (Saka)

अधिसूचना

NOTIFICATION

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (7) के साथ पठित उपधारा (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह निर्देश देता है कि सभी अनुमूचित वारिण्य बैंक 11 अप्रैल 1997 को बकाया स्तर से ऊपर विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) (एफसीएनआर(बी)) योजना, अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया (एनआरएनआर) जमा खातों और अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमा खातों के अंतर्गत देयताओं में किसी भी वृद्धि पर 26 अप्रैल 1997 को शुरू पखवाड़े से 10 प्रतिशत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखें।

In exercise of the powers conferred by sub-section (1A) read with sub-section (7) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) Reserve Bank of India hereby directs that with effect from the fortnight beginning April 26, 1997 all Scheduled Commercial Banks shall maintain Cash Reserve Ratio (CRR) of 10 percent on any increase in liabilities under Foreign Currency Non-Resident Accounts (Banks) [FCNR (B)] Scheme, Non-Resident (Non-Repatriable) Rupee (NRNR) Accounts Scheme and Non-Resident (External) Rupee (NRE) Accounts Scheme over the level outstanding as on April 11, 1997.

(जे.आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

(J.R. Prabhu)
Executive Director.

15 अप्रैल 1997
25 चैत्र 1919 (शक)

April 15, 1997
Chaitra 25, 1919 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

All Scheduled Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

**प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात / सांविधिक
चलनिधि अनुपात (सीआरआर/एसएलआर) बनाये
रखने में कमियां होने पर दंड व्याज दर**

**PENAL RATE OF INTEREST ON THE
SHORTFALLS IN THE MAINTENANCE OF CRR/SLR.**

कृपया आप 30 अक्टूबर 1991 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.आरईटी.बीसी 48/सी.96 (आरईटी)- 91 देखें, जिसके द्वारा आपको सूचित किया गया है कि 8 अक्टूबर 1991 से कारोबार समाप्ति पर बैंक दर को 11 प्रतिशत वार्षिक से परिवर्तित करके 12 प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया है। अब हम आपका ध्यान गवर्नर महोदय के 15 अप्रैल 1997 के परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी. 162/07.01.279/96-97 के पैराग्राफ 17(क) की ओर आकर्षित करते हैं जिसके अनुसार आज अर्थात् 15 अप्रैल 1997 को कारोबार समाप्ति पर बैंक दर एक प्रतिशत अंक कम करके 12 प्रतिशत वार्षिक से 11 प्रतिशत वार्षिक कर दी गयी है। अतः प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाये रखने में कम रहने वाली राशि पर वसूल की जानेवाली दंड व्याज दर, जो बैंक दर से संबद्ध है, 15 अप्रैल 1997

Please refer to our circular DBOD. No. Ret.BC. 48/C.96 (Ret)-91 dated October 30, 1991 advising you of the change in the Bank Rate from 11 percent per annum to 12 percent per annum with effect from the close of business on October 8, 1991. Now we invite your attention to paragraph 17(a) of Governor's Circular No. CPC.BC. 162/07.01.279/96-97 dated April 15, 1997 in term of which the Bank Rate has been reduced by one percentage point i.e. from 12 percent per annum to 11 percent per annum with effect from the close of business today i.e. from April 15, 1997. Consequently the penal rate of interest charged on the amount of shortfalls in the maintenance of Cash Reserve Ratio (CRR) and Statutory Liquidity Ratio (SLR) which is linked to Bank Rate stands revised

Sec. VI

को कारोबार समाप्ति पर संशोधित हो गयी है।

from the close of business on April 15, 1997.

भवदीय,

Yours faithfully,

(डी.वी. ज़वेरी)

(D.V. Jhaveri)

महा प्रबंधक

General Manager

बैंपविवि.सं. बीसी. 50 / 12.01.001/96-97

DBOD.No. BC. 50 / 12.01.001/96-97

15 अप्रैल 1997
25 चैत्र 1919 (शक)

April 15, 1997
Chaitra 25, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42
(1) - बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताओं पर प्रारक्षित
नकदी निधि अनुपात में परिवर्तन

**SECTION 42 (1) OF THE RESERVE
BANK OF INDIA ACT, 1934 - CHANGE
OF CASH RESERVE RATIO ON
LIABILITIES TO THE BANKING
SYSTEM.**

बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताओं पर प्रारक्षित नकदी
निधि अनुपात के संबंध में कृपया आप 15 अप्रैल
1997 के गवर्नर के परिपत्र सं.सीपीसी. बीसी. 162/
07.01.279/96-97 का पैराग्राफ 17 (ख) (i) देखें।

Please refer to our paragraph 17 (b) (i) of
Governor's circular No. CPC. BC. 162/
07.01.279/96-97 dated April 15, 1997
regarding Cash Reserve Ratio on Liabilities
to the Banking system.

2. वर्तमान में सभी अनसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय

2. At present all scheduled commercial

ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से अपेक्षा की जाती है कि वे बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताओं पर 10 प्रतिशत का प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखेंगे, जिसकी गणना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) में दिये गये अनुसार करनी होती है। रुपये के अर्थ में और अधिक यथार्थवादी लचीलापन लाने तथा मीयादी मुद्रा बाजार विकसित करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताओं को 10 प्रतिशत के प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने से छूट प्रदान की जाये। तदनुसार, बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताओं को, जिनकी गणना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) के अंतर्गत की जाती है, 10 प्रतिशत के प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात को रखने से 26 अप्रैल 1997 को प्रारंभ पखवाड़े से छूट प्रदान की जाती है। इस संबंध में 15 अप्रैल 1997 की संबंधित अधिसूचना बैंपवि. सं. बीसी. 45/12.01.001/96-97 की प्रतिलिपि संलग्न है।

यह बात दोहरायी जाती है कि विभिन्न श्रेणियों की देयताओं से संबंधित विभिन्न निर्धारणों, कुछ देयताओं से संबंधित शून्य प्रारक्षित अपेक्षा के निर्धारणों सहित, जैसा कि कानून द्वारा विनिर्दिष्ट है, को दृष्टि में रखते हुए कुल शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा अनुरक्षित प्रभावी प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात क्रमशः 3 प्रतिशत और 25 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

भवदीय,

(डी.वी. ज़वेरी)

महा प्रबंधक

banks (excluding Regional Rural Banks) are required to maintain a Cash Reserve Ratio of 10 percent on liabilities to the banking system as provided in clause (d) of Explanation to Section 42 (1) of the Reserve Bank of India Act, 1934. With a view to facilitating the development of a more realistic rupee yield curve and term money market, it has been decided to exempt the Liabilities to the Banking System from maintainance of a Cash Reserve Ratio (CRR) of 10 percent. Accordingly with effect from the fortnight beginning April 26, 1997, liabilities to the banking system as computed under clause (d) of Explanation to section 42 (1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 are exempted from maintenance of CRR of 10 percent. A copy of the relative Notification DBOD No. BC. 45/12.01.001/96-97 dated April 15, 1997 in this regard is enclosed.

3. It may be reiterated that, in view of the multiple prescriptions of different categories of liabilities, including prescription of a Zero reserve requirement on some liabilities, as stipulated under the law, effective CRR and SLR maintained by Scheduled Commercial Banks on total Demand and Time Liabilities should not be less than 3 percent and 25 percent respectively.

Yours faithfully,

(D.V. Jhaveri)

General Manager.

15 अप्रैल 1997
25 चैत्र 1919 (शक)

April 15, 1997
Chaitra 25, 1919 (Saka)

अधिसूचना

NOTIFICATION

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक 26 अप्रैल 1997 से प्रारंभ पखवाड़े से प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) धारा 42 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) के अंतर्गत गणना की जानेवाली देयताओं के संदर्भ में उस औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात को रखने से छूट प्रदान करता है, जो 19 अक्टूबर 1996 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीसी 140/12.01.001/96-97 में विनिर्दिष्ट है।

2. ऊपर निर्दिष्ट छूट अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अंतर्गत गणना की जानेवाली मांग और मीयादी देयताओं के उसके जोड़ के कम-से-कम 3 प्रतिशत पर रखे जानेवाले प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के अधीन होगी।

(जे.आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) Reserve Bank of India hereby exempts with effect from the fortnight beginning April 26, 1997, every scheduled commercial bank (excluding Regional Rural Banks) from maintenance of average Cash Reserve Ratio (CRR) specified in the Notification DBOD. No. BC. 140/12.01.001/96-97 dated 19th October, 1996, with reference to its liabilities as computed under clause (d) of Explanation to Sub-Section (1) of Section 42, *ibid*.

2. The exemption stipulated above shall be subject to the CRR maintained by a scheduled commercial banks at not less than 3 percent of its total of the demand and time liabilities as computed under section 42 (1) of the Reserve Bank of India Act, 1934.

(J.R. Prabhu)
Executive Director.

25 अप्रैल 1997
5 वैशाख 1919 (शक)

April 25, 1997
Vaishakha 5, 1919 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24
- बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताओं के बारे में सांविधिक
चलनिधि अनुपात

SECTION 24 OF THE BANKING REGU-
LATION ACT, 1949 - STATUTORY LI-
QUIDITY RATIO (SLR) ON LIABILI-
TIES TO THE BANKING SYSTEM.

कृपया आप बैंकिंग के प्रति देयताओं के बारे में सांविधिक
चलनिधि अनुपात से संबंधित गवर्नर महोदय के 15
अप्रैल 1997 के परिपत्र सं.सीपीसी. बीसी. 162/
07.01.279/96-97 का पैराग्राफ 17 (ख) (ii) देखें।

Please refer to our paragraph 17 (b) (ii) of
Governor's circular No. CPC. BC. 162/
07.01.279/96-97 dated April 15, 1997
regarding Statutory Liquidity Ratio (SLR) on
liabilities to the banking system.

2. वर्तमान में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय
ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से अपेक्षा की जाती है कि वे
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24
के अंतर्गत घरेलू देयताओं पर 30 सितम्बर 1994 को
बकाया स्तर तक 31.50 प्रतिशत और 30 सितम्बर
1994 को बकाया स्तर से ऊपर की ऐसी देयताओं में
वृद्धि पर 25.00 प्रतिशत सांविधिक चलनिधि अनुपात
रखेंगे। इस प्रयोजन के लिए देयताओं में अन्य बातों
के साथ साथ, बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं शामिल
हैं, जिनकी गणना बैंककारी विनियमन अधिनियम,
1949 की धारा 18(1) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) में
बताये गये अनुसार की जाती है (जिन्हें आगे अंतर बैंक
देयताएं कहा गया है।) यह निर्णय किया गया है कि
26 अप्रैल 1997 से प्रारंभ पखवाड़े से अंतर बैंक

2. At present all scheduled commercial
banks (excluding Regional Rural Banks) are
required to maintain under Section 24 of
Banking Regulation Act, 1949, Statutory
Liquidity Ratio of 31.50 percent on domestic
liabilities upto the level outstanding as on
September 30, 1994 and 25.00 percent on any
increase in such liabilities over the level
outstanding as on September 30, 1994. The
liabilities for this purpose include inter-alia
liabilities to banking system computed as
provided in clause (d) of Explanation to
Section 18 (1) of the Banking Regulation Act,
1949 (hereinafter referred to inter-bank
liabilities). It has been decided that with effect
from the fortnight beginning April 26, 1997

देयताएं, जिनकी गणना उक्त खंड (घ) के अनुसार की गयी है, सांविधिक चलनिधि अनुपात रखने से छूट प्राप्त होंगी।

3. यह बात दोहरायी जाती है कि विभिन्न श्रेणियों की देयताओं से संबंधित विभिन्न निर्धारणों, कुछ देयताओं से संबंधित शून्य प्रारक्षित अपेक्षा के निर्धारणों सहित, जैसा कि कानून द्वारा विनिर्दिष्ट है, को दृष्टि में रखते हुए कुल शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा अनुरक्षित प्रभावी प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात क्रमशः 3 प्रतिशत और 25 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

भवदीय,

(डी.वी. झवेरी)

महा प्रबंधक

inter-bank liabilities computed as provided in the said clause (d), shall be excluded from maintenance of SLR.

3. We reiterated that, in view of the multiple prescriptions of different categories of liabilities, including prescription of a Zero reserve requirement on certain liabilities, as stipulated under the law, effective CRR and SLR maintained by Scheduled Commercial Banks on total demand and time liabilities, including inter-bank liabilities, should not be less than 3 percent and 25 percent respectively.

Yours faithfully,

(D.V. Jhaveri)

General Manager.

25 जून 1997
6 आषाढ़ 1919 (शक)

June 25, 1997
Aashadha 6, 1919 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

All Scheduled Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात/सांविधिक चलनिधि अनुपात (सीआरआर/एसएलआर) बनाये रखने में कमियां होने पर दंड ब्याज दर

**PENAL RATE OF INTEREST
ON THE SHORTFALLS IN THE
MAINTAINANCE OF CRR/SLR.**

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 15 अप्रैल 1997 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.बीसी. 47/12.01.001/96-97 देखें।

Please refer to our Circular DBOD. No. BC. 47/12.01.001/96-97 dated April 15, 1997 on the captioned subject.

इस संबंध में आपका ध्यान गवर्नर महोदय के 25 जून 1997 के परिपत्र सं.सीपीसी. बीसी. 163/07.01.279/96-97 की ओर आकर्षित करते हैं जिसके अनुसार आज (25 जून 1997) कारोबार समाप्ति पर बैंक दर एक प्रतिशत अंक कम करके 11 प्रतिशत वार्षिक से 10 प्रतिशत वार्षिक कर दी गयी है। अतः प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाये रखने में कम रहनेवाली राशि पर वसूल की जानेवाली दंड ब्याज दर, जो बैंक दर से संबद्ध है, 25 जून 1997 को कारोबार समाप्ति पर संशोधित हो गयी है।

2. In this connection, we invite your attention to our Governor's Circular No. CPC.BC. 163/07.01.279/96-97 dated June 25, 1997 in term of which the Bank Rate has been reduced by one percentage point i.e. from 11 percent per annum to 10 percent per annum with effect from the close of business today (June 25, 1997). Consequently the penal rate of interest charged on the amount of shortfalls in the maintenance of Cash Reserve Ratio (CRR) and Statutory Liquidity Ratio (SLR) which is linked to Bank Rate stands revised from the close of business on June 25, 1997.

भवदीय,

Yours faithfully,

(डी.वी. झवेरी)
महा प्रबंधक

(D.V. Jhaveri)
General Manager.

28 अगस्त 1997
6 भाद्र 1919 (शक)

August 28, 1997
Bhadra 6, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की
धारा 24 - वोस्ट्रो खातों में एसीयू डॉलर शेष राशियों
पर सांविधिक चलनिधि अनुपात (सां.च.अ.) की अपेक्षा

SECTION 24 OF THE B.R. ACT, 1949 -
STATUTORY LIQUIDITY RATIO (SLR)
REQUIREMENT ON ACU DOLLAR
BALANCES IN VOSTRO ACCOUNTS

कृपया आप भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ के 5 जनवरी 1996 के परिपत्र सं.37/एसीयू/एसपीएल/5/96 का पैराग्राफ 6 देखें। एशियाई समाशोधन यूनियन (एसीयू) के सदस्य देशों के वाणिज्य बैंकों के भारत में प्राधिकृत व्यापारियों के पास वोस्ट्रो खातों में एसीयू डॉलर में शेष राशियों पर सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी अपेक्षाएं लागू करने से संबंधित मामले की हमने जांच की है। वर्तमान में सभी वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से अपेक्षा की जाती है कि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के अंतर्गत घरेलू देयताओं पर 30 सितम्बर 1994 को बकाया स्तर तक की घरेलू देयताओं पर 31.50 प्रतिशत का सांविधिक चलनिधि अनुपात और 30 सितम्बर 1994 को बकाया स्तर से ऊपर ऐसी देयताओं में वृद्धि पर 25 प्रतिशत का सांविधिक चलनिधि अनुपात रखें। अब यह निर्णय किया गया है कि एसीयू सदस्य देशों के वाणिज्य बैंकों के वोस्ट्रो खातों में एसीयू डॉलर शेष राशियों के अंतर्गत देयताओं पर सांविधिक चलनिधि अनुपात 13 सितम्बर 1997 से

Please refer to our paragraph 6 of Annexure to FEDAI circular No. 37/ACU/SPL/5/96 dated January 5, 1996. The matter in regard to applicability of SLR requirements on the ACU Dollar balances in the Vostro accounts of the commercial banks of ACU member countries held with Authorised Dealers (ADs) in India has since been reviewed by us. At present, all scheduled commercial banks (excluding RRBs) are required to maintain under Section 24 of the B.R. Act, 1949, SLR of 31.50 % on domestic liabilities upto the level outstanding as on September 30, 1994 and 25% on any increase on such liabilities over the level outstanding as on September 30, 1994. Now it has been decided that with effect from the fortnight beginning September 13, 1997, SLR on the liabilities under ACU dollar balances in Vostro accounts of commercial banks of ACU member countries held with scheduled commercial banks in

प्रारंभ पखवाड़े से 25 प्रतिशत होगा।

2. यह बात दोहरायी जाती है कि विभिन्न श्रेणियों की देयताओं से संबंधित विभिन्न निर्धारणों, कुछ देयताओं से संबंधित शून्य प्रारक्षित अपेक्षा के निर्धारणों सहित, जैसा कि कानून द्वारा विनिर्दिष्ट है, को दृष्टि में रखते हुए कुल शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा अनुरक्षित प्रभावी प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात क्रमशः 3 प्रतिशत और 25 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

भवदीय,

(डी.वी. ज़वेरी)

महा प्रबंधक

बैंपवि.सं. बीसी. 97 / 12.02.001/97-98

28 अगस्त 1997
6 भाद्र 1919 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

एसीयू डॉलर शेष राशियों पर
प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाएं

कृपया आप भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ के 5 जनवरी 1996 के परिपत्र सं.37/एसीयू/एसपीएल/5/96 का पैराग्राफ 6 देखें। एशियाई समाशोधन यूनियन

India will be 25%.

2. We reiterate that, in view of the multiple prescriptions on different categories of liabilities, including prescription of a zero reserve requirements on certain liabilities, as stipulated under the law, effective CRR/ SLR maintained by Scheduled Commercial Banks on total NDTL should not be less than 3 % and 25.% respectively.

Yours faithfully,

(D.V. Jhaveri)

General Manager

DBOD.No. BC. 97 / 12.02.001/97-98

August 28, 1997
Bhadra 6, 1919 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

**RESERVE REQUIREMENTS ON ACU
DOLLAR BALANCES**

Please refer to our paragraph 6 of Annexure to FEDAI circular No. 37/ACU/SPL/5/96 dated January 5, 1996. The matter in regard

(एसीयू) के सदस्य देशों के वाणिज्य बैंकों के भारत में प्राधिकृत व्यापारियों के पास वोस्ट्रो खातों में एसीयू डॉलर में शेष राशियों पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी अपेक्षाएं लागू करने से संबंधित मामले की हमने समीक्षा की है। यह निर्णय किया गया है कि एसीयू सदस्य देशों के वाणिज्य बैंकों के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में वोस्ट्रो खातों में एसीयू डॉलर शेष राशियों के अंतर्गत देयताओं को प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात संबंधी निर्धारण से 30 अगस्त 1997 से प्रारंभ पखवाड़े से छूट प्रदान की जाये। इस संबंध में दिनांक 28 अगस्त 1997 की अधिसूचना बैंपविवि.बीसी. सं. 98/12.02.001/97-98 संलग्न है। परंतु विभिन्न श्रेणियों की देयताओं से संबंधित विभिन्न निर्धारणों, कुछ देयताओं से संबंधित शून्य प्रारक्षित अपेक्षा के निर्धारणों सहित, जैसा कि कानून द्वारा विनिर्दिष्ट है, को दृष्टि में रखते हुए कुल शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं पर अनसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा अनुरक्षित प्रभावी प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात क्रमशः 3 प्रतिशत और 25 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

भवदीय,

(डी.वी. ज़वेरी)

महा प्रबंधक

to applicability of CRR and SLR requirements on the ACU Dollar balances in the Vostro accounts of the commercial banks of ACU member countries held with Authorised Dealers (ADs) in India has since been reviewed by us. It has been decided that with effect from the fortnight beginning August 30, 1997 liabilities under ACU dollar balances in Vostro accounts of commercial banks of ACU member countries held with scheduled commercial banks will be exempted from average CRR prescriptions. A notification No. DBOD. No. BC. 98/12.02.001/97-98 dated 28 August 1997 in this regard is enclosed. However, in view of the multiple prescriptions on different categories of liabilities, including prescription of a zero reserve requirements on certain liabilities, as stipulated under the law, effective CRR and SLR maintained by Scheduled Commercial Banks on total net demand and time liabilities should not be less than 3 % and 25 % respectively.

Yours faithfully,

(D.V. Jhaveri)

General Manager

28 अगस्त 1997
6 भाद्र 1919 (शक)

August 28, 1997
Bhadra 6, 1919 (Saka)

अधिसूचना

NOTIFICATION

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को 30 अगस्त 1997 से प्रारंभ पखवाड़े से एसीयू सदस्य देशों के वाणिज्य बैंकों के वोस्ट्रो खातों में एसीयू डॉलर शेष राशियों के अंतर्गत उनकी देयताओं पर औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने से छूट प्रदान करता है।

2. ऊपर निर्दिष्ट छूट अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अंतर्गत की गयी गणना के अनुसार कुल मांग और मीयादी देयताओं का कम-से-कम 3 प्रतिशत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने की शर्त पर होगी।

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

In exercise of the powers conferred by Sub-Section (7) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) Reserve Bank of India hereby exempts with effect from the fortnight beginning August 30, 1997, every scheduled commercial banks (excluding Regional Rural Banks) from maintenance of average cash reserve ratio (CRR) on their liabilities under ACU Dollar balances in Vostro accounts of commercial banks of ACU member countries

2. The exemption stipulated above shall be subject to the CRR maintained by a scheduled commercial bank at not less than 3 percent of its total of the demand and time liabilities as computed under section 42 (1) of the Reserve Bank of India Act, 1934.

(S. Gurumurthy)
Executive Director.

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

चलनिधि आस्तियां रखने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की
प्रतिभूतियों की नामित बैंकों के पास अभिरक्षा -
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1977

आपको विदित ही है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से वर्तमान में अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झ ख के अनुसार अपनी जमा देयताओं के भिन्न-भिन्न प्रतिशत पर चलनिधि आस्तियां अभारित सरकारी प्रतिभूतियों / गारंटीकृत बांडों में रखेंगी। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झ ख का उद्धरण संलग्न है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा रखी जानेवाली इस प्रकार की आस्तियों का प्रतिशत 1 जनवरी और 1 अप्रैल 1998 से चरणबद्ध रूप में बढ़ा दिया गया है। चलनिधि आस्तियों का रखा जानेवाला वर्तमान और साथ ही संशोधित प्रतिशत तथा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रभावी तारीखें नीचे दी गयी हैं :

वित्तीय कंपनियों की श्रेणी	चलनिधि आस्तियों की मात्रा		प्रभावी तारीख	जमा देयताओं की संदर्भ तारीख
	मौजूदा अनुपात-	बढ़ा हुआ अनुपात-		
	कम से कम (%)	कम से कम (%)		
(क) उपकरण पट्टे पर देनेवाली और किराया खरीद कंपनियां	10	12.5 15.0	1.1.98 1.4.98	(30.09.97) (31.12.97)
(ख) ऋण/निवेश कंपनियां				
(i) 12 अप्रैल 1993 के परिपत्र डीएफसी. सीओसी.सं.828. 174/92-93 के अनुसार रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत	10	12.5 15.0	1.1.98 1.4.98	(30.09.97) (31.12.97)

(ii) अन्य ऋण/निवेश कंपनियां	5	7.5	1.1.98	(30.09.97)
		10.0	1.4.98	(31.12.97)
(ग) शेप गैर बैंकिंग कंपनियां	10.0	अपरिवर्तित		

2. यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45झ ख के अंतर्गत उनके द्वारा धारित सरकारी प्रतिभूतियां/गारंटीकृत बांड इस प्रयोजन के लिए संबंधित कंपनी द्वारा नामित अनुसूचित वाणिज्य बैंक की शाखा की अभिरक्षा में उम स्थान पर रखे जायेंगे, जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। नामित शाखा में इस प्रकार रखी गयी प्रतिभूतियां गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा आकस्मिक स्थिति में जमाकर्ताओं को चुकौती के लिए अथवा कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा यथाप्रमाणित जमा देयताओं में कमी होने पर ही निकाली जा सकती है। परन्तु गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा इन प्रतिभूतियों के बदले समान बाजार मूल्य की अभारित अनुमोदित प्रतिभूतियां रखी जा सकती हैं। इस संबंध में जारी की गयी 18 जून 1997 की अधिसूचना डीएफपी.सीओसी.सं.111/ ईडी (एसजी)/97 की प्रति संलग्न है। यह उल्लेखनीय है कि शेप गैर बैंकिंग कंपनियों के संबंध में नामित बैंक के पास प्रतिभूतियों की अभिरक्षा की व्यवस्था 15 मई 1987 की अधिसूचना सं. डीएफपी.55 डीजी (ओ)-87 के पैराग्राफ 6 के अनुसार पहले से है।

3. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रतिभूतियों की अभिरक्षा संबंधी उपर्युक्त निदेश 1 अक्टूबर 1997 से लागू होगा। उक्त व्यवस्था का कारगर संचालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह अनिवार्य है कि वाणिज्य बैंक नामित की भूमिका निभायें और ऊपर पैराग्राफ 2 में बतायी गयी सुविधा प्रदान करें। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपनी शाखाओं/नियंत्रक कार्यालयों को आवश्यक अनुदेश जारी करें कि वे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ओर से अनुरोध मिलने पर उन्हें प्रतिभूतियों की सुरक्षित अभिरक्षा की सुविधा प्रदान करें और रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार प्रतिभूतियों के आहरण की अनुमति दें।

भवदीय,

(सी.आर. मुरलीधरन)

महा प्रबंधक

September 9, 1997
Bhadra 18, 1919 (Saka)

**All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)**

Dear Sir,

**CUSTODY OF SECURITIES OF NBFCs WITH DESIGNATED BANKS TOWARDS
MAINTENANCE OF LIQUID ASSETS - NON BANKING FINANCIAL COMPANIES
(RESERVE BANK) DIRECTIONS, 1977**

As you may be aware, the Non-Banking Financial Companies are presently required to maintain liquid assets in unencumbered Government securities/guaranteed bonds at varying percentages of their deposit liabilities in terms of Section 45IB of the RBI Act, 1934. An extract of Section 45IB of Reserve Bank of India Act, 1934 is enclosed. The percentage of such assets to be maintained by the NBFCs has been enhanced in a phased manner effective from January 1 and April 1, 1998. The existing as well as revised percentage of liquid assets to be maintained and the effective dates prescribed for the purpose are given below:

	Category of financial companies	Quantum of liquid assets		Date of effect	Reference date of deposit liabilities
		Existing ratio	Enhanced ratio		
		Not less than (%)	Not less than (%)		
a)	Equipment Leasing & Hire Purchase Companies	10	12.5 15.0	1-1-98 1-4-98	(30-09-97) (31-12-97)
b)	Loan/Investment Companies				
	i) Registered with Reserve Bank in terms of circular DFC. COC. No. 828.174/92-93 dated April 12, 1993	10	12.5 15.0	1-1-98 1-4-98	(30-09-97) (31-12-97)

ii) Other Loan/ Investment Companies	5	7.5 10.0	1-1-98 1-4-98	(30-09-97) (31-12-97)
c) Residuary Non- Banking Companies	10.0	No Change		

2. It has been decided that the Government Securities/guaranteed bonds held by them under Section 45IB of the RBI Act should be kept in the custody of a branch of a scheduled commercial bank to be designated for the purpose by the company concerned at a place where the registered office of the company is situated. The securities so held with the designated branch can be withdrawn by the NBFCs only for the repayment to depositors in an emergent situation or on account of reduction in the deposit liabilities as certified by the company's statutory auditors. These securities may, however, be substituted by the NBFCs concerned by lodgement of unencumbered approved securities of matching market value. A copy of the Notification DFC. (COC). No.111/ED(SG)/97 dated June 18, 1997 issued in this regard is enclosed. It may be mentioned that arrangement of custody of securities with a designated bank in respect of residuary non-banking companies is already in place in terms of paragraph 6 of Notification No.DFC. 55.DG(O)-87 dated May 15, 1987.

3. The above direction on custody of securities by NBFCs with banks comes into effect from October 1, 1997. In order to ensure the smooth functioning of the arrangement it is essential that commercial banks perform the designated role and extend this facility as contemplated in paragraph 2 above. You are therefore, advised to issue necessary instructions to your branches/controlling offices to extend the service of safe custody of the securities to the NBFCs on request being made in that behalf and permit withdrawal of the securities in accordance with the directions of the Reserve Bank.

Yours faithfully,

(C.R. Muralidharan)
General Manager.

18 जून 1997

June 18, 1997

अधिसूचना

NOTIFICATION

भारतीय रिज़र्व बैंक, लांकाहित में तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के लाभार्थ ऋण प्रणाली को विनियमित करने हेतु बैंक को समर्थ बनाने और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा परिसंपत्तियों के प्रतिशत के अनुरक्षण के कारगर अनुपालन को सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ यह आवश्यक है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1977 को संशोधित किया जाये और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934(1934 का 2) की धारा 45झख के साथ पठित धारा 45 ज, 45 ट और 45 ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उसे समर्थ बनानेवाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा यह निदेश देता है कि 20 जून 1977 की अधिसूचना सं. डीएनबीसी.38 /डीजी(एच)-77 में निहित उक्त निदेश निम्नलिखित प्रकार से संशोधित हो जायेंगे, अर्थात्-

पैराग्राफ 12 के बाद निम्नलिखित नया पैराग्राफ अतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्

“12क. 1 अक्टूबर 1977 को और से-

(1) प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 झ ख के अनुसार उसके द्वारा बनाये रखी जानेवाली अपेक्षित भाररहित अनुमोदित प्रतिभूतियां किसी वैसे अनुसूचित वाणिज्य बैंक को सुपुर्द करेगी, जो

The Reserve Bank of India, in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling ~~the~~ Bank to regulate the credit system to the advantage of the country and for the purpose of ensuring the effective compliance of maintainance of the percentage of assets by Non-Banking Financial Companies, considers it necessary to amend the Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Direction, 1977, and in exercise of the powers conferred by section 45J, 45K and 45L read with section 45IB of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and all the powers enabling it in this behalf, hereby directs that the said Directions contained in Notification No. DNBC.38/DG(H)-77 dated 20th June 1977, be amended as follows, namely, -

After paragraph 12, the following new paragraph shall be inserted, namely, -

“12A. On and from October 1, 1997,

(1) every Non-Banking Financial Company shall entrust to one of the scheduled commercial banks designated by it on that behalf, in the place where the registered office of the Non-Banking Financial Company is situated, the

इस निमित्त उसके द्वारा नामित हो और उस स्थान पर स्थित हो, जहां गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकृत कार्यालय हो।

2. उपर्युक्त उप-पैराग्राफ (1) में उल्लिखित प्रतिभूतियां जमाकर्ताओं के लाभ के लिए इस प्रकार नामित बैंक को सुपुर्द की जाती रहेंगी और जमाकर्ताओं को अदायगी के प्रयोजन को छोड़कर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा उनका आहरण या नकदीकरण या अन्यथा लेन-देन नहीं किया जायेगा।

परन्तु,

(1) कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपनी जमा राशियों में हुई कमी के अनुपात में इसकी प्रतिभूतियों का एक हिस्सा, जो उसके लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत् प्रमाणित हो, आहरित करने के लिए पात्र होगी।

(2) जहां गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी इस प्रकार की प्रतिभूतियां प्रतिस्थापित करना चाहती है वहां वह ऐसे किसी भी आहरण के पहले नामित बैंक को समान मूल्य की स्थानापन्न प्रतिभूतियां सुपुर्द करने के पश्चात् ही ऐसा कर सकती है।

स्पष्टीकरण

अनुसूचित वाणिज्य बैंक से अभिप्रेत है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा सहकारी बैंक को छोड़कर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में शामिल कोई बैंक।

(एस. गुरुमूर्ति)

कार्यपालक निदेशक

unencumbered approved securities required to be maintained by it in pursuance to section 45IB of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934):

(2) the securities mentioned in sub-paragraph (1) above shall continue to be entrusted to such designated bank for the benefit of the depositors and shall not be withdrawn or encashed or otherwise dealt with by the Non-Banking Financial Company except for repayment to the depositors.

Provided that,

(1) a Non-Banking Financial Company shall be entitled to withdraw a portion of such securities proportionate to the reduction of its deposits duly certified to that effect by its auditor;

(2) where the Non-Banking Financial Company intends to substitute such securities, it may do so by entrusting substitute securities of equal value to the designated bank before such withdrawal.

Explanation

'scheduled commercial bank' means a bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) excluding a Regional Rural Bank or a Co-operative Bank.

(S. Gurumurthy)

Executive Director.

45-अख. (1) प्रत्येक गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी, ऐसी अविल्लंगमिन अनुमोदित प्रतिभूतियों में, जिनका मूल्यांकन ऐसी कीमत पर हो जो ऐसी प्रतिभूतियों की चालू बाजार कीमत से अधिक न हो, उतनी रकम भारत में विनिधान करेगी और विनिधान करती रहेगी जो किसी दिन कारबार की समाप्ति पर द्वितीय पूर्ववर्ती तिमाही के अन्तिम कार्य दिवस पर कारबार की समाप्ति पर बकाया निक्षेपों के पांच प्रतिशत से कम नहीं होगी या ऐसी उच्चतर प्रतिशत जो पच्चीस प्रतिशत से अधिक न होगी जो बैंक समय-समय पर राजपत्र में अधिमूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे :

परंतु बैंक गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों के विभिन्न वर्गों की बाबत विनिधान के विभिन्न प्रतिशत विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(2) इस धारा के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए बैंक प्रत्येक गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह एक विवरणी ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के लिए जो बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उसे दे।

(3) यदि किसी गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी द्वारा किसी दिन कारबार की समाप्ति पर विनिधान की गयी रकम उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर से कम हो जाती है तो ऐसी कंपनी, ऐसी कमी की बाबत, बैंक की ऐसी रकम पर जिस तक रकम वस्तुतः विनिधान की गयी रकम विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो जाती है, बैंक दर के ऊपर प्रतिवर्ष तीन प्रतिशत की दर से शास्तिक ब्याज का संदाय करने के दायित्वाधीन होगी और जहां ऐसी कमी पश्चात्पूर्ती तिमाहियों में जारी

45.1B (1) Every non-banking financial company shall invest and continue to invest in India in unencumbered approved securities, valued at a price not exceeding the current market price of such securities, an amount which, at the close of business on any day, shall not be less than five percent, or such higher percentage not exceeding twenty-five per cent, as the Bank may from time to time and by notification in the Official Gazette, specify, of the deposits outstanding at the close of business on the last working day of the second preceding quarter:

Provided that the Bank may specify different percentages of investment in respect of different classes of non-banking financial companies.

(2) For the purpose of ensuring compliance with the provisions of this section, the Bank may require every non-banking financial company to furnish a return to it in such form, in such manner and for such period as may be specified by the Bank.

(3) If the amount invested by a non-banking financial company at the close of business on any day falls below the rate specified under sub-section (1), such company shall be liable to pay to the Bank, in respect of such shortfall, a penal interest at a rate of three per cent per annum above the bank rate on such amount by which the amount actually invested falls short of the specified percentage, and where the shortfalls continues in the subsequent quarters, the rate of penal interest shall be five

रहती है वहां शास्तिक ब्याज की दर प्रत्येक पश्चात्पूर्वती तिमाही के लिए ऐसी कम पर बैंक दर के ऊपर प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत होगी।

(4)(क) उपधारा (3) के अधीन संदेय शास्तिक ब्याज, उस तारीख से जिसको उसके संदाय की मांग करनेवाली बैंक द्वारा जारी की गयी सूचना गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी पर तामील की जाती है, चौदह दिन की अवधि के भीतर संदेय होगा और उसका ऐसी अवधि के भीतर संदाय करने में गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी के असफल होने की दशा में ऐसे प्रधान सिविल न्यायालय के, जिसकी अधिकारिता उस क्षेत्र पर है जहां व्यतिक्रमी गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी का कार्यालय स्थित है, निदेश द्वारा शास्ति का उद्ग्रहण किया जा सकता है और ऐसा निदेश केवल बैंक द्वारा न्यायालय को इस निमित्त किये गये आवेदन पर दिया जाएगा, और

(ख) जब न्यायालय खंड (क) के अधीन निदेश देता है तो वह गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी द्वारा संदेय राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसा प्रत्येक प्रमाणपत्र उसी रीति से प्रवर्तनीय होगा मानो वह न्यायालय द्वारा किसी वाद में की गयी डिक्री हो।

(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि बैंक का यह समाधान हो जाता है कि व्यतिक्रमी गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी के पास उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने में उसकी असफलता के लिए पर्याप्त कारण है तो वह शास्तिक ब्याज के संदाय की मांग नहीं भी कर सकता है।

per cent per annum above the bank rate on such shortfall for each subsequent quarter.

(4)(a) The penal interest payable under sub-section (3) shall be payable within a period of fourteen days from the date on which a notice issued by the Bank demanding payment of the same is served on the non-banking financial company and, in the event of a failure of the non-banking financial company to pay the same within such period, penalty may be levied by a direction of the principal civil court having jurisdiction in the area where an office of the defaulting non-banking financial company is situated and such direction shall be made only upon an application made in this behalf to the court by the Bank; and

(b) when the court makes a direction under clause (a), it shall issue a certificate specifying the sum payable by the non-banking financial company and every such certificate shall be enforceable in the same manner as if it were a decree made by the court in a suit.

(5) Notwithstanding anything contained in a section, if the Bank is satisfied that the defaulting non-banking financial company had sufficient cause for its failure to comply with the provisions of sub-section (1) it may not demand the payment of the penal interest.

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजन के लिए

(i) 'अनुमोदित प्रतिभूति' से किसी राज्य सरकार की या केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूति अभिप्रेत है और ऐसे बंधपत्र, उनके मूलधन और उन पर ब्याज दोनों, किसी ऐसी सरकार द्वारा पूर्णतः और बिना शर्त प्रत्याभूत किये गये होंगे;

(ii) "अविल्लंगमित अनुमोदित प्रतिभूतियाँ" के अंतर्गत ऐसी अनुमोदित प्रतिभूतियाँ हैं जिन्हें गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी द्वारा किसी अन्य संस्था के पास अग्रिम या किसी अन्य ठहराव के लिए उस सीमा तक जिस तक ऐसी प्रतिभूतियाँ किसी रीति से नहीं निकाली गयी हैं या उनका किसी रीति से उपयोग या उन्हें विल्लंगमित नहीं किया गया है, जमा किया गया है;

(iii) "तिमाही" से मार्च, जून, सितम्बर या दिसम्बर के अंतिम दिन को समाप्त होने वाली तीन मास की अवधि अभिप्रेत है।

Explanation - For the purpose of this section

(i) "approved securities" means securities of any State Government or of the Central Government and such bonds, both the principal whereof and the interest whereon shall have been fully and unconditionally guaranteed by any such Government;

(ii) "unencumbered approved securities" includes the approved securities lodged by the Non-banking financial company with another institution for an advance or any other arrangement to the extent to which such securities have not been drawn against or availed of or encumbered in any manner;

(iii) "quarter" means the period of three months ending on the last day of March, June, September or December.

13 अक्टूबर 1997
21 आश्विन 1919 (शक)

October 13, 1997
Ashwina 21, 1919 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Scheduled Commercial Banks
(except Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

विदेशी मुद्रा नियंत्रण नियम-पुस्तक (मैन्युअल) के पैरा 5बी.8(i) के अंतर्गत उधार - प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं का अनुरक्षण

BORROWINGS UNDER PARAGRAPH 5.B.8(i) OF EXCHANGE CONTROL MANUAL - MAINTENANCE OF RESERVE REQUIREMENTS

1997-98 की पहली छमाही की मौद्रिक और ऋणनीति के संबंध में कृपया 15 अप्रैल 1997 का परिपत्र सं.सीपीसी.162/07.01.279/96-97 देखें। उक्त परिपत्र के पैरा (एन) के अनुसार प्राधिकृत व्यापारियों को अपने विदेशी कार्यालयों/संपर्कियों में, उधारराशियों के अंतिम उपयोग तथा उनकी चुकाती पर कोई शर्त लगाये बिना, 10 मिलियन अमरीकी डॉलर तक उधार लेने की अनुमति दी गयी है। साथ ही, भारत स्थित प्राधिकृत व्यापारियों को विदेशी मुद्रा बाजार लिखतों में 10 मिलियन अमरीकी डॉलर तक निधियों का निवेश करने की अनुमति दी गयी है। इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि विदेश स्थित बैंकों से इस प्रकार उधार ली गयी राशियाँ "अन्यों के प्रति देयताएं" मानी जाएंगी, अतः ये प्रारक्षित निधि की अपेक्षाओं के अधीन होंगी। इसी तरह, विदेश स्थित बैंकों को दिये गये उधार को बैंकिंग तंत्र के पास मौजूद आस्ति नहीं माना जाएगा, अतः उसे अंतर-बैंक देयताओं से अलग रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Please refer to the circular No. CPC. 162/07.01.279/96-97 dated April 15, 1997 regarding monetary and credit policy for the first half of 1997-98. In terms of paragraph (n) of the above circular authorised dealers are allowed to borrow upto US \$ 10 million from their overseas offices/correspondents without any condition on end use and repayment of such borrowings. Simultaneously, Authorised Dealers in India are allowed to invest funds in overseas money market instruments upto US \$ 10 million. In this connection, it is clarified that such borrowings from banks abroad will be considered as 'liabilities to others' and hence will be subject to reserve requirements. Similarly, lending to banks abroad will not be considered as assets with the banking system and hence will not be allowed to be netted out from inter-bank liabilities.

भवदीय,

Yours faithfully,

(डी.वी. ज़वेरी)
महा प्रबंधक

(D.V. Jhaveri)
General Manager

21 अक्टूबर 1997
29 आश्विन 1919 (शक)

October 21, 1997
Ashwina 29, 1919 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42
(1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कटौती तथा
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा
42(1बी) - पात्र नकद शेष राशियों पर ब्याज की
अदायगी

SECTION 42 (1) OF THE RESERVE
BANK OF INDIA ACT, 1934 -
REDUCTION IN CASH RESERVE
RATIO (CRR) AND SECTION 42 (1B) OF
THE RESERVE BANK OF INDIA ACT,
1934 - PAYMENT OF INTEREST ON
ELIGIBLE CASH BALANCES.

कृपया उक्त विषय पर दिनांक 21 अक्टूबर 1997 के
गवर्नर के परिपत्र सं.सीपीसी. बीसी. 165/07.01.279/
97-98 का पैराग्राफ 17 (ख) तथा (ग) देखें। इस
संबंध में हमें निम्नानुसार सूचित करना है :

Please refer to paragraph 17 (b) and (c) of
Governor's Circular No. CPC/BC/165/
07.01.279/97-98 dated October 21, 1997 on
the above subject. In this connection we have
to advise as under:

2. प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) :

2. Cash Reserve Ratio (CRR):

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)
के अंतर्गत, वर्तमान समय में, सभी अनुसूचित वाणिज्य
बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से अपेक्षित है
कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अपनी निवल मांग
और मीयादी देयताओं (शून्य प्रारक्षित नकदी निधि
अनुपात संबंधी निर्धारण के अधीन आनेवाली देयताओं
को छोड़कर) का 10.0 प्रतिशत प्रारक्षित नकदी निधि
अनुपात रखें। बैंकों के संसाधनों के सांविधिक पूर्वक्रय
में चरणवार कटौती की मौद्रिक नीति के अनुसार यह

Under Section 42(1) of the Reserve Bank of
India Act, 1934, all Scheduled Commercial
Banks (excluding Regional Rural Banks) are,
at present, required to maintain with the
Reserve Bank of India, a cash reserve ratio
(CRR) of 10.0 per cent of their net demand
and time liabilities (excluding liabilities
subject to a zero CRR prescription). In
accordance with the stance of monetary policy

निर्णय लिया गया है कि प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कटौती की जाये। तदनुसार, अनसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा रखे जा रहे प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में निम्नानुसार 0.25 प्रतिशत अंक के आठ चरणों में 2.0 प्रतिशत अंकों की कटौती कर उसे 10.0 प्रतिशत से 8.0 प्रतिशत किया जा रहा है :

प्रभावी तारीख (निम्नलिखित तारीख से शुरू होनेवाला पखवाड़ा)	निवल मांग और मीयादी देयताओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत)

25 अक्टूबर 1997	9.75
22 नवंबर 1997	9.50
20 दिसंबर 1997	9.25
17 जनवरी 1998	9.00
14 फरवरी 1998	8.75
28 फरवरी 1998	8.50
14 मार्च 1998	8.25
28 मार्च 1998	8.00

तथापि, फरवरी और मार्च 1998 महीनों के दौरान प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कटौती करना उस समय की मौद्रिक तथा मूल्य संबंधी स्थिति पर निर्भर है। दिनांक 21 अक्टूबर 1997 की संबंधित अधिसूचना बैंपवि.सं. 116/12.01.001/97-98 की एक प्रति संलग्न है। यह उल्लेख किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1ए) के अंतर्गत वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने संबंधी अन्य सभी निर्धारण जारी रहेंगे।

of phased reduction in statutory pre-emption of banks' resources, it has been decided to reduce the CRR. Accordingly, the CRR to be maintained by the scheduled commercial banks (excluding RRBs) is being reduced by 2.0 percentage points from 10.0 per cent to 8.0 per cent in eight phases of 0.25 percentage points each as set out below:

Effective date (Fortnight beginning from)	CRR on net demand and time liabilities (per cent)

October 25, 1997	9.75
November 22, 1997	9.50
December 20, 1997	9.25
January 17, 1998	9.0
February 14, 1998	8.75
February 28, 1998	8.50
March 14, 1998	8.25
March 28, 1998	8.0

Giving effect to the reduction in CRR during the months of February and March, 1998 is, however, contingent on the monetary and price situation at that time. A copy of the relative notification DBOD No. 116/12.01.001/97-98 dated October 21, 1997 is enclosed. It may be mentioned that all other prescriptions regarding maintenance of incremental Cash Reserve Ratio under Section 42(1A) of Reserve Bank of India Act, 1934 would continue.

इस बात का पुनः उल्लेख किया जा रहा है कि कुछ देयताओं पर शून्य प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के निर्धारण सहित, जैसा कि विधि के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, विभिन्न श्रेणी की देयताओं पर बहुल निर्धारणों को देखते हुए कुल निवल मांग और मीयादी देयताओं पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रखा गया प्रभावी प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात 3 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

3. प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गयी नकद शेष राशियों पर ब्याज :

वर्तमान में, एक द्विस्तरीय फार्मूला के अनुसार प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात संबंधी अपेक्षा के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गयी पात्र नकद शेष राशियों पर सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को ब्याज अदा किया जाता है। द्विस्तरीय फार्मूले के अंतर्गत, 23 मार्च 1990 को बकाया निवल मांग और मीयादी देयताओं पर आधारित पात्र नकद शेष राशियों पर 10.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा किया जाता है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गयी पात्र नकद शेष राशियों में हुई वृद्धि (23 मार्च 1990 के स्तर के ऊपर निवल मांग और मीयादी देयताओं में हुई वृद्धि पर आधारित) पर कोई ब्याज अदा नहीं किया जाता। अब पात्र प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात संबंधी शेष राशियों पर ब्याज की अदायगी की वर्तमान प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, 25 अक्टूबर 1997 को प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) तथा धारा 42(1ए) के परंतुक के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गयी सभी पात्र नकद शेष राशियों पर बैंकों

It may be reiterated that in view of the multiple prescriptions on different categories of liabilities including a prescriptions of a zero CRR on some liabilities, as stipulated under the law, effective CRR maintained by scheduled commercial banks on total net demand and time liabilities should not be less than 3 per cent.

3. Interest on cash balances maintained with the Reserve Bank of India under CRR:

At present, all Scheduled Commercial Banks (excluding RRBs) are paid interest on eligible cash balances maintained with RBI under CRR requirement according to a two tier formula. Under the two tier formula, interest is paid at the rate of 10.5 per cent per annum on eligible cash balances based on net demand and time liabilities (DTL) outstanding as on March 23, 1990 and no interest is paid on the increase in the eligible cash balances (based on the increase in net DTL over the level as on March 23, 1990), maintained with RBI. It has now been decided to rationalise the present system of payment of interest on eligible CRR balances. Accordingly, with effect from the fortnight beginning October 25, 1997, banks will be paid interest at the rate of 4.0 per cent per annum on all eligible cash balances maintained with RBI under proviso to Section 42(1) and Section 42(1A)

को 4.0 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज अदा किया जायेगा। जिस फॉर्मेट में दिसम्बर 1997 को समाप्त तिमाही व उसके बाद ब्याज का दावा प्रस्तुत किया जाना है, उसके बारे में उचित समय पर अलग से बैंकों को सूचित किया जायेगा।

भवदीय,

(सुनील बेन्द्रे)
महा प्रबंधक

of the Reserve Bank of India Act, 1934. The banks will be advised separately in due course the format in which the interest claim for the quarter ended December, 1997 onwards is to be submitted.

Yours faithfully,

(S.A. Bendre)
General Manager

बैंपविवि.सं. बीसी. 116 /12.01.001/97-98

21 अक्टूबर 1997
29 आश्विन 1919 (शक)

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 19 अक्टूबर 1996 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीसी 140/12.01.001/96-97 का अधिक्रमण करते हुए भारतीय

DBOD.No. BC. 116 /12.01.001/97-98

October 21, 1997
Ashwina 29, 1919 (Saka)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Sub-Section (1) of Section 42 of the RBI Act, 1934 (2 of 1934) and in supersession of its Notification No. DBOD.BC. 140/12.01.001/96-97 dated October 19, 1996, the Reserve Bank of India

रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) रखा जानेवाला औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात नीचे उल्लिखित प्रभावी तारीखों से उनके सामने बताये गये प्रतिशत अंक होगा :

प्रभावी तारीख (अर्थात् पखवाड़ा प्रारंभ होने की तारीख) शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं पर प्रा.न.नि. अनुपात (प्रतिशत)

25 अक्टूबर 1997	9.75
22 नवंबर 1997	9.50
20 दिसंबर 1997	9.25
17 जनवरी 1998	9.00
14 फरवरी 1998	8.75
28 फरवरी 1998	8.50
14 मार्च 1998	8.25
28 मार्च 1998	8.00

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

hereby specifies that the average Cash Reserve Ratio (CRR) required to be maintained by Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) shall, from effective dates mentioned below, be at the percentage points as indicated thereagainst.

Effective Date (i.e. fortnight beginning from) CRR on net demand and time liabilities (percent)

October 25, 1997	9.75
November 22, 1997	9.50
December 20, 1997	9.25
January 17, 1998	9.00
February 14, 1998	8.75
February 28, 1998	8.50
March 14, 1998	8.25
March 28, 1998	8.00

(S. Gurumurthy)
Executive Director

बैंपविवि.सं. डीआइआर.बीसी. 126 / 13.08.01/97

DBOD.No. BC. 126/13.08.01/97

21 अक्टूबर 1997
29 आश्विन 1919 (शक)

October 21, 1997
Ashwina 29, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

All Commercial Banks
(including Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sirs,

चीनी की जमानत पर दिये गये अग्रिमों के संबंध में
चयनात्मक ऋण नियंत्रण - न्यूनतम मार्जिन

**SELECTIVE CREDIT CONTROLS ON
ADVANCES AGAINST SUGAR -
MINIMUM MARGIN**

कृपया आप 19 अक्टूबर 1996 का परिपत्र बैंपविवि.सं. डीआइआर.बीसी. 138/13.08.01/96-97 और 21 अक्टूबर 1997 के गवर्नर के परिपत्र सं. सीपीसी.बीसी. 165/07.01.279/97-98 का पैराग्राफ 17 (जे) देखें। जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है, फिलहाल चीनी के जारी किये गये स्टॉक की जमानत पर दिये गये अग्रिमों को चयनात्मक ऋण नियंत्रण से छूट प्राप्त है, जबकि चीनी मिलों के जारी न किये गये स्टॉक जिसमें लेवी और खुली बिक्री की चीनी दोनों शामिल हैं, की जमानत पर दिये जानेवाले अग्रिम 15 प्रतिशत के मार्जिन के अधीन हैं तथा सुरक्षित भंडार (बफर स्टॉक) की जमानत पर अनुमत मार्जिन 'शून्य' है। चूंकि लेवी चीनी का मूल्यन सरकार के अधिसूचित मूल्य पर किया जाता है और यह मूल्य उतार-चढ़ाव के अधीन नहीं है, अतः यह निर्णय किया गया है कि लेवी और खुली बिक्री की चीनी के स्टॉकों के संबंध में अलग मार्जिन निर्दिष्ट किया जाये। तदनुसार, 22 अक्टूबर 1997 से लेवी चीनी पर न्यूनतम मार्जिन 10 प्रतिशत होगा, जबकि खुली बिक्री की चीनी 15 प्रतिशत के मार्जिन के

Please refer to Circular DBOD. Dir. BC. 138/13.08.01/96-97 dated October 19, 1996 and paragraph 17(j) of Governor's circular No. CPC. BC. 165/07.01.279/97-98 dated October 21, 1997. As indicated therein, presently advances against released stocks of sugar are exempt from selective credit controls while advances against unreleased stocks with sugar mills which contain both levy and freesale sugar are subject to a margin of 15 per cent and a 'nil' margin has been allowed against buffer stock. As the levy sugar is valued at the Government notified price and is not subject to price fluctuation, it has been decided to stipulate separate margins on levy and freesale sugar stocks. Accordingly, effective October 22, 1997, the minimum margin on levy sugar will be at 10 per cent while the freesale sugar will be

अधीन होगी। सुरक्षित भंडार शून्य प्रतिशत मार्जिन पर जारी रहेगा।

2. इस संबंध में दिनांक 21 अक्टूबर 1997 का संशोधनकारी निदेश बैंपविवि.सं. डीआइआर.बीसी. 125/13.08.01/97 संलग्न है।

भवदीय,

(एम.पी. कोठारी)
महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं. डीआइआर.बीसी. 125 / 13.08.01/97

21 अक्टूबर 1997
29 आश्विन 1919 (शक)

चीनी की जमानत पर दिये गये अग्रिमों के संबंध में
चयनात्मक ऋण नियंत्रण - न्यूनतम मार्जिन

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 19 अक्टूबर 1996 के अपने निदेश बैंपविवि.सं. डीआइआर.बीसी. 137/13.08.01/96-97 का आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा यह निदेश देता है कि 22 अक्टूबर 1997 से उक्त निदेश

subject to a margin of 15 per cent. The buffer stock will continue to be at zero per cent margin.

2. An amending directive DBOD.No. Dir. BC. 125/13.08.01/97 dated October 21, 1997 in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(M.P. Kothari)
General Manager.

DBOD.No. Dir. BC. 125 / 13.08.01/97

October 21, 1997
Ashwina 29, 1919 (Saka)

SELECTIVE CREDIT CONTROLS ON ADVANCES AGAINST SUGAR - MINIMUM MARGIN

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and in partial modification of its directive DBOD. No. Dir. BC. 137/13.08.01/96-97 dated October 19, 1996, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that, the following changes shall be made in the

में निम्नलिखित परिवर्तन किये जाएंगे।

चीनी के लेवी/खुली बिक्री/सुरक्षित स्टॉक पर न्यूनतम मार्जिन

वर्तमान समय में, चीनी के निर्मोचित स्टॉकों के प्रति दिये गये बैंक अग्रिम चयनात्मक ऋण नियंत्रण से मुक्त हैं जब कि चीनी मिलों के पास गैर-निर्मोचित स्टॉकों के प्रति अग्रिम, जिसमें लेवी और खुली बिक्री की चीनी दोनों शामिल हैं, 15 प्रतिशत के मार्जिन के अधीन हैं तथा सुरक्षित स्टॉक के प्रति 'शून्य' मार्जिन की अनुमति दी गयी है। चूंकि लेवी चीनी का मूल्यांकन सरकार द्वारा अधिसूचित मूल्य पर किया जाता है तथा वह मूल्य के घटबढ़ से प्रभावित नहीं होती, अतः यह निर्णय लिया गया है कि लेवी तथा खुली बिक्री की चीनी के स्टॉकों पर अलग-अलग मार्जिन निर्धारित किये जाएं। तदनुसार, 22 अक्टूबर 1997 से लेवी चीनी पर न्यूनतम मार्जिन 10 प्रतिशत होगा, जबकि खुली बिक्री की चीनी 15 प्रतिशत मार्जिन के अधीन होगी। सुरक्षित स्टॉक पर शून्य प्रतिशत मार्जिन बना रहेगा।

(एस.गुरुमूर्ति)

कार्यपालक निदेशक

above directive with effect from October 22, 1997.

Minimum Margins on levy/freesale/buffer stock of sugar

Presently, bank advances against released stocks of sugar are exempt from selective Credit Controls while advances against unreleased stocks with Sugar Mills which contain both levy and freesale sugar are subject to a margin of 15 per cent and a 'nil' margin has been allowed against buffer stock. As levy sugar is valued at the Government notified price and is not subject to price fluctuations, it has been decided to stipulate separate margins on levy and freesale sugar stocks. Accordingly, effective October 22, 1997, the minimum margin on levy sugar shall be at 10 per cent while the freesale sugar shall be subject to a margin of 15 per cent. The buffer stock shall continue to be at zero per cent margin.

(S. Gurumurthy)

Executive Director

21 अक्टूबर 1997
29 आश्विन 1919 (शक)

October 21, 1997
Ashwina 29, 1919 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

All Scheduled Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात / सांविधिक
चलनिधि अनुपात (सीआरआर/एसएलआर) बनाये
रखने में कमियां होने पर दंड ब्याज दर

**PENAL RATE OF INTEREST
ON THE SHORTFALLS IN THE
MAINTENANCE OF CRR/SLR.**

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 25 जून 1997
का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.बीसी. 78/12.01.001/
96-97 देखें।

Please refer to our circular DBOD. No. BC.
78/12.01.001/96-97 dated June 25, 1997 on
the captioned subject.

2. इस संबंध में हम आपका ध्यान अपने गवर्नर के
21 अक्टूबर 1997 के परिपत्र सं.सीपीसी. बीसी.
165/07.01.279/97-98 के पैराग्राफ 17 (क) की
ओर आकर्षित करते हैं, जिसके अनुसार आज (21
अक्टूबर 1997) कारोबार समाप्ति पर बैंक दर एक
प्रतिशत अंक कम करके 10 प्रतिशत वार्षिक से 9
प्रतिशत वार्षिक कर दी गयी है। इसके फलस्वरूप,
प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और
सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाये रखने
में कम रहनेवाली राशि पर वसूल की जानेवाली दंड
ब्याज दर, जो बैंक दर से संबद्ध है, 21 अक्टूबर
1997 को कारोबार समाप्ति पर संशोधित हो गयी
है।

2. In this connection, we invite your
attention to paragraph 17(a) our Governor's
Circular No. CPC.BC. 165/07.01.279/97-98
dated October 21, 1997 in terms of which the
bank rate has been reduced by one percentage
point i.e. from 10 percent per annum to 9
percent per annum with effect from the close
of business today (October 21, 1997).
Consequently the penal rate of interest
charged on the amount of shortfalls in the
maintenance of Cash Reserve Ratio (CRR)
and Statutory Liquidity Ratio (SLR) which is
linked to Bank Rate stands revised from the
close of business on October 21, 1997.

भवदीय,

Yours faithfully,

(सुनील बेन्द्रे)
महा प्रबंधक

(S.A. Bendre)
General Manager.

21 अक्टूबर 1997
29 आश्विन 1919 (शक)

October 21, 1997
Ashwina 29, 1919 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

All Scheduled Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24-
सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को
युक्तिसंगत बनाना

**SECTION 24 OF THE BANKING
REGULATION ACT, 1949 -
RATIONALISATION OF STATUTORY
LIQUIDITY RATIO (SLR)**

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित गवर्नर महोदय
के 21 अक्टूबर 1997 के परिपत्र सं.सीपीसी. 165/
07.01.279/97-98 का पैराग्राफ 17 (डी) देखें।

Please refer to paragraph 17 (d) of the
Governor's Circular No. CPC.BC.165/
07.01.279/97-98 dated October 21, 1997 on
the above subject.

2. जैसा कि आप जानते हैं, सभी अनुसूचित वाणिज्य
बैंकों को (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) वर्तमान में
बहुप्रयोजन निर्धारणों पर आधारित सांविधिक चलनिधि
अनुपात (एसएलआर) बनाये रखना आवश्यक है।
सांविधिक चलनिधि अनुपात के निर्धारण को युक्तिसंगत
बनाने के दृष्टिकोण से यह निर्णय किया गया है कि
बहुप्रयोजन निर्धारणों को सरल किया जाये और उन्हें
एकल निर्धारण में समेट दिया जाये। तदनुसार, 25
अक्टूबर 1997 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से सभी
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों
सहित) अपनी संपूर्ण निवल मांग और मीयादी देयताओं
पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा
24 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम 25 प्रतिशत का
एकसमान सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाये रखना

2. As you are aware, all Scheduled
Commercial Banks (excluding Regional
Rural Banks) are, at present required to
maintain Statutory Liquidity Ratio (SLR)
based on multiple prescriptions. With a view
to rationalising the prescription of SLR, it has
been decided to simplify the multiple
prescriptions and collapse them into a single
prescription. Accordingly, with effect from
fortnight beginning October 25, 1997, all
Scheduled Commercial Banks (including
Regional Rural Banks) are required to
maintain, uniform SLR of 25 per cent on their
entire net demand and time liabilities which
is the minimum stipulated under Section 24
of Banking Regulation Act, 1949:

आवश्यक है, साथ ही, सांविधिक चलनिधि अनुपात की उक्त बहुप्रयोजन प्रणाली हटा ली जाएगी। इस संबंध में 21 अक्टूबर 1997 की एक अधिसूचना सं. 117/12.02.001/97-98 संलग्न है।

भवदीय,

(सुनील बेन्द्रे)

महा प्रबंधक

simultaneously, the aforesaid system of multiple prescriptions of SLR would stand withdrawn. A notification No. 117/12.02.001/97-98 dated October 21, 1997 in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(S.A. Bendre)

General Manager

बैंपविवि.सं. बीसी. 117 /12.02.001/97-98

DBOD.No. BC. 117 / 12.02.001/97-98

21 अक्टूबर 1997
29 आश्विन 1919 (शक)

October 21, 1997
Ashwina 29, 1919 (Saka)

अधिसूचना

NOTIFICATION

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 24 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 24 अक्टूबर 1994 की बैंपविवि.सं. 127/12.02.001/94-95 और 3 अप्रैल 1996 की बैंपविवि.सं. 40/12.02.001/95-96 की अपनी अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित प्रत्येक अनुमूचित

In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2A) of Section 24 of Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) and in partial modification of its Notifications No. DBOD. 127/12.02.001/94-95 dated October 24, 1994 and DBOD. No.40/12.02.001/95-96 dated 3rd April 1996, the Reserve Bank of India hereby specifies that with effect from the fortnight beginning October 25, 1997,

वाणिज्य बैंक 25 अक्टूबर 1997 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से अपनी संपूर्ण निवल मांग और मीयादी देयताओं पर आस्तियां उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2क) में निर्दिष्ट रूप में भारत में रखेगा जो कि किसी भी दिन कारोबार की समाप्ति पर 25 प्रतिशत से कम नहीं होंगी।

(एस. गुरुमूर्ति)

कार्यपालक निदेशक

every scheduled commercial bank (including Regional Rural Banks) shall maintain in India assets, in the form specified in sub-Section (2A) of Section 24 of the Act, *ibid.*, which shall not, at the close of business on any day, be less than 25 per cent of the total net demand and time liabilities. ~

(S. Gurumurthy)

Executive Director

बैंपविवि.सं. बीसी. 142 / 09.16.001/97-98

DBOD.No. BC. 142 / 09.16.001/97-98

19 नवंबर 1997
28 कार्तिक 1919 (शक)

November 19, 1997
Kartika 28, 1919 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

All Scheduled Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

बचत बैंक जमाराशियों का मांग और मीयादी देयताओं के बीच विभाजन - भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित बैंक विनियमावली, 1951 के विनियम 7 में संशोधन

DIVISION OF SAVINGS BANK DEPOSITS INTO DEMAND AND TIME LIABILITIES - AMENDMENT TO THE REGULATION 7 OF THE RESERVE BANK OF INDIA SCHEDULED BANKS' REGULATIONS, 1951

जैसा कि आप जानते हैं, अनुसूचित बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित

As you are aware, scheduled banks are required to calculate the proportion of their

बैंक विनियमावली, 1951 के विनियम 7 के अनुसार प्रत्येक वर्ष 30 जून और 31 दिसंबर को कारोबार की समाप्ति पर मांग और मीयादी देयताओं के बीच अपनी बचत बैंक जमाराशियों के अनुपात की गणना करें।

बैंकों का लेखा वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के स्थान पर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हो जाने के फलस्वरूप, बैंकों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे जून और दिसंबर के अंत की स्थिति, जैसा कि अब तक किया जाता था, के बजाय प्रतिवर्ष 30 सितंबर और 31 मार्च को कारोबार की समाप्ति की स्थिति के आधार पर अपनी बचत बैंक जमाराशियों के संबंध में मांग और मीयादी देयताओं के अनुपात की गणना करें।

उक्त बातों को प्रभावी बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित बैंक विनियमावली, 1951 के विनियम सं.7 को उपयुक्त तौर पर संशोधित कर दिया गया है। संशोधन को भारत सरकार के शासकीय राजपत्र में अधिसूचित/प्रकाशित कर दिया गया है (प्रति संलग्न)। तदनुसार, बैंक भविष्य में उक्त के अनुसार संशोधित तारीखों को अपनी विवरणियां/विवरण प्रस्तुत करें।

भवदीया,

(कु. के.आर. प्रधान)

उप महा प्रबंधक

savings bank deposits as at the close of business on the 30th June and the 31st December of each year, into demand and time liabilities in terms of the Regulation 7 of the Reserve Bank of India, Scheduled Banks' Regulations, 1951.

Consequent upon the change in the accounting year of the banks 1st January to 31st December to 1st April to 31st March, it is necessary for banks to calculate the proportion of demand and time liabilities in respect of their savings bank deposits on the basis of the position as at the close of the business on 30th September and 31st March every year instead of as at the end of June and December as done hitherto.

In order to give effect to the above, Regulation No.7 of the Reserve Bank of India, Scheduled Banks' Regulations, 1951 has been amended suitably. The amendment has been notified/published in the official Gazette of Government of India (copy enclosed). Accordingly banks may submit their returns/statements as on the dates revised as above, in future.

Yours faithfully,

(Kum. K.R. Pradhan)

Deputy General Manager

भारत का राजपत्र

सं. 51 नई दिल्ली, शनिवार, 23 दिसंबर 1995
(2पौष 1917)

[भाग III-खण्ड 4]

[सांविधिक निकायों एवं जारी
अधिसूचनाओं, आदेशों, विज्ञापनों और सूचनाओं सहित
विविध अधिसूचनाएं]

(बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग)
(केन्द्रीय कार्यालय)

मुंबई - 400 005. 31 मार्च 1995

संदर्भ: बैंपवि. सं. 2294/12.13.001/94-95
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2)
की धारा 58 की उपधारा (2) के खण्ड (ण) के साथ
पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक का केन्द्रीय निदेशक
मण्डल, केन्द्र सरकार की पूर्वस्वीकृति से, भारतीय
रिज़र्व बैंक अनुसूचित बैंक विनियमावली, 1951 को
और संशोधित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित
विनियमन करता है, यथा :

1. (1) इन विनियमों को भारतीय रिज़र्व बैंक
अनुसूचित बैंक (संशोधन) विनियमन, 1995 कहा
जाएगा।

(2) सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की
तारीख से वे लागू होंगे।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित बैंक विनियमावली,
1951 में :

(1) विनियम 7 में, “30 जून और 31 दिसम्बर”
शब्दों के स्थान पर “30 सितम्बर और 31 मार्च”
शब्द रखे जाएंगे।

(2) विनियम 7 में, परन्तुक में “30 जून अथवा
31 दिसम्बर” शब्दों के स्थान पर “30 सितम्बर अथवा
31 मार्च” शब्द रखे जाएंगे।

ए.पी. अय्यर

कार्यपालक निदेशक

The Gazette of India

No.51, New Delhi, Saturday
December 23, 1995(Pausa 2, 1917)
[Part III-Sec 4]

[Miscellaneous Notifications including
Notifications, Orders, Advertisements &
Notices issued by Statutory Bodies]
(DEPARTMENT OF BANKING
OPERATIONS AND DEVELOPMENT)
(CENTRAL OFFICE)

Bombay - 400 005, the 31st March 1995

Ref. DBOD No. BC.2294/12.13.001/94-95
In exercise of the powers conferred by Sub-
Section (1) read with clause (O) of Sub-
Section (2) of Section 58 of the Reserve Bank
of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central
Board of Reserve Bank of India with the
previous sanction of the Central Government,
hereby makes the following regulations
further to amend the Reserve Bank of India
Scheduled Banks' Regulations, 1951, namely:

1. (1) These regulations may be called the
Reserve Bank of India Scheduled Banks'
(Amendment) Regulations, 1995.

(2) They shall come into force on the
date of their publication in the official
Gazette.

2. In the Reserve Bank of India Scheduled
Banks' Regulations, 1951:

(1) In Regulation 7, for the words, ‘30th
June and the 31st December’ the words “30th
September and 31st March” shall be
substituted,

(2) In Regulation 7, in the proviso for
the words, ‘30th June or 31st December’ the
words “30th September or the 31st March”
shall be substituted.

A.P. Aiyer

Executive Director

2 दिसम्बर 1997
11 अग्रहायण 1919 (शक)

December 2, 1997
Agrahayana 11, 1919 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) और 42(1ए) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि और एनआरई तथा एनआरएनआर जमाखाता योजनाओं के अंतर्गत देयताओं पर वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात से छूट

SECTION 42 (1) AND 42 (1A) OF THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 - INCREASE IN CASH RESERVE RATIO (CRR) AND EXEMPTIONS FROM INCREMENTAL CASH RESERVE RATIO ON LIABILITIES UNDER NRE AND NRRR DEPOSIT ACCOUNTS SCHEMES:

कृपया आप उप गवर्नर महोदय का 02 दिसम्बर 1997 का परिपत्र सं.सीपीसी. बीसी. 168/07.01.279/97-98 देखें। वित्तीय और विदेशी मुद्रा बाजारों में विद्यमान स्थिति की दृष्टि से प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) रखने से संबंधित निर्धारणों में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये हैं :

Please refer to Deputy Governor's Circular No. CPC/BC/168/07.01.279/97-98 dated December 02, 1997. In view of the prevailing situation in financial and foreign exchange markets the following changes are being effected in the prescriptions relating to maintenance of CRR :

2.(क) प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि :

2. (a) Increase in Cash Reserve Ratio (CRR):

यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा रखे जानेवाले सीआरआर को 9.50 प्रतिशत से आधा प्रतिशत बढ़ाकर 06 दिसंबर 1997 से प्रारंभ पखवाड़े से 10.00 प्रतिशत कर दिया जाये। हमारे पहले के, 21 अक्तूबर 1997 के परिपत्र में सीआरआर में कमी करने की जो अनुसूची दी गयी है उसे स्थगित रखा गया है।

It has been decided to increase the Cash Reserve Ratio (CRR) to be maintained by Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) by one half of one percentage points from 9.50 per cent to 10.00 per cent with effect from the fortnight beginning December 06, 1997. The schedule of reductions in CRR envisaged in our earlier circular letter dated October 21, 1997 has been kept in abeyance.

(ख) अनिवासी (बाह्य)रुपया (एनआरई) खाता और अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय (रुपया) जमाखाता योजनाओं के अंतर्गत देयताओं पर वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात से छूट

वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से अपेक्षा की जाती है कि वे विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक), अनिवासी बाह्य रुपया (एनआरई) खाता और अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय (रुपया) जमाखाता योजनाओं के अंतर्गत देयताओं में 11 अप्रैल 1997 के स्तर से जो वृद्धि हो, उस पर 10 प्रतिशत का वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखें। अब यह निर्णय किया गया है कि 06 दिसंबर 1997 से प्रारंभ पखवाड़े से एनआरई खातों और एनआरएनआर खातों के अंतर्गत देयताओं को 10 प्रतिशत के वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात से छूट दी जाये। एनआरई खातों और एनआरएनआर खातों के अंतर्गत 05 दिसंबर 1997 तक 10 प्रतिशत के वृद्धिशील सीआरआर की जो राशि अवरुद्ध की गयी है (देखें 15 अप्रैल 1997 की अधिसूचना सं. बैंपवि. बीसी. 44/12.01.001/96-97), उसे 06 दिसंबर 1997 से मुक्त कर दिया जायेगा। 15 अप्रैल 1997 से पहले जारी की गयी अधिसूचनाओं द्वारा एनआरई जमाराशियों पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के पास रखी नकदी शेष राशियां अवरुद्ध रहेंगी।

3. 02 दिसंबर 1997 की संबंधित अधिसूचनाओं बैंपवि. सं. 147/12.01.001/97-98 और बैंपवि.सं. 148/12.01.001/97-98 की प्रतियां संलग्न हैं।

(b) Exemptions from Incremental Cash Reserve Ratio (CRR) on Liabilities under Non-Resident (External) Rupee (NRE) Accounts and Non-Resident Non-Repatriable (Rupee) Deposits (NRNR) Accounts Scheme

At present, under section 42 (1A) of the Reserve Bank of India Act, 1934 all Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) are required to maintain an incremental Cash Reserve Ratio (CRR) of 10 per cent on increase in liabilities under Foreign Currency Non-Resident Accounts (Banks) (FCNR(B)), NRE Accounts and NRNR Accounts over the level as on April 11, 1997. It has now been decided that with effect from the fortnight beginning December 06, 1997 the liabilities under NRE Accounts and NRNR Accounts will be exempted from maintenance of incremental CRR of 10 per cent. The amount impounded under 10 per cent incremental CRR upto December 05, 1997 under NRE Accounts and NRNR Accounts vide Notification No. DBOD BC. 44/12.01.001/96-97 dated April 15, 1997 will be released on December 06, 1997. The cash balances kept with Reserve Bank of India under Section 42 (1A) of the Reserve Bank of India Act, 1934 on NRE deposits vide notifications issued prior to April 15, 1997 would remain impounded.

3. Copies of the relative notifications DBOD No. 147/12.01.001/97-98 and DBOD No. 148/12.01.001/97-98 both dated December 02, 1997 are enclosed.

4. हम इस बात का पुनः उल्लेख करना चाहते हैं कि कुछ देयताओं पर शून्य प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के निर्धारण सहित, जैसा कि विधि के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, विभिन्न श्रेणी की देयताओं पर विविध निर्धारणों को देखते हुए कुल निवल मांग और मीयादी देयताओं पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रखा जानेवाला प्रभावी प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात 3 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

भवदीय,

(डी.वी. झवेरी)

महा प्रबंधक

4. We may reiterate that in view of the multiple prescriptions on different categories of liabilities, including zero prescriptions of CRR on certain liabilities, as stipulated under the law, effective CRR maintained by Scheduled Commercial Banks on total Net Demand and Time Liabilities should not be less than 3 per cent.

Yours faithfully,

(D.V. Jhaveri)

General Manager

बैंपविवि.सं. बीसी. 147 /12.01.001/97-98

DBOD.No. BC. 147 / 12.01.001/97-98

2 दिसंबर 1997

11 अग्रहायण 1919 (शक)

December 2, 1997

Agrahayana 11, 1919 (Saka)

अधिसूचना

NOTIFICATION

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 21 अक्टूबर 1997 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीसी. 116/12.01.001/97-98 का प्रतिस्थापन करते हुए भारतीय

In exercise of the powers conferred by Proviso to Sub-Section (1) of Section 42 of the RBI Act, 1934 (2 of 1934) and in supersession of its Notification No. DBOD.BC. 116/12.01.001/97-98 dated October 21, 1997, the Reserve Bank of India hereby specifies that

रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का छोड़कर) रखा जानेवाला औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात 06 दिसंबर 1997 से आरंभ पखवाड़े से 10.00 प्रतिशत होगा।

(एस. गुरुमूर्ति)

कार्यपालक निदेशक

the average Cash Reserve Ratio (CRR) required to be maintained by Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) shall be 10.00 per cent with effect from the fortnight beginning December 06, 1997.

(S. Gurumurthy)

Executive Director

बैंपविवि.सं. बीसी. 148 /12.01.001/97-98

DBOD.No. BC. 148 / 12.01.001/97-98

2 दिसंबर 1997
11 अग्रहायण 1919 (शक)

December 2, 1997
Agrahayana 11, 1919 (Saka)

अधिसूचना

NOTIFICATION

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (1ए) के साथ पठित उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 15 अप्रैल 1997 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीसी. 44/12.01.001/96-97 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह निर्दिष्ट करता है कि सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय

In exercise of the powers conferred by sub-section (7) read with sub-section (1A) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and in partial modification of its Notification DBOD No. BC 44/12.01.001/96-97 dated April 15, 1997, the Reserve Bank of India hereby specifies that liabilities under Non-Resident (External) Rupee (NRE) Accounts and Non-Resident

ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) खाता और अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय (रुपया) जमा (एनआरएनआर) खाता योजनाओं के अंतर्गत देयताओं के लिए 6 दिसंबर 1997 से आरंभ पखवाड़े से ऐसी देयताओं में वृद्धि होने पर 10.00 प्रतिशत का वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखने से छूट दी जाये।

2. 15 अप्रैल 1997 की अधिसूचना बैंपवि. सं. बीसी. 44/12.01.001/96-97 द्वारा 11 अप्रैल 1997 तक के स्तर से ऊपर ऐसी देयताओं में वृद्धि होने पर 10.00 प्रतिशत के वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के अंतर्गत अवरुद्ध राशि को 6 दिसंबर 1997 या उसके बाद आहरित करने की अनुमति दी जाती है।

3. ऊपर विनिर्दिष्ट छूट किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा उसकी निवल मांग और मीयादी देयताओं के कम-से-कम 3 प्रतिशत का प्रभावी प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात बनाये रखने के अधीन होगी।

(एस. गुरुमूर्ति)
कार्यपालक निदेशक

Non-Repatriable (Rupee) Deposit (NRNR) Accounts Schemes of all Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) shall be exempted from maintenance of incremental CRR of 10.00 per cent on increase in such liabilities with effect from the fortnight beginning December 06, 1997.

2. The amount impounded under 10.00 per cent incremental CRR on increase in such liabilities over the level as on April 11, 1997 vide Notification DBOD No. BC. 44/12.01.001/96-97 dated April 15, 1997 is allowed to be withdrawn on December 06, 1997 or thereafter.

3. The exemption stipulated above shall be subject to the effective CRR maintained by a Scheduled Commercial Bank at not less than 3 per cent of its total Net Demand and Time Liabilities.

(S. Gurumurthy)
Executive Director

23 दिसंबर 1997
2 पौष 1919 (शक)

December 23, 1997
Pausha 2, 1919 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42-प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की पात्र शेष राशियों पर तिमाही तदर्थ ब्याज दावे प्रस्तुत करने के लिए संशोधित प्रोफार्मा

**SECTION 42 OF THE RBI ACT, 1934 -
REVISED FORMAT FOR SUBMISSION
OF QUARTERLY AD-HOC INTEREST
CLAIMS ON ELIGIBLE CRR
BALANCES**

कृपया आप 3 जून 1997 का हमारा परिपत्र बीसी. 62/12.01.001/96-97 देखें, जिसके साथ तदर्थ ब्याज के दावों के तिमाही विवरण का प्रोफार्मा संलग्न किया गया है। आपको विदित ही है कि हमारे 21 अक्टूबर 1997 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 118/12.01.001/97-98 के पैराग्राफ 3 के अनुसार प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की पात्र शेष राशियों पर ब्याज के भुगतान की मौजूदा प्रणाली को युक्तिसंगत बनाया गया है। इसके अतिरिक्त 23 मार्च 1990 के बाद स्थापित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक रिज़र्व बैंक के पास उनके द्वारा रखी गयी प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की शेष राशियों के पात्र भाग पर 25 अक्टूबर 1997 से प्रारंभ पखवाड़े से ब्याज प्राप्त करने के लिए अब पात्र हैं। साथ ही उपर्युक्त परिपत्र की तारीख के बाद से प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात संबंधी निर्धारणों में भी कतिपय परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों की दृष्टि से प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की शेष राशियों पर तिमाही ब्याज का दावा प्रस्तुत करने के लिए नया

Please refer to our circular letter BC. 62/12.01.001/96-97 dated June 3, 1997 enclosing therewith proforma of the quarterly statement of ad-hoc interest claim. As you are aware, the existing system of payment of interest on eligible CRR balances has been rationalised in terms of paragraph 3 of our circular letter DBOD. No. BC. 118/12.01.001/97-98 dated 21st October 1997. Further, all the scheduled commercial banks established after 23rd March 1990 are now eligible to receive interest on the eligible portion of CRR balances maintained by them with Reserve Bank of India w.e.f. fortnight beginning October 25, 1997. Besides this, certain changes in the CRR prescriptions have also taken place since the date of the above circular letter. In view of this changes, a new format for submission of quarterly interest claim on CRR balances has been introduced and is

प्रोफार्मा लागू किया गया है और वह आपकी जानकारी और उपयोग के लिए संलग्न है। संलग्न फार्मेट में ब्याज के दावे के तिमाही विवरण संकलित करते समय आप कृपया निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दें।

(i) जो बैंक 23 मार्च 1990 को अस्तित्व में थे, उन्हें दिसंबर 1997 में समाप्त तिमाही के पहले दो रिपोर्टिंग पखवाड़ों अर्थात् 26 सितंबर 1997 और 10 अक्टूबर 1997 के रिपोर्टिंग पखवाड़ों के लिए अपने दावे हमारे 3 जून 1997 के परिपत्र बैंपवि. सं. बीसी. 62/12.01.001/96-97 के साथ भेजे गये पुराने फार्मेट में प्रस्तुत करने हैं और संदर्भगत तिमाही के शेष पखवाड़ों के लिए अपने दावे नये फार्मेट में प्रस्तुत करने हैं।

(ii) 23 मार्च 1990 के बाद स्थापित सभी बैंक 25 अक्टूबर 1997 से प्रारंभ पखवाड़े से ब्याज प्राप्त करने के पात्र हैं और इसलिए उन्हें 24 अक्टूबर, 7 नवंबर, 21 नवंबर और 5 दिसंबर 1997 के रिपोर्टिंग शुक्रवार के लिए संलग्न फार्मेट में दावा प्रस्तुत करना है।

(iii) चार प्रतिशत वार्षिक की दर पर देय ब्याज की राशि का हिसाब 14 दिन की अवधि के लिए प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की शेष राशियों के पात्र भाग पर लगाया जाना है और संलग्न फार्मेट के स्तंभ सं. 20 पर पखवाड़ावार दर्शाया जाना है। प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की शेष राशियों पर ब्याज की गणना के लिए पात्र भाग की राशि वह है, जो रखने के लिए अपेक्षित कुल प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (स्तंभ 17) में से मांग और मीयादी देयताओं के 3 प्रतिशत

enclosed for your information and making use thereof. You are advised to note carefully the following points also while compiling the quarterly interest claim statements in the enclosed format.

(i) The banks which were in existence as on 23rd March, 1990 have to submit their claim for the first two reporting fortnights of the quarter ended December 1997 i.e. reporting fortnights 26th September 1997 and 10th October 1997 in the old format forwarded with our circular letter DBOD No. 62/12.01.001/96-97 dated 3rd June 1997 and the claim for remaining fortnights of the quarter in question be submitted in the new format.

(ii) All the banks established after 23rd March 1990 are eligible to receive interest with effect from the fortnight beginning October 25, 1997 and as such, they have to lodge their claims in the enclosed format for the reporting Fridays, 24th October, 7th November, 21st November and 5th December 1997.

(iii) The amount of interest payable at the rate of 4 per cent per annum is to be worked out on the eligible portion of the CRR balances for a period of 14 days and to be recorded fortnight -wise in column No. 20 of the format enclosed. The amount of eligible portion for the purpose of calculation of interest on CRR balances is the balance **left after deducting** the amount equivalent to 3 per cent of DTL (Column No.16) from the

के बराबर की राशि (स्तंभ 16) घटाने के बाद शेष रहे। यदि रिज़र्व बैंक के पास शेष प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात किसी पखवाड़े के लिए अपेक्षित राशि से कम है, तो 98 प्रतिशत तक का तदर्थ आधार पर ब्याज उस चूकवाले पखवाड़े के लिए अदा नहीं किया जाएगा। रखी गयी कम शेष राशियों पर ब्याज बाद में शेष 2 प्रतिशत ब्याज अदा करते समय अदा किया जाएगा।

(iv) हमारे 2 दिसंबर 1997 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 149/12.01.001/97-98 के पैरा 2(ख) के अनुसार अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता और अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया खाता के अंतर्गत देयताएं 06 दिसंबर 1997 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत 10 प्रतिशत वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात बनाये रखने से छूट प्राप्त है। वैसे, 5 दिसंबर 1997 से सूचना देनेवाले पखवाड़े से संलग्न फॉर्मट के स्तंभ सं. 13 और स्तंभ सं. 15 को खाली छोड़ा जाना है। कृपया नोट करें कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अधीन विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) जमाराशियों के अंतर्गत 11 अप्रैल 1997 के स्तर से ऊपर होनेवाली वृद्धि पर 10 प्रतिशत वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात बनाये रखा जाना है।

(v) भारत विकास बांडों एवं यूरो निर्गमों के अंतर्गत बकाया राशि, यदि कोई हो, विवरण में पाद - टिप्पणी (पखवाड़ावार) के रूप में दर्शायी जाये।

(vi) हमारे 23 दिसंबर 1994 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी.147/12.01.001/94-95 के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से अपेक्षित है कि वे निर्धारित फॉर्मट में रिज़र्व बैंक को एक विवरण दें, जिसमें

total CRR required to be maintained (Column No.17). In case the CRR balances held with RBI is less than the amount required to be maintained of any of the fortnights, interest on ad-hoc basis to the extent of 98 per cent will not be paid for the defaulted fortnight. The interest on lesser balances maintained will be paid subsequently at the time of paying the balance of 2 per cent interest.

(iv) In terms of para.2(b) of our circular letter DBOD.No. BC. 149/12.01.001/97-98 dated 2nd December 1997 the liabilities under NRE and NRNR accounts are exempted from maintenance of incremental CRR at 10 per cent under Section 42 (1A) of RBI Act, 1934 with effect from the fortnight beginning 6th December 1997. As such, column No. 13 and Column No. 15 of the enclosed format are to be left blank from the reporting fortnights 5th December 1997 onwards. Please note that incremental CRR over the level of 11th April 1997 at 10 per cent is to be maintained on the liabilities under FCNR (B) deposits under Section 42(1A) of RBI Act, 1934. You may also continue to report entire balances fortnightwise under column 6, 7, and 8 in respect of NRE, FCNR(B) and NRNR deposits.

(v) The amount outstanding under India Development Bonds (IDBs) and Euro issue, if any, be shown by way of footnote (fortnightwise) in the statement.

(vi) In terms of our circular letter DBOD.No.BC. 147/12.01.001/94-95 dated 23rd December, 1994, all scheduled commercial banks are required to submit to RBI a statement in prescribed format showing

पखवाड़े के प्रत्येक दिन रखे जानेवाले प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के 85 के प्रतिशत के न्यूनतम स्तर रखा गया नकदी शेष दर्शाया जाये। दिसंबर 1997 में समाप्त तिमाही से पहली बार अपना तिमाही ब्याज दावा प्रस्तुत करनेवाले सभी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे तिमाही ब्याज दावा विवरण के साथ पखवाड़ावार उपर्युक्त विवरण संलग्न करें। इस संबंध में बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त विषय पर हमारे 24 अक्टूबर 1994 के परिपत्र बैंपवि. सं. बीसी. 128/12.01.001/94-95 तथा 29 सितंबर 1995 के परिपत्र सं. 115/12.01.001/95-96 की विषयवस्तु नोट कर लें।

(vii) बैंक अब दिसंबर 1997 में समाप्त तिमाही के लिए प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात संबंधी ब्याज का अपना दावा केवल संशोधित फार्मेट में ही प्रस्तुत करें। जब तक इसके विपरीत कोई सूचना न दी जाये तब तक आगे की तिमाहियों के लिए भी इसी फार्मेट का इस्तेमाल किया जाये।

(viii) यह भी देखा गया है कि कुछ बैंक ब्याज दावे का विवरण हमें लघु प्रिंट-आउट के फार्म में भेजते हैं। उसमें भरे गये आंकड़े तथा अन्य ब्यौरे आसानी से नहीं पढ़े जा सकते। इसलिए आप यह सुनिश्चित करें कि दावा विवरण के ब्यौरे आकार, गुणवत्ता और प्रिंट के संबंध में उचित स्तर के हों।

(ix) कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि ब्याज दावों के विवरण पर वे अधिकारी ही हस्ताक्षर करें जिनके हस्ताक्षर हमारे रिकार्ड में हैं। यदि प्रभारी व्यक्ति बदल जाये तो इस तरह के अधिकारी/अधिकारियों के हस्ताक्षर हमारे पास पंजीकृत करवाये जायें।

भवदीय,

(के.एस. छाबड़ा)

उप महा प्रबंधक

Sec. VI

cash balances maintained to the extent of minimum level of 85 per cent of the CRR required to be kept on each day of the fortnight. All the banks which will be submitting their quarterly interest claim for the first time from the quarter ended December 1997 are advised to enclose the above statement fortnight-wise alongwith the quarterly interest claim statement. In this connection, the banks are also advised to note the contents of our circular letters DBOD. No.BC. 128/12.01.001/94-95 dated 24th October 1994 and 115/12.01.001/95-96 dated 29th September 1995 on the subject.

(vii) The bank should note to submit their CRR interest claim for the quarter ending December 1997 in the revised format only. The same format is to be used for subsequent quarters also until further advice to the contrary.

(viii) It is also observed that some of the banks are forwarding to us interest claim statements in the form of **compressed** printouts. The figures and other details therein are not easily decipherable. You are, therefore, advised to ensure that the details of claim statements submitted are of reasonable standard in respect of size, quality and print.

(ix) Please ensure that the interest claim statements are signed by only those officials whose signatures are on our record. In case of change in the incumbency, the signature/s of such official/s be registered with us.

Yours faithfully,

(K.S. Chhabra)

Deputy General Manager

..... को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखे गये पात्र नकदी शेष पर देय ब्याज की राशि दर्शानेवाला विवरण
(स्तंभ संख्या 1 में 19 हटा दिया गया है। स्तंभ सं. 20 - दो दशमलव तक वास्तविक)

क्र.	पखवाड़े	बैंकिंग तंत्र	मांग और शून्य प्रारक्षित	निम्नलिखित के अंतर्गत देयतायें	भा.रि.बैं अधि.	भा.रि.बैं अधि.	1934 की धारा 42(1ए)	के	स्तंभ सं.4	औसत दैनिक शेष	4% वार्षिक	स्तंभ सं.19					
सं.	के लिए	के प्रति	मीयादी	निर्धारण	1934 की धारा	अंतर्गत	अपेक्षित वृद्धिशील	सीआरआर की राशि	के आधार	राशि (कुल)	की दर के	के अनुसार					
रिपोर्टिंग	देयताओं	देयताओं	श्रेणियों के	11.4.97	11.4.97 को	11.4.97 को	42(11) के अंतर्गत		पर बैंक		लिए पात्र	सीआरआर					
शुक्रवार	के अधीन	की राशि	अंतर्गत	को	एफसीएन	एनआर	सीआरआर के	3.5.91	5.8.94/	स्तंभ	स्तंभ	स्तंभ	द्वारा	भा रि बैं.	भा रि बैं.	औसत	शेष राशि
की	बकाया	अर्थात्	के देयताओं	एनआरई	आर (बी)	एनआर	प्रयोजन हेतु	को शुद्ध	30.9.94	सं.6 के	सं.7के	सं.8के	अपेक्षित	अधि.1934	अधि.	दैनिक	पर 4 वार्षिक
तारीख	राशि(शुद्ध)	I+III+II	को छोड़कर	जमा	जमा-	जमा-	अपेक्षित औसत	मांग और	को शुद्ध	आधार	आधार	आधार	न्यूनतम	की धारा	1934 की	शेष	की दर पर
	भा.रि.बैं (यदि I-III	शुद्ध राशियां	राशियां	राशियां	राशियां	राशियां	दैनिक शेषराशि	मीयादी	मांग और	पर	पर	पर	3% सीआर	42(1)	धारा	राशि	देय ब्याज
	अधि.1934 धनात्मक है)	देयताएं++	(रु)	(रु)	(रु)		देयताओं	मीयादी	राशि	राशि	राशि	आर की	और	42(1)	(स्तंभ 17	की राशि	
	की धारा 42	या केवल II	प्रत्येक	प्रत्येक	प्रत्येक		को	स्तंभ 5 के	से	देयताओं	11.4.97	11.4.97	11.4.97 राशि	42(1ए)	और	से स्तंभ 10	
	(1) के	(यदि I-III)	रिपोर्टिंग	रिपोर्टिंग	रिपोर्टिंग		समाप्त	आधार पर अधिक	से अधिक	के स्तर	के स्तर	के स्तर	के अंतर्गत	42(1ए)	घटाकर)		
	स्पष्टीकरण	ऋणात्मक है)	शुक्रवार	शुक्रवार	शुक्रवार		पखवाड़े	राशि सभी	से 10%	से 10%	से 10%		अपेक्षित	के अनुसार			
	का उप-	को संपूर्ण	को संपूर्ण	को संपूर्ण	को संपूर्ण		के लिए	रिपोर्टिंग	अधिक	अधिक	अधिक		स्तंभ 10	सीआरआर के			
	वाक्य(घ)	शेषराशि	शेषराशि	शेषराशि	शेषराशि		शुक्रवारों	के लिए					11, 12	प्रयोजन हेतु			
													13, 14	रखी गयी			
													और 15	वास्तविक			
													का जोड़	राशि			

Sec. VI

हम इसके द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त जानकारी सही है। हमारे बैंक ने उक्त तिमाही के सभी पखवाड़ों के लिए सीआरआर अपेक्षा का पालन किया है/ नहीं किया है और तिमाही के दौरान सीआरआर रखने में चूक की है/ नहीं की है। बाद में किसी चूक का पता लगने की स्थिति में अधिक राशि तथा रिजर्व बैंक द्वारा लगाये ब्याज को मांग की तारीख से एक सप्ताह में लौटाने का हम वचन देते हैं। हम रिजर्व बैंक को यह प्राधिकार देते हैं कि ऐसा न होने पर वह अपने पास चालू खाते में उतनी राशि नामे कर दे। हमने यह भी नोट कर लिया है कि गलत जानकारी देने/ अपेक्षित विवरणी देर से प्रस्तुत करने/गलत विवरणी प्रस्तुत करने की स्थिति में रिजर्व बैंक ब्याज के तदर्थ भुगतान की सुविधा समाप्त कर देगा।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

यदि किसी पखवाड़े में सीआरआर रखने में कोई चूक / कमी हुई हो तो कृपया उसके कारण बतायें।

@ जो लागू न हो उसे काट दें, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हस्ताक्षर करें।

बैंक की सील :

\$इस स्तंभ में जानकारी उन 37 बैंकों द्वारा दी जानी है, जिनसे 5-8-94/30-9-94 को उनकी शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं से अधिक पर 10 प्रतिशत वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने को कहा गया है।

कृपया दो क्रम संख्याओं के बीच प्रर्याप्त स्थान छोड़ें।

कृपया बैंकों के पास रखी यूरो निर्गम जमाराशियों के अंतर्गत रिपोर्टिंग शुक्रवार को बकाया राशि सूचित करें और पखवाड़ेवार उस पर 7.5 प्रतिशत की दर से सीआरआर बनाये रखें। यह राशि स्तंभ सं.

17 में शामिल की जानी है।

++शून्य प्रारक्षित निर्धारण के अंतर्गत देयताएं- एनआरई, एनआरएनआर, एफसीएनआर(बी) तथा बैंकिंग तंत्र के प्रति देयताएं (शुद्ध)

कृपया इंडिया डेवलपमेंट बांडों के अंतर्गत बकाया राशि, यदि कोई हो, प्रत्येक रिपोर्टिंग शुक्रवार को दर्शाएं।

Name of the bank _____

Statement showing the amount of interest payable on eligible cash balances maintained with RBI for the quarter ended _____

(Col. No.1 to 19 - 000 omitted, Col. No.20 - Actuals upto two decimals)

Sr. No.	Date of reporting Friday of the fortnight	Amount outstanding under liabilities to banking system (Net) Clause (d) of explanation to Sec. 42(1) of RBI Act, 1934	Amount of DTL i.e., I -III II (if I-III is +ve) or only II (if I-III is -ve)	Net liabilities on dates indicated in Column No.(2) excluding liabilities under zero reserve prescriptions categories,++	Liabilities under			Amount of average daily balances required to be maintained for the purpose of Section [42(1)] of RBI Act, 1934		Amount of incremental CRR required to be maintained under Sec.42(1A) of RBI Act, 1934					The amount of average daily balance of (aggregate) 3% minimum	Amount of average daily balance (ADB) maintained for the purpose of CRR under Sec.42 (1) and Sec.42 (1A) of the RBI Act, 1934	Amount of average daily balance (ADB) maintained for the purpose of CRR under Sec.42 (1) & 42 (1A) of the RBI Act, 1934	Amount of interest payable at 4% p.a. on CRR balance as per Col.19
					NRE deposits as on 11.04.97 (Rs.)	FCNR(E) deposits as on 11-4-97 (Rs.)	NRNR deposits as on 11-4-97 (Rs.)			Over the NDTL as of 3.5.91	Over the NDTL as of 5.8.84/	Amount on the basis Col.6 10%	Amount on the basis Col.7 10%	Amount on the basis Col.8 10%	Required to be maintained by the bank on the basis of Col.4	Actually maintained for the purpose of CRR under Sec.42 (1) & 42 (1A) of the RBI Act, 1934		
					Entire balances on every reporting Friday	Entire Balances on every reporting Friday	Entire Balances on every reporting Friday	for the fortnight ended	Amount on the basis of Column No.5 for all the reporting Friday		\$ 30.9.94	over the level of 11.4.97	over the level of 11.4.97	over the level of 11.4.97		Total of Col. Nos.10, 11,12, 13,14 & 15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

We hereby certify that the information furnished above is correct. Our banks has/has not complied with CRR requirement for all the fortnights of the quarters and has/has not defaulted in the maintainance of CRR during the quarter. In case of default detected subsequently, we undertake to refund the excess amount alongwith such interest as may be levied by Reser ve bank within a week from the date of demand, failing which we authorise Reserve Bank to debit our curemntaccount with them for like amount, We also note that reserve Bank would withdraw the facility of adhoc payment of interest in the event of furnishing incorrect information/delayed submission of required returns/submission of incorrect returns.

Place :

Signature :

Date

Name :

In case there is default/shortfall in the maintainance of CRR in any of the fortnights, please indicate reasons thereof.

@ Strike out whichever is not applicable under the signature of authorised signatory.

\$ Information under this col. is to be furnished by 37 Banks which were asked to maintained 10 per cent incremental CRR over their NDTL of 5.8.94/30.9.94

Please leave sufficient space between two Sr. Nos.

Please indicate the amount of outstanding on reporting Friday under Euro Issue deposits with banks and CRR maintained@7.5% thereon fortnightwise. This amount be included under Col.No. 17

++ Liabilities under zero reserve prescription - NRE, NRNR, FCNR(B) and liabilities to banking system (NET).

Please indicate the amount outstanding under India Development Bonds, if any, on each reporting Friday.

भाग VII
ऋण सूचना

SECTION VII
CREDIT INFORMATION

28 मई 1997
7 ज्येष्ठ 1919 (शक)

May 28, 1997
Jaisatha 7, 1919 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों एवं वित्तीय
संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Chairmen/Chief Executive Officer
All Scheduled Commercial Banks
and Financial Institutions

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के चूककर्ता
उधारकर्ताओं के बारे में सूचना प्रकट करना -
मार्च 1996को समाप्त छमाही

**DISCLOSURE OF INFORMATION RE-
GARDING DEFAULTING BORROW-
ERS OF BANKS AND FINANCIAL IN-
STITUTIONS- HALF YEAR ENDED
MARCH 1996**

कृपया आप उपर्युक्त विषयक हमारे 23 अप्रैल 1994
के परिपत्र बैंपविवि.सं. बीसी. सीआइएस. 47/
20.16.002/94 का पैराग्राफ 2(ii) देखें। अब 31मार्च
1996 से संबंधित सूचना हम इसके साथ फ्लॉपी
डिस्क पर निम्नलिखित फॉर्मेट में भेज रहे हैं, जो केवल
आपके गोपनीय इस्तेमाल के लिए ही है।

Please refer to paragraph 2 (ii) of our Circular
letter DBOD No.BC.CIS. 47/20.16.002/94
dated April 23, 1994 on the captioned subject.
We now forward the above information for
the half year ended 31 March 1996 on a floppy
diskette for your confidential use only in the
following format:

इनपुट मीडिया : 3.5" फ्लॉपी डिस्क

Input media : 3.5" Floppy Diskette

फाइल फॉर्मेट : एससी II

File format : ASC II

फाइल का नाम : MAR96Cms.Txt.

File Name : MAR96Cms.Txt.

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर से संबंधित सूचना
न मिलने के कारण उनके चूककर्ताओं की सूची इस
फ्लॉपी में सम्मिलित नहीं की जा सकी।

Due to non-submission of the information by
State Bank of Bikaner & Jaipur, the same is
not included in the above floppy.

2. फ्लॉपी में दी गयी सूचना टेक्स्ट एडिटर/वर्ड

2. The information can be accessed through
a text editor/Word Star.

स्टार के जरिए प्राप्त की जा सकती है।

3. बैंक व वित्तीय संस्थाएं चूककर्ता उधारकर्ता इकाइयों एवं सूची में दिये गये उनके मालिकों, भागीदारों, निदेशकों द्वारा स्वयं उनके नाम पर अथवा ऐसी अन्य इकाइयों के नाम पर, जिनसे वे संबंधित हैं, नये एवं अतिरिक्त ऋण के अनुरोध को गुणवत्ता के आधार पर विचार करते समय फ्लॉपी में दी गयी सूचना का उपयोग कर सकते हैं।

भवदीय,

(जे.जी. गुप्ता)
उप महा प्रबंधक

3. The banks and Financial Institutions may make use of information while considering on merits, the request for or additional credit limits by the defaulting borrowing unit also proprietors/partners/directors, etc. named in the list, either in their own names or in the names of other units with which they are associated.

Yours faithfully,

(J.G. Gupta)
Deputy General Manager

22 दिसंबर 1997
1 पौष 1919 (शक)

December 22, 1997
Paush 1, 1919 (Saka)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं

Chairmen/Chief Executive Officers
All Scheduled Commercial Banks and
Financial Institutions

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के चूककर्ता
उधारकर्ताओं के संबंध में सूचना का प्रकटीकरण-
सितंबर 1996 को समाप्त छमाही

**DISCLOSURE OF INFORMATION RE-
GARDING DEFAULTING BORROW-
ERS OF BANKS AND FINANCIAL IN-
STITUTIONS- HALF YEAR ENDED
SEPTEMBER 1996**

कृपया उक्त विषयक दिनांक 23 अप्रैल 1994 के
हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं. बीसी. सीआइएस. 47/
20.16.002/94 का पैरा 2(ii) देखें। अब हम 30
सितंबर 1996 को समाप्त छमाही के लिए उक्त सूचना
आपके गोपनीय उपयोग के लिए निम्नलिखित फॉर्मेट
में भेज रहे हैं :

Please refer to paragraph 2 (ii) of our Circular
letter DBOD No.BC.CIS. 47/20.16.002/94
dated April 23, 1994 on the captioned subject.
We now forward the above information for
the half year ended 30 September 1996 on a
floppy diskette for your confidential use only
in the following format:

इनपुट मीडिया : 3.5" फ्लॉपी डिस्कट

Input media : 3.5" Floppy Diskette

फाइल फॉर्मेट : ASC II

File format : ASC II

फाइल का नाम : SEP96CMS. TXT

File Name : SEP96CMS.TXT.

2. इस फ्लॉपी में भारतीय स्टेट बैंक के कुछ स्थानीय
मुख्य कार्यालयों द्वारा हमारे निर्धारित फॉर्मेट में आंकड़े
प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उस बैंक की पूरी
सूची नहीं दी गयी है।

2. The floppy does not contain the full list
of SBI due to non-submission of data of some
of its local head offices in our prescribed
format.

3. भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों
तथा वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त सूचना के आधार पर
ऐसे उधारकर्ता खातों की सूची भी प्रकाशित किया
करता है, जिनके विरुद्ध बैंकों और वित्तीय संस्थाओं
द्वारा निधियों (रु.1 करोड़ और अधिक की कुल बकाया
राशियों) की वसूली के लिए मुकदमे दायर किये गये
हैं। 31 मार्च 1996 को प्रकाशित ऐसी नवीनतम
सूची, जिसका मूल्य रु. 155/- है, हमारे निम्नलिखित
कार्यालय में उपलब्ध है :

3. RBI has also been publishing a list of
borrowal accounts against which banks and
Financial Institutions have filed suits for
recovery of funds (outstandings aggregating
Rs. 1 crore and above based on the
information furnished by scheduled
commercial banks and Financial Institutions.
Latest such list published as on 31 March 1996
priced at Rs. 155/- is available with our under
noted office.

बिक्री अनुभाग,
रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन प्रभाग,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
अमर बिल्डिंग, तल मंजिल,
पी.एम. रोड, पो.बॉ.सं. 1036,
फोर्ट, मुंबई - 400 001.

4. बैंक और वित्तीय संस्थाएं, फ्लॉपी और मुकदमा दायर खातों की प्रकाशित सूची में उल्लिखित चूककर्ता उधारकर्ता इकाइयों तथा स्वत्वधारियों/भागीदारों/निदेशकों आदि के, उनके अपने नामों में अथवा ऐसी अन्य इकाइयों के नामों में जिनसे वे संबद्ध हों, नये अथवा अतिरिक्त ऋणसीमाओं संबंधी अनुरोध पर गुणवत्ता के आधार पर विचार करते समय इस सूचना का उपयोग कर सकती हैं। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से अनुरोध है कि वे चूककर्ताओं के बारे में पूछताछ, यदि कोई हो, सीधे चूककर्ताओं/अन्य निदेशकों/अध्यक्षों से न करके रिपोर्टिंग बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से करें।

5. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा हमारे दिनांक 23 अप्रैल 1994 के उक्त परिपत्र के साथ संलग्न निर्धारित फॉर्मेट में सूचना प्रस्तुत न किये जाने के कारण फ्लॉपी डिस्कट में चूककर्ताओं की सूची परिचालित करने में देरी हुई है। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सूचना न सिर्फ तुरंत प्रस्तुत की जाये, अपितु हमारे उक्त परिपत्र में निहित अनुदेशों के अनुसार सही सूचना प्रस्तुत की जाये। संदिग्ध अथवा हानिवाले अथवा मुकदमा दायर खाते के रूप में वर्गीकृत रु. 1 करोड़ तथा अधिक के सभी खातों के बारे में सूचनाएं, दिनांक 24 नवंबर 1995 के हमारे परिपत्र में दिये गये विवरण संबंधी प्रोफार्मा में अलग से सूचित किये जा रहे मुकदमा दायर खातों के अलावा, उक्त अनुदेशों के अनुसार फ्लॉपी डिस्कट में प्रस्तुत की जानी हैं।

भवदीय,

(जे.जी. गुप्ता)
उप महा प्रबंधक

Sales Section,
Division of Reports,
Review and Publications,
Reserve Bank of India,
Amar Building, Ground Floor,
P.M. Road, P.B. No. 1036,
Fort, Mumbai 400 001.

4. The banks and Financial Institutions may make use of information while considering on merits, the request for fresh or additional credit limits by the defaulting borrowing unit also proprietors/partners/directors, etc., named in the floppy as well as in the published list of suit filed accounts, either in their own names or in the names of other units with which they are associated. Banks/FIs are requested to make enquiry, if any, about the defaulters from the reporting banks/ FIs and not from the defaulters / other directors/ chairmen directly.

5. The delay in circulation of the list of defaulters in floppy diskette is due to non-submission of the information by banks/FIs in our prescribed format enclosed with the above mentioned circular dated 23rd April 1994. The banks/FIs are advised to ensure that the information is not only submitted promptly but accurately as per instructions contained on our circular referred to above. All accounts of Re.1 crore and above classified as doubtful or loss or where suits have been filed are to be reported in the floppy diskette in terms of above instructions in addition to suit filed accounts being reported separately in statements proforma of which has been given in our circular dated 24 November 1995.

Yours faithfully,

(J.G. Gupta)
Deputy General Manager

भाग IX
विवरणी

SECTION IX
RETURNS

19 फरवरी 1997
30 माघ 1918 (शक)

February 19, 1997
Magha 30, 1919 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) - फार्म "ए" में दिनांक 31-3-1997 की स्थिति की विशेष पाक्षिक विवरणी प्रस्तुत करना

SECTION 42(2) OF RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 - SUBMISSION OF SPECIAL FORTNIGHTLY RETURN IN FORM "A" AS ON 31.03.1997

बैंककारी विधिनियम अधिनियम, 1949 की धारा 27 - फार्म "X" में दिनांक 31-3-1997 की स्थिति की विशेष मासिक विवरणी प्रस्तुत करना

SECTION 27 OF THE BANKING REGULATION ACT, 1949 - SUBMISSION OF SPECIAL MONTHLY RETURN IN FORM "X" AS ON 31.03.1997

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26- फार्म "IX" में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करना - दिनांक 31-12-1996 तक दावा न की गयी बकाया जमाराशियों के आंकड़े

SECTION 26 OF THE BANKING REGULATION ACT, 1949 - SUBMISSION OF ANNUAL RETURN IN FORM "IX" - DATA OF UNCLAIMED DEPOSITS OUTSTANDING AS ON 31.12.1996

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 30 मार्च 1996, 24 अप्रैल 1996 और 31 जुलाई 1996 के हमारे परिपत्र क्रमशः बैंपविवि.सं. बीसी.32/12.01.002/95-96 बैंपविवि.सं. 1870/12.05.013/95-96 और बैंपविवि.सं. बीसी.103/12.03.001/96 देखें।

Please refer to our circular letters DBOD. No.BC. 32/12.01.002/95-96 dated March 30, 1996, DBOD No. 1870/12.05.013/95-96 dated April 24, 1996 and DBOD No. BC. 103/12.03.001/96 dated July 31, 1996 on the above subject.

इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 31 मार्च 1997 तक की निर्दिष्ट फार्म "ए" 'फार्म' 'X' में विशेष विवरणियां निर्धारित अवधि के भीतर हमें, हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय तथा निदेशक, बैंकिंग

In this connection, it is advised that the Special returns as on 31st March, 1997 in the prescribed 'Form-A' and Form-X' should be submitted within the stipulated period to us, to the concerned Regional Office and to the

अध्ययन प्रभाग, सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, सी-8/9, 6ठी मंज़िल, पो.बॉ.सं. 8128, बांद्रा-कुर्ला संकुल, मुंबई-400 051 को भेजें।

प्रसंगवश, आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आपने 31 दिसंबर 1996 तक की फार्म 'IX' में दावा न की गयी जमाराशियों के आंकड़े हमें पहले न भेजे हों, तो उसे अविलंब प्रस्तुत करें।

भवदीय,

(डी.वी. झवेरी)
महा प्रबंधक

Director, Division of Banking Studies,
Department of Statistical Analysis and
Computer Services, Reserve Bank of India,
C-8/9, 6th Floor, P.B. No. 8128, Bandra-Kurla
Complex, Mumbai - 400 051.

Incidentally, you are also advised to submit the data of Unclaimed Deposits in 'Form-IX' as on 31st December 1996 immediately, if not already furnished to us.

Yours faithfully,

(D.V. Jhaveri)
General Manager

20 मई 1997
30 वैशाख 1919 (शक)

May 20, 1997
Vaishakha 30, 1919 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

प्रारक्षित निधि की अपेक्षाएँ -
फार्म ए और फार्म VIII प्रस्तुत करना

**RESERVE REQUIREMENTS -
SUBMISSION OF FORM A AND FORM
VIII**

कृपया 15 अप्रैल 1997 एवं 25 अप्रैल 1997 के हमारे परिपत्र क्रमशः बैंपविवि.सं.बीसी. 46 और 50/12.01.001/96-97 तथा बैंपविवि. सं.बीसी. 51/12.02.001/96-97 देखें, जो कि अनिवासी जमा के प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में तथा अंतर-बैंक देयताओं के सांविधिक चलनिधि अनुपात एवं प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में परिवर्तनों से संबंधित हैं। फार्म ए में बैंकों द्वारा प्रस्तुत 25 अप्रैल 1997 तक की पाक्षिक विवरणियों से यह पाया गया है कि फार्म ए की विवरणी से ब्यौरे प्रस्तुत करने तथा शुद्ध माँग और मीयादी देयताओं की संगणना में बैंकों ने अलग-अलग तरीके अपनाये हैं। फार्म ए और फार्म VIII की विवरणी में आँकड़े प्रस्तुत करते समय बैंक निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:

Please refer to our Circular letters DBOD. No.BC. 46 and 50/12.01.001/96-97 dated April 15, 1997 and DBOD No.BC. 51/12.02.001/96-97 dated April 25, 1997 regarding changes in the Cash Reserve Ratio on non-resident deposits and changes in Cash Reserve Ratio and statutory liquidity ratio on inter-bank liabilities. From the fortnightly returns in Form-A as on April 25, 1997 submitted by the banks, it has been noticed that banks have adopted different methods in computation of Net Demand and Time Liabilities and in furnishing of the details in Form A return. Banks while furnishing the data in Form - A and Form VIII return, may take into account the following :

1. पाक्षिक विवरणी के फार्म ए के वर्तमान फॉर्मेट में तथा फार्म ए में माँग और मीयादी देयताओं की

1. There is no change in the existing format of fortnightly return Form A and the

संगणना के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अर्थात्, यदि (I-III) सकारात्मक है, तो [(I-III धन II)] अन्यथा केवल II।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के खंड (घ) के अनुसार, शुद्ध अंतर-बैंक देयताओं की राशि की गणना, वर्तमान प्रथा के अनुसार, "बैंकिंग तंत्र की आस्तियों" को "बैंकिंग तंत्र की देयताओं" में से घटा कर की जानी है। यदि यह सकारात्मक अंक है, तो शुद्ध माँग और मीयादी देयताओं की गणना के लिए इसे "अन्यों के प्रति देयताओं" में जोड़ना चाहिए। यदि यह नकारात्मक अंक है, तो शुद्ध अंतर-बैंक देयताओं को शून्य समझा जायेगा और "अन्यों के प्रति देयताओं" को शुद्ध माँग और मीयादी देयताएँ समझा जायेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अंतर्गत 10 प्रतिशत के प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के अधीन देयताओं की गणना के लिए यदि शुद्ध अंतर-बैंक देयताएँ सकारात्मक हैं, तो इसे कुल शुद्ध माँग और मीयादी देयताओं में से घटा दिया जाना चाहिए। तथापि, कुल शुद्ध माँग और मीयादी देयताओं पर 3 प्रतिशत के न्यूनतम प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की गणना के प्रयोजनार्थ शुद्ध अंतर-बैंक देयताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए।

3. सांविधिक चलनिधि अनुपात के प्रयोजनार्थ शुद्ध अंतर-बैंक देयताओं की गणना के लिए अपनायी जानेवाली प्रक्रिया बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18(1) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) के अनुसार होनी चाहिए। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24(1) के अंतर्गत 25 प्रतिशत के न्यूनतम

method of computing DTL in Form A i.e., if (I-III) is positive, then [(I-III plus II)] otherwise only II.

2. In terms of Clause (d) of Explanation to Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934, the amount of net inter-bank liabilities is to be calculated after reducing 'assets with banking system' from 'liabilities to the banking system' as per the existing practice. If it is a positive figure, it should be added to 'liabilities to others' to arrive at total net demand and time liabilities. If it is a negative figure, net inter-bank liabilities would be considered as zero and 'liabilities to others' would be considered as total net demand and time liabilities. For the purpose of working out liabilities subject to a CRR of 10 per cent under Section 42(1) of RBI Act, 1934, if net inter-bank liabilities is positive it should be deducted from total net demand and time liabilities. However, for the purpose of working out minimum CRR of 3 per cent on total net demand and time liabilities net inter-bank liabilities should also be included.

3. The procedure followed for working out net inter-bank liabilities for the purpose of SLR should be in accordance with Clause (d) of Explanation to Section 18(1) of Banking Regulation Act, 1949. The procedure to compute total net demand and time liabilities

सांविधिक चलनिधि अनुपात के प्रयोजनार्थ कुल शुद्ध माँग और मीयादी देयताओं की संगणना की प्रक्रिया प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रयोजनार्थ अपनायी जानेवाली प्रक्रिया के समान ही होनी चाहिए।

4. विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) योजना, अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय योजना एवं अनिवासी बाह्य योजना के अंतर्गत संबंधित रिपोर्टिंग शुक्रवार को तथा 11 अप्रैल 1997 को बकाया देयताएँ फार्म-ए के अनुबंध में प्रस्तुत की जानी चाहिए। वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की गणना के लिए इसकी आवश्यकता होती है। यह भी अनुरोध है कि बैंकों में जमा यूरो निर्गम प्रतिफल के अंतर्गत देयताओं की सूचना बैंकों को अलग से फार्म-ए के अनुबंध में देनी चाहिए क्योंकि वह देयता 7.5 प्रतिशत के प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के अधीन है। इस तरह, बैंकों को चाहिए कि वे अब तक की तरह अनुबंध में अन्य मदों की सूचना देना जारी रखें।

भवदीय,

(डी.वी. झवेरी)

महा प्रबंधक

for the purpose of SLR and minimum SLR of 25 per cent under Section 24(1) of Banking Regulation Act, 1949 must be similar to the procedure followed for CRR purposes.

4. The outstanding liabilities under FCNR(B) Scheme, NRNR Scheme and NRE Scheme as on the relevant reporting Fridays as well as April 11, 1997 may be furnished in Annexure to Form-A. This is required in connection with working out incremental CRR. It is also requested that banks should report liabilities under Euro issue proceeds deposited with banks separately in Annexure to Form-A since that liability is subject to a CRR of 7.5 per cent. As such banks should continue to report other items in Annexure as hitherto.

Yours faithfully,

(D.V. Jhaveri)

General Manager

3 जून 1997
13 ज्येष्ठ 1919 (शक)

June 3, 1997
Jyestha 13, 1919 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42-
प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की पात्र शेष राशियों
पर तिमाही तदर्थ ब्याज दावे प्रस्तुत करने के लिए
संशोधित प्रोफार्मा

**SECTION 42 OF THE RBI ACT, 1934 -
REVISED FORMAT FOR SUBMISSION
OF QUARTERLY AD-HOC INTEREST
CLAIMS ON ELIGIBLE CRR
BALANCES**

कृपया आप 18 जून 1996 का हमारा परिपत्र
बैंपविवि.सं. 77/12.01.001/95-96 देखें, जिसके साथ
तदर्थ ब्याज दावों के तिमाही विवरण का प्रोफार्मा
संलग्न किया गया था। 15 अप्रैल 1997 के हमारे
परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 46/12.01.001/96-97
के पैराग्राफ 2 के अनुसार अनिवासी (बाह्य) रुपया
खाता योजना, विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक)
योजना और अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया खाता
योजना के अंतर्गत देयताएं अब भारतीय रिज़र्व बैंक
अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत 10
प्रतिशत वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात निर्धारण
के अधीन हैं। तदनुसार बैंकों से अपेक्षा की जाती है
कि वे 26 अप्रैल 1997 से प्रारंभ पखवाड़े से ऊपर
उल्लिखित देयताओं में से प्रत्येक में 11 अप्रैल 1997
को बकाया स्तर से ऊपर होनेवाली वृद्धि पर 10

Please refer to our letter DBOD No. 77/
12.01.001/95-96 dated June 18, 1996
enclosing therewith proforma of the quarterly
statement of adhoc interest claim. In terms of
paragraph 2 of our circular letter DBOD. No.
BC. 46/12.01.001/96-97 dated 15th April
1997, the liabilities under NRE Rupee
Accounts Scheme, Foreign Currency Non-
Resident Accounts (Banks) (FCNR(B))
Scheme and Non-Resident (Non-Repatriable)
Rupee (NRNR) Scheme, are now subject to
10 % incremental CRR prescription under
Section 42(1A) of the Reserve Bank of India
Act, 1934. Accordingly, with effect from the
fortnight beginning from April 26, 1997,
banks are required to maintain a CRR of 10
per cent on the increase in each of the

प्रतिशत का प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखेंगे। इस दृष्टि से, प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की शेष राशियों पर तिमाही ब्याज दावा प्रस्तुत करने के लिए प्रोफार्मा संशोधित किया गया है और आपके प्रयोग के लिए संलग्न है। संशोधित प्रोफार्मा में अब जमा देयताओं की ऊपर उल्लिखित तीन श्रेणियों के अंतर्गत पखवाड़ेवार बकाया राशि और उन पर रखे गये प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात को दर्शाने के लिए पांच नये स्तंभ जोड़े गये हैं।

2. पुनश्च, 3 मई 1991/ 5 अगस्त 1994 को शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं के ऊपर वृद्धिशील देयताओं की गणना के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) के अनुसार गणना की गयी बैंकिंग तंत्र के प्रति देयताओं (शुद्ध) के अंतर्गत बकाया राशि ब्याज-दावे के विवरण के स्तंभ 3 में पखवाड़ावार दर्शायी जाये।

3. भारत विकास बांडों एवं यूरो निर्गमों के अंतर्गत बकाया राशि, यदि कोई हो, विवरण में पाद - टिप्पणी (पखवाड़ावार) के रूप में दर्शायी जाये।

4. बैंक अब जून 1997 में तिमाही के लिए प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात संबंधी ब्याज का अपना दावा केवल संशोधित फार्मेट में ही प्रस्तुत करें। जब तक इसके विपरीत कोई सूचना न दी जाये तब तक आगे की तिमाहियों के लिए भी इसी फार्मेट का इस्तेमाल किया जाये।

liabilities referred to above over the level outstanding as on April 11, 1997. In view of this, the format for submission of quarterly interest claim on CRR balances has been revised and enclosed for your use. The revised format has now 5 new columns for indicating the fortnight-wise outstanding balances under the above mentioned 3 categories of deposit liabilities and CRR to be maintained thereon.

2. Further, the amount outstanding under liabilities to banking system (Net) computed in terms of Clause (d) of explanation to Section 42(1) Reserve Bank of India Act, 1934 be indicated fortnightwise in column No.3 of the statement for working out the incremental liability over the Net Demand and Time Liabilities as of 3.5.1991/5.8.1994.

3. The amount outstanding under IDBs and Euro issue, if any, be shown by way of footnote (fortnightwise) in the statement.

4. The bank should note to submit their CRR interest claim for the quarter ending June 1997 in the revised format only. The same format is to be used for subsequent quarters also until further advice to the contrary.

5. यह भी देखा गया है कि कुछ बैंक ब्याज दावे का विवरण हमें लघु प्रिंट आउट के फार्म में भेजते हैं। उसमें भरे गये आंकड़े तथा अन्य ब्यौरे आसानी से नहीं पढ़े जा सकते। इसलिए आप यह सुनिश्चित करें कि दावा विवरण के ब्यौरे आकार, गुणवत्ता और प्रिंट के संबंध में उचित स्तर के हों।

6. कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि ब्याज दावों के विवरण पर वे अधिकारी ही हस्ताक्षर करें, जिनके हस्ताक्षर हमारे रिकॉर्ड में हैं। यदि प्रभारी व्यक्ति बदल जाये तो इस तरह के अधिकारी/अधिकारियों के हस्ताक्षर हमारे पास पंजीकृत करवाये जायें।

भवदीय,

(डी.वी. ज़वेरी)

महा प्रबंधक

5. It is also observed that some of the banks are forwarding to us interest claim statement in the form of compressed printouts. The figures and other details therein are not easily decipherable. You are, therefore, advised to ensure that the details of claim statements submitted are of reasonable standard in respect of size, quality and print.

6. Please ensure that the interest claim statements are signed by officials whose signature is on our record. In case there is change of incumbent, the signature of such official/s be registered with us.

Yours faithfully,

(D.V. Jhaveri)

General Manager

बैंक का नाम:

..... को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गये पात्र नकदी शेष पर देय ब्याज की राशि दर्शानेवाला विवरण

(स्तंभ संख्या 1 से 17-000 हटा दिया गया है। स्तंभ सं. 18 - दो दशमलव तक वास्तविक)

क्र. सं.	पखवाड़े के प्रति रिपोर्टिंग देयताओं के अधीन बकाया राशि(शुद्ध भा.रि.बैं अधि.1934 की धारा 42 (1) के स्पष्टीकरण का खण्ड(घ)	बैंकिंग तंत्र के प्रति देयताओं के अतीत आइडीबी, एफ सीएनआरए शामिल हैं, किंतु शून्य प्रारक्षित निर्धारण श्रेणियों के अंतर्गत देयताओं को छोड़कर	स्तंभ सं. (2) में दर्शायी गयी तारीख को शुद्ध देयताएं, जिनमें आइडीबी, एफ सीएनआरए जमा राशियां (रु) प्रत्येक रिपोर्टिंग शुक्रवार को संपूर्ण शेषराशि	निम्नलिखित के अंतर्गत देयताएं 11.4.97 को एफसी एनआर एनआर(बी) एनआर जमा- राशियां (रु) प्रत्येक रिपोर्टिंग शुक्रवार को संपूर्ण शेषराशि	11.4.97 को एफसी एनआर एनआर जमा- राशियां (रु) प्रत्येक रिपोर्टिंग शुक्रवार को संपूर्ण शेषराशि	11.4.97 को एफसी एनआर एनआर जमा- राशियां (रु) प्रत्येक रिपोर्टिंग शुक्रवार को संपूर्ण शेषराशि	23 मार्च 1990 को एफसीएन आरए,एन आरई राशियों सहित समाप्त आधार पर पखवाड़े के सभी रिपोर्टिंग शुक्रवारों के लिए 10%	सीआरआर के भा.रि.बैं अधि. 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत वृद्धिशील सीआरआर की राशि	औसत दैनिक शेष राशि (कुल) भा रि बैं. अधि. 1934 की धारा 42(1) और 42(1ए) के अनुसार पर. 10 5% प्रयोजन हेतु रखी गयी वास्तविक राशि	स्तंभ सं.8 के अनुसार शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं की पात्र शेष राशि												
								स्तंभ 4 मीयादी मांग और पर आधार पर से अधिक देयताओं से अधिक के स्तर	स्तंभ 5 मीयादी मांग और पर आधार पर से अधिक के स्तर	स्तंभ 6 मीयादी मांग और पर आधार पर से अधिक के स्तर	स्तंभ 7 मीयादी मांग और पर आधार पर से अधिक के स्तर	स्तंभ 8 मीयादी मांग और पर आधार पर से अधिक के स्तर	स्तंभ 9 मीयादी मांग और पर आधार पर से अधिक के स्तर	स्तंभ 10 मीयादी मांग और पर आधार पर से अधिक के स्तर	स्तंभ 11 मीयादी मांग और पर आधार पर से अधिक के स्तर	स्तंभ 12 मीयादी मांग और पर आधार पर से अधिक के स्तर	स्तंभ 13 मीयादी मांग और पर आधार पर से अधिक के स्तर	स्तंभ 14 मीयादी मांग और पर आधार पर से अधिक के स्तर	स्तंभ 15 मीयादी मांग और पर आधार पर से अधिक के स्तर	स्तंभ 16 मीयादी मांग और पर आधार पर से अधिक के स्तर	स्तंभ 17 मीयादी मांग और पर आधार पर से अधिक के स्तर	स्तंभ 18 मीयादी मांग और पर आधार पर से अधिक के स्तर

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1
2
3
4
5
6
7

हम इसके द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त जानकारी सही है। हमारे बैंक ने उक्त तिमाही के सभी पखवाड़ों के लिए सीआरआर अपेक्षा का पालन किया है/ नहीं किया है और तिमाही के दौरान सीआरआर रखने में चूक की है/नहीं की है। बाद में किसी चूक का पता लगने की स्थिति में अधिक राशि तथा रिजर्व बैंक द्वारा लगाये ब्याज को मांग की तारीख से एक सप्ताह में लौटाने का हम वचन देते हैं। हम रिजर्व बैंक को यह प्राधिकार देते हैं कि ऐसा न होने पर वह अपने पास चालू खाते में उतनी राशि नामे कर दे। हमने यह भी नोट कर लिया है कि गलत जानकारी देने/अपेक्षित विवरणी देर से

प्रस्तुत करने/गलत विवरणी प्रस्तुत करने की स्थिति में रिजर्व बैंक ब्याज के तदर्थ भुगतान की सुविधा समाप्त कर देगा।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर :

नाम :

यदि किसी पखवाड़े में सीआरआर रखने में कोई चूक/ कमी हुई हो तो कृपया उसके कारण बतायें।

● जो लागू न हो उसे काट दें, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हस्ताक्षर करें।

बैंक की सील :

\$ इस स्तंभ में जानकारी उन 37 बैंकों द्वारा दी जानी है, जिनसे 5.8.94/30.9.94 को उनकी शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं से अधिक पर 10 प्रतिशत वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने को कहा गया है।

कृपया दो क्रम संख्याओं के बीच पर्याप्त स्थान छोड़ें।

कृपया बैंकों के पास रखी यूरो निर्गम जमा राशियों के अंतर्गत रिपोर्टिंग शुक्रवार को बकाया राशि सूचित करें और पखवाड़ेवार उस पर 7.5 प्रतिशत की दर से सीआरआर बनाये रखें। यह राशि स्तंभ सं. 16 में शामिल की जानी है।

++ शून्य प्रारक्षित निर्धारण के अंतर्गत देयताएं- एनआरई, एनआरएनआर, एफसीएनआर(बी) तथा बैंकिंग तंत्र के प्रति देयताएं (शुद्ध)।

कृपया इंडिया डेवलपमेंट बॉर्डों के अंतर्गत बकाया राशि, यदि कोई हो, प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग शुक्रवार को दर्शाएं।

Name of the bank _____

Statement showing the amount of interest payable on eligible cash balance maintained with RBI for the quarter ended _____

(Col. No.1 to 17 - 000 omitted, Col. No.18 - Actuals upto two decimals)

Sr. No.	Date of reporting Friday of the fortnight	Amount outstanding under liabilities to banking system (Net) Clause (d) of explanation to Sec. 42(1) of RBI Act, 1934	Net liabilities including IDB, FCNRA, in column no.2 but, excluding liabilities under zero reserve prescription categories	Liabilities under			Net liabilities including FCNRA, NRE deposits with interest thereon as on the March 23, 1990	Amount of average daily balances required to be maintained for the purpose of CRR [42(1)]	Amount of incremental CRR required to be maintained under Sec.42(1A) of RBI Act, 1934					Amount of average daily balance (aggregate)		Amount of interest payable at 10.5 % p.a. annum on eligible balance on the NDTL as per the Col.No. 8.
				NRE deposits as on 11.04.97 (Rs.) Entire Balances on every reporting Friday	FCNR(B) deposits as on 11-4-97 (Rs.) Entire Balances on every reporting Friday	NRNR deposits as on 11-4-97 (Rs.) Entire Balances on every reporting Friday			Over the NDTL as of 3.5.91	Over the NDTL as of 5.8.84/	Amount on the basis of Col.5 10%	Amount on the basis of Col.8 10%	Amount on the basis of Col.7 10%	Required to be maintained under Sec.42 (1) and (1A) of the RBI Act, 1934	Actually maintained for the purpose of CRR in terms of Sec.42(1) and Sec.42(1A) of the RBI Act, 1934	
								for the fortnight ended	Amount on the basis of Column No.4 for 10% for all the reporting Fridays.		30.9.94 from repo-rtng fortni-ght 25.4.97 over the level of 11.4.97		from repo-rtng fortni-ght 25.4.97 over the level of 11.4.97			

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

We hereby certify that the information furnished above is correct. Our banks has/has not complied with CRR requirement for all the fortnights of the quarter and has/has not defaulted in the maintainance of CRR during the quarter. In case of default detected subsequently, we undertake to refund the excess amount along with such interest as may be levied by Reserve bank within a week from the date of demand, failing which we authorise Reserve Bank to debit our current account with them for like amount. We also note that Reserve Bank would withdraw the facility of adhoc payment of interest in the event of furnishing incorrect information/delayed submission of required returns/submission of incorrect returns.

Place :

Signature :

Date

Name : ,

In case there is default/shortfall in the maintainance of CRR in any of the fortnights, please indicate reasons therefore.

@ Strike out whichever is not applicable under the signature of authorised signatory.

\$ Information under this col. is to be furnished by 37 Banks which were asked to maintained 10 per cent incremental CRR over their NDTL of 5.8.94/30.9.94

Please leave sufficient space between two Sr. Nos.

Please indicate the amount of outstanding on reporting Friday under Euro Issue deposits with banks and CRR maintained@7.5% thereon fortnightwise. This amount be included under Col.No. 16

++ Liabilities under zero reserve prescription - NRE, NRNR, FCNR(B) and liabilities to banking system (NET).

Please indicate the amount outstanding under India Development Bonds, if any, on each reporting Friday.

बैंपविवि.सं.बीसी. 95 /12.02.001/97-98

DBOD.No. BC. 95 /12.02.001/97-98

26 अगस्त 1997
4 भाद्र 1919 (शक)

August 26, 1997
Bhadra 4, 1919 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

All Scheduled Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना और अंतर-
बैंक विदेशी मुद्रा जमाराशि योजना से ऋण

**LOANS OUT OF FOREIGN CURRENCY
NON-RESIDENT ACCOUNTS (BANKS)
[FCNR(B)] SCHEME AND INTER-
BANK FOREIGN CURRENCY DEPOS-
ITS (IBFCD) SCHEME**

अर्थव्यवस्था के उत्पादक कार्यकलापों में संलग्न उधारकर्ताओं को और अधिक लचीलापन देने की दृष्टि से बैंकों को अपने ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में ऋण देने के लिए अक्टूबर 1996 में अनुमति दी गयी थी। इस अनुमति के अंतर्गत ऋणकर्ताओं को अपनी विदेशी मुद्रा अथवा रुपयों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए विदेशी मुद्रा संबंधी जोखिम स्वयं वहन करना पड़ता है। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक को फार्म ए और फार्म एक्स में रिपोर्ट देते समय इन अग्रिमों को बैंक ऋण के एक भाग के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इन विदेशी मुद्रा ऋणों को भारतीय रुपया में परिवर्तित करने के प्रयोजन हेतु भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की उस तारीख को प्रचलित संकेतात्मक दर प्रयोग में लायी जानी चाहिए, जिस तारीख के लिए इन अग्रिमों की रिपोर्ट दी जाती है।

With a view to giving greater flexibility to borrowers engaged in productive activities of the economy, banks were permitted in October 1996 to provide foreign currency denominated loans to their customers under which foreign exchange risk is borne by the borrowers for meeting their foreign currency or rupee requirements. It is hereby clarified that these advances should be included as a part of bank credit while reporting in Form A and Form X submitted to the Reserve Bank of India. For the purpose of converting these foreign currency loans into Indian rupee, the FEDAI indicative rate prevailing on the date for which these advances are reported may be used.

भवदीय,

Yours faithfully,

(डी.वी. झवेरी)
महा प्रबंधक

(D.V. Jhaveri)
General Manager

भाग X
विविध

- (क) शाखा विस्तार
(ख) बैंकों द्वारा शुरू किये गये गैर-पारंपरिक कार्य-
व्यापारी बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड प्रणाली,
किराया खरीद व्यवसाय, आदि
(ग) बैंकों में ग्राहक सेवा
(घ) बैंकों में धोखाधड़ी आदि
(ङ) अन्य

SECTION X
MISCELLANEOUS

- (a) BRANCH EXPANSION
(b) NON-TRADITIONAL TYPE OF WORK TAKEN
UP BY BANKS-MERCHANT BANKING, CREDIT
CARD SYSTEM, HIRE-PURCHASE, BUSINESS ETC.
(c) CUSTOMER SERVICE IN BANKS
(d) FRAUDS ETC. IN BANKS
(e) OTHERS

5 जून 1997
15 ज्येष्ठ 1919 (शक)

June 5, 1997
Jyestha 15, 1919 (Saka)

भारत स्थित सभी वाणिज्य बैंक

All Commercial Banks in India

प्रिय महोदय,

Dear Sirs,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वाणिज्य बैंकों के कार्यालय खोलना - दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र

OPENING OF OFFICES OF COMMERCIAL BANKS IN THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY (NCT) OF DELHI - NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) FROM DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY (DDA)

कृपया आप 14 जुलाई 1976 का हमारा परिपत्र डीबीओडी.सं. बीएल.बीसी. 81/सी.168-76 (तुरंत संदर्भ हेतु प्रतिलिपि संलग्न) देखें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बैंक शाखाएं/कार्यालय खोलने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से संबंधित मामले के बारे में हमने दिल्ली विकास प्राधिकरण से संपर्क किया था। उन्होंने अब सूचित किया है कि दिल्ली के मास्टर प्लान 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत आवासीय औद्योगिक उपयोग क्षेत्रों (ज़ोन) में “वाणिज्यिक उपयोग क्षेत्र” और “वाणिज्यिक केन्द्रों” में बैंकों को अनुमति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त, मास्टर प्लान के मिश्रित उपयोग विनियमों के अंतर्गत, तल मंज़िल के 25 प्रतिशत अथवा 50 वर्ग मीटर, इनमें से जो भी कम हो, तक के क्षेत्र में परिसर की तल मंज़िल पर बैंक खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है। इस बात

Please refer to our circular DBOD.No. B.L.B.C.81/C. 168-76 dated 14 July 1976 (copy enclosed for ready reference). The matter regarding obtaining NOC for opening of bank branches/offices in NCT of Delhi had been taken up by us with DDA who have since advised that under the provisions of Master Plan of Delhi -2001, banks are permitted in ‘Commercial Use Zone’ and in the ‘Commercial Centres’ in residential/industrial use zones. Further, under Mixed Use Regulations of Master Plan, banks are permissible on the ground floor of residential premises to the extent of 25 per cent of ground

को दृष्टि में रखते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह स्पष्ट किया है कि यदि विभिन्न उपयोग क्षेत्रों में बैंकों की स्थापना के लिए दिल्ली के मास्टर प्लान 2001 के मानदंडों/प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हो रहा हो, तो ऐसे बैंकों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी) में बैंकों को शाखाएं/कार्यालय खोलने के लिए उनके द्वारा इस आशय की घोषणा के आधार पर लाइसेंस जारी किये जायें कि प्रस्तावित इलाका/परिसर दिल्ली के मास्टर प्लान-2001 के मानदंडों/प्रावधानों के अनुरूप है। तथापि, यदि बैंक इस तरह का घोषणापत्र देने में असमर्थ हों, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर ही लाइसेंस जारी किये जायेंगे, जैसा कि अब तक होता रहा है।

भवदीय,

(ओ.पी. अग्रवाल)
महा प्रबंधक

floor coverage or 50 sq.mtr. area, whichever is less. In view of this, DDA has clarified that in case the norms/provisions of MPD - 2001 are not violated in locating the banks in various use zones, NOC from such banks may not be insisted. Accordingly, it has been decided to issue licences for opening of branches/offices by the banks in the NCT of Delhi on the basis of declaration made by them that the proposed locality/premises is in conformity with the norms/provisions of MPD - 2001. However, where banks are not able to give such declaration, the licences will be issued only on submission of NOC from DDA, as hitherto.

Yours faithfully,

(O.P. Agarwal)
General Manager

14 जुलाई 1976

July 14, 1976

भारत स्थित सभी वाणिज्य बैंक

All Commercial Banks in India

प्रिय महोदय,

Dear Sirs,

संघशासित क्षेत्र दिल्ली में महानगरीय केन्द्रों के रिहाइशी इलाकों में समनुरूप भवनों/क्षेत्रों/अंचलों में वाणिज्य बैंकों के कार्यालय खोलना

**OPENING OF OFFICES OF
COMMERCIAL BANKS IN THE
CONFORMING BUILDINGS/AREAS/
ZONES IN THE RESIDENTIAL
LOCALITIES OF METROPOLITAN
CENTRES IN THE UNION TERRITORY
OF DELHI**

दिल्ली/नई दिल्ली/दिल्ली छावनी के रिहाइशी इलाकों में गैर समनुरूप क्षेत्रों /अंचलों/भवनों में वाणिज्य बैंकों के कार्यालय खोलने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्रतिबंध लगा रखा है । मौजूदा कानूनों के अनुसार सिर्फ वाणिज्यिक उपयोग के लिए प्राधिकृत परिसरों में कार्यालय खोले जा सकते हैं । अतः यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली/ नई दिल्ली /दिल्ली छावनी में कारोबार करने के लिए नये कार्यालय खोलने अथवा मौजूदा कार्यालयों को अन्य क्षेत्रों / इलाकों में स्थानांतरित करने के लिए वाणिज्य बैंकों को जारी किये गये लइसेंस तभी वैध होंगे यदि प्रस्तावित कार्यालय दिल्ली

The Delhi Development Authority have imposed restrictions on the opening of offices by commercial banks in the non-conforming areas/zones/buildings in the residential localities of Delhi/New Delhi/Delhi Cantonment. In terms of the existing laws, offices can be opened only in premises authorised for commercial uses. It has, therefore, been decided that the licences issued in regard to areas in Delhi/New Delhi/Delhi Cantonment in respect of commercial banks for opening of new places of business or shifting of existing offices to other areas/localities, will be valid only if the proposed

विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित समनुरूप क्षेत्रों /शॉपिंग सेंटर आदि में खोले जायें । सभी बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा भविष्य में इन प्रावधानों का उल्लंघन न किया जाये ।

भवदीय

(केवल कृष्णन)

उप मुख्य अधिकारी

offices are opened in conforming areas/ shopping centres, etc., as approved by the Delhi Development Authority. All banks should ensure that they do not violate the provisions of law in future.

Yours faithfully,

Kewal Krishan

Deputy Chief Officer

बैंपविवि.सं.बीएल. बीसी. 115 /22.06.001/97

DBOD.No. BL. BC. 115 /22.06.001/97

21 अक्टूबर 1997
29 आश्विन 1919 (शक)

October 21, 1997
Ashwina 29, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा विदेशी बैंकों सहित)

All Commercial Banks
(including Regional Rural Banks and Foreign Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23-
शाखा बैंकिंग संबंधी आंकड़े - मासिक विवरणियों का
प्रस्तुतीकरण - प्रोफार्मा II तथा III का संशोधन

**SECTION 23 OF BANKING
REGULATION ACT, 1949 - BRANCH
BANKING STATISTICS - SUBMISSION
OF MONTHLY RETURNS - REVISION
OF PROFORMAE II AND III**

हमारे सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग,
बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स तथा हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा

With a view to streamlining and updating the

रखे जा रहे शाखा बैंकिंग संबंधी आंकड़ों के संकलन की प्रणाली को कारगर बनाने तथा उसे अद्यतन करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि खोले गये नये कार्यालयों/शाखाओं तथा मौजूदा कार्यालय/शाखा की स्थिति में परिवर्तन/विलय/बंद किये जाने आदि के संबंध में क्रमशः प्रोफार्मा II और III को संशोधित किया जाये। संशोधित प्रोफार्मा II और III के नमूना फॉर्मेट संलग्न हैं।

2. चूंकि बैंकों के कार्यालयों/शाखाओं को भाग I और भाग II एकसमान कूट संख्याएं सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग द्वारा प्रोफार्मा में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रदान की गयी हैं, अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे उन्हें भरते और प्रस्तुत करते समय उनमें दिये गये अनुदेशों का कड़ाई से पालन करें। प्रोफार्मा II और III में प्रशासनिक दृष्टि से स्वतंत्र (भारतीय रिजर्व बैंक को पृथक विवरणियां प्रस्तुत करनेवाले) कार्यालयों/शाखाओं के संबंध में आंकड़े अनिवार्यतः सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग तथा बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत किये जाने चाहिए जबकि अस्थायी कार्यालयों के संबंध में आंकड़े, जैसा कि अनुदेशों के नोट 2 में दर्शाया गया है, सिर्फ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत किये जायें। तथापि यह प्रोफार्मा केन्द्रीय बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग को प्रस्तुत किये जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह, संशोधित प्रोफार्मा II/III से इतर अन्य कोई फॉर्मेट/परांकन/प्रतिलिपि आदि सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग को भेजे जाने की जरूरत नहीं है।

system of compilation of data on branch banking maintained by our Department of Statistical Analysis and Computer Services (DESACS), Bandra-Kurla Complex and our Regional Offices, it has been decided to revise the Proformae II and III in respect of new offices/branches opened and changes in status/merger/closure, etc. of existing office/branch respectively. The specimen formats of the revised Proformae II and III are enclosed.

2. As the Uniform Part I and Part II Codes are assigned to bank offices/branches by DESACS on the basis of the data received in the Proformae, banks are advised to strictly follow the Instructions appended thereto while filling and submitting them. The Proformae II and III in respect of offices/branches which are administratively independent (submitting separate returns to RBI), must be forwarded to DESACS and the concerned Regional Offices of DBOD whereas those relating to temporary offices, as indicated in Note 2 of the Instructions, may be sent only to the concerned Regional Offices. The Proformae, however, need not be sent to Central DBOD. Similarly, no other formats/endorsements/copies etc. other than the revised Proformae

3. संशोधित प्रोफार्मा II और III में ऐसी पहली विवरणी जनवरी 1998 माह से संबंधित होनी चाहिए तथा उसे 7 फरवरी 1998 तक प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। कृपया सुनिश्चित करें कि बाद की मासिक विवरणियां संबंधित माह के अगले माह में 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर दी जाएं। यदि माह के दौरान किसी कार्यालय/शाखा द्वारा खुलने/बंद होने/ स्थिति में परिवर्तन आदि के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जानी हो, तो सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग तथा हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों को शून्य विवरणियां अनिवार्यतः भेजी जाएं। चालू माह की विवरणियां प्रस्तुत करते समय, अग्रेषण पत्र में पिछले माह का संदर्भ अवश्य दिया जाना चाहिए।

4. उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे दिनांक 10 अगस्त 1992 के परिपत्र बैपविवि. सं. बीएल. बीसी. 15/22.01.001/92 तथा 27 जुलाई 1995 के बैपविवि. सं. बीएल. बीसी. 80/22.05.012/95 द्वारा निर्धारित विवरण/सूचनाएं मौजूदा फॉर्मेट में सिर्फ दिसम्बर 1997 माह तक प्रस्तुत किये जाने की जरूरत है।

भवदीय,

(ओम प्रकाश अग्रवाल)

महा प्रबंधक

II/III need be sent to DESACS.

3. First such Returns in the revised Proformae II and III should relate to the month of January 1998 and should be submitted by February 7, 1998. You may please ensure that the subsequent monthly Returns are submitted within 7 days of the next month succeeding to the month to which they relate. 'Nil' Returns must be sent to DESACS and our Regional Offices in case there is nothing to report on opening/closing/change in status, etc. of any office/branch during a month. While submitting the current month's Returns, the previous month's reference must be quoted in the forwarding letter.

4. In view of what is stated above, the statements/advice in the existing format, prescribed vide our circulars DBOD. No. BL.BC. 15/22.01.001/92 dated August 10, 1992 and DBOD No. BL. BC. 80/22.05.012/95 dated July 27, 1995 need be submitted upto the month of December 1997 only.

Yours faithfully,

(O.P. Agarwal)
General Manager

प्रोफार्मा II (संशोधित)

.....माह के दौरान खोले गये नये कार्यालय/
शाखा का विवरण

(कृपया प्रोफार्मा भरने से पहले सभी अनुदेश पढ़ें)

मद

1. (क) बैंक/सहकारी संस्था का नाम :
(ख) एकसमान कूट संख्या : भाग - I (7 अंक)
(अनुदेश सं.1,2,3 देखें)
भाग - II (7 अंक)
(सां.वि.कं.से.वि.,कें.का.,
भा.रि.बैंक द्वारा आबंटित
किया जाएगा)
2. (क) नयी शाखा/कार्यालय का नाम :
(ख) संदर्भ सं. और प्राधिकरण की तारीख :
(ग) लाइसेंस सं. :
(भा.रि.बैंक से प्राप्त)
(घ) लाइसेंस की तारीख :
3. नया कार्यालय/शाखा खोलने की तारीख :
- 4.1 भवन का नाम/म्युनिसिपल सं. (यदि कोई हो) :
- 4.2 मार्ग (रोड) का नाम (यदि कोई हो) :
- 4.3 (क) डाकघर का नाम :
(ख) पिन कोड :
(ग) टेलीफोन सं./टेलेक्स सं./फैक्स सं. (यदि
कोई हो) (एसटीडी कोड सहित)
- 4.4 केन्द्र के भीतर स्थित इलाके का नाम
(स्पष्टीकरण देखें) :
- 4.5 केन्द्र का नाम (राजस्व गांव/नगर/शहर/नगर
निगम) जिसकी सीमा के भीतर कार्यालय स्थित है
(स्पष्टीकरण देखें) :
- 4.6 तहसील/तालुका/अनुमंडल का नाम

Proforma-II (Revised)

**Statement of New Office/Branch Opened
during the Month : _____**

**(Please read the instructions before filling
the Proformae)**

Items

1. (a) Name of the bank/Co-operative
institution :
(b) Uniform Codes : Part-I (7 digits):
(See instructions 1.2.3)
Part-II (7digits) :
(to be allotted by DESACS. C.O.,
RBI)
2. (a) Name of the New Branch/Office :
(b) Reference No. and Date of
Authorisation :
(c) Licence Number :
(as obtained from RBI)
(d) Date of Licence :
3. Date of Opening of the New Office/
Branch:
- 4.1 Name/Municipal Number of the
building (if any) :
- 4.2 Name of the Road (if any) :
- 4.3 (a) Name of the Post Office :
(b) PIN Code:
(c) Tel. No./ Telex No./ Fax No. (if any):
(including STD code)
- 4.4 Name of the Locality within the
Centre (See explanation) :
- 4.5 Name of the Centre (revenue village/
city/town/Municipal Corporation)
within the limits of which office is
located (See explanation) :
- 4.6 Name of Tehsil/Taluka/Sub-Division :

4.7 विकास खंड का नाम :

4.8 जिले का नाम :

4.9 राज्य का नाम :

5. अद्यतन जनगणना के अनुसार केन्द्र की जनसंख्या (स्पष्टीकरण देखें) :

6. क्या आपके कार्यालय/शाखा के अलावा वहां कोई अन्य बैंक शाखा/शाखाएं हैं : हां () नहीं () (स्पष्टीकरण देखें तथा उपयुक्त बॉक्स में सही का निशान लगायें)

7. (क) नये कार्यालय/शाखा की स्थिति (स्पष्टीकरण देखें) :

कूट संख्या..... स्थिति

(ख) क्या यह प्रशासनिक दृष्टि से स्वतंत्र कार्यालय/शाखा है, जिसके द्वारा भा.रि. बैंक को विवरणियां प्रस्तुत करना अपेक्षित है ?

हां () नहीं ()

(स्पष्टीकरण देखें तथा उपर्युक्त बॉक्स में सही का निशान लगायें)

(ग) यदि 7(ख) का उत्तर नहीं है, तो निम्नलिखित सूचनाएं प्रस्तुत करें :

i) मूल कार्यालय/शाखा का नाम :

ii) मूल कार्यालय/शाखा की एकसमान कूट संख्या :

भाग - I (7 अंक) :

भाग - II (7 अंक) :

iii) अस्थायी कार्यालय (अनुषंगी/विस्तार काउंटर/चल कार्यालय/नकदी काउंटर/.....) का प्रकार: (कार्यालय के प्रकार का उल्लेख करें)

8.(i) क्या इस कार्यालय/शाखा द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं :

(क) सरकारी कारोबार? हां() नहीं()

(ख) राजकोष/उप-राजकोष संबंधी कारोबार? हां() नहीं()

4.7 Name of Development Block :

4.8 Name of the District :

4.9 Name of the State :

5. Population as per latest Census of the Centre (See explanation) :

6. Is/are there any other bank branches other than your office/branch:

Yes: () No.: ()

(See explanation and put tick mark in appropriate box)

7.(a) Status of the new office/branch (See explanation) :

Code :-

Status :-

(b) Is this an administratively independent office/branch required to submit returns to RBI? Yes: () No.: ()

(See explanation and put tick mark in appropriate box)

(c) If answer in 7(b) is no, then supply following:

i) Name of the base office/branch:

ii) Uniform code numbers of the base office/branch :

Part-I (7 digits) :

Part II (7 digits) :

(iii) type of the temporary office (satellite/extension counter/mobile office/ cash counter/.....) : _____

(Write type of office)

8. (i) Whether this office/branch conducts

(a) Government business? Yes () No ()

(b) Treasury/Sub-treasury business? Yes () No ()

(ii) क्या इस शाखा/कार्यालय से संबद्ध कोई करेंसी चेस्ट है : हां() नहीं()

(iii) यदि 'हां' तो कृपया निम्नलिखित बातें सूचित करें:

(क) करेंसी चेस्ट का प्रकार : ए () बी () सी ()

(ख) करेंसी चेस्ट की स्थापना की तारीख :

(ग) करेंसी चेस्ट की कूट संख्या :

(घ) उस क्षेत्र का उल्लेख करें जिसमें करेंसी चेस्ट स्थित है :

(‘क्षेत्र का प्रकार’ कूट का उल्लेख करें। स्पष्टीकरण देखें)

(iv) यदि 'नहीं', तो करेंसी चेस्ट रखनेवाली निकटतम शाखा/कार्यालय के ब्यौरे दें:

(क) बैंक का नाम : (ख) शाखा का नाम :

(ग) दूरी (कि.मी. में) (घ) केन्द्र का नाम :

(v) क्या इस शाखा/कार्यालय से संबद्ध कोई रिपोजिटरी है ? हां () नहीं ()

(vi) क्या इस शाखा/कार्यालय से छोटा सिक्का-डिपो संबद्ध है? हां () नहीं ()

(उपयुक्त बॉक्स में सही का निशान लगायें)

9. कार्यालय/शाखा द्वारा किये गये कारोबार का स्वरूप: (स्पष्टीकरण देखें)

10. (क) कार्यालय/शाखा की प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी:

ए () बी () सी ()

(उपयुक्त बॉक्स में सही का निशान लगायें)

(ख) प्राधिकरण की तारीख :

(ग) 'सी' श्रेणी के कार्यालय/शाखा के मामले में, उस 'ए' अथवा 'बी' श्रेणी के कार्यालय/शाखा की एकसमान कूट संख्या दें, जिसके माध्यम से इसके विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेन किये जाते हैं :

(ii) Whether there is a currency chest attached to this branch/office:

Yes() No()

(iii) If “Yes”, then state

(a) The type of currency chest:

A () B () C ()

(b) Date of establishment of currency chest:

(c) Currency chest code Number :

(d) Mention type of area in which chest is located :

(State “type of area”, code. See explanation)

(iv) If “No”, then supply particulars of the nearest branch/office having currency chest:

a) Bank name : b) Branch name :

c) Distance(in Km.) : d) Centre name :

v) Whether there is a repository attached to this branch/office? Yes () No ()

vi) Whether a small coin-depot is attached to this branch/office? Yes () No ()

(put a tick mark in appropriate box)

9. Nature of Business conducted by the office/branch:

(See explanation)

10. (a) Authorised Dealer's Category of the office/branch:

A () B () C ()

(Put a tick mark in appropriate box)

(b) Date of authorisation :

(c) In the case of 'C' Category office/branch, write uniform code numbers of 'A' or 'B' Category office/branch through which its foreign exchange transactions are settled:

(i) 'ए' अथवा 'बी' श्रेणी की शाखा/कार्यालय का नाम :

(ii) 10(ग)(i) में उल्लिखित उक्त ए/बी श्रेणी की शाखा/कार्यालय की एकसमान कूट संख्याएं :

भाग - I (7 अंक)

भाग - II (7 अंक)

11. प्रौद्योगिकीय स्थिति :- कूट :

(स्पष्टीकरण देखें)

12. सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर संचार सुविधाएं:

(स्पष्टीकरण देखें)

13. अन्य कोई ब्यौरे :

14. सिर्फ भा.रि. बैंक के उपयोग के लिए :

(क) एडी क्षेत्रीय कार्यालय कूट :

(ख) जनगणना वर्गीकरण कूट :

(ग) पूरा डाक पता :

(i) Name of the 'A' or 'B' category branch/office:

(ii) Uniform code numbers of the said A/B category branch/office at 10(c)(i) :

Part-I (7 digits) :

Part-II (7 digits) :

11. Technological Status :- Code :- _____
(See explanation)

12. Software/Hardware Communication Facilities :
(see explanation)

13. Any other particulars :

14. For RBI use only :

(a) AD Region Office Code :

(b) Census Classification Code :

(c) Full Postal Address :

प्रोफार्मा III (संशोधित)

.....माह के दौरान मौजूदा कार्यालय/शाखा की स्थिति में परिवर्तन /विलय /बंद किये जाने के संबंध में विवरण

(कृपया प्रोफार्मा भरने से पहले सभी अनुदेश पढ़ें)

बैंक/सहकारी संस्था का नाम :

(अ) कार्यालय/शाखा की स्थिति /ए.डी.श्रेणी/कारोबार का स्वरूप/डाक पता में परिवर्तन

1. शाखा/कार्यालय का नाम :

2. एकसमान कूट संख्या (मौजूदा) : (क) भाग - I (7 अंक)

(ख) भाग - II (7 अंक)

3. कार्यालय/शाखा की स्थिति :

(क) पुरानी स्थिति (ख) मौजूदा स्थिति:

4. कार्यालय/शाखा के कारोबार का स्वरूप:

(क) कारोबार का स्वरूप (पहले का):

(ख) कारोबार का स्वरूप (मौजूदा) :

5. प्रौद्योगिकीय स्थिति : कूट सं.

6. संचार सुविधाओं में परिवर्तन (यदि कोई हो) :
(हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर)

7. कार्यालय/शाखा की प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी

(क) पुरानी श्रेणी (यदि कोई हो)

(ख) नयी श्रेणी (यदि कोटि-उन्नत/कोटि-अवनत/हाल ही में प्राधिकृत हो) :

(ग) कोटि उन्नयन/कोटि अवनयन/प्राधिकरण की तारीख:

(घ) यदि मौजूदा श्रेणी 'ग' है, तो उस संपर्क कार्यालय/

Proforma-III (Revised)

Statement of Change in Status/Merger/ Closure etc, of Existing Office/Branch during the Month : _____

(Please read instructions before filling the Proformae)

Name of the Bank/Co-operative institution :-

A. Change in Status/A.D. Category/Nature of Business/Postal address of Office /Branch.

1. Name of the New Branch/Office :

2. Uniform Code (existing): a) Part-I (7 digits)

b) Part-II (7 digits)

3. Status of the Office/Branch :

a) Old Status : b) Present Status :

4. Nature of Business of the Office/Branch :

(a) Nature of Business (Erstwhile) :

(b) Nature of Business (Present) :

5. Technological Status :- Code : _____

6. Change (if any) in Communication facilities :

(Hardware/Software)

7. Authorised Dealer Category of the Office/ Branch :

a) Old Category (if any)

b) New Category (if Upgraded/Degraded/ Newly Authorised) :

c) Date of upgradation/Degradation/ Authorisation :

d) If present category is 'C', then give uniform

शाखा की एकसमान कूट संख्या दें, जिसके माध्यम से इसके लेनदेनों का निपटारा किया जाता है:

भाग-I (7 अंक) भाग-II (7 अंक)

8. करेंसी चेस्ट/रिपॉजिटरी/सिक्का-डिपो/सरकारी कारोबार आदि की स्थिति में परिवर्तन, यदि कोई हो, के ब्यौरे (खोलने/स्थानांतरित करने/परिवर्तन/बंद करने सहित)। स्थानांतरण/परिवर्तन/बंद किये जाने के मामले में कृपया तारीख भी लिखें:

क) सरकारी कारोबार :

ख) राजकोष/उप राजकोष कारोबार :

ग) करेंसी चेस्ट

घ) रिपॉजिटरी :

ड) सिक्का डिपो :

यदि करेंसी चेस्ट के लिए हाल ही में प्राधिकृत किया गया हो, तो इस प्रोफार्मा II की मद 8 (iii) और 8 (iv) के संबंध में ब्यौरे प्रस्तुत करें।

9. पूर्ण डाक पता (डाकघर के नाम, पिन कोड, तहसील/ब्लॉक, दूरभाष सं. और एसटीडी कोड सं. सहित)
पहले का मौजूदा

10. यदि स्थान बदला गया है तो स्थान बदलने का कारण बतायें:

11. यदि शाखा/कार्यालय का स्थान बदलकर उसे भिन्न केन्द्र में ले जाया गया है तो मौजूदा केन्द्र के ब्यौरे प्रस्तुत करें:

(क) शाखा/कार्यालय का नाम :

(ख) इलाके का नाम :

(ग) राजस्व यूनिट (केन्द्र का नाम) :

(घ) तहसील/ब्लॉक का नाम :

(ड) जिले का नाम :

(च) राज्य का नाम :

(छ) केन्द्र की जनसंख्या (नवीनतम जनगणना के अनुसार):

code number of the Link Office/Branch through which its transactions are settled:

Part-I (7 digits): Part-II (7 digits) :

8. Details in respect of change, if any, in the status of currency chest/repository/coin-depot/govt. business, etc. (including opening/shifting/conversion/closure). In case of shifting/conversion/closure please mention the date also :

a) Government business :

b) Treasury/Sub-treasury business :

c) Currency Chest :

d) Repository : e) Coin-depot :

If authorised newly for currency chest, then state details in respect of Items. 8(iii) & 8(iv) of Proforma-II here.

9. Full postal address (including name P.O., PIN Code, Tehsil/Block, Telephone No. & STD code No.) :
Erstwhile Present

10. If relocated give reasons for relocation:

11. If the branch/office is relocated to a different Centre, furnish details of the present Centre:

a) Branch/Office Name :

b) Name of Locality :

c) Revenue Unit (Centre Name) :

d) Tehsil/Block Name :

e) District Name : f) State Name:

g) Population (as per latest Census) of the Centre :

12. लाइसेंस संख्या और तारीख
13. भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा लाइसेंस उपयुक्त रूप से संशोधित
14. भा.रि. बैंक के अनुमोदन की संदर्भ सं. और तारीख :
15. अन्य ब्यौरे :
आ. कार्यालय/शाखा को बंद करना/उसका विलय करना/उसे परिवर्तित करना
1. विलयन/बंद किये जाने/परिवर्तित किये जाने के लिए सूचना
(उपर्युक्त के सामने टिकमार्क लगायें)
2. शाखा/कार्यालय का नाम :
3. एकसमान कूट : भाग - I (7 अंक) :
 भाग - II (7 अंक) :
4. क) डाक पता शाखा/कार्यालय :
ख) केन्द्र का नाम : ग) ज़िले का नाम:
घ) राज्य का नाम :
ड) केन्द्र की जनसंख्या श्रेणी :
5. बंद करने/विलयन/परिवर्तन की तारीख :
6. भा.रि. बैं. के अनुमोदन की संदर्भ सं. और तारीख:
7. बंद करने/विलयन/परिवर्तन के कारण :
8. (बंद करने/विलयन/परिवर्तन) के लिए..... को भा.रि. बैं. के क्षेत्रीय कार्यालय को लाइसेंस अभ्यर्पित किया।
9. शाखा/कार्यालय का मौजूदा प्रकार (यदि बंद नहीं किया गया हो तो)
(अनुषंगी कार्यालय, विस्तार काउंटर आदि)
10. विलयन करनेवाले (मूल) कार्यालय/शाखा के ब्यौरे
(परिवर्तन/विलयन के मामले में)
(क) शाखा/कार्यालय का नाम :

12. Licence No. & Date :
13. Licence suitably amended on _____ by RBI, Regional Office at _____
14. Ref. No. & Date of RBI's approval
15. Any other particular
- B. Closure/Merger/Conversion of the Office/Branch
1. Advice for : Merger/Closure/Conversion
(Put tick mark against appropriate one)
2. Branch/Office Name :
3. Uniform Codes: i) Part - I (7 digits) :
 ii) Part - II (7 digits) :
4. a) Postal address Branch/Office:
b) Centre name : c) District name:
d) State name :
e) Population category of the Centre :
5. Date of Closure/Merger/Conversion :
6. Ref. No. & Date of RBI's approval :
7. Reason for Closure/Merger/Conversion:
8. Licence surrendered for _____ on _____ to RBI, Regional Office (Closure/Merger/Conversion) at _____.
9. Present type (if not closed) of the Branch/Office :
(Satellite Office, Extension Counter etc.)
10. Particulars of the Absorbing (Base) Office/Branch (in case of Conversion/Merger:
a) Branch/Office Name :

(ख) एकसमान कूट संख्या : भाग - I (7 अंक)
भाग - II (7 अंक)

(ग) पूर्ण डाक पता :

टिप्पणी : 1) कार्यालय/शाखा की स्थिति, कारोबार के स्वरूप आदि के स्पष्टीकरण के लिए प्रोफार्मा II की मद सं. 7(क), 9,11 के अनुदेश देखें।

2) इस प्रोफार्मा में भाग I और भाग II की एकसमान कूट संख्या नहीं देने की स्थिति में कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।

प्रोफार्मा II और III भरने के लिए अनुदेश

टिप्पणी: कृपया प्रोफार्मा भरने से पहले सभी अनुदेशों को पढ़ें)

1. (क) प्रोफार्मा II सभी प्रकार की नयी खोली गयी/कोटिउन्नत (अपग्रेड की गयी) बैंक शाखाओं/कार्यालयों के लिए तथा प्रोफार्मा III मौजूदा बैंक शाखाओं/कार्यालयों की स्थिति/डाक पते में परिवर्तन, उन्हें बंद करने/उनके विलयन/परिवर्तन/स्थान परिवर्तन आदि की रिपोर्टिंग करने के लिए है।

(ख) एक समान कूट संख्याएं उन कार्यालयों/शाखाओं के लिए हैं जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र कार्यालय/शाखाएं हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक का अलग से विवरणियां भेजती हैं (7(ख) पर स्पष्टीकरण देखें)।

2. बैंक कृपया नोट करें कि नये खोले गये/मौजूदा विस्तार काउंटर/अनुषंगी कार्यालय/प्रतिनिधि कार्यालय/नकदी काउंटर/निरीक्षणालय/ वसूली काउंटर/चल

b) Uniform Codes : Part - I (7 digits) :
Part - II (7 digits) :
c) Full postal address :

Note : 1) For explanation of status, nature of business, etc. of the office/branch instructions under item nos. 7(a), 9,11, etc. of Proformae II are to be seen.

2) No action will be taken unless part-I and part-II of Uniform Code are mentioned in this Proforma.

INSTRUCTIONS FOR FILLING PROFORMAE II & III

NOTE : PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE FILLING THE PROFORMAE

1. a) Proforma II is meant for all types of newly opened/upgraded bank branches/offices and Proforma III is meant for reporting change in status/postal address, closure/merger/conversion/relocation, etc. of existing bank branches/offices.

b) Uniform code numbers are meant for offices/branches which are administratively independent offices/branches, submitting separate returns to Reserve Bank of India (See explanation at 7(b)).

2) Banks may please note that in respect of newly opened/existing extension counter/satellite office/ representative office/ cash counter/inspectorate/collection counter/

कार्यालय /स्टैंड अलोन एटीएम/ शाखाओं से जुड़े करेंसी चेस्ट/हवाई अड्डा(एयरपोर्ट) काउंटर/होटल काउंटर/मुद्रा विनिमय ब्यूरो/मेलों (प्रदर्शनियों) में खोले गये अस्थायी कार्यालय, आदि के संबंध में प्रोफार्मा II और III सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग को भेजने की आवश्यकता नहीं है पर उसे भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अवश्य भेजा जाए।

3. ऐसे बैंक, जिन्हें उनकी नयी शाखाओं/कार्यालयों को भाग I कूट देने की अनुमति दी गयी है, वे भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रोफार्मा II भेजते समय पूर्वोल्लिखित 1 (ख) में दिये गये अनुदेश का कड़ाई से पालन करें।

4. भाग I और भाग II के आबंटन/भाग II कूट संख्या के संशोधन हेतु प्रोफार्मा II और III को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक कि प्रोफार्मा की सभी मदें विधिवत् भरी न गयी हों

प्रोफार्मा II में दी गयी मदों के संबंध में स्पष्टीकरण

मद सं.1 (ख) : सरकारी क्षेत्र के बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों) को अपनी शाखाओं/कार्यालयों को केवल भाग I कूट संख्या देने की अनुमति है और अन्य बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग) दोनों भाग I और भाग II कूट आबंटित करता है।

मद सं.2 (क) : शाखा/कार्यालय का नाम लिखा जाना चाहिए।

मद सं.2 (ख) : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये आबंटन/प्राधिकार/अनुमोदन पत्र

mobile office/stand-alone ATMs/ currency chest attached to the branches/Airport counter/ Hotel counter/ /Exchange Bureau/Temporary office opened at the site of Fairs(exhibitions), etc., Proformae II & III need not be sent to Department of Statistical Analysis and Computer Services (DESACS) whereas the same must be submitted to the concerned Regional offices of RBI.

3) Banks which have been allowed to assign Part I code to their new branches/offices should strictly follow instructions at 1(b) mentioned above at the time of forwarding Proformae II to RBI.

4) Proformae II & III will not be accepted for allotment of Part I & II/revision of part II code unless all items in the Proformae are filled up properly.

EXPLANATION OF ITEMS IN PROFORMA II

Item No.1(b): Public sector banks (SBI and its Associates & Nationalised Banks) are allowed to assign only Part-I code Numbers to their branches/offices and for other banks RBI (DESACS) allots both Part I & Part II codes.

Item No.2(a): The name of the Branch/ Office is to be written.

Item No.2(b): Reference No. and date of allotment/authorisation/

की संदर्भ सं. और दिनांक का उल्लेख करें।

मद सं.2 (ग) : यदि लाइसेंस नंबर पहले से प्राप्त हुआ हो (जैसा भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त हुआ हो) तो उसका उल्लेख करें, अन्यथा एक समान कूट संख्या के साथ उसे बाद में बताएं।

मद सं.2 (घ) : लाइसेंस की सही तारीख महीने, वर्ष के साथ लिखें।

मद सं.3 : शाखा/कार्यालय खुलने की सही तारीख महीने और वर्ष के साथ लिखें।

मद सं.4.1 से : उचित मद सं. के सामने नाम/संख्या/
4.3 (ग) कूट लिखें।

मद सं.4.4 : मुहल्ले का नाम अर्थात् सही स्थान, जहां शाखा/कार्यालय अवस्थित है, का उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि शाखा/कार्यालय किसी गांव में खोला गया है तो मुहल्ले के नाम की जगह गांव का नाम लिखें।

मद सं.4.5 : उस शहर/कस्बे/महानगरपालिका का नाम लिखा जाना चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में मद सं. 4.4 में उल्लिखित मुहल्ला आता है। यदि शाखा/कार्यालय उस गांव में खोला गया है जो कि एक राजस्व इकाई/केन्द्र है तो उस गांव का नाम लिखें।

टिप्पणी : यदि मद सं. 4.5 में सही तरीके से नाम नहीं लिखा गया तो गलत भाग II कूट के साथ शाखा/

approval letter issued by RBI is to be mentioned.

Item No.2(c): The Licence No., if already available (as obtained from concerned Regional Office of RBI) is to be written, otherwise the same should be communicated later on alongwith Uniform Codes.

Item No.2(d): The exact date of licence including month & year is to be indicated.

Item No.3: The exact date of opening including month & year is to be mentioned.

Item No.4.1 The name/number/codes are to 4.3 (c): to be written against the appropriate item number

Item No.4.4: The name of the locality i.e. the exact place, where the branch/office is located, is to be mentioned. The name of the locality may be the name of a village in case the branch/office is opened in a village.

Item No.4.5: The name of the City/Town/Municipal Corporation under the jurisdiction of which the locality mentioned at item no. 4.4 is included is to be written. The name of the village is to be written if the branch/office is opened in a village which is a revenue unit/centre.

Note: If the name in item no. 4.5 is not indicated correctly, the branch/office may get

कार्यालय का गलत वर्गीकरण हो सकता है। पंचायत/विकास खंड तहसील/जिले के नाम का उल्लेख मद सं. 4.4 और 4.5 में तब तक न करें जब तक कि शाखा/कार्यालय ठीक पंचायत/विकास खंड/तहसील/जिले के मुख्यालय में ही न स्थित हो।

मद सं.4.6 : मद सं. 4.5 के सामने उल्लिखित तथा 4.7 स्थान की तहसील/तालुका/अनुमंडल (सब-डिविजन) और सामुदायिक विकास खंड के नामों का उल्लेख क्रमशः मद सं. 4.6 और 4.7 में करें।

यह महानगरीय शहरों के मामले में लागू नहीं होगा।

मद सं.5 : उस केन्द्र/राजस्व इकाई की (न कि पूरी पंचायत/विकास खंड/तहसील/जिला की) जनसंख्या की जनगणना के आंकड़े जनगणना पुस्तिका/स्थानीय जनगणना प्राधिकारी/जिला समाहर्ता/तहसीलदार से प्राप्त किये जाने चाहिए और इस आशय का एक प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

मद सं.6 : यदि उस राजस्व इकाई, जिसकी सीमाओं के भीतर यह नया कार्यालय अवस्थित है, में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या किसी वाणिज्य/सहकारी बैंक की कोई शाखा/कार्यालय नहीं है, तो “नहीं” के सामने, अन्यथा “हां” के सामने सही का निशान (टिकमार्क) लगाएं।

मद सं.7(क) : किसी शाखा/कार्यालय की विविध

wrongly classified with incorrect Part II code. The name of Panchayat/Block/Tehsil/District should not appear against Item Nos. 4.4 & 4.5 unless the office/branch is exactly located in the head quarter of Panchayat/Block/Tehsil/District.

Item No.4.6: The name of the Tehsil/ and 4.7 Taluka/Sub-division and the Community Development Block of the place mentioned against Item no. 4.5 are to be indicated at Item Nos. 4.6 & 4.7 respectively.

This may not be applicable in the cases of Metropolitan cities.

Item No.5: Latest Census population figure of the Centre/revenue unit(not of whole Panchayat/Block/Tehsil/District) should be obtained from Census Handbook/Local Census Authority/District Collector/ Tehsildar and a certificate to this effect should be attached.

Item No.6: If there is no branch/office of a regional rural bank or of any commercial/co-operative bank in the revenue unit within the limit of which the new office is located, then put tick mark against “No”, otherwise put tick mark against “Yes”.

Item No.7(a): The names & respective codes

प्रकार की संभावित स्थिति (शाखा/कार्यालय के प्रकार) के नामों और तत्संबंधित कूटों की सूची नीचे दी गयी है। सही नाम और तत्संबंधित कूट लिखा जाए।

यह सूची संपूर्ण नहीं है, अतः कार्यालय/शाखा की सही स्थिति नाम का उल्लेख करते हुए “कोई अन्य शाखा/कार्यालय” के अंतर्गत दर्शायी जाए:

गैर-विशेषीकृत शाखा के मामले में		प्रशासनिक कार्यालय के मामले में	
कूट	स्थिति	कूट	स्थिति
(01)	शाखा	(21)	पंजीकृत कार्यालय
(02)	उप-शाखा	(22)	केन्द्रीय कार्यालय
(03)	उप-कार्यालय	(23)	प्रधान कार्यालय
(04)	वेतन कार्यालय	(24)	स्थानीय प्रधान कार्यालय
(07)	विदेश विभाग	(25)	क्षेत्रीय कार्यालय
(08)	विदेशी मुद्रा विनिमय शाखा	(26)	क्षेत्र कार्यालय
(10)	वाणिज्यिक शाखा	(27)	आंचलिक कार्यालय
(11)	लघु कारोबार विकास कार्यालय	(28)	प्रशासनिक कार्यालय
(60)	कोई अन्य शाखा (ऊपर शामिल नहीं)	(29)	मंडल कार्यालय
		(30)	जिला विकास कार्यालय

of different types of possible status (type of branch/office) of a branch/office are listed below. The appropriate names and corresponding codes are to be written.

The list is not exhaustive & hence exact status of the office/branch may be written under “Any other branch/office” mentioning the name:

IN CASE OF NON-SPECIALISED BRANCH		IN CASE OF ADMINISTRATIVE OFFICE	
Code	Status	Code	Status
(01)	Branch	(21)	Registered Office
(02)	Sub-Branch	(22)	Central Office
(03)	Sub-Office	(23)	Head Office
(04)	Pay-Office	(24)	Local Head Office
(07)	Foreign	(25)	Regional Office Department
(08)	Foreign Exchange Branch	(26)	Area Office
(10)	Commercial Branch	(27)	Zonal Office
(11)	Small Business Development office	(28)	Administrative Office
(60)	Any other branch (not included above)	(29)	Divisional Office
		(30)	District Dev. Office
		(31)	Development

(31) विकास कार्यालय	Office
(32) प्रशिक्षण केन्द्र	(32) Training Centre
(42) सेवा शाखा/ समाशोधन कक्ष	(42) Service Br./ Clearing Cell
(61) कोई अन्य प्रशासनिक कार्यालय (ऊपर शामिल नहीं)	(61) Any other administrative Office(not included above)

विशेषीकृत शाखा के मामले में

IN CASE OF SPECIALISED BRANCH

कूट	नाम	Code	Name
(05)	कृषि विकास शाखा (कृविशा)	(05)	Agricultural Development Branch (A.D.B)
(06)	अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग विभाग (अंबैवि)	(06)	International Banking Department (I.B.D)
(09)	विदेश व्यापार शाखा	(09)	Overseas Branch
(12)	औद्योगिक वित्त शाखा (औविशा)	(12)	Industrial Finance Branch (I.F.B)
(13)	विशेषीकृत कृषि वित्त शाखा हाईटेक (विकृविशा हाईटेक)	(13)	Specialised Agricultural Finance Branch-Hi-Tech.(S.A.F.B. Hi-Tech)
(14)	लघु उद्योग शाखा (लउशा)	(14)	Small Scale Industrial Branch (S.S.I)
(15)	पूंजी बाजार सेवा शाखा (पूंवासेशा)	(15)	Capital Market Service Branch (C.M.S)
(16)	आस्ति वसूली प्रबंधन सेवाएं (आवप्रसे)	(16)	Asset Recovery Management Services (A.R.M.S)
(17)	कंपनी वित्त शाखा	(17)	Corporate Finance Branch
(18)	अनिवासी भारतीय शाखा	(18)	N.R.I. Branch
(19)	आवास वित्त शाखा	(19)	Housing Finance Branch
(20)	पट्टादायी वित्त शाखा	(20)	Leasing Finance Branch
(34)	वैयक्तिक बैंकिंग सेवा शाखा	(34)	Personal Banking Services Branch
(35)	उपभोक्ता वित्त शाखा	(35)	Consumer Finance Branch
(36)	अभिरक्षण सेवा शाखा	(36)	Custodial Services Branch
(37)	राजकोष शाखा	(37)	Treasury Branch
(38)	विशेषीकृत बचत शाखा	(38)	Specialised Savings Branch
(39)	शेयर बाजार शाखा	(39)	Stock Exchange Branch

- (40) ऑटो-टेक शाखा
- (41) निधि अंतरण सेवा शाखा
- (43) कृषि वित्त शाखा (कृविशा)
- (44) वाणिज्यिक बैंकिंग शाखा
- (45) किराया-खरीद और पट्टादायी शाखा
- (46) वाणिज्यिक और वैयक्तिक बैंकिंग शाखा

- (47) विशेषीकृत वाणिज्यिक शाखा
- (48) कमजोर वर्ग शाखा
- (49) औद्योगिक पुनर्वास शाखा
- (50) ड्राफ्ट अदाकर्ता शाखा
- (52) उगाही और भुगतान सेवा शाखा

- (53) औद्योगिक लेखा शाखा
- (54) व्यापारिक बैंकिंग शाखा
- (55) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा विनिमय शाखा
- (62) कोई अन्य विशेषीकृत शाखा/कार्यालय
(ऊपर शामिल नहीं की गयी है)

मद सं.7(ख): यदि कोई कार्यालय अलग लेखा बहियां रखता है और/या उससे “अनुदेश पुस्तिका - मूल सांख्यिकीय विवरणियां - 1 और 2” (संशोधित संस्करण - मार्च 1996) में दिये गये “अनुबंध” में कोई एक या अधिक विनिर्दिष्ट विवरणियां तथा उन पर टिप्पणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है तो वह प्रशासनिक रूप में स्वतंत्र कार्यालय है।

मद सं.7(ग): यदि 7(ख) के लिए उत्तर “नहीं” में है तो आधार कार्यालय का नाम और उसकी एक समान कूट संख्याएं लिखी जानी हैं। अस्थायी

- (40) Auto-Tech Branch
- (41) Fund Transfer Services Branch
- (43) Agricultural Finance Branch (A.F.B)
- (44) Merchant Banking Branch
- (45) Hire-Purchase and Leasing Branch
- (46) Commercial and Personal Banking Branch
- (47) Specialised Commercial Branch
- (48) Weaker Sections Branch
- (49) Industrial Rehabilitation Branch
- (50) Draft Paying Branch
- (52) Collection and Payment Services Branch
- (53) Industrial Accounts Branch
- (54) Mercantile Banking Branch
- (55) International Exchange Branch
- (62) Any other specialised branch/office
(not included above)

Item No. 7(b) : An office is administratively independent if it maintains separate book of accounts and/or is required to submit any one or more returns specified in “Annexure” and note thereto in the “Handbook of Instruction - Basic Statistical Returns - 1 & 2” (Revised edition - March 1996).

Item No. 7(c) : Name of the base office and its Uniform Code Numbers are to be written if answer to 7 (b) is “No”. The name of temporary

कार्यालय का नाम (अनुदेश (2) में उदाहरण दिया गया है) दिया जाना है।

मद सं.8(iii)(घ): नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से उपयुक्त कूट सूचित किया जाना है:

कूट	क्षेत्र का प्रकार
(0)	सामान्य क्षेत्र
(1)	सीमा क्षेत्र
(2)	अशांत क्षेत्र (बड़ा जोखिम)
(3)	प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र (बाढ़/भूकंप प्रवण क्षेत्र, आदि)
(4)	हिमपात, तेज तूफान आदि के कारण अपर्याप्त परिवहन सुविधा होने की वजह से अगम्य क्षेत्र

मद सं.9 : शाखा/कार्यालय द्वारा किये जानेवाले कारोबार का उपयुक्त स्वरूप (जिसकी एक सूची नीचे दी गयी है) बताया जाना है।

कूट	कारोबार का स्वरूप
(0)	केवल बैंकिंग कारोबार
(1)	बैंकिंग और विदेशी मुद्रा कारोबार
(2)	प्रशासन, बैंकिंग और विदेशी मुद्रा कारोबार
(3)	प्रशासन और बैंकिंग
(4)	प्रशासन और विदेशी मुद्रा कारोबार

office (illustrated in instruction (2)) is to be mentioned.

Item No. 8(iii): (d) The appropriate Code among the options listed below is to be indicated.

Code	Type of area
(0)	Normal area
(1)	Border area
(2)	Disturbed area (high risk)
(3)	Area affected by natural calamities (flood/earth quake prone area, etc.)
(4)	Inaccessible due to inadequate transport facility because of snowfall, heavy storm, etc.

Item No. 9 : The appropriate nature of business (a list of which is given below) conducted by the branch/office is to be mentioned.

Code	NATURE OF BUSINESS
(0)	Only banking business
(1)	Banking & Foreign exchange business
(2)	Administration, banking & foreign exchange business
(3)	Administration & banking
(4)	Administration & foreign exchange business

- (5) केवल विदेशी मुद्रा कारोबार
(6) केवल प्रशासन/प्रशिक्षण आदि
(7) बैंकिंग कारोबार कर रहे गैर अनुसूचित बैंक
(8) विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने वाली अन्य संस्थाएं अर्थात् थॉमस कुक (इंडिया) लि., आइडीबीआई, आइसीआईसीआई, भारतीय रिज़र्व बैंक

मद सं.11 : नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से उपयुक्त कूट सूचित किया जाना है।

कूट	प्रौद्योगिकीय स्थिति
(1)	एटीएम सुविधा सहित पूर्णतः कंप्यूटरीकृत
(2)	एटीएम सुविधा रहित पूर्णतः कंप्यूटरीकृत
(3)	अंशतः कंप्यूटरीकृत
(4)	अभी तक कंप्यूटरीकृत नहीं है
(5)	स्टैंडअलोन एटीएम

मद सं.12 : यदि कार्यालय/शाखा में संचार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लगाये गये हैं तो उनके विस्तृत ब्यौरे लिखे जाने हैं। (उदाहरणार्थ, आरबीआईनेट, निकनेट, वीसैट, मेनफ्रेम, आदि)

टिप्पणी: आगे और स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित से संपर्क करें या उन्हें लिखें:

निदेशक,
बैंकिंग सांख्यिकीय प्रभाग,
सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग,
भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय,
सी 9 बिल्डिंग (छठी मंज़िल),
बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051.
फोन : (022)-640 2668, (022) 640 0880
फैक्स : (022)-644 1707

- (5) Only foreign exchange business
(6) Only administration/training etc
(7) Non-scheduled banks doing banking business
(8) Other institution viz. Thomas Cook (India) Ltd., IDBI, ICICI, RBI dealing in foreign exchange.

Item No. 11 : The appropriate Code among the options listed below is to be indicated.

Code	Technological Status
(1)	Fully Computerised with ATM facility.
(2)	Fully Computerised without ATM facility.
(3)	Partially Computerised
(4)	Not yet Computerised
(5)	Stand-alone ATMs

Item No. 12 : The detailed particulars regarding Communication Hardware and Software, if installed in the office/branch, are to be written. (For example, RBINET, NICNET, VSAT, MainFrame, etc.)

Note: For further clarification contact or write to:

The Director,
Banking Statistics Division,
Department of Statistical Analysis & Computer Services,
Reserve Bank of India, C.O.,
C-9 Building (6th Floor),
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai -400 051.
Phone :- (022) 640 2668, (022) 640 0880
Fax :- (022) 644 1707.

बैंपविवि.सं. एफएससी. बीसी. 63 /24.47.001/97

DBOD.No. FSC. BC. 63 /24.47.001/97

5 जून 1997
15 ज्येष्ठ 1919 (शक)

June 5, 1997
Jyestha 15, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंकों के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

The Chairmen/Chief Executives of all
Commercial Banks (excluding Regional
Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

स्टाकइनवेस्ट योजना (एसआइ)

STOCKINVEST SCHEME (SI)

कृपया 30 मार्च 1996 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं. एफएससी. बीसी. 31/24.47.001/96 देखें, जिसमें बैंकों द्वारा स्टॉकइनवेस्ट के निर्गम के लिए प्रति पूँजी निर्गम प्रतिव्यक्ति 10 लाख रुपये की शीर्षसीमा की सूचना दी गयी थी। कतिपय बैंकों द्वारा स्टॉकइनवेस्ट के निर्गम में पायी गयी अनियमितताओं के आलोक में, सेबी से परामर्श करके उक्त योजना के परिचालन की समीक्षा की गयी थी। यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों द्वारा स्टॉकइनवेस्ट के निर्गम के लिए प्रति पूँजी निर्गम प्रति व्यक्ति 50,000/- रुपये की शीर्षसीमा निर्धारित की जानी चाहिए। ये अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। तथापि, उक्त शीर्षसीमा पारस्परिक निधियों पर लागू नहीं होगी।

Please refer to our Circular DBOD No. FSC. BC. 31/24.47.001/96 dated 30th March 1996 advising the ceiling of Rs. 10 lakh per individual per capital issue, for issue of stockinvest by banks. In the light of the irregularities observed in the issue of stockinvests by certain banks, the operation of the Scheme was reviewed in consultation with SEBI. It has been decided that a ceiling of Rs. 50,000/- per individual per capital issue should be prescribed for issue of stockinvests by banks. These instructions come into force with immediate effect. The above ceiling would, however, not be applicable to Mutual Funds.

2. आप उपर्युक्त अनुदेशों से अपनी उन सभी शाखाओं को अवगत करा दें जो स्टॉकइनवेस्ट जारी करने के लिए प्राधिकृत हैं। किसी भी रूप में उपर्युक्त अनुदेशों के उल्लंघन/प्रवंचना के मामले में ऐसी कार्रवाई की जायेगी जैसी भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यक समझेगा,

2. You may convey the above instructions immediately to all your branches authorised to issue SIs. Any violation/circumvention of the above instructions would

जिसमें बैंक के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी शामिल होगी, जैसा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है।

3. बैंकों द्वारा स्टॉकइन्वेस्ट के निर्गम के लिए अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

भवदीय,

(अमलेंदु घोष)

मुख्य महा प्रबंधक

invite such action as deemed necessary by the RBI including penal action against the bank as provided under the Banking Regulation Act, 1949.

3. All other terms and conditions for issue of stockinvest by banks remain unchanged.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)

Chief General Manager

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 90 /24.01.001/97-98

DBOD No.FSC. BC. 90 /24.01.001/97-98

13 अगस्त 1997
22 श्रावण 1919 (शक)

August 13, 1997
Shravana 22, 1919 (Saka)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक,
सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

The Chairmen/Chief Executives of all
Commercial Banks -
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

उपस्कर पट्टे पर देना, किराया खरीद,
फैक्टरिंग आदि कार्यकलाप

**EQUIPMENT LEASING, HIRE
PURCHASE, FACTORING ETC.
ACTIVITIES**

कृपया आप 19 फरवरी 1994 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.एफएससी. बीसी. 18/24.01.001/93-94 देखें, जिसमें बैंकों द्वारा उपस्कर पट्टे पर देना, किराया खरीद वित्त और, यदि वे चाहते हैं तो विभागीय आधार पर फैक्टरिंग सेवाएं देने के संबंध में अपनाये जानेवाले दिशा-निर्देश निर्धारित किये गये हैं। उसके पैराग्राफ 1(vi) के अनुसार पट्टे की अवधि सामान्यतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और अपवादात्मक मामलों में एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की आस्तियों वाले पट्टा लेनदेनों के संबंध में यह अवधि सात वर्ष होनी चाहिए। इस मामले की समीक्षा की गयी है और यह निर्णय किया गया है कि पट्टा वित्त की अवधि के संबंध में बैंकों को स्वतंत्रता दी जाये।

Please refer to our Circular DBOD. No. FSC. BC. 18/24.01.001/93-94 dated 19 February 1994 setting out the guidelines to be followed by banks for undertaking equipment. leasing, hire purchase finance and factoring services departmentally also, in case they so desire. In terms of paragraph 1(vi) thereof, the period of lease should not normally exceed five years and in exceptional cases seven years in respect of lease transactions covering assets of Rs. 1 crore and above. The matter has been reviewed and it has been decided to give freedom to banks in regard to the period of lease finance.

2. बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से पट्टा कारोबार के लिए एक उपर्युक्त नीति तैयार करें। बैंक संभावित आस्ति-देयता असंतुलन से बचने के लिए

2. Banks should frame an appropriate policy on leasing business with the approval of their Boards. Banks should also evolve

उपर्युक्त सुरक्षा उपाय भी करें।

3. बैंकों द्वारा उपस्कर पट्टे पर देना, किराया खरीद, फैक्ट्रिंग आदि कार्यकलाप करने के लिए 19 फरवरी 1994 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 18/24.01.001/93-94 में दी गयी अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

भवदीय,

(अमलेंदु घोष)

मुख्य महा प्रबंधक

appropriate safeguards to avoid possible asset-liability mismatch.

3. All other terms and conditions for undertaking equipment leasing, hire purchase, factoring etc. activities by banks, as indicated in our Circular DBOD. No. FSC. BC. 18/24.01.001/93-94 dated 19 February 1994 remain unchanged.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)

Chief General Manager

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 130 /24.01.013/97-98

22 अक्टूबर 1997
30 आश्विन 1919 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / वित्तीय संस्थाएं

प्रिय महोदय,

मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों द्वारा निवेश

कृपया दिनांक 21 अक्टूबर 1997 के गवर्नर के परिपत्र सं.सीपीसी. बीसी. 165/07.01.279/97-98 के

DBOD. No.FSC. BC. 130/24.01.013/96-97

October 22, 1997
Ashwina 30, 1919 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks/
Financial Institutions

Dear Sir,

INVESTMENTS BY MONEY MARKET
MUTUAL FUNDS (MMMFs)

Please refer to item No. (iii) of paragraph 17(1) of Governor's Circular No. CPC. BC.

पैराग्राफ 17 (एल) की मद सं. (iii) देखें। दिनांक 11 दिसंबर 1995 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. एफएससी. बीसी. 147/24.01.013/95-96 में मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों के लिए दिये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों में अन्य बातों के साथ-साथ उन मुद्रा बाज़ार लिखतों के प्रकार भी दिये गये हैं जिनमें मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियां अपने जुटाये गये संसाधनों का निवेश कर सकती हैं। मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधि की योजना को ज्यादा लचीला बनाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों को दिनांक 11 दिसंबर 1995 के हमारे परिपत्र के पैरा 7 में दर्शाये गये मुद्रा बाज़ार लिखतों के अलावा कंपनियों के एक वर्ष तक की अवशिष्ट परिपक्वता वाले श्रेणी-निर्धारित बांडों तथा डिबेंचरों में निवेश करने की अनुमति दी जाए। तथापि, अलग-अलग कंपनियों द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्र में मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों के निवेश की मात्रा उसके संसाधनों के 3 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होने संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड बना रहेगा और अब इसमें वाणिज्यिक पत्र के अलावा कंपनियों के श्रेणी - निर्धारित बांड और डिबेंचर शामिल किये जाएंगे। दिनांक 11 दिसंबर 1995 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं. एफएससी. बीसी. 147/24.01.013/95-96 तथा दिनांक 31 जुलाई 1996 के परिपत्र बैंपविवि.सं. एफएससी. बीसी. 95/24.01.013/96 में दिये गये अन्य मार्गदर्शी सिद्धांत अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीया,

(श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन)

महा प्रबंधक

165/07.01.279/97-98 dated 21 October 1997. The guidelines for Money Market Mutual Funds (MMMFs) set out in our Circular DBOD. FSC. BC. 147/24.01.013/95-96 dated 11th December 1995. inter alia, provide for the types of money market instruments in which MMMFs can invest the resources mobilised by them. With a view to making the scheme of MMMF more flexible, it has been decided to permit MMMFs to invest in rated corporate bonds and debentures with a residual maturity of upto one year in addition to the money market instruments indicated in paragraph 7 of our Circular dated 11 December 1995. However, the prudential norm that the exposure of MMMFs to Commercial Paper (CP) issued by an individual company should not exceed 3 per cent of the resources of the MMMF will continue and it will now include rated corporate bonds and debentures besides CP. All other guidelines set out in our Circulars DBOD. No. FSC. BC. 147/24.01.013/95-96 dated 11th December 1995 and DBOD. No. FSC. BC. 95/24.01.013-96 dated 31st July 1996 remain unchanged.

Yours faithfully,

(Smt. Chitra Chandramouliswaran)

General Manager

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 152 /24.01.011/97-98

DBOD. No.FSC. BC. 152/24.01.011/97-98

9 दिसंबर 1997
18 अग्रहायण 1919 (शक)

December 9, 1997
Agrahayana 18, 1919 (Saka)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक,
सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

The Chairmen/Chief Executives of all
Commercial Banks (excluding Regional
Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

देश में बैंकों का क्रेडिट कार्ड कारोबार

**DOMESTIC CREDIT CARD BUSINESS
OF BANKS**

कृपया आप 30 जून 1989 का हमारा परिपत्र बैंपविवि सं.बीपी (एफएससी). बीसी. 144/सी. 469/89 देखें (प्रतिलिपि संलग्न) जिसमें बैंकों को सूचित किया गया है कि वे क्रेडिट कार्ड जारी करते समय चयनात्मक दृष्टिकोण अपनायें और कार्ड धारकों से बकाया राशियों की शीघ्र वसूली तथा अदा न की गयी बकाया राशियों के संबंध में कारगर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए उपर्युक्त तंत्र की व्यवस्था करें।

Please refer to our circular DBOD. No. BP(FSC). BC.144/C. 469/89 dated 30th June 1989 (copy enclosed) advising banks to be selective while issuing credit cards and to put in place proper machinery for speedy recovery of dues from the card holders and for effective follow-up of unpaid dues.

2. हाल ही में हमने बैंकों के क्रेडिट कार्ड कारोबार की समीक्षा की थी। यह पाया गया था कि कुछ मामलों में क्रेडिट कार्ड, आवेदकों की प्रतिष्ठा का पर्याप्त मूल्यांकन किये बिना, और आय, चुकौती क्षमता आदि जैसे मानदंडों पर विचार किये बिना जारी किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप, जारी किये गये क्रेडिट कार्डों पर अतिदेय राशियां वसूल करना संदिग्ध हो गया है। एक बैंक ने तो एक कार्डधारक जो उसका

2. A review of the credit card business of banks was conducted by us recently. It was observed that in some cases credit cards were issued without adequate appraisal of the standing of the applicants. and without taking into account the criteria such as income, repaying capacity, etc. As a result, the overdues on the credit cards issued have become doubtful of recovery. One of the

अपना कर्मचारी था, के वेतन से बकाया राशियों की वसूली सुनिश्चित करने की कार्रवाई किये बिना मुकदमा भी दायर कर दिया था। हमें कुछ ऐसे भी उदाहरण मिले हैं जहां बैंक के अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके कार्डधारकों ने क्रेडिट कार्डों का दुरुपयोग किया है।

3. अतः हम यह बात पुनः दोहराते हैं कि बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करते समय चयनात्मक दृष्टिकोण अपनायें और क्रेडिट कार्ड जारी करने से पहले आवेदक की आय, चुकौती क्षमता तथा अन्य संबंधित मानदंडों को हिसाब में लेकर उपर्युक्त मूल्यांकन करें।

4. बैंकों को 7 नवंबर 1990 के परिपत्र बैंपवि. सं. एफएससी. बीसी. 47/मी.469/90-91 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा सूचित किया गया था कि वे प्रत्येक लेखा वर्ष के सितंबर और मार्च की समाप्ति पर, छमाही आधार पर क्रेडिट कार्ड कारोबार के संबंध में एक व्यापक समीक्षा रिपोर्ट तैयार करें, जिसमें उक्त परिपत्र में बताये गये अनुसार इस कारोबार के महत्वपूर्ण मानदंडों का विवेचनात्मक विश्लेषण शामिल किया गया हो और उसे अपने निदेशक बोर्डों के समक्ष प्रस्तुत करें। हमने यह पाया है कि बैंकों के निदेशक बोर्डों के समक्ष प्रस्तुत की गयी समीक्षा रिपोर्टों में हमारे उपर्युक्त परिपत्र में सूचित किये गये मानदंडों के संबंध में अत्यावश्यक जानकारी फिर भी शामिल नहीं की जाती है। इस प्रकार की समीक्षाओं के संबंध में एकरूपता लाने और उचित ध्यान देने के दृष्टिकोण से यह निर्णय किया गया है कि उक्त छमाही समीक्षाओं में क्रेडिट कार्ड कारोबार संबंधी अत्यावश्यक आंकड़े शामिल

banks had even filed a suit without taking steps to ensure recovery of the dues from the salary of the cardholder, who was its own employee. We have also come across a few instances of misuse of credit cards by cardholders in collusion with bank officials.

3. We, therefore, reiterate that banks should be selective in issuing credit cards and proper appraisal should be made, taking into account the income repaying capacity of the applicant and other relevant criteria, before issuing credit cards.

4. Banks had been advised vide circular DBOD.No. FSC. BC. 47/C.469-90/91 dated 7th November 1990 (copy enclosed) to prepare and place before their Boards, a comprehensive Review Report on credit card business on half-yearly basis, as at the end of September and March of each Accounting Year, which should contain critical analysis of the important parameters of this business, as indicated therein. It has been observed by us that the Review Reports placed before the Boards of banks however do not contain essential information on the parameters indicated in our above circular. With a view to bringing about uniformity and proper focus in respect of such reviews, it has been decided that the half-yearly reviews should cover essential data on credit card business, such as category and number of cards issued and

किये जायें अर्थात् जारी किये गये और जारी करने के लिए शेष कार्डों की श्रेणी एवं संख्या, सक्रिय कार्डों की संख्या, प्रति कार्ड औसत लेनदेन, शामिल किये गये प्रतिष्ठानों की संख्या, कार्ड धारकों से देय राशियां वसूल करने के लिए लिया गया औसत समय, निष्क्रिय आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण और उनके लिए किये गये प्रावधान या बट्टे खाते डाली गयी राशियां, क्रेडिट कार्डों के संबंध में हुई धोखाधड़ियों के ब्यौरे, देय राशियां वसूल करने के लिए किये गये उपाय, कारोबार की लाभप्रदता का विश्लेषण, आदि। आप तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

भवदीय,

(ए.एल. नरसिंहन)

अपर मुख्य महा प्रबंधक

outstanding, number of active cards, average turnover per card, number of establishments covered, average time taken for recovery of dues from the card holders, debts classified as NPAs and provisions held thereagainst or amounts written off, details of frauds on credit cards, steps taken to recover the dues, profitability analysis of the business, etc. You may take necessary action accordingly.

Yours faithfully,

(A.L. Narasimhan)

Additional Chief General Manager

30 जून 1989
9 आषाढ़ 1911(शक)

June 30, 1989
Aasadha 9, 1919 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

All Scheduled Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sirs,

घरेलू क्रेडिट कार्ड कारोबार में बैंकों का प्रवेश

ENTRY OF BANKS INTO DOMESTIC CREDIT CARD BUSINESS

हाल ही में हमने बैंकों के घरेलू क्रेडिट कार्ड कारोबार की त्वरित समीक्षा की है। हमने यह पाया है कि यदि अधिकाधिक बैंक अपने स्वयं के क्रेडिट कार्ड शुरू करते हैं, तो उनको ऐसा करना लाभदायक अथवा आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद नहीं होगा। फिर भी, यदि कोई बैंक घरेलू क्रेडिट कार्ड कारोबार शुरू करना चाहता है तो उसके लिए बेहतर होगा कि वह उन बैंकों में से किसी एक के साथ उपर्युक्त ताल-मेल स्थापित कर ले, जिन्होंने क्रेडिट कार्ड पहले से ही आरंभ किया है। फिर भी, संबंधित प्रस्ताव पूरे ब्यौरे (अर्थात् संभावित बाजार की स्थिति, अनुमानित लाभ, सहयोग व्यवस्था आदि) सहित हमारे अनुमोदन के लिए हमें प्रेषित करें।

A quick review of the domestic credit card business of banks was carried out by us recently. We find that it may not be advantageous or economical if too many banks introduce credit cards of their own. If at all any bank desires to enter into domestic credit card business, it would be better for it to have a suitable tie-up arrangement with one of the banks which has already introduced credit cards. The relative proposals should, however, be forwarded to us for our approval, with complete details as to the assessment of the potential market, estimated benefits, collaboration arrangements, etc.

2. इस संबंध में हम इस बात पर बल देना चाहते हैं कि पहले से ही क्रेडिट कार्ड जारी कर रहे बैंकों सहित सभी बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए उचित ध्यान दें कि कारोबार ठोस आधार पर चलाया जाता है। अशोध्य ऋणों/धोखाधड़ियों की घटना को कम करने की दृष्टि से क्रेडिट कार्ड जारी करने में चयनात्मक

2. In this connection we would like to emphasize that due attention should be paid by all banks, including those which are already issuing credit cards, to ensure that this business is conducted on sound lines. Apart from being selective in the issue of credit

दृष्टिकोण अपनाने के अलावा उनके पास विभिन्न कार्ड धारकों से बकायों की शीघ्र वसूली और अदा न किये गये बकायों की कारगर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए उपर्युक्त तंत्र होना चाहिए। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाए कि लेन-देन के लेखाजोखा/समाधान के मामले में अत्यधिक संचय (बैकलॉग) न होने पाये।

भवदीय,

(डी.एन्. समर्थ)
संयुक्त मुख्य अधिकारी

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी. 47/सी.469-90/91

7 नवंबर 1990
16 कार्तिक 1912(शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

देश में क्रेडिट कार्ड कारोबार में बैंकों का प्रवेश

कृपया आप उपर्युक्त विषय पर 30 जून 1989 का हमारा परिपत्र डीबीओडी.सं. बीपी (एफएससी). बीसी. 144/सी. 469-89 देखें, जिसमें इस बात पर बल दिया

cards, with a view to minimising the incidence of bad debts/frauds, they should have a proper machinery for speedy recovery of dues from the various card holders and for effective follow-up of unpaid dues. Besides, it should be ensured that there is no undue backlog in accounting/reconciliation of transactions.

Yours faithfully,

(D.N. Samarth)
Joint Chief Officer

DBOD. No.FSC.BC. 47/C.469-90/91

November 7, 1990
Kartika 16, 1912 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks

Dear Sir,

ENTRY OF BANKS INTO DOMESTIC CREDIT CARD BUSINESS

Please refer to our circular DBOD.No. BP. (FSC) BC 144/C.469-89 dated 30 June 1989 on the captioned subject, wherein it was

गया है कि जो बैंक क्रेडिट कार्ड कारोबार कर रहे हैं उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह कारोबार ठीक तरह से किया जाता है, अशोध्य ऋण/जालसाजी कम-से-कम हो, इसके लिए उन्हें क्रेडिट कार्ड जारी करते समय चयनात्मक आधार अपनाना चाहिए और कार्ड धारकों से प्राप्य राशि की शीघ्र वसूली तथा अदा न होनेवाली देय राशियों के संबंध में कारगर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए उचित तंत्र रखना चाहिए। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि लेनदेनों का लेखा रखने/समाधान करने में अनावश्यक रूप से काम बकाया न पड़ा रहे।

2. तथापि, क्रेडिट कार्ड कारोबार करनेवाले अधिकांश बैंक इस कारोबार से सम स्थिति (लाभ-हानि के बिना) में हैं, इसे बताने के लिए कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। इस कारोबार में कुछ बैंकों द्वारा विशाखीकरण करना अपनी छवि को निखारने के लिए किया गया कार्य अधिक लगता है, लाभ कमानेवाला कम। हम यह मानते हैं कि जहां कुछ बैंक अपने क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करनेवालों पर दावा करने में अनावश्यक रूप से अधिक समय लेते हैं, वहीं कुछ बैंकों के मामलों में इस कारोबार से उत्पन्न अशोध्य ऋण बढ़ रहे हैं। हालांकि कुछ बैंक काफी लम्बे समय से क्रेडिट कार्ड कारोबार में हैं, किन्तु उन्होंने अभी तक अपने क्रेडिट कार्ड कारोबार का लागत-लाभ विश्लेषण नहीं किया है। कुछ बैंकों में, ऐसा प्रतीत होता है, क्रेडिट कार्ड कारोबार की आवधिक समीक्षा करने और अपने संबंधित बोर्ड को स्थिति से अवगत कराने की कोई प्रणाली नहीं है।

emphasized that the banks which are in credit card business should ensure that this business is conducted on sound lines. they should be selective while issuing credit cards with a view to minimising the incidence of bad debts/frauds, and should have a proper machinery for speedy recovery of dues from the card holders and for effective follow-up of unpaid dues. The banks were also advised that they should ensure that there is no undue backlog in accounting/ reconciliation of transactions.

2. However, an assessment has not been made as to whether most of the banks which are in the credit card business are breaking even from this business. Diversification into this business by some of the banks seems to be essentially an image boosting exercise rather than as a profit centre. We understand that while some of the banks are taking an unduly long period for raising claims on their credit cards users, in the case of some banks bad debts from the business are increasing. Though some of the banks are in the credit card business for quite some time, they have not undertaken cost benefit analysis of their credit card business so far. There appears to be no system prevailing in some of the banks for periodical review of credit card business and apprising their respective Boards of the position.

3. निगरानी की अच्छी प्रणाली रखने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया है कि क्रेडिट कार्ड कारोबार में लगे बैंकों को एक व्यापक समीक्षा रिपोर्ट प्रत्येक लेखा वर्ष में सितम्बर और मार्च के अंत में छमाही आधार पर तैयार करनी चाहिए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जारी किये गये और बकाया कार्डों की संख्या, सक्रिय कार्डों की संख्या, प्रति कार्ड कारोबार की औसत, कारोबार में सम्मिलित प्रतिष्ठानों की संख्या, विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठानों द्वारा दिये गये बट्टे की दरें, कार्ड धारकों से प्राप्य राशियों की वसूली में लगनेवाला औसत समय, उक्त अवधि के दौरान कुल कारोबार और क्रेडिट कार्ड कारोबार के लागत लाभ विश्लेषण के ब्यौरे दिये जायें। इसमें वसूली के लिए अशोध्य अथवा संदिग्ध ऋणों के वर्गीकरण के ब्यौरे तथा इनके लिए किया गया प्रावधान, यदि कोई हो, शामिल किया जाये और इस प्रकार की समीक्षा रिपोर्ट अपने संबंधित बोर्ड को प्रस्तुत की जाये। समीक्षा रिपोर्ट की प्रतिलिपि और उसके संबंध में बोर्ड द्वारा पारित संकल्प की प्रतिलिपि हमें भेजी जाये। इस प्रकार की पहली समीक्षा 30 सितम्बर 1990 की स्थिति की जाये। इसमें चालू वर्ष की पहली छमाही के आंकड़ों के अतिरिक्त पिछले तीन वर्षों के आंकड़े भी शामिल किये जायें और बैंक की क्रेडिट कार्ड योजना के परिचालन, संगठनात्मक ढांचे आदि के ब्यौरे स्पष्ट किये जायें। 30 सितम्बर 1990 की स्थिति की समीक्षा हमारे पास 31 दिसम्बर 1990 तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए।

4. जो बैंक क्रेडिट कार्ड कारोबार नहीं कर रहे हैं वे कृपया हमें एक बार ही “शून्य” रिपोर्ट भेजें।

भवदीय,

(बी.एस.एम. आचार्य)
संयुक्त मुख्य अधिकारी)

3. With a view to having a better monitoring system, it has been decided that the banks engaged in credit card business, should prepare a comprehensive review report, on half-yearly basis, as at the end of September and March of each accounting year, which may inter alia contain details of the number of cards issued and outstanding, number of active cards, average turnover per card, number of establishments covered, rates of discounts given by different types of establishments, average time taken for recovery of dues from the card holders, total turnover during the period, and a most benefit analysis of the credit card business including details of debts classified as bad or doubtful of recovery and provision held thereagainst, if any, and place such review reports before their respective Boards. A copy of the each review report and the resolution passed by the Board thereon, should be forwarded to us. The first such review may be prepared as at 30 September 1990, which should, apart from the data for the first half-year of the current year, also contain data for the last three years and explain in detail the operation of the credit card scheme of the bank, such as special features of the bank's credit card, organisational set up, etc. The review as at 30 September 1990 should reach us not later than 31 December 1990.

4. Such of the banks which are not in the credit card business may kindly send us a one time 'nil' report.

Yours faithfully,

(B.S.M. Acharya)
Joint Chief Officer

22 अप्रैल 1997
2 वैशाख 1919(शक)

April 22, 1997
Vaishakha 2, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्यपालक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

The Chief Executives of all Commercial
Banks (other than Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

ग्राहक सेवा - स्थानीय चेकों की वसूली

कृपया आप 17 मई 1995 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं. बीसी. 59/09.07.007/97 के पैराग्राफ 4 (क) में दिये गये अनुदेश देखें, जिनके अनुसार बैंकों को कहा गया है कि वे 5000 रुपये तक के स्थानीय और साथ ही बाहरी चेकों की जमा ग्राहक के खाते में तत्काल लिखें, जो इस बात पर निर्भर होगा कि ग्राहक का खाता संचालन संतोषजनक रहा हो। यहां हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि स्थानीय चेकों के संबंध में बैंक 5000 रुपये तक के चेकों की तत्काल जमा की सुविधा उन ग्राहकों को दे सकते हैं जो यह सुविधा लेना चाहते हों और 5 रुपये प्रति लिखत का प्रभार देने के लिए तैयार हों। बाहरी चेकों के संबंध में सामान्य वसूली प्रभार के बारे में हमारे अनुदेश (देखें 27 मई 1992 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं. बीसी. 135/09.07.007/91-92 का पैरा 2) अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीय,

(के. शिवरामन)

अपर मुख्य महा प्रबंधक

**CUSTOMER SERVICE - COLLECTION
OF LOCAL CHEQUES**

Please refer to our instructions contained in paragraph 4(a) of our Circular DBOD.No. BC. 59/09.07.007/95 dated 17th May 1995 in terms of which banks were advised to afford immediate credit upto Rs.5,000/- to a customer for local as well as outstation cheques subject to the customer maintaining a satisfactorily operated account. We would like to clarify that in respect of local cheques, the banks may extend the facility of affording immediate credit upto Rs. 5,000/- to customers who wish to avail of the facility and are prepared to bear charges of Rs.5/- per instrument. Our instructions regarding usual collection charges in respect of outstation cheques (vide paragraph 2 of our circular DBOD. No. BC. 135/09.07.007/91-92 dated 27th May 1992) remain unchanged.

Yours faithfully,

(K. Sivaraman)

Additional Chief General Manager

5 अगस्त 1997
14 श्रावण 1919(शक)

August 5, 1997
Shravana 14, 1919 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी

The Chairman and Managing Director/
Chief Executives Officer of all Scheduled
Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

बैंकों में ग्राहक-सेवा संबंधी समिति -
गोइपोरिया समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

**COMMITTEE ON CUSTOMER SER-
VICE IN BANKS - IMPLEMENTATION
OF RECOMMENDATIONS OF THE
GOIPORIA COMMITTEE**

कृपया आप 27 अक्टूबर 1993 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं. बीसी. 189/09.07.007/93 का पैराग्राफ 2 देखें, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहा गया है कि नियंत्रक कार्यालय ग्राहक-सेवा के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख करते हुए शाखाओं से प्राप्त रिपोर्टों का समेकन करें और अध्यक्ष/निदेशक मंडल के विचारार्थ जून और दिसम्बर के अंत में छमाही आधार पर प्रधान कार्यालय को भेजें। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे एक संक्षिप्त समीक्षा छमाही आधार पर रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय को भेजें।

Please refer to paragraph 2 of the Circular DBOD.No. BC. 189/09.07.007/93 dated 27th October 1993 wherein it was, inter alia, advised that Controlling offices of banks should consolidate reports received from branches indicating various aspects of customer service and forward the same to the Head Office on half-yearly basis as at the end of June and December for consideration of the Chairmen/Board. Banks were also advised to send a brief Review to the RBI Central Office on half-yearly basis.

2. इसके अतिरिक्त 23 दिसम्बर 1996 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 121/21.03.038/96 (अनुबंध I की मद - III-15) के अनुसार बैंकों से यह अपेक्षा की गयी है कि वे प्रत्येक मार्च और सितम्बर के अंत में छमाही आधार पर 'ग्राहक-सेवा और शिकायत निराकरण कक्ष' की समीक्षा भी निदेशक मंडल को प्रस्तुत करें।

2. Further, in terms of circular DBOD. No. BP.BC/121/21.03.038/96 dated 23rd September 1996 (Item III-15 - of Annexure I) banks are required to submit a review of "customer service and grievances redressal cell" to the Board on half-yearly basis as at the end of March and September.

बैंकों के निदेशक मंडलों को जून/दिसम्बर और मार्च/सितम्बर की स्थिति की वही सूचना/आंकड़े प्रस्तुत करने में दोहराव से बचने की दृष्टि से अब यह निर्णय किया गया है कि हमारे 27 अक्टूबर 1993 के परिपत्र बैंपवि. सं. बीसी. 189/09.07.007/93 के अनुसार निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जानेवाली जानकारी मार्च और सितम्बर में समाप्त छमाहियों से संबंधित हो और छमाही समीक्षा रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय को भेजी जाये, जिसकी एक प्रति संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भी भेजी जाये। बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे इस संबंध में उपर्युक्त कार्रवाई करें। अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित हैं।

भवदीय,

(डी.वी. शवेरी)

महा प्रबंधक

With a view to avoiding duplication in submission of same information/data to the Boards of Directors of the banks as on June/December and March/September, it is now decided that the information required to be placed before the Boards in terms of our circular DBOD. No. BC.189/09.07.007/93 dated 27th October 1993, may relate to the half-years ending March and September and half-yearly review be sent to RBI, Central Office with a copy to the concerned Regional Office accordingly. Banks are advised to take suitable action in this regard. All other instructions remain unchanged.

Yours faithfully,

(D.V. Jhaveri)

General Manager

12 दिसम्बर 1997
21 अग्रहायण 1919(शक)

December 12, 1997
Agrahayana 21, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्यपालक

The Chief Executives of
all Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

ग्राहक-सेवा - बाहरी लिखतों की वसूली

CUSTOMER SERVICE - COLLECTION OF OUTSTATION INSTRUMENTS

बाहरी लिखतों की वसूली पर किये गये सर्वेक्षण में कृपया दिनांक 18 सितम्बर 1996 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं. 120/09.07.009 (आइसीसी) 96-97 देखें। उसमें बताये गये अनुसार, मेसर्स डन एंड ब्रडस्ट्रीट मार्केटिंग रिसर्च प्राइवेट लि. द्वारा वाणिज्य बैंकों की चुनिंदा शाखाओं (सेवा शाखाओं सहित) में नयी दिल्ली और मुंबई में सर्वेक्षण किया गया।

Please refer to our Circular DBOD.No. 120/09.07.009(ICC) 96-97 dated 18th September 1996 regarding survey on collection of outstation instruments. As indicated therein, the survey was carried out by M/s. Dun and Bradstreet Marketing Research Pvt. Ltd. in New Delhi and Mumbai in selected branches (including service branches) of commercial banks.

2. सर्वेक्षण में यह पाया कि शाखाओं में बाहरी लिखतों की वसूली में अत्यधिक देरी होती है। सर्वेक्षण के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं :

2. The survey has revealed undue delay in collection of outstation instruments at the branches. The Findings are as under:

- i) सर्वेक्षण किये गये बैंकों की अधिकांश शाखाएं रु.5000/- तक के चेकों की राशि तत्काल जमा करने की सुविधा प्रदान नहीं कर रही हैं।
- ii) माइक्रो चेक समाशोधन प्रणाली वाले चार महानगरीय केन्द्रों में, बैंकों की अधिकांश शाखाओं ने रु. 10,000/- तक के बाहरी चेकों की राशि एक सप्ताह के भीतर जमा करने की सुविधा प्रदान नहीं की है।

- i) Most of the branches of the banks surveyed are not affording immediate credit for cheques upto Rs. 5000/-
- ii) In the four metropolitan centres having MICR Cheque Clearing System, majority of the banks' branches have not afforded credit for outstation cheques upto Rs.10,000/- within a week.

iii) राज्यों की राजधानियों तथा 100 से अधिक बैंक कार्यालयों वाले केन्द्रों में, कई मामलों में 10 दिनों के भीतर ग्राहक के खाते में राशि जमा नहीं की गयी।

iv) कुछ तरह के विलंब, अर्थात् शाखा स्तर पर होनेवाले विलंब, प्रणाली संबंधी हैं, जबकि अन्य प्रकार के विलंब मार्गस्थ विलंब हैं। पंजीकरण, प्रेषण, वसूली सूचना की प्राप्ति तथा ग्राहकों के खाते में जमा करना - इन चार चरणों वाले लिखतों की वसूली के संपूर्ण समय चक्र में अखिल भारतीय औसत के आधार पर 24 दिन लगते हैं।

3. सर्वेक्षण संबंधी उक्त निष्कर्षों के प्रकाश में, बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी शाखाओं में अनुसरण की जा रही पद्धतियों और प्रक्रियाओं पर कड़ी निगरानी रखें, ताकि बाहरी चेकों की वसूली में होनेवाली देरी की समस्या से निपटा जा सके। अतः हम यह बात दोहराते हैं कि बैंक ग्राहक सेवा के इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दें तथा 17 मई 1995 के हमारे परिपत्र बैंपवि. बीसी.सं. 59/09.07.007/95 में निहित सभी अनुदेशों का सावधानीपूर्वक पालन करें।

4. चेकों की वसूली में लगनेवाले समय को कम करने के लिए बैंक निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय भी शुरू कर सकते हैं :

क) माइकर केन्द्रों पर आहरित चेक हमेशा राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष के जरिये प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

ख) महत्वपूर्ण केन्द्रों में सेवा शाखाओं तथा विशिष्ट केन्द्र के भीतर सेवा शाखाओं और अन्य शाखाओं के

iii) In respect of State Capitals and Centres with more than 100 bank offices, credit to customer's account was not given within 10 days in a number of cases.

iv) Some of the delays are systematic i.e. delays which occur at the branch level where as others are transit delays. The entire time cycle of collection of instruments comprising four stages viz. Registration. Despatch. Receipt of Realisation Advice and Crediting the Customers' Accounts takes 24 days on all India average.

3. In the light of the above Survey Findings, it is necessary for the banks to again have a closer look at the systems and procedures followed at their branches so as to tackle the delays in collection of outstation cheques. We, therefore, reiterate that the banks should bestow special attention to this area of customer service and meticulously follow all the instructions contained in our circular DBOD. BC.No. 59/09.07.007/95 dated 17th May 1995.

4. Banks may also initiate the following additional measures to reduce the time taken for realisation of cheques;

a) Cheques drawn on MICR Centres should invariably be presented through National Clearing Cell,

b) Extensive use should be made of modern telecommunication technology for

बीच नेटवर्किंग के लिए आधुनिक दूरसंचार प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रयोग किया जाना चाहिए।

ग) बाहरी लिखतों की वसूली के लिए त्वरित/शीघ्र वसूली सेवा की संकल्पना को कारगर बनाया जाना चाहिए।

घ) स्थानीय चेकों और बाहरी चेकों के लिए अलग-अलग रजिस्टर रखे जाने चाहिए, ताकि शाखा प्रबंधक बेहतर पर्यवेक्षण कर सकें और बाहरी लिखतों की वसूली की गति तेज करने के लिए सुधारात्मक उपाय शुरू किये जाने चाहिए।

5. उक्त अनुदेशों के कार्यान्वयन पर कड़ी निगरानी रखने की दृष्टि से बैंक, शाखाओं के निरीक्षण के दौरान इन पहलुओं का सत्यापन करने के लिए, अपने आंतरिक निरीक्षण दलों को सूचित करने पर विचार कर सकते हैं क्योंकि यह ऐसा अकेला विषय है जिसका ग्राहक सेवा सुधारने पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। ग्राहकों को उक्त सुविधाओं से अवगत कराना भी आवश्यक है। अतः बैंक ग्राहकों की जानकारी के लिए शाखाओं में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में सूचना प्रदर्शित करने की व्यवस्थाएं करें।

6. अंतर-नगर लिखतों की राशि को समय पर जमा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए उक्त व्यवस्थाएं, जो कि ग्राहकों की संतुष्टि की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, प्राथमिकता के आधार पर की जाएं।

भवदीय

(ए.एल. नरसिंहन)
अपर मुख्य महा प्रबंधक

networking service branches in important centres and between service branches and other branches within a particular centre.

c) The concept of Quick/Fast collection service for collection of outstation instruments should be streamlined.

d) Separate registers should be maintained for local cheques and outstation cheques to enable the branch managers to exercise better supervision and remedial measures should be initiated to speed up the collection of outstation instruments.

5. With a view to closely monitoring the implementation of the above instructions, banks may consider advising their Internal Inspection Teams to verify these aspects during Inspection of the branches, as this is a singular feature having a direct bearing on rendering improved customer service. It is also necessary to make customers aware of the above facilities. The banks may therefore make arrangements to display information about the facilities available at the branches, for customers' knowledge.

6. The above arrangements may be put in place on priority basis for ensuring timely credit for inter-city instruments, which is of paramount importance from the point of view of providing customers' satisfaction.

Yours faithfully.

(A.L. Narasimhan)
Additional Chief General Manager

बैंपवि.सं.बीपी.बीसी. 80/21.01.023/97

DBOD. No. BP.BC. 80/21.01.023/97

2 जुलाई 1997
11 आषाढ़ 1919(शक)

July 2, 1997
Aashadha 11, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

बैंकों में धोखाधड़ी - लाभांश वारंट/ब्याज वारंट और
धन वापसी आदेश के लिए 'सममूल्य' सुविधा प्रदान
करना

**FRAUDS IN BANKS - GRANT OF 'AT
PAR' FACILITY FOR DIVIDEND
WARRANTS/INTEREST WARRANTS
AND REFUND ORDERS**

कृपया आप उपर्युक्त विषय पर हमारा 27 मई 1997
का परिपत्र पर्यवि.सं.बीसी. 8/23.08.03/96-97
देखें। 'सममूल्य' सुविधा पर लगायी गयी पाबंदी से
निवेशकों को होनेवाली कठिनाइयों के संबंध में बहुत-
सी संस्थाओं और बैंकों से हमें अभ्यावेदन प्राप्त हुए
हैं। बड़ी कंपनियों द्वारा जारी किये गये लाभांश वारंटों/
ब्याज वारंटों/धन वापसी आदेशों के भुनाने में आनेवाली
कुछ कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से ऊपर बताये
गये परिपत्र के पैराग्राफ 3(घ) से 3(च) तक के अनुसार
'सममूल्य' पर देय एक लिखत के लिए निर्धारित
10,000/- रुपये राशि की उच्चतम सीमा और नामित
शाखाओं की संख्या संबंधी सीमा में चुनिंदा ग्राहकों के
लिए प्रत्येक मामले के गुणदोष के आधार पर छूट दी
जा सकती है। उक्त सुविधा के अंतर्गत आनेवाले
लिखतों की उच्चतम सीमा बढ़ाने अथवा नामित शाखाओं
की संख्या बढ़ाने के निर्णय का अनुमोदन निदेशक

Please refer to Circular DOS.No.BC. 8/
23.08.03/96-97 dated 27 May 1997 on the
above mentioned subject, Representations
have been received from a number of
institutions and banks about the difficulties
likely to be faced by investors following the
restrictions placed on the 'at par' facility. In
order to remove some of the difficulties in
the encashment of dividend warrants/ interest
warrants/ refund orders issued by large
companies, the ceiling amount of Rs.10,000/
- prescribed for an instrument payable 'at par'
and the number of designated branches, vide
paragraphs 3(d) to 3(f) of the aforesaid
circulars could be relaxed on merits of each
case for select clients. The decision to exceed
the ceiling amount of the instruments to be
covered under the facility or to increase the
number of designated branches should have
the approval of the Board/Management

मंडल/ प्रबंधन समिति द्वारा किया जाना चाहिए। 27 मई 1997 के उक्त परिपत्र की अन्य शर्तें अपरिवर्तित हैं।

भवदीया,

(श्यामला गोपीनाथ)
अपर मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं. 109/21.01.023/97

30 सितंबर 1997
8 भाद्र 1919(शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

बैंकों में धोखाधड़ी - लाभांश /ब्याज वारंटों और धन वापसी आदेशों के लिए 'सममूल्य' सुविधा देना

कृपया आप 27 मई 1997 का हमारा परिपत्र डीओएस.सं.बीसी. 8/23.08.03/96-97 देखें, जिसमें बैंकों द्वारा अपने कंपनी ग्राहकों को दी जानेवाली उपर्युक्त सुविधा के संबंध में कुछ पाबंदियां लगायी

Committee. The other conditions of the circular dated May 27, 1997 would remain unchanged.

Yours faithfully,

(Smt. Shyamala Gopinath)
Additional Chief General Manager

DBOD. No. BP.BC. 109/21.01.023/97

September 30, 1997
Bhadra 8, 1919 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

FRAUDS IN BANKS - GRANT OF 'AT PAR' FACILITY FOR DIVIDEND/ INTEREST WARRANTS AND REFUND ORDERS

Please refer to Circular DOS.No.BC. 8/ 23.08.03/96-97 dated 27 May 1997 imposing certain restrictions and laying down certain requirements to be complied with in relation

गयी हैं और कतिपय अपेक्षाएं निर्धारित की गयी हैं, जिनका पालन किया जाना है। बाद में हमारे 02 जुलाई 1997 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 80/21.01.023/97 द्वारा इनमें से कुछ शर्तों में ढील दी गयी है। इस बारे में हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि 27 मई 1997 के परिपत्र के पैरा 3 में निर्धारित परिचालन संबंधी सुरक्षात्मक उपायों का उद्देश्य उक्त सुविधा का दुरुपयोग रोकना और लाभांश/ब्याज वारंटों के 'सममूल्य' पर भुनाने की योजना के अंतर्गत धोखाधड़ी न होने देना है।

2. निवेशकों के सामने आनेवाली कठिनाइयों के बारे में लगातार अभ्यावेदन मिलने पर संपूर्ण मामले की समीक्षा करके यह निर्णय लिया गया है कि 'सममूल्य' सुविधा की संपूर्ण योजना बैंकों के विवेकाधिकार पर छोड़ दी जाये, जो जोखिम की संभावना और कंपनियों की प्रतिष्ठा के बारे में अपनी समझ, निवेशकों के आधार, सुविधा के लिए पहले से निधि प्रदान करने की व्यवस्था, उनमें से राशि के आहरण पर निगरानी, आवधिक समाधान आदि के आधार पर अपने सुरक्षात्मक उपाय निर्धारित करें। 'सममूल्य' सुविधा के संबंध में नीति निर्धारित करते समय बैंकों को अपने हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा का अपना पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण रखना चाहिए।

भवदीय,

(सी. आर. मुरलीधरन)
महा प्रबंधक

to the above facility granted by banks to their corporate clients. Our subsequent circular DBOD. No. BP.BC.80/21.01.023/97 dated July 2, 1997 relaxed some of these conditions. In this connection we clarify that the operational safeguards prescribed in para 3 of the circular dated May 27, 1997 are intended to avoid misutilisation of the facility and perpetration of frauds under the scheme of 'at par' encashment of dividend/interest warrants.

2. On a review of the whole matter following persistent representations about difficulties being faced by investors, it has been decided to leave the entire scheme of 'at par' facility to the discretion of banks to prescribe the package of safeguards depending on their risk perception and judgement of the standing of the corporates, the investor base, arrangements for pre-funding of the facility, the monitoring of drawals thereagainst, periodic reconciliation etc. The banks should put in place an adequate internal control mechanism to safeguard their interests while determining the policy regarding 'at par' facility.

Yours faithfully,

(C.R. Muralidharan)
General Manager

बैंपविवि.सं.पीएसबीएस.बीसी. 1/16.13.100/96-97

1 जनवरी 1997
11 पौष 1918(शक)

अध्यक्ष,
निजी क्षेत्र के सभी भारतीय वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

समीक्षा कैलेण्डर - निदेशक मंडल एवं प्रबंध समिति के
समक्ष रखे जाने वाले मामले

कृपया 13 अप्रैल 1994 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं. बीसी. 43/16.05.015/94 देखें। इस संबंध में हम सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों को संबोधित 23 सितंबर 1996 के अपने परिपत्र बैंपविवि.सं. बीपी.बीसी. 121/21.03.038/96 की एक प्रतिलिपि संलग्न कर रहे हैं, जिसमें बैंकों के निदेशक मंडल एवं प्रबंध समिति के समक्ष प्रस्तुत की जानेवाली समीक्षाओं की संशोधित सूची दर्शायी गयी है। हम सूचित करते हैं कि जहाँ तक लागू हो वहाँ तक निजी क्षेत्र के बैंक भी उपर्युक्त समीक्षा कैलेण्डर का अनुपालन करें। अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत (संलग्न परिपत्र के अनुबंध I की मद 10) उधारखातों की समीक्षा के मामले में, आपका बैंक उपर्युक्त सीमा निर्धारित करे (जैसे कि 25.00 लाख रुपये और उससे अधिक)। यदि आपके बैंक में प्रबंध समिति न हो तो अनुबंध II में दर्शाये गये मामलों की समीक्षाएँ बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाएँ।

DBOD. No. PSBS.BC. 1/16.13.100/96-97

January 1, 1997
Pausha 11, 1918 (Saka)

The Chairman,
All Indian Commercial Banks in the
Private Sector

Dear Sir,

**CALENDAR OF REVIEWS - MATTERS
TO BE PLACED BEFORE BOARD OF
DIRECTORS AND MANAGEMENT
COMMITTEE**

Please refer to our Circular DBOD.No.BC. 43/16.05.015/94 dated 13 April 1994. In this connection, we enclose a copy of circular DBOD.No. BP.BC.121/21.03.038/96 dated 23 September 1996 addressed by us to the Chairmen of public sector banks indicating a revised list of reviews to be placed before the Board of Directors and the Management Committee of banks. We advise that banks in the private sector may also adhere to the aforesaid calendar of reviews to the extent applicable. In the case of review of borrowal accounts classified as Non Performing Assets (item 10 of Annexure I to the circular enclosed), your bank may fix suitable limit (e.g. Rs. 25.00 lakhs and above). In case there is no Management Committee in your bank, the reviews on matters listed in Annexure II may be placed before the Board of Directors of the bank.

2. समीक्षाओं के कैलेंडर के अनुसार निदेशक मंडल/प्रबंध समिति के समक्ष रखी गयी समीक्षाओं की एक-एक प्रति बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जानी चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार में आपके बैंक का प्रधान कार्यालय आता है।

भवदीय,

(के. शिवरामन)

अपर मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं.बीपी. बीसी. 121/21.03.038/96

23 सितम्बर 1996
1 आश्विन 1918(शक)

मुख्य कार्यपालक,
सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक

प्रिय महोदय,

समीक्षा कैलेंडर - निदेशक मंडल और प्रबंध समिति को प्रस्तुत किये जानेवाले मामले

कृपया आप उपर्युक्त विषय पर 01 नवम्बर 1993 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 190/21.03.038/93 देखें। बैंकों से प्राप्त अभिवेदनों/सुझावों के प्रकाश में और निदेशक मंडल की प्रबंध समिति के

2. A copy each of the reviews placed before the Board/Management Committee as per calendar as reviews should be sent to the Regional Office of DBOD under whose jurisdiction your bank's Head Office falls.

Yours faithfully,

(K. Sivaraman)

Additional Chief General Manager

DBOD. No. BP. BC. 121/21.03.038/96

September 23, 1996
Ashwin 1, 1918 (Saka)

The Chief Executives of All Public Sector Banks

Dear Sir,

CALENDAR OF REVIEWS - MATTERS TO BE PLACED BEFORE THE BOARD OF DIRECTORS AND THE MANAGEMENT COMMITTEE

Please refer to our Circular DBOD.No.BP.BC. 190/21.03.038/93 dated 1 November 1993 on the above subject. In the light of the representations/suggestions received from banks and also in view of the

गठन एवं कार्यों में संशोधन तथा इस समिति को अधिकारों के प्रत्यायोजन की दृष्टि से हमारे ऊपर उल्लिखित परिपत्र के अनुदेशों की जांच हमने भारत सरकार से परामर्श करके की है और यह निर्णय किया गया है कि इस संबंध में कतिपय संशोधन किये जायें। तदनुसार, निदेशक मंडल और प्रबंध समिति को प्रस्तुत की जानेवाली समीक्षाओं का कैलेंडर संशोधित किया गया है और निदेशक मंडल एवं प्रबंध समिति को प्रस्तुत की जानेवाली समीक्षाएं क्रमशः अनुबंध I और II में दी गयी हैं।

2. संशोधित अनुसूची तत्काल प्रभाव से लागू की जाये और विवरणों का कैलेंडर निदेशक मंडल को जानकारी के लिए प्रस्तुत किया जाये। यदि किसी विशेष कारण से कैलेंडर के अनुसार कोई ज्ञापन निदेशक मंडल को उस महीने में प्रस्तुत करना संभव नहीं हो जिस महीने में प्रस्तुत किया जाना है, तो विलम्ब के कारण बताते हुए एक नोट निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया जाये और यह भी बताया जाये कि निदेशक मंडल को समीक्षा कब प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

3. इन समीक्षाओं की एक-एक प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जानी चाहिए जिसके कार्यक्षेत्र में आपके बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है।

भवदीय,

(अमलेंदु घोष)

मुख्य महा प्रबंधक

revision of composition and functions of the Management Committee of the Board and delegation of powers to this committee, the instructions contained in our above circular were re-examined by us in consultation with Government of India and it has been decided that certain modifications be brought about in this regard. Accordingly, the calendar of reviews to be submitted to the Board and the Management Committee has been revised and the reviews which are to be placed before the Board of Directors and the Management Committee are given in Annexure I and II respectively.

2. The revised schedule may please be brought into force with immediate effect and calendar of returns put up to the Board for their information. If for any particular reason it is not possible to place the memorandum as per the calendar before the Board in the month it is due, a note should be put up to the Board giving reasons for the delay and when the review is proposed to be placed before the Board.

3. A copy each of these reviews should be sent to the Regional Office of DBOD under whose jurisdiction your bank's Head Office falls.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)

Chief General Manager

अनुबंध - I

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडलों को प्रस्तुत की जानेवाली समीक्षाएं

I. मासिक

1. निधि प्रबंधन - (जमाराशियों/अग्रिमों/ऋण-जमा अनुपात/प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात/सांविधिक चलनिधि अनुपात) की स्थिति
2. प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री

II. तिमाही

		प्रस्तुत करने का महीना			
		अप्रैल	जुलाई	अक्टूबर	जनवरी
1. जमाराशि जुटाने की अंचलवार समीक्षा (लक्ष्यों की तुलना में)	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(10-12)	
2. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिमों की समीक्षा		-वही-		-वही-	
3. निर्यात वित्त और विदेशी मुद्रा कारोबार की समीक्षा		-वही-		-वही-	
4. लघु उद्योग क्षेत्र को वित्तपोषण की समीक्षा		-वही-		-वही-	
5. अंतर शाखा समाधान		-वही-		-वही-	
6. लेखा परीक्षा/निरीक्षण विभाग का कार्यनिष्पादन		-वही-		-वही-	
7. शाखा विस्तार/लंबित लाइसेंसें की समीक्षा		-वही-		-वही-	
8. खराब स्थिति वाली शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टें - कमियों के निराकरण में हुई प्रगति		-वही-		-वही-	
9. सतर्कता विभाग के कार्य की समीक्षा- सतर्कता की गुणवत्ता के संदर्भ में, जिसमें निवारक सतर्कता, स्टाफ की जवाबदेही के संबंध में की गयी कार्रवाई शामिल हैं	मई (1-3)	अगस्त (4-6)	नवम्बर (7-9)	फरवरी (10-12)	

10. एक करोड़ रुपये और उससे अधिक के अवमानक, संदिग्ध और हानिवाली श्रेणियों के वर्गीकरण के साथ ऋण खातों की समीक्षा	जून (1-3)	सितम्बर (4-6)	दिसम्बर (7-9)	मार्च (10-12)
11. कंपनी कार्यनिष्पादन और ऋण योजनाओं की समीक्षा	जून (1-3)	सितम्बर (4-6)	दिसम्बर (7-9)	मार्च (10-12)
12. निदेशक मंडल की टिप्पणियों का अनुपालन		-वही		-वही-
13. कृषि को ऋण देने में हुई प्रगति की समीक्षा		-वही		-वही-
14. आंतरिक व्यवस्था (अर्थात् बहियों का तुलन, समाशोधन अंतर, नोस्ट्रो/वोस्ट्रो खातों) की स्थिति		-वही		-वही-

III. छमाही

1. विदेश कार्यों की समीक्षा	अक्तूबर (4-9)	अप्रैल (10-3)
(i) विदेश स्थित शाखाओं के समस्याग्रस्त ऋण		
(ii) ऋणग्रस्त देशों को ऋण-जोखिम		
(iii) विदेश स्थित शाखाओं की आस्तियों और देयताओं संबंधी रिपोर्टों का विश्लेषण		
(iv) सर्वोच्च (25) बड़े समस्याग्रस्त खातों की स्थिति की रिपोर्ट		
2. निवेश संविभाग	-वही	-वही-
3. प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य	-वही	-वही-
4. अनुषंगी कंपनियों का कार्य	-वही	-वही-
5. हामीदारी और निधि पर आधारित न रहनेवाला कारोबार	-वही	-वही-
6. धोखाधड़ी, डकैती आदि से संबंधित रिपोर्ट	-वही	-वही-

7. छमाही कार्य के परिणाम	नवम्बर (4-9)	मई (10-3)
8. बजट की तुलना में प्रचार व्यय की समीक्षा	-वही-	-वही-
9. हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा	जून (10-3)	दिसम्बर (4-9)
10. मानव संसाधन प्रबंधन, प्रशिक्षण और औद्योगिक संबंधों की समीक्षा	जून (10-3)	दिसम्बर (4-9)
11. निष्पादन देयताओं और प्रतिबद्धताओं (एमओयू) की समीक्षा	-वही-	-वही-
12. ऋण सहायता के विशेष कार्यक्रमों, जैसे - आइआरडीपी डीआरआइ एसयूएमई/ एसईईयूवाइ पीएमआरवाइ आदि की समीक्षा	जुलाई (10-3)	जनवरी (4-9)
13. पूंजीगत बजट की तुलना में पूंजीगत व्यय की समीक्षा	-वही-	-वही-
14. जमा/अग्रिमों के वितरण - ऋण-जमा अनुपात की समीक्षा	अगस्त (10-3)	फरवरी (4-9)
15. ग्राहक सेवा और शिकायत निराकरण कक्ष की समीक्षा	मई (10-3)	नवम्बर (4-9)
16. सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा	-वही-	-वही-
17. ऋण सीमाओं के अनुपालन की समीक्षा	अप्रैल (7-12)	अक्तूबर (1-6)
18. बैंक को देय राशियों की वसूली समीक्षा	अप्रैल (10-3)	अक्तूबर (4-9)
19. अग्रणी जिलों के अंतर्गत कार्यों की समीक्षा	सितम्बर (10-3)	मार्च (4-9)

20. आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान करने तथा अन्य संबंधित मामलों पर व्यापक नोट - पूंजी पर्याप्तता मानदंड प्राप्त करना और उन्हें बनाये रखना	नवम्बर (4-9)	
21. रुग्ण इकाइयों को वित्तपोषण की समीक्षा	अप्रैल (10-3)	अक्टूबर (4-9)
(i) एकमुश्त उपाय, जो स्वीकृत हैं किन्तु कार्यान्वित नहीं		
(ii) राहत उपाय, जो बैंक के कार्यपालकों द्वारा अनुमोदित हैं		

IV. वार्षिक

प्रस्तुत करने का महीना

1. कंपनी योजना, जिसके साथ ऋण योजना एक घटक के रूप में हो	दिसम्बर (अगले वर्ष अप्रैल-मार्च)
2. बैंक का तुलनपत्र - (विभिन्न लाभप्रदता और मानदंडों की कार्य-परिणाम अन्य बैंकों से तुलना)	सितंबर (अप्रैल-मार्च)
3. घाटा उठानेवाली शाखाओं का अंचलवार विश्लेषण	नवम्बर (अप्रैल-मार्च)
4. रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को वित्तपोषण - क्षेत्रवार	जून (अप्रैल-मार्च)
5. विस्तृत लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा	अगस्त (अप्रैल-मार्च)
6. आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान करने तथा अन्य संबंधित मामलों पर व्यापक नोट - पूंजी पर्याप्तता मानदंड प्राप्त करना और उन्हें बनाये रखना	मई (अप्रैल-मार्च)
7. वर्ष के दौरान दी गयी दान राशियों की समीक्षा	अगस्त (अप्रैल-मार्च)
8. डीआइसीजीसी/ईसीजीसी को प्रस्तुत किये गये दावे	जून (अप्रैल-मार्च)

9. कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम की प्रगति
की समीक्षा

अप्रैल
(अप्रैल-मार्च)

10. अनुसूचित जाति/अनुसूधित
जनजाति एवं पिछड़ी जातियों
को रोजगार की स्थिति

अप्रैल
(अप्रैल-मार्च)

ANNEXURE I

Review to be put up to the Boards of Public Sector Banks

I. Monthly

1. Funds Management - (Position of Deposits/Advances/
C.D. Ratio/Cash Reserve Ratio/Statutory Liquidity Ratio)
2. Sales & Purchases of Securities

II. Quarterly

To be placed in the month of

	April	July	Oct.	Jan.
1. Review of deposit Mobilisation zone-wise (vis-a-vis targets)	April (1-3)	July (4-6)	Oct. (7-9)	Jan. (10-12)
2. Review of Priority Sector Advances		-do-		-do-
3. Review of Export Finance and foreign exchange business		-do-		-do-
4. Review of Financing of SSI Sector		-do-		-do-
5. Inter branch reconciliation		-do-		-do-
6. Performance of Audit/ Inspection Dept.		-do-		-do-
7. Review of Branch Expansion/ pending licences		-do-		-do-
8. Inspection Reports of poorly rated branches - Progress in rectification of deficiencies		-do-		-do-

9.	Review of working of the vigilance department with reference to quality of vigilance including preventive vigilance, action taken on staff accountability	May (1-3)	August (4-6)	Nov. (7-9)	Feb. (10-12)
10.	Review of borrowal accounts with classification of Sub-standard, Doubtful and loss categories of Rs. 1 crore and above.	June (1-3)	Sept. (4-6)	Dec. (7-9)	March (10-12)
11.	Review of Corporate performance and credit Plans.	June (1-3)	Sept. (4-6)	Dec. (7-9)	March (10-12)
12.	Compliance on the observations of the Board		-do-		-do-
13.	Reviews of the Progress made in lending to Agriculture		-do-		-do-
14.	Position to House-Keeping (i.e. balancing of books, clearing differences, Nostro/Vostro accounts)		-do-		-do-

III. Half yearly

1.	Review of Overseas Operations	October (4-9)	April (10-3)
i)	Problem credits at overseas branches		
ii)	Exposure to debt ridden countries		
iii)	Analysis of Report on Assets and Liabilities at Overseas Offices (RALOO) Statements		
iv)	Status reports of top (25) large problem accounts		

2. Investment Portfolio	-do-	-do-
3. Working of the RRBs sponsored	-do-	-do-
4. Working of subsidiaries	-do-	-do-
5. Underwriting and non-fund based business	-do-	-do-
6. Report on frauds, decoity, etc.	-do-	-do-
7. Half yearly working results	November (4-9)	May (10-3)
8. Review of publicity expenses vis-a-vis budget	-do-	-do-
9. Review of use of Hindi	June (10-3)	December (4-9)
10. Review of Human Resources Management Training and Industrial Relations	-do-	-do-
11. Review of performance Obligations and commitments (MOU)	-do-	-do-
12. Review of special programmes of credit assistance like IRDP DRI SUME/ SEEUY PMRY etc.	July (10-3)	January (4-9)
13. Review of capital expenditure vis-a-vis capital budget	-do-	-do-
14. Review of distribution of Deposit/Advances - Credit - Deposit Ratio	August (10-3)	February (4-9)
15. Review of Customer Service and Grievances Redressal Cell	May (10-3)	November (4-9)
16. Review of Security arrangement	-do-	-do-

17. Review of Compliance on exposure limits	April (7-12)	October (1-6)
18. Recovery of bank dues	April (10-3)	October (4-9)
19. Review of performance under Lead Districts	September (10-3)	March (4-9)
20. Comprehensive note on income recognition, asset classification, provisioning and other related matters - Attainment and Maintenance of capital adequacy norms	November (4-9)	
21. Review of Financing sick units	April (10-3)	October (4-9)
i) Packages sanctioned but not implemented		
ii) Relief Packages approved by executives of the bank		

IV. Annual

To be placed in the month of

1. Corporate Plan with credit plan as a component	December (April-March next year)
2. Bank's Balance sheet (Comparison of Profitability and working results various parameters with other banks)	September (April-March)
3. Zone-wise Analysis of loss making branches	November (April-March)
4. Review of financing sick industrial units - sectorwise	June (April-March)
5. Review of Long Form Audit Report	August (April-March)

6. Comprehensive note on income recognition, asset classification provisioning and other related matters - Attainment and Maintenance of capital adequacy norms	May (April-March)
7. Review of Donations made during the year	August (April-March)
8. Claims lodged with DICGC/ECGC	June (April-March)
9. Review of Progress in Computerisation Programme	April (April-March)
10. Position of employment of SC/ST/OBC	April (April-March)

अनुबंध - II

प्रबंध समिति को प्रस्तुत की जानेवाली समीक्षाएं

I. मासिक

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा स्वीकृत ऋण प्रस्ताव

II. तिमाही

	प्रस्तुत करने का महीना			
1. बट्टे खाते डाले गये अशोध्य ऋण- महाप्रबंधक/कार्यपालक निदेशक/ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अप्रैल (1-3)	जुलाई (4-6)	अक्टूबर (7-9)	जनवरी (10-12)
2. प्रबंध समिति द्वारा की गयी टिप्पणियों का अनुपालन	जून (1-3)	सितंबर (4-6)	दिसं. (7-9)	मार्च (10-12)
3. सर्वोच्च 100 ऋण खातों की समीक्षा, निष्क्रिय आस्तियों की प्रत्येक श्रेणी में अर्थात् अवमानक/संदिग्ध/हानि वाली श्रेणियां (प्रत्येक तिमाही में 75)			-वही-	

III. छमाही

	प्रस्तुत करने का महीना	
1. क्रेडिट कार्ड कारोबार की समीक्षा	मई (10-3)	नवम्बर (4-9)
2. ऋण अनुशासन का अनुपालन - छमाही प्रगति रिपोर्ट	मई (10-3)	नवम्बर (4-9)

IV. वार्षिक

	प्रस्तुत करने का महीना
1. प्रचार बजट	फरवरी (अगले वर्ष अप्रैल-मार्च)
2. प्रबंध समिति के अधिकार के अंतर्गत आनेवाले अतिदेय ऋण प्रस्ताव	जून (अप्रैल-मार्च)

ANNEXURE II

Review to be put up before the Management Committee

I. Monthly

1. Credit proposals sanctioned by Chairman & Managing Director/Executive Director

II. Quarterly

To be placed in the month of

1. Bad debts written off- General Manager/Executive Director/Chairman & Managing Director	April (1-3)	July (4-6)	Oct. (7-9)	Jan. (10-12)
2. Compliance on observations by the Management Committee	June (1-3)	Sept. (4-6)	Dec. (7-9)	March (10-12)
3. Review of Top 100 Borrowal Accounts in each category of NPA i.e. Sub-Standard/ Doubtful/Loss (75 in each quarter)			-do-	

III. Half yearly

To be placed in the month of

1. Review of Credit Card business	May (10-3)	November (4-9)
2. Compliance with Lending Discipline - Half Yearly Progress Report	May (10-3)	November (4-9)

IV. Annual

To be placed in the month of

1. Publicity budget	February (April-March next year)
2. Overdue loan proposals falling in the powers of Management Committee	June (April-March)

बैंपवि.सं. बीसी. 6/09.08.001/96-97

DBOD. No. BC. 6/09.08.001/96-97

11 जनवरी 1997
21 पौष 1918(शक)

January 11, 1997
Pausha 21, 1918 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्यपालक

The Chief Executives of all
Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

“मद्रास” का नाम बदल कर “चेन्नई”

**CHANGE OF NAME OF ‘MADRAS’ TO
‘CHENNAI’**

तमिलनाडु सरकार ने दिनांक 30 सितम्बर 1996 की अपनी अधिसूचना सं. 11(2)/आरईवी/2054 (जी)-96 द्वारा मद्रास शहर का नाम बदल कर “चेन्नई” कर दिया है। अतः, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने सभी पत्राचार में “मद्रास” की जगह “चेन्नई” शब्द का प्रयोग करें।

The Government of Tamil Nadu (Revenue Department) have, by their notification No. 11 (2)/REV/2054(G)-96 dated 30th September 1996, changed the name of the city of Madras to “Chennai”. Banks are, therefore, advised to use “Chennai” for “Madras” in all their correspondence.

भवदीय,

Yours faithfully,

(के. शिवरामन)

(K. Sivaraman)

अपर मुख्य महा प्रबंधक

Additional Chief General Manager

29 जनवरी 1997
9 माघ 1918(शक)

January 29, 1997
Magha 9, 1918 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंकों के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

Chairmen/Chief Executives of all
Commercial Banks (excluding Regional
Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

विवेकपूर्ण मानदण्ड -
पूंजी पर्याप्तता, आय निर्धारण,
आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान करना

**PRUDENTIAL NORMS- CAPITAL
ADEQUACY, INCOME RECOGNITION,
ASSET CLASSIFICATION AND
PROVISIONING**

बैंक लेखा-परीक्षा समिति की एक बैठक 18 दिसम्बर 1996 को हुई थी। इस समिति में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष एवं अन्य प्रतिनिधि तथा कुछ प्रमुख बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शामिल हैं। बैठक की अध्यक्षता उप गवर्नर (श्री तलवार) ने की। बैठक में पूंजी पर्याप्तता, आय निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण तथा प्रावधान करने आदि से संबंधित विवेकपूर्ण मानदण्डों के वर्तमान दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गयी थी। बैठक में हुए विचार-विमर्श के आधार पर हम निम्नानुसार सूचित करते हैं :

A meeting of the Bank Audit Committee comprising President and other representatives of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and Chairmen and Managing Directors of some major banks was held on 18 December 1996. It was presided over by Deputy Governor (Shri Talwar). The meeting reviewed the existing guidelines on prudential norms relating to capital adequacy, income recognition, classification of assets, and provisioning etc. In the light of the discussions held, we advise as under :

1. पूंजी पर्याप्तता

1. CAPITAL ADEQUACY

हमारे 22 अप्रैल 1992 के परिपत्र बैंपविवि.सं. बीपी.बीसी. 117/21.01.002/92 के साथ संलग्न टिप्पणी के पैरा 6.I (ए) की टिप्पणी 1 में बैंकों को सूचित किया गया था कि आस्तियों और तुलनपत्र से

Banks were advised in Note 1 of paragraph 6.I(A) of the note enclosed to our circular DBOD No. BP.BC. 117/21.01.002/92 dated 22 April 1992 that while working out risk

इतर मदों के जोखिम समायोजित मूल्यों का निर्धारण करते समय केवल नकदी अथवा जमाराशियों द्वारा संपाश्वीकृत अग्रिमों के लिए तथा उन आस्तियों के संबंध में शुद्ध स्थिति निकाली (नेटिंग की) जाये, जिनमें मूल्यहास के लिए अथवा अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किये गये हों। यह निर्णय किया गया है कि जोखिम भार के निर्धारण के प्रयोजन से किसी उधारकर्ता के निधिक एवं निधि से इतर कुल जोखिम की गणना करते समय, उन चालू अथवा अन्य खातों की शेष राशियों को, जो किन्हीं विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्धारित न की गयी हों और ग्रहणाधिकार से मुक्त हों, उधारकर्ता के कुल बकाया जोखिम के तहत “नेट ऑफ” करें।

2. अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का वर्गीकरण

(क) हमारे 27 अप्रैल 1992 के परिपत्र बैंपविवि.सं. बीपी.बीसी. 129/21.04.043/92 के पैरा 2 के अनुसार, किसी नकदी ऋण अथवा ओवरड्राफ्ट खाते को उस स्थिति में अनर्जक आस्ति माना जाना चाहिए, जब 31 मार्च 1995 को समाप्त वर्ष की दो तिमाहियों के लिए तथा उसके आगे की अवधि में खाते की हालत “खराब” रही हो। किसी खाते को उस स्थिति में “खराब” माना जाना चाहिए जब बकाया शेष स्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से निरंतर अधिक बना रहे अथवा यदि तुलनपत्र की तारीख में निरंतर छह माह तक कोई राशि जमा न हो अथवा उसी अवधि के दौरान नामे लिखे गये ब्याज को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त जमाराशि न हो। जैसा कि बैंक जानते हैं, किसी आस्ति का अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण किया जाना वसूली पर आधारित होना चाहिए। बैंक किसी

adjusted values of assets and off-balance sheet items, netting may be done only for advances collateralised by cash margins or deposits and in respect of assets where provisions for depreciation or for bad and doubtful debts have been made. It has been decided that while calculating the aggregate of funded and non-funded exposure of a borrower for the purpose of assignment of risk weight, banks may “net off” against the total outstanding exposure of the borrower, credit balances in current or other accounts which are not earmarked for specific purposes and free from any lien.

2. CLASSIFICATION OF

NON-PERFORMING ASSETS (NPA)

a) In terms of paragraph 2 of our circular DBOD. No. BP.BC. 129/21.04.043/92 dated 27 April 1992, a cash credit or overdraft account should be treated as NPA if the account remains “out of order” for two quarters during the year ending 31 March 1995 and onwards. An account should be treated as “out of order” if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power or there are no credits continuously for six months as on the date of balance sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period. As banks are aware, classification of an assets as NPA should be based on the record of recovery. Banks may not classify an advance account as NPA

अग्रिम खाते को केवल अस्थायी स्वरूप की कुछ खामियों, जैसे कि उपर्युक्त आहरण अधिकार न होने, सीमा से अधिक वकाया शेष, स्टॉक विवरण प्रस्तुत न किये जाने और नियत तारीख को सीमाओं के नवीकरण न किये जाने के कारण अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते। परंतु जब हानि की आशंका हो अथवा अग्रिम की वसूली संदिग्ध हो, तो आस्ति को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए।

(ख) जहां औपचारिक सहायता संघ न हो वहां बहुविध बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत उधारकर्ताओं के वित्तपोषण के संबंध में, बैंक वसूली के अपने निजी रिकॉर्ड के आधार पर तथा अग्रिमों की वसूली को प्रमाणित करनेवाले अन्य पहलुओं के आधार पर उधार खातों का वर्गीकरण कर रहे हैं। 4 जून 1996 के हमारे परिपत्र बैंपवि.सं. बीपी.बीसी. 65/21.04.048/96 के अनुसार, सहायता संघीय अग्रिमों के बारे में, यदि कोई बैंक किसी अग्रिम को अनर्जक आस्ति मानता है, तो सहायता संघ के नेता सहित सभी बैंकों को उनके द्वारा स्वीकृत अग्रिमों को अनर्जक आस्ति मानना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए किसी भी सहयोगी बैंक को, जो किसी अग्रिम को अनर्जक आस्ति मानता है, सहायता संघ के नेता को तुरंत सूचित करना चाहिए। नेता को चाहिए कि वह खाते के वर्गीकरण के बारे में अन्य सदस्यों को सूचित करे। यह देखा गया है कि यह व्यवस्था संतोषजनक रूप से काम नहीं कर रही है, जिसके कारण बैंकों के तुलन-पत्रों को अंतिम रूप देने में विलंब होता है। अतः यह निर्णय किया गया है कि सहायता संघीय अग्रिमों के बारे में, प्रत्येक बैंक को चाहिए कि वह वसूली के अपने रिकॉर्ड के आधार पर

merely due to existence of some deficiencies, which are of temporary nature such as non-availability of adequate drawing power, balance outstanding exceeding the limit, non-submission of stock statements and the non-renewal of the limits on the due date, etc. When there is a threat of loss or the recoverability of the advances is in doubt, the asset should however, be classified as NPA.

b) In respect of financing of borrowers under multiple banking arrangement where there is no formal consortium, banks are classifying the borrowal accounts on the basis of their own record of recovery and other aspects having a bearing on the recoverability of the advances. In terms of our Circular DBOD. No. BP. BC. 65/21.04.048/96 dated 4 June 1996, in respect of consortium advances, if any bank considers an advance as NPA, all the other member banks including the leader of the consortium should treat the advances granted by them as NPA and for this purpose any of the participating banks which considers an advance as NPA, is required to immediately inform the leader of the consortium which in turn should advise the other members about the classification of the account. It has been observed that this arrangement has not been working satisfactorily resulting in delay in the finalisation of the banks' balance sheets. It has, therefore, been decided that in respect of consortium advances, each bank may classify

तथा अग्रिमों की वसूली को प्रमाणित करनेवाले अन्य पहलुओं के अनुसार उधार खातों का वर्गीकरण करे, जैसा कि बहुविध बैंकिंग व्यवस्था के मामले में किया जाता है।

(ग) हमारे 14 नवम्बर 1994 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 134/21.04.048/94 के पैरा 1(क) के अनुसार, किसी ऋण सुविधा को उस स्थिति में अनर्जक आस्ति मानना चाहिए जब किन्हीं दो तिमाहियों की ब्याज अथवा मूलधन की किस्त बकाया हो, भले ही वर्ष के दौरान लगातार दो तिमाहियों के लिए चूक न हुई हो। बैंकों ने यह अभ्यावेदन दिया है कि चूंकि अनर्जक आस्ति की पहचान तुलनपत्र की तारीख की स्थिति के आधार पर की जानी है अतः जिन अग्रिमों को तुलनपत्र की तारीख से पहले बकाया ब्याज-राशि अथवा मूल धन की किस्त की अदायगी करके नियमित किया जा चुका हो, उन्हें उस स्थिति में भी अनर्जक आस्ति नहीं माना जाना चाहिए जब खाते में दो तिमाहियों या वर्ष के अधिकांश समय में चूक हुई हो। हम यह सूचित करते हैं कि यदि उधारकर्ताओं के खाते तुलनपत्र की तारीख से पहले वास्तविक स्रोतों से (न कि अतिरिक्त सुविधाओं की मंजूरी अथवा खातों के बीच निधियों के अंतरण से) नियमित कर लिये गये हों, तो खातों को अनर्जक आस्ति नहीं माना जाना चाहिए। फिर भी, बैंक यह सुनिश्चित करें कि ये खाते बाद में भी सही रहें और ब्याज की राशि अथवा मूलधन की किस्त की अतिदेय राशि को पूरा करने के लिए तुलनपत्र की तारीख को या उससे पहले एक ऐसी प्रविष्टि कर देने भर से उसे मानक आस्ति नहीं मान लेना चाहिए।

the borrowal accounts according to its own record of recovery and other aspects having a bearing on the recoverability of the advances, as in the case of multiple banking arrangement.

c) In terms of paragraph 1(a) of our circular DBOD. No. BP.BC. 134/21.04.048/94 dated 14 November 1994, a credit facility should be treated as NPA if interest or instalment of principal is in arrears for any two quarters, although the default may not be continuously for two quarters during the year. It has been represented by banks that since the identification of NPA is to be done on the basis of the position as on the date of the balance sheet, advances which have been regularised by repayment of outstanding interest or instalment of principal before the balance sheet date may not be treated as NPA, even though default in the accounts might have persisted for two quarters or for major part of the year. We advise that if the accounts of the borrowers have been regularised before the balance sheet date by repayment of overdue amounts through genuine sources (not by sanction of additional facilities or transfer of funds between accounts) the accounts need not be treated as NPA. Banks, should, however, ensure that the account remains in order subsequently and a solitary credit entry made in account on or before the balance sheet dated which extinguishes the overdue amount of interest or instalment of principal is not reckoned as the sole criterion

(घ) हमारे 27 अप्रैल 1992 के परिपत्र बैंपविवि.सं. बीपी.बीसी. 129/21.04.043/92 के पैरा 2 आ के अनुसार किसी “अवमानक आस्ति” की परिभाषा उस आस्ति के रूप में की गयी है, जो “दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत” की गयी है और “संदिग्ध आस्ति” वह है जो “दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अनर्जक आस्ति रही हो।” इस मामले पर पुनर्विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि जिन खातों के संबंध में जमानत के मूल्य में ह्रास अथवा जमानत न होने या उधार लेनेवालों द्वारा धोखाधड़ी करने के कारण वसूली न होने की भारी आशंका है, वहां बैंकों के लिए यह विवेकपूर्ण नहीं होगा कि वे पहले तो उन्हें अवमानक के रूप में वर्गीकृत करें और बाद में खाते की तारीख से दो वर्ष बीतने तक अनर्जक आस्ति रहने पर उसे संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत करें। हम यह सूचित करते हैं कि इस तरह के खातों को सीधे ही, संदिग्ध या हानि वाली आस्ति के रूप में, जैसा भी उचित हो, वर्गीकृत कर दिया जाये, चाहे वह कितनी ही अवधि के लिए अनर्जक आस्ति रही हो।

3. लाभ और हानि खाता - शेयरों और बांडों में निवेश पर आय को बुक करना

यह देखा गया है कि कंपनी निकायों के शेयरों और पारस्परिक निधियों (म्यूच्यूल फंड्स) के यूनिटों पर लाभांश संबंधी आय बुक करने के बारे में बैंकों में एकसमान लेखाप्रथा नहीं है। कुछ बैंक तो इस आय को नकदी आधार पर बुक करते हैं तो कुछ बैंक उपचय (अक्रुअल) के आधार पर। हम यह सूचित

for treating the account as a standard asset.

d) In terms of paragraph 2.B of our circular DBOD.No. BP.BC. 129/21.04.043/92 dated 27 April 1992 a “sub standard asset” has been defined as “one which has been classified as NPA for a period not exceeding two years” and a “doubtful asset” as “one which has remained NPA for a period exceeding two years”. The matter has been reviewed and it has been decided that in respect of accounts where there are potential threats of recovery on account of erosion in the value of security or non-availability of security and existence of other factors such as, frauds committed by borrowers, it will not be prudent for banks to classify them first as substandard and then as doubtful after expiry of two years from the date the account has become NPA. We advise that such accounts should be straightaway classified as doubtful asset or loss asset, as appropriate, irrespective of the period for which it has remained as NPA.

3. Profit & loss account - Booking of income on investments in shares and bonds.

It has been observed that there is no uniform accounting practice among banks in booking of income on dividend on shares of corporate bodies and units of mutual funds. While some banks are booking such income on cash basis, some banks booked the income on accrual

करते हैं कि कंपनी निकायों के शेयरों और पारस्परिक निधियों के यूनिटों पर लाभांश को तब तक आय समझना विवेकपूर्ण नहीं होगा जब तक कि वह वास्तव में प्राप्त न हो जाये। अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे कंपनी निकायों के शेयरों और पारस्परिक निधियों के यूनिटों पर लाभांश से मिलनेवाली आय को नकदी आधार पर बुक करें। सरकारी प्रतिभूतियों और कंपनी निकायों के बांडों और डिबेंचरों से आय के संबंध में, इन लिखतों पर ब्याज की दरें पहले से निर्धारित रहती हैं, आय को उपचय के आधार पर बुक किया जा सकता है, बशर्ते ब्याज की अदायगी नियमित हो और इसलिए वह बकाया नहीं है, जैसा कि हमारे 6 अप्रैल 1996 के परिपत्र बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 43/21.04.048/96 के अनुबंध के पैरा 4(2)(ख) में बताया गया है।

भवदीय,

(अमलेंदु घोष)

मुख्य महा प्रबंधक

basis. We advise that it is not a prudent practice to treat the dividend on shares of corporate bodies and units of mutual funds as income unless these are actually received. Banks are, therefore, advised that income from dividend on shares of corporate bodies and units of mutual funds should be booked on cash basis. In respect of income from Government securities and bonds and debentures of corporate bodies, where interest rates on these instruments are pre-determined, income could be booked on accrual basis, provided interest is serviced regularly and as such is not in arrears as indicated in paragraph 4(2)(b) of the Annexure to our circular DBOD. No. BP.BC. 43/21.04.048/96 dated 6th April 1996.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)

Chief General Manager

13 फरवरी 1997
24 माघ 1918(शक)

February 13, 1997
Magha 24, 1918 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक

All Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की
दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - 'क्रुंग थाई बैंक
पब्लिक कंपनी लिमिटेड'

**INCLUSION IN THE SECOND
SCHEDULE TO RESERVE BANK OF
INDIA ACT, 1934 - "KRUNG THAI
BANK PUBLIC COMPANY LIMITED"**

हम सूचित करते हैं कि क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी
लिमिटेड का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,
1934 की दूसरी अनुसूची में 25 जनवरी 1997 से
अर्थात् 14 जनवरी 1997 की संबंधित अधिसूचना
बैंपवि.सं. आईबीएस. 1118/23.13.066/96-97
के भारत के राजपत्र (भाग - III - खंड 4) में
प्रकाशित होने की तारीख से शामिल कर लिया गया
है।

We advise that the name "Krung Thai Bank
Public Company Limited" has been
included in the Second Schedule to the
Reserve Bank of India Act, 1934 with effect
from 25th January, 1997 i.e. the date on which
the relative Notification DBOD. No. IBS.
1118/23.13.066/96-97 dated 14th January
1997 was published in the Gazette of India
(Part III - Sec.4).

भवदीय,

Yours faithfully,

(डी.वी. ज़वेरी)
महा प्रबंधक

(D.V. Jhaveri)
General Manager

18 फरवरी 1997
29 माघ 1918(शक)

February 18, 1997
Magha 29, 1918 (Saka)

सभी सरकारी, निजी और
विदेशी बैंक

All the Public, Private
& Foreign Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस)
उपयोगिता भुगतान (रैपिड) योजना

**ELECTRONIC CLEARING SERVICE
(ECS) UTILITY PAYMENT (RAPID)
SCHEME**

तत्कालीन कार्यपालक निदेशक श्री डब्ल्यू. एस. सराफ की अध्यक्षता में बैंकिंग उद्योग में भुगतान प्रणाली एवं चेक समाशोधन से संबंधित प्रौद्योगिकी संबंधी मामलों की समिति की सिफारिशों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (जमा समाशोधन) चारों महानगरों में पिछले दो वर्षों से सफलतापूर्वक काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (नामे समाशोधन) मुंबई और चेन्नई में टेलीफोन बिलों की वसूली के लिए काम कर रही है। अब, इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (रैपिड) उपयोगिता कंपनियों को बिजली के बिलों के भुगतान के लिए मुंबई में लागू की जा रही है जैसा कि 29 नवम्बर 1996 को आयोजित मुंबई बैंकर समाशोधन गृह की बैठक में उनके द्वारा अनुमोदित किया गया है।

In terms of the recommendation of the Committee on Technology issues relating to Payments System and Cheque Clearing in the Banking industry under the Chairmanship of Shri W. S. Saraf, the then Executive Director, Electronic Clearing Service (Credit Clearing) is operationalised at all the four metros for the last two years successfully. Electronic Clearing Service (Debit Clearing) is in operation in Mumbai and Chennai for collection of telephone bills. Now, Electronic Clearing Service (RAPID) is being introduced in Mumbai for making payment of electricity bills to the utility companies as approved by the members of Mumbai Bankers' Clearing House in their meeting held on 29th November 1996.

2. प्रारंभिक तौर पर, ईसीएस-रैपिड योजना मुंबई के तीन पश्चिमी उपनगरों में मेसर्स बीएसईएस लिमिटेड के बिजली बिलों के भुगतान के लिए कार्यान्वित की

2. Initially, ECS-RAPID Scheme will be implemented for payment of electricity bills to M/s. BSES Ltd. in three western suburbs

जाएगी। प्रायोगिक कार्य के प्रयोजनार्थ, सांताक्रुज, खार और बांद्रा क्षेत्र में सभी बैंक शाखाओं को ईसीएस-रैपिड योजना संबंधी आवश्यक प्रशिक्षण पहले ही दिया जा चुका है। प्रायोगिक कार्यक्षेत्र में ईसीएस-रैपिड संबंधी प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश आपकी सेवा शाखाओं एवं अन्य शाखाओं को दे दिये गये हैं। इस पूरे कार्य एवं योजना की सफलता आपकी शाखाओं के सहयोग एवं उनकी सक्रिय सहभागिता पर निर्भर है। बिलों की वसूली करनेवाली एवं मेसर्स बीएसईएस लिमिटेड को, प्रायोजक बैंकों के माध्यम से जैसा कि योजना में विनिर्दिष्ट है, जमा देनेवाली शाखाओं को ईसीएस-रैपिड के अंतर्गत उनकी सेवाओं के लिए मेसर्स बीएसईएस लिमिटेड द्वारा प्रति लेनदेन अनुमोदित शुल्कों के भुगतान द्वारा मुआवजा दिया जायेगा।

3. उपर्युक्त प्रायोगिक कार्य 5 फरवरी 1997 से मेसर्स बीएसईएस लिमिटेड द्वारा रैपिड फॉर्मेट में बिलों के वितरण के साथ पहले ही शुरू हो गया है। आपसे अनुरोध है कि आप मुंबई में अपनी सभी शाखाओं को सूचित करें कि वे ईसीएस-रैपिड योजना में सक्रिय सहयोग दें और उसे सफल बनायें।

भवदीय,

(एस.ए. बेन्द्रे)

महाप्रबंधक

in Mumbai. For the purpose of pilot run, necessary training on ECS-RAPID Scheme to all the bank branches in Santacruz, Khar and Bandra area has already been given. The procedural guidelines on ECS-RAPID have been furnished to your service branch and other branches in pilot run area. The entire operation and the success of the scheme depend upon the cooperation and active participation of your branches. Your branches collecting the bills and passing on the credit to M/s. BSES Ltd., through the Sponsor Banks as stipulated under the Scheme, will be suitably compensated for their services under ECS-RAPID by payment of approved charges per transaction by M/s. BSES Ltd.

3. The pilot run as above has already commenced with distribution of bills in RAPID format by M/s. BSES Ltd., from 5th February 1997. You are requested to advise all your branches in Mumbai to participate actively in ECS-RAPID Scheme and make it a success.

Yours faithfully,

(S.A. Bendre)

General Manager

बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 14/21.04.048/97

DBOD. No. BP.BC. 14/21.04.048/97

19 फरवरी 1997
30 माघ 1918(शक)

February 19, 1997
Magha 30, 1918 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों
के मुख्य कार्यपालक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

The Chief Executives of all
Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण
एवं प्रावधानीकरण - कृषि अग्रिम

**INCOME RECOGNITION, ASSET
CLASSIFICATION AND
PROVISIONING -AGRICULTURAL
ADVANCES**

कृपया 17 दिसम्बर 1992 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.
बीपी.बीसी. 59/21.04.043/92 का पैरा 3 देखें जिसके
द्वारा बैंकों को सूचित किया गया था कि कृषि के
प्रयोजनार्थ स्वीकृत अग्रिमों के मामले में यदि ब्याज की
अदायगी इसके भूत देय होने के पश्चात्, फसल के
पिछले दो मौसमों (जिसमें दो छमाहियां शामिल हों) के
दौरान न की गयी हो, तो इस तरह के अग्रिम को
अनर्जक आस्ति माना जाय।

Please refer to paragraph 3 of our circular
DBOD. No. BP.BC. 59/21.04.043/92 dated
17th December 1992 wherein banks were
advised that in respect of advances granted
for agricultural purposes if interest has not
been paid during the last two seasons of
harvest (covering two half years), after it has
become past due, then such an advance should
be treated as NPA.

उपर्युक्त दिशा-निर्देशों की पुनरीक्षा की गयी है और
यह निर्णय लिया गया है कि कृषि के प्रयोजनार्थ
स्वीकृत अग्रिमों के मामले में यदि अदायगी के लिए देय
ब्याज/किस्तों की तारीख से दो तिमाहियों से अधिक
समय तक ब्याज/किस्त बकाया हो, तो अग्रिम को
अनर्जक आस्ति माना जाय।

The above guidelines have been reviewed and
it has been decided that in respect of advances
granted for agricultural purposes where
interest/instalment is in arrears for more than
two quarters from the date the interest/
installments are due for repayment, the
advance should be treated as NPA.

भवदीय,

Yours faithfully,

(अमर्लेदु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

(A. Ghosh)
Chief General Manager

28 फरवरी 1997
9 फाल्गुन 1918(शक)

February 28, 1997
Phalgun 9, 1918 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक

All Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 और
बैंककारी कंपनी (नामन) नियमावली, 1985

**BANKING LAWS (AMENDMENT)
ACT, 1983 AND BANKING COMPANIES
(NOMINATION) RULES, 1985**

कृपया दिनांक 23 मार्च 1985 का हमारा परिपत्र डीबीओडी.सं. एलईजी. बीसी. 34/सी.233ए-85 जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 जेडए, 45 जेडसी और 45 जेडई के साथ पठित धारा 52 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में 45 जेडए से 45 जेडएफ तक नयी धाराएं जोड़ने और बैंककारी कंपनी (नामन) नियमावली, 1985 बनाने के बारे में सूचित किया गया था तथा उसके बाद दिनांक 14 मई 1986 के हमारे परिपत्र डीबीओडी सं. एलईजी.बीसी. 58/सी. 233 ए-86 द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण देखें।

Please refer to our circular letter DBOD. No. Leg. BC. 34/C.233A-85 dated 23rd March 1985 advising, inter alia, the introduction of new Sections 45ZA to 45ZF in the Banking Regulation Act, 1949 and framing of the Banking Companies (Nomination) Rules, 1985 in exercise of powers conferred by Section 52 read with Sections 45ZA, 45ZC and 45ZE of the Banking Regulation Act, 1949 and subsequent clarification vide our circular letter DBOD No. Leg. BC. 58/C. 233A-86 dated 14th May 1986

2. बैंककारी कंपनी (नामन) नियमावली, 1985 के नियम 2(2) के अनुसार नामन की यह सुविधा जमाकर्ता की व्यक्तिगत तौर पर रखी गयी जमा राशियों के संबंध में दी गई थी। नामन की यह सुविधा पूर्ण स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान के नाम जमा राशियों के संबंध में नहीं दी गयी थी।

2. In terms of Rule 2(2) of the Banking Companies (Nomination) Rules, 1985, the facility of nomination was extended in respect of deposit held in individual capacity of a depositor. Nomination facility was not extended in respect of deposits held in the name of a sole proprietary concern.

3. हमें जनसामान्य से अनेक प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें पूर्ण स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान के नाम पर रखी गयी जमाराशियों के संबंध में भी नामन सुविधा की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. हमने इस विषय पर विचार किया है और यह निर्णय लिया गया है कि आप पूर्ण स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान के नाम पर रखी गयी जमाराशियों के संबंध में भी नामन की यह सुविधा दे सकते हैं।

भवदीय,

(डी.वी. झवेरी)

महा प्रबंधक

3. We have received number of representations from the members of public requesting for allowing nomination facility also in respect of deposits held in the name of a sole proprietary concern.

4. We have considered the subject issue and it has been decided that you may extend the nomination facility also in respect of deposits held in the name of a sole proprietary concern.

Yours faithfully,

(D.V. Jhaveri)

General Manager

25 मार्च 1997
4 चैत्र 1919 (शक)

March 25, 1997
Chaitra 4, 1919 (Saka)

वाणिज्य बैंकों के
अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी

The Chairmen/Chief
Executive Officers of Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन योजना
(जमा समाशोधन) - सेवा प्रभार लगाना

**ELECTRONIC CLEARING SCHEME
(CREDIT CLEARING) - LEVYING OF
SERVICE CHARGES**

जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) (जमा समाशोधन) से संबंधित प्रक्रियागत दिशा-निर्देशों के अनुसार, हिताधिकारियों के खाते रखनेवाले बैंकों को ग्राहकों से कोई सेवा प्रभार नहीं वसूलना चाहिए। चूंकि इन बैंकों को कारपोरेट निकाय द्वारा उनके प्रायोजक बैंकों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (जमा समाशोधन) के अंतर्गत हिताधिकारियों के खातों में राशि जमा लिखने के लिए प्रति लेन-देन 1/- रुपये का भुगतान किया जाता है, अतः इन बैंकों को ग्राहक से कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं वसूलना चाहिए। तथापि, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने हमें सूचित किया है कि इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा के माध्यम से प्राप्त लाभांश/ब्याज की राशि जमा लिखने के लिए कुछ बैंक अभी भी सेवा प्रभार लगा रहे हैं।

As you are aware, in terms of paragraph 49 of procedural guidelines on Electronic Clearing Service (ECS) (Credit Clearing), the banks maintaining the accounts of beneficiaries should not recover any service charges from the customers. As these banks are being paid Re. 1/- per transaction as service charges for passing on credit to beneficiary's account under ECS (Credit Clearing) by the corporate body through their sponsor banks, these banks should not recover any additional charges from the customer. However, it has been brought to our notice by Unit Trust of India that some of the banks are still charging service charges for crediting the amount of dividend/interest received through ECS.

2. अतः आपको सूचित किया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा के माध्यम से प्राप्त राशि को ग्राहकों के खातों में जमा लिखने के लिए कोई सेवा प्रभार न

2. You are, therefore, advised not to charge any service charges for crediting the account of customers for the amount received

लगायें तथा यदि ऐसा कोई प्रभार आपने पहले ही प्राप्त किया हो तो उसे तुरंत वापस कर दें।

भवदीया,

(कुमारी के.आर. प्रधान)

उप महा प्रबंधक

through ECS as also to refund forthwith any such charges already received by you.

Yours faithfully,

(Kum. K.R. Pradhan)

Deputy General Manager

बैंपविचि. सं. 24/21.01.040/97

DBOD. No. BP.BC. 24/21.01.040/97

25 मार्च 1997
4 चैत्र 1919(शक)

March 25, 1997
Chaitra 4, 1919 (Saka)

सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

The Chairman and Managing
Directors of all Nationalised Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/
कार्यपालक निदेशक को शक्तियों का प्रत्यायोजन

**DELEGATION OF POWERS TO CMD/
ED OF NATIONALISED BANKS**

कृपया राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 एवं 1980 में संशोधन से संबंधित भारत सरकार का 16 नवंबर 1995 का अ.शा. परिपत्र सं. एफ. 4/1/94-बीओआई देखें जो कि बोर्ड की प्रबंध समिति के गठन एवं बोर्ड की पुनर्गठित प्रबंध समिति को शक्तियों के प्रत्यायोजन के बारे में है। उपर्युक्त परिवर्तनों के फलस्वरूप, यह आवश्यक हो

Please refer to Government of India's circular DO letter No. F. 4/1/94-BOI dated 16 November 1995 regarding amendment to the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme. 1970 and 1980 relating to composition of Management Committee of the Board and delegation of powers to the reconstituted Management Committee of the Board. Consequent on the

गया है कि बोर्ड की प्रबंध समिति के नीचे के स्तर के अधिकारियों को शक्तियों के प्रत्यायोजन की योजना को उपर्युक्त रीति से संशोधित किया जाय। भारत सरकार के साथ परामर्श करके इस मामले की जाँच की गयी है और हम निम्नानुसार सूचित करते हैं:

**1. ऋण-प्रस्तावों को स्वीकृत करना
(निधिक एवं गैर-निधिक)**

बैंक के आकार एवं कारोबार को दृष्टि में रखते हुए बोर्ड अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को उपर्युक्त शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकता है जिसकी उच्चतम सीमा 5000 करोड़ रुपये तक के अग्रिम रखनेवाले बैंकों के लिए 15 करोड़ रुपये और 5000 करोड़ रुपये से अधिक के अग्रिम रखनेवाले बैंकों के लिए 30 करोड़ रुपये होगी।

2. ऋण समझौता करने/बट्टे खाते डालने के प्रस्ताव

10.00 लाख रुपये तक बट्टे खाते डालने/छूट, माफी आदि के प्रस्तावों के संबंध में बोर्ड अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को उपर्युक्त शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकता है।

3. निम्नलिखित के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्रत्यायोजित की जानेवाली शक्तियों की सीमा के बारे में बोर्ड निर्णय ले सकता है :

- (क) पूँजी एवं राजस्व व्यय के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।
- (ख) परिसरों के अधिग्रहण एवं उन्हें किराये पर लेने संबंधी प्रस्ताव (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के व्यतिक्रम के मामले में

above changes, it has become necessary to suitably revise the scheme of delegation of powers to functionaries below the level of the Management Committee of the Board. The matter has been examined by us in consultation with the Government of India and we advise as under :

**1. Sanctioning of credit proposals
(funded and non-funded)**

The Board may delegate suitable powers to the CMD keeping in view the size and business of the bank subject to a ceiling of Rs. 15 crore in the case of banks having advances upto Rs. 5000 crore and Rs. 30 crore in respect of banks having advances beyond Rs. 5000 crore.

2. Loan compromise/write-off proposals

The Board may delegate suitable powers to the CMD in respect of proposals involving write off/waiver, remission, etc. upto Rs. 10.00 lakh.

3. The Board may decide on the extent of powers to be delegated to the CMD in respect of :

- (a) proposals for approval of capital and revenue expenditure.
- (b) Proposals relating to acquisition and hiring of premises (any deviation from the norms prescribed by RBI will have

उसका अनुमोदन प्रबंध समिति द्वारा होना चाहिए)।

- (ग) मुकदमे / अपील दाखिल करना, उनका बचाव करना आदि।
- (घ) सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों एवं हामीदारी सहित कंपनियों के शेयरों एवं डिबेंचरों में निवेश।
- (ङ) दान।
- (च) बोर्ड द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को संदर्भित कोई अन्य मामला।

4. बोर्ड द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने का निर्णय लिये जाने के बाद, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्रत्यायोजित शक्तियों के 75 प्रतिशत तक शक्तियाँ कार्यपालक निदेशक को प्रत्यायोजित की जा सकती हैं।

5. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक को शक्तियों के प्रत्यायोजन में संशोधन के फलस्वरूप, बोर्ड संशोधन के लिए बैंक के अन्य अधिकारियों की शक्तियों का पुनरीक्षण कर सकता है, जैसा उपर्युक्त समझा जाय।

भवदीय,

(अमलेंदु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

to be approved by the Management Committee).

- (c) Filing of suits/appeals, defending them etc.
- (d) Investment in Government and other approved securities and shares and debentures of companies including underwriting.
- (e) Donations.
- (f) Any other matter referred to the CMD by the Board.

4. After the Board takes a view on the delegation of powers to the CMD, ED may be delegated powers to the extent of 75 per cent of those delegated to the CMD.

5. As a consequence of the revision in the delegation of powers to CMD and ED, the Board may review the powers of other functionaries of the bank for revision as considered appropriate.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Chief General Manager

26 मार्च 1997
5 चैत्र 1918 (शक)

March 26, 1997
Chaitra 5, 1918 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

लेखांकन मानक 11 (संशोधित)

कृपया आप 5 जून 1996 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 68/21.04.018/96 देखें, जो (i) विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं तथा राजस्व मदों के पुनर्मूल्यन एवं भारत में किये गये विदेशी मुद्रा लेनदेनों को बुक करने तथा (ii) भारतीय बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं की आस्तियों और देयताओं के परिवर्तन के प्रयोजन के लिए लेखांकन मानक 11 (संशोधित) को लागू करने से संबंधित है। हम यह सूचित करते हैं कि प्राधिकृत व्यापारियों के संबंध में लेखांकन मानक 11 (संशोधित) लागू होने के मामले पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के परामर्श से अभी जांच की जा रही है। इसलिए बैंक वर्ष 1996-97 के लिए खातों को अंतिम रूप देने के लिए उपर्युक्त परिपत्र के दिशा-निर्देशों का पालन जारी रखें।

भवदीय,

(अमलेदु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

**ACCOUNTING STANDARD 11
(REVISED)**

Please refer to our Circular DBOD. No. BP.BC. 68/21.04.018/96 dated 5th June 1996 regarding the applicability of AS 11 (Revised) for (i) revaluing foreign currency assets and liabilities and revenue items and booking of foreign exchange transactions done in India and (ii) for the purpose of translation of assets and liabilities of foreign branches of Indian banks. We advise that certain issues relating to applicability of AS 11 (Revised) to Authorised Dealers are still under examination in consultation with the Institute of Chartered Accountants of India. Banks should, therefore, continue to follow the guidelines prescribed in the above circular for finalising the accounts for the year 1996-97.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Chief General Manager.

बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 29 /21.04.048/97

DBOD. No. BP.BC. 29/21.04.048/97

9 अप्रैल 1997
19 चैत्र 1919 (शक)

April 9, 1997
Chaitra 19, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण
एवं प्रावधानीकरण - कृषि अग्रिम

**INCOME RECOGNITION, ASSET
CLASSIFICATION & PROVISIONING -
AGRICULTURAL ADVANCES**

कृपया आप उपर्युक्त विषय पर 19 फरवरी 1997 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी. बीसी. 14/21.04.048/97 देखें। बैंकों की शाखाओं की संख्या अधिक होने के कारण चालू वित्तीय वर्ष में संशोधित दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में बैंकों द्वारा बतायी गयी कठिनाइयों से संबंधित अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि बैंकों के कृषि प्रयोजनों के लिए दिये गये अग्रिमों के वर्गीकरण के लिए जो दिशा-निर्देश हमारे उपर्युक्त परिपत्र में दिये गये हैं, वे अब 31 मार्च 1998 को समाप्त अगले लेखा वर्ष से लागू होंगे। चालू वर्ष अर्थात् 1996-97 के लिए मौजूदा दिशा-निर्देश लागू रहेंगे।

Please refer to our Circular DBOD. No. BP.BC. 14/21.04.048/97 dated 19th February 1997 on the captioned subject. Keeping in view the representations received from banks regarding difficulties in implementation of the revised guidelines during the current financial year due to their large network of branches, it has been decided that the guidelines for classification of banks' advances for agricultural purposes, contained in the above mentioned circular will now be applicable from the next accounting year ending 31 March 1998. For the current year i.e. 1996-97, the existing guidelines will continue to apply.

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज/मूलधन यदि देय तारीख से 30 दिन से अधिक 'कालातीत' न हुआ हो तो उससे संबंधित अनुदेश कृषि प्रयोजनों के लिए दिये

It is also clarified that the instructions regarding the interest/principal becoming 'past due' if not paid within 30 days from the due date, will apply to all advances including

गये अग्रिमों सहित सभी अग्रिमों के लिए लागू होंगे।

those for agricultural purposes.

भवदीय.

Yours faithfully

(अमलेंदु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

(A. Ghosh)
Chief General Manager

बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 30 /21.04.048/97

DBOD. No. BP. BC. 30/21.04.048/97

9 अप्रैल 1997
19 चैत्र 1919 (शक)

April 9, 1997
Chaitra 19, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान
तथा अन्य संबंधित मामले - निवेशों का मूल्यन

**INCOME RECOGNITION, ASSET
CLASSIFICATION, PROVISIONING
AND OTHER RELATED MATTERS-
VALUATION OF INVESTMENTS**

कृपया आप हमारा 06 अप्रैल 1996 का परिपत्र सं.बीपी.
बीसी. 43/21.04.048/96 देखें, जिसमें 31 मार्च
1996 की स्थिति के तुलनपत्र को अंतिम रूप देते
समय बैंकों एवं लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी तथा
अन्य प्रतिभूतियों के मूल्यन के लिए अपनायी जानेवाली
पद्धति निर्धारित की गयी है। अब यह निर्णय किया

Please refer to our circular DBOD. No.
BP.BC. 43/21.04.048/96 dated 6th April 1996
prescribing the method to be adopted by banks
and auditors for valuation of Government and
other securities while finalising the balance
sheet as at 31 March 1996. It has now been

गया है कि बैंक 31 मार्च 1997 की स्थिति के तुलनपत्र को अंतिम रूप देते समय अनुबंध में बतायी गयी पद्धति अपनायें।

2. हम यह सूचित करते हैं कि अनुबंध में बतायी गयी मूल्यन की पद्धति के कारण प्रतिभूतियों के मूल्य में कोई वृद्धि होती हो तो उसे आय के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि कोई बैंक प्रतिभूतियों के मूल्यन की अब सुझायी जा रही पद्धति से इतर कोई अधिक विवेकपूर्ण पद्धति अपना रहे हों, तो वे अब तक अपनायी जा रही प्रथा को जारी रखें।

3. बैंकों द्वारा धारित निवेशों में मूल्यहास के लिए प्रावधान चालू वर्ष (1996-97) के लिए अपेक्षित प्रावधान से पिछले वित्तीय वर्ष (1995-96) के अंत में यदि अधिक रहा हो, तो उसे लाभ और हानि खाते में “व्यय-प्रावधान एवं आकस्मिकताएं” शीर्ष के अंतर्गत जमा मद के रूप में लिया जाना चाहिए। उसके बाद समतुल्य राशि तुलनपत्र में “पूंजीगत प्रारक्षित निधि” खाते में विनियोजित की जानी चाहिए तथा “प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष” के अंतर्गत दर्शायी जानी चाहिए। “प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष” के अंतर्गत धारित निवेशों में मूल्यहास के लिए यदि कोई अधिक प्रावधान हो तो वह द्वितीय चरण की पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र होगा।

भवदीय,

(के. शिवरामन)

अपर मुख्य महा प्रबंधक

decided that banks should adopt the method indicated in the Annexure, while finalising the balance sheet as at 31 March 1997.

2. We have to advise that if there is any appreciation in the value of securities on account of the method of valuation as indicated in the Annexure, it should not be booked as income. Further, banks which have adopted a more prudent method of valuation of securities than the one now being suggested may continue the practice hitherto followed by them.

3. Any excess provision for depreciation in investments held by banks as at the end of the previous financial year (1995-96) over the requirement for the same for the current year (1996-97) should be taken to the profit & loss account under the head ‘Expenditure - Provisions & Contingencies’ as a credit item. Thereafter, an equivalent amount should be appropriated to ‘Capital Reserve’ account and shown under ‘Reserves & Surplus’ in the balance sheet. The excess provision towards depreciation in investments held under ‘Reserves & Surplus’ would be eligible for inclusion in Tier II Capital.

Yours faithfully,

(K. Sivaraman)

Additional Chief General Manager

अनुबंध

Annexure

निवेश श्रेणी	बैंकों द्वारा अपनायी जानेवाली पद्धति
1. स्थायी निवेश	(i) जैसा कि रिज़र्व बैंक के 3 अप्रैल 1995 के परिपत्र बीपी. बीसी. 37/ 21.04.048/95 के पैराग्राफ 7 में बताया गया है, “स्थायी” श्रेणी की प्रतिभूतियों की बिक्री से हुए प्रतिलाभ को पहले लाभ और हानि खाते में लिया जाना चाहिए और उसके बाद उसे “पूंजीगत प्रारक्षित निधि” खाते में विनियोजित किया जा सकता है। (ii) जैसा कि रिज़र्व बैंक के 3 अप्रैल 1995 के परिपत्र बीपी. बीसी. 37/ 21.04.048/95 के पैराग्राफ 1 में बताया गया है, “स्थायी” निवेशों का मूल्यन लागत पर किया जाना चाहिए और यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य से अधिक हो तो प्रीमियम को प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए संक्रामित किया जाना चाहिए। दूसरी ओर जहां लागत मूल्य अंकित मूल्य से कम हो वहां इस अंतर को नजरंदाज किया जाना चाहिए और उसे संक्रामित अथवा आय खाते में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि उक्त राशि वसूल न किये गये प्रतिलाभ की द्योतक है।
2. चालू निवेश	“चालू” श्रेणी की सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यन 31 मार्च 1997 को बाज़ार दरों, जहां उपलब्ध

Investment Category	Method to be adopted by banks
1. Permanent Investments	(i) As indicated in paragraph 7 of RBI Circular BP. BC. 37/ 21.04.048/95 dated 3 April 1995 any gain on sale of securities in the ‘permanent’ category should be first taken to the profit and loss account and thereafter it could be appropriated to the “capital reserve” account. (ii) As indicated in paragraph 1 of RBI Circular BP. BC. 37/21.04.048/95 dated 3 April 1995, ‘permanent’ investments should be valued at cost and in case the cost price is higher than the face value, the premium should be amortized over the remaining period of maturity of the security. On the other hand, where the cost price is less than the face value, the difference should be ignored and should not be amortized or taken to income account since the amount represents unrealised gain.
2. Current Investments	Valuation of Government Securities in the ‘current’ category should be done as per market quotations

हों, पर किया जाना चाहिए। जहां बाज़ार दरें उपलब्ध न हों, वहां सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यन निम्नलिखित दर पर किया जाना चाहिए :

31 मार्च 1997 की स्थिति के अनुसार जो केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां, जो रिज़र्व बैंक की सूची में बिक्री के लिए थीं और उनके मूल्य नीचे दिये गये हैं :

प्रतिभूति का नाम	बिक्री मूल्य (रु. पैसे)
13.12% 1999	101.28
11.64% 2000	97.02
13.85% 2001	102.22
11.00% 2002	92.69
11.00% 2003	91.26
12.35% 2004	96.24
8.25% 2005	74.85
14.00% 2006	102.59
6.75% 2007	62.72
11.50% 2008	89.19
7.00% 2009	61.91
8.75% 2010	70.82

केन्द्रीय सरकार की अन्य प्रतिभूतियों के संबंध में 31 मार्च 1997 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित प्राप्तियां लागू की जानी चाहिए :

वर्षों की सं.	अवधिपूर्णता पर प्राप्ति (%)
0	7.31
1	10.38
2	12.43
3	12.82

on March 31, 1997, wherever available, where market quotations are **not** available, valuation of Government securities should be made on the following basis:

As on March 31, 1997, the Central Government securities which were on the RBI list for sale and their prices are given below :

Nomenclature of security	Sale price (Rs. Ps.)
13.12 % 1999	101.28
11.64 % 2000	97.02
13.85 % 2001	102.22
11.00 % 2002	92.69
11.00 % 2003	91.26
12.35 % 2004	96.24
8.25 % 2005	74.85
14.00 % 2006	102.59
6.75 % 2007	62.72
11.50 % 2008	89.19
7.00 % 2009	61.91
8.75 % 2010	70.82

In respect of other Central Government Securities, the following yields as on March 31, 1997 may be applied :

No. of years	YTM (%)
0	7.31
1	10.38
2	12.43
3	12.82

4	13.13
5	13.26
6	13.33
7	13.39
8	13.45
9	13.50
10 और उससे	13.56

अधिक

उपर्युक्त प्रतिफल राज्य सरकार की प्रतिभूतियों तथा सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों पर भी लागू किया जाना चाहिए।

यह स्पष्ट किया जाता है कि अवधिपूर्णता पर प्राप्ति की उचित दरें तय करने के प्रयोजन हेतु वर्षों की संख्या का हिसाब एक वर्ष से कम की अवधि को निकटतम पूर्ण वर्ष तक लेकर लगाया जाना चाहिए।

सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के करयोग्य बांडों के लिए ऊपर बतायी गयी सरकारी प्रतिभूतियों की अवधिपूर्णता पर प्रतिफल की दरों से एक प्रतिशत अधिक लागू किया जाना चाहिए।

सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के करमुक्त बांडों के लिए अवधिपूर्णता पर प्रतिफल 10 प्रतिशत माना जाना चाहिए।

जहां तक दर न दी जानेवाली अन्य प्रतिभूतियों के मूल्यन का संबंध है, बैंकों को चाहिए कि वे दर न दी

4	13.13
5	13.26
6	13.33
7	13.39
8	13.45
9	13.50
10 and	13.56

beyond

The above yields should also be applied to State Government Securities and Government Guaranteed Securities.

It is clarified that the reckoning of number of years for the purpose of deciding upon appropriate YTM rate be done by rounding off the fractional period of an year to the nearest completed year.

For valuation of taxable PSU bonds, 1% above the YTM rates of Government Securities stated above should be applied.

For tax free bonds of PSUs the expected yield to maturity may be deemed as 10%.

As regards valuation of other unquoted securities banks should uniformly follow yield to maturity

जानेवाली प्रतिभूतियों का मूल्यन करने के लिए अवधिपूर्णता पर प्रतिफल की एकसमान पद्धति अपनायें।

3. शेयर

(1) जहां शेयर बाज़ार की दरें उपलब्ध हों, वहां शेयरों का मूल्यन तदनुसार किया जाना चाहिए।

(2) जिन शेयरों के मामले में चालू दरें उपलब्ध नहीं हैं, वहां शेयर बाज़ार में उद्धृत मूल्य पर हिसाब में लिया जाना चाहिए (पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियों, यदि कोई हों, पर विचार किये बिना)। बही मूल्य का पता अद्यतन उपलब्ध तुलनपत्र से लगाया जाना चाहिए। यदि अद्यतन तुलनपत्र उपलब्ध न हो तो शेयर का मूल्य एक रुपया प्रति कंपनी के हिसाब से लगाया जाना चाहिए।

(3) सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के मामले में सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के शेयरों का मूल्यन 31 मार्च 1996 के तुलनपत्र के अनुसार अलग-अलग मूल्य पर किया जाना चाहिए। यदि 31 मार्च 1996 का तुलनपत्र उपलब्ध न हो तो 31 मार्च 1995 के तुलनपत्र के अनुसार अलग-अलग मूल्य का हिसाब लगाया जाना चाहिए और उसको 20 प्रतिशत घटाया अथवा बढ़ा लगाया जाना चाहिए।

method for arriving at valuation of unquoted securities.

3. Shares

(1) Wherever Stock Exchange quotations are available, the shares should be valued accordingly.

(2) In the case of shares for which current quotations are not available or where the shares are not quoted on the Stock Exchanges the same should be taken at Book Value (without considering revaluation reserves, if any) which is to be ascertained from the latest available balance sheet. In case latest balance sheet is not available, the shares are to be taken at Re.1 per company.

(3) In the case of public sector companies, shares of PSUs should be valued at the breakup value as per the balance sheet as at 31 March 1996. In case the 31 March 1996 balance sheet is not available, the breakup value as per 31 March 1995 balance sheet should be worked out and it should be reduced or

यदि 31 मार्च 1995 का तुलनपत्र भी उपलब्ध न हो, तो सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान के संबंधित शेयरों का मूल्य एक रुपया प्रति कंपनी लगाया जाना चाहिए, जैसा कि रिज़र्व बैंक के 19 मार्च 1996 के परिपत्र बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 25/21.04.048/96 के पैराग्राफ 5 में बताया गया है।

4. डिबेंचर

- (1) जहां शेयर बाज़ार की दरें उपलब्ध हों, वहां डिबेंचरों का मूल्यन तदनुसार किया जाना चाहिए
- (2) जहां कहीं चालू दर उपलब्ध न हो अथवा डिबेंचर शेयर बाज़ार में उद्धृत न किये जाते हों तो उनका मूल्यन निम्नप्रकार किया जाना चाहिए :

(क) कारोबारी लागत (अर्थात् बही मूल्य) पर, यदि ब्याज नियमित चुकाया जाता है।

(ख) जहां ब्याज की चुकौती नियमित नहीं है और इसलिए वह बकाया है, तो मूल्यह्रास उसी तरह किया जाना चाहिए, जैसे कि अग्रिमों को अवमानक, संदिग्ध और हानि के रूप में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है।

discounted by 20%. If 31 March 1995 balance sheet is also not available, the shares of the concerned PSUs should be valued at Re.1 per company as indicated in paragraph 5 of RBI Circular DBOD No. BP.BC. 25/21.04.048/96 dated 19 March 1996.

4. Debentures

- (1) Wherever Stock Exchange quotations are available, the debentures should be valued accordingly.
- (2) Wherever current quotations are not available or where the debentures are not quoted on the Stock Exchanges the same should be valued as follows:

(a) At carrying cost (i.e. book value), if interest is serviced regularly.

(b) Where interest is not serviced regularly and as such, is in arrears, the depreciation should be made on the same lines as advances classified as sub-standard, doubtful and loss.

5. पारस्परिक निधियों के यूनिट पारस्परिक निधियों के यूनिटों में निवेश का मूल्यन प्रत्येक विशिष्ट योजना के संबंध में पारस्परिक निधि द्वारा घोषित अद्यतन शुद्ध आस्ति मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। तथापि यदि शेयर बाज़ार की दरों के अनुसार बाज़ार दरें उपलब्ध हों, तो बाज़ार दरें लगायी जानी चाहिए।

6. सहायक कंपनियों और प्रायोजित संस्थाओं में निवेश प्रतिभूति का मूल्यन सतत आधार पर कारोबारी लागत (अर्थात् बही मूल्य) पर किया जाना चाहिए।

7. खज़ाना बिल (सभी अवधि-पूर्णताएं) मूल्यन कारोबारी लागत (अर्थात् बही मूल्य) पर आधारित होना चाहिए।

8. वाणिज्य पत्र वाणिज्य पत्र का मूल्यन कारोबारी लागत (अर्थात् बही मूल्य) पर किया जाना चाहिए।

9. सामान्य मुद्दे

(i) पूर्णांक तक लाना (उदाहरणार्थ निकटतम हजार तक)

यह बैंक के विवेकानुसार सतत आधार पर किया जाना चाहिए।

(ii) निवेश श्रेणियां तुलनपत्र के प्रयोजन के लिए निवेशों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

5. Mutual Fund Investment in Mutual Units Fund Units is to be valued based on latest NAV declared by the Mutual Fund in respect of each particular scheme. However, if market rates are available as per Stock Exchange quotations, market rates should be adopted.

6. Investments in subsidiaries and sponsored institutions Security is to be valued at carrying cost (i.e. book value) on a consistent basis.

7. Treasury Bills (All maturities) Valuation may be based at carrying cost (i.e. book value).

8. Commercial Paper Commercial Paper to be valued at carrying cost (i.e. book value).

9. General Issues

(i) Rounding off (e.g. to nearest 000s) May be done at banks' discretion on a consistent basis.

(ii) Investment Categories For the purpose of balance sheet, investments are to be classified into the following categories :

	(क) सरकारी प्रतिभूतियां (खज़ाना बिलों, जीरो कूपन बांडों सहित) (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (ग) शेयर (घ) डिबेंचर और बांड (ङ) सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम (प्रायोजित संस्थाएं) (च) अन्य (वाणिज्य पत्र, पारस्परिक निधियों के यूनिट आदि)	(a) Government Securities (inclusive of T Bills, Zero coupon bonds) (b) Other approved securities (c) Shares (d) Debentures and bonds (e) Subsidiaries and Joint Ventures (sponsored institutions) (f) Other (CP, Mutual Fund Units, etc.)
(iii) जोड़ लगाना	प्रत्येक श्रेणियों के अंतर्गत प्रतिभूतियों का मूल्यन ऊपर बताये अनुसार स्क्रिपवार किया जायेगा और मूल्यहास / मूल्यवृद्धि का जोड़ श्रेणीवार लगाया जायेगा। शुद्ध मूल्यहास, यदि कोई हो, के लिए रिज़र्व बैंक के 19 मार्च 1996 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 25/ 21.04.048/96 के पैराग्राफ 4 में बताये गये अनुसार प्रावधान किया जायेगा। किसी एक श्रेणी में शुद्ध मूल्यहास के लिए अपेक्षित प्रावधान हो, तो किसी अन्य श्रेणी में शुद्ध मूल्य वृद्धि के कारण उसे घटाया नहीं जाना चाहिए।	(iii)Aggregation Securities under each category shall be valued scrip-wise as indicated above and depreciation/ appreciation shall be aggregated category-wise. Net depreciation, if any, shall be provided for as indicated in paragraph 4 of RBI circular DBOD No. BP. BC. 25/ 21.04.048/96 dated 19 March 1996. Net depreciation required to be provided in any one category should not be reduced on account of net appreciation in any other category.
10.पुनर्पूजीकरण बांड	जैसा कि रिज़र्व बैंक के 3 अप्रैल 1995 के परिपत्र बीपी.बीसी.37/ 21.04.048/95 के पैराग्राफ 5 में	10. Recapitalisation Bonds As indicated in paragraph 5 of RBI Circular BP.BC. 37/ 21.04.048/95 dated 3

बताया गया है, पुनर्पूजीकरण बांड स्थायी अथवा चालू निवेशों के भाग नहीं होंगे। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सरकार से प्राप्त पुनर्पूजीकरण बांडों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान करना आवश्यक नहीं होगा, परन्तु जिस मामले में बैंक दूसरे बैंकों से पुनर्पूजीकरण बांड निवेश प्रयोजनों के लिए प्राप्त करते हैं, उनमें मूल्यहास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया जायेगा।

April 1995, the recapitalisation bonds will not form part of 'permanent' or 'current' investments. It will not be necessary to provide for depreciation on the recapitalisation bonds received by the nationalised banks from Government. In case, however, banks acquire recapitalisation bonds of other banks for investment purposes, the depreciation, if any, will have to be provided for.

बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 31 /21.04.048/97

DBOD. No. BP.BC. 31/21.04.048/97

10 अप्रैल 1997
20 चैत्र 1919 (शक)

April 10, 1997
Chaitra 20, 1919 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

**All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)**

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

बैंकों का निवेश संविभाग - निवेशों का
“स्थायी” और “चालू” श्रेणी में वर्गीकरण

**INVESTMENT PORTFOLIO OF BANKS
- CLASSIFICATION OF INVESTMENTS
UNDER “PERMANENT” AND
“CURRENT” CATEGORY**

कृपया आप 06 अप्रैल 1996 का हमारा परिपत्र
बैंपविवि. सं.बीपी. बीसी. 44/21.04.048/96 देखें,

Please refer to our circular DBOD. No.
BP.BC. 44/21.04.048/96 dated 6th April 1996

जिसमें बैंकों को सूचित किया गया है कि अनुमोदित प्रतिभूतियों में “स्थायी” और “चालू” निवेशों का अनुपात वर्ष 1996-97 में 50:50 रहना चाहिए। सभी निवेशों का “बाज़ार प्रवृत्ति” के आधार पर मूल्यांकन करने की अंतरराष्ट्रीय प्रथा की ओर एक और कदम बढ़ाने, जिससे सरकारी प्रतिभूतियों में स्वस्थ द्वितीयक बाज़ार विकसित हो सकेगा, की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि “स्थायी” श्रेणी का अनुपात अनुमोदित प्रतिभूतियों के लिए 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात् अनुमोदित प्रतिभूतियों में “स्थायी” और “चालू” निवेशों का अनुपात वर्ष 1997-98 के दौरान 40:60 रहना चाहिए। बैंक मूल्यांकन के नये मानदंडों के अनुसार समायोजन करने के लिए पहले से व्यवस्था करें और जिन बैंकों का स्थायी श्रेणी का अनुपात कम है वे इस श्रेणी का अनुपात न बढ़ायें।

भवदीय,

(ए. एल. सिंहमार)

उप महा प्रबंधक

wherein banks were advised that the ratio of “permanent” and “current” investments in the approved securities should be 50:50 during the year 1996-97. As a further step towards moving to the international practice of valuing all investments on fully ‘marked to market’ basis which will facilitate the development of an active and healthy secondary market in Government securities, it has been decided that the ratio of the ‘permanent’ category should not exceed 40 per cent for approved securities, i.e. the ratio of “permanent” and “current” investments in the approved securities should be 40:60 during the year 1997-98. Banks should make early arrangements to adjust to the new valuation norms and those banks which have a lower proportion of permanent category securities should not increase the proportion in this category.

Yours faithfully,

(A.L. Sinhmar)

Deputy General Manager

12 अप्रैल 1997
22 चैत्र 1919 (शक)

April 12, 1997
Chaitra 22, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

विवेकपूर्ण मानदंड - पूंजी पर्याप्तता, आम निर्धारण
आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करना

**PRUDENTIAL NORMS - CAPITAL AD-
EQUACY, INCOME RECOGNITION,
ASSET CLASSIFICATION AND PROVI-
SIONING**

कृपया आप उपर्युक्त विषय पर हमारा 29 जनवरी 1997 का परिपत्र बैंपविवि. सं.बीपी. बीसी. 9/ 21.04.048/97 देखें। उक्त परिपत्र के पैराग्राफ 3 में बैंकों से, अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि कंपनी निकायों के शेयरों पर लाभांश से आय नकदी आधार पर बुक की जानी चाहिए और कंपनी निकायों के बांडों से आय उपचय के आधार पर बुक की जानी चाहिए, बशर्ते ब्याज की चुकौती नियमित हो और इसलिए वह बकाया न हो। बैंकों से प्राप्त अभ्यावेदनों के प्रकाश में मामले पर पुनर्विचार किया गया है और हम निम्नप्रकार सूचित करते हैं :

Please refer to our circular DBOD. No. BP.BC. 9/21.04.048/97 dated 29th January 1997 on the above subject. In paragraph 3 of the circular banks were advised, inter alia, that income from dividend on shares of corporate bodies should be booked on cash basis and income from bonds of corporate bodies could be booked on accrual basis provided interest is serviced regularly and as such is not in arrears. In the light of representations received from banks, the matter has been reconsidered and we advise as under :

1. बैंक कंपनी निकायों / सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की उन प्रतिभूतियों के आधार पर आय बुक करें जिनके बारे में ब्याज का भुगतान और मूल धन की चुकौती की गारंटी केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा दी गयी है।

1. Banks may book income on accrual basis on securities of corporate bodies/public sector undertakings in respect of which the payment of interest and repayment of principal have been guaranteed by the Central Government or a State Government.

2. बैंक कंपनी निकायों के शेयरों पर आय उपचय के आधार पर बुक कर सकते हैं, बशर्ते कि शेयरों पर लाभांश की घोषणा कंपनी निकाय द्वारा अपनी वार्षिक बैठक में कर दी गयी हो और चुकौती प्राप्त करने के लिए स्वामी (धारक) का अधिकार स्थापित हो गया हो।

भवदीय,

(अमलेंदु घोष)

मुख्य महा प्रबंधक

बैंपवि.सं. बीसी. 52 /12.06.110/97

29 अप्रैल 1997
9 वैशाख 1919 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की

दूसरी अनुसूची में सम्मिलन -

“ओवरसी - चाइनीज़ बैंकिंग कॉर्पोरेशन लि.” सिंगापुर

हम सूचित करते हैं कि “ओवरसी - चाइनीज़ बैंकिंग

2. Banks may book income from dividend on shares of corporate bodies on accrual basis provided dividend on the shares has been declared by the corporate body in its Annual General Meeting and the owner's right to receive payment is established.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)

Chief General Manager

DBOD. No. BC. 52 /12.06.110/97

April 29, 1997
Vaisakha 9, 1919 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

INCLUSION IN THE SECOND
SCHEDULE TO RESERVE BANK OF
INDIA ACT, 1934 - “OVERSEAS-
CHINESE BANKING CORPORATION
LIMITED” SINGAPORE

We advise that the name of “Overseas-

कार्पोरेशन लिमिटेड”, सिंगापुर का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में 8 मार्च 1997 से अर्थात् 11 फरवरी 1997 की संबंधित अधिसूचना बैंपवि. सं.आइबीएस. 1282/23.13.060/96-97 के भारत के राजपत्र (भाग-III-खंड 4) में प्रकाशित होने की तारीख से शामिल कर लिया गया है। उक्त शाखा का पता निम्नानुसार है :

ओवरसी - चाइनीज़ बैंकिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
146, मेकर चैंबर्स VI,
नरीमन प्वाइंट,
मुंबई-400 021.

भवदीय,

(डी.वी. झवेरी)

महा प्रबंधक

Chinese Banking Corporation Limited”, Singapore, has been included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from March 8, 1997 i.e. the date on which the relative Notification DBOD No. IBS. 1282/23.13.060/96-97 dated February 11, 1997 was published in the Gazette of India (Part III - Sec.4). The address of the branch of the bank is as under:

Overseas-Chinese Banking Corp. Limited,
146, Maker Chambers VI,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

Yours faithfully,

(D.V. Jhaveri)

General Manager

बैंपविवि.सं. डीआइआर. बीसी. 55 /13.01.10/97

DBOD. No. Dir. BC. 55 /13.01.10/97

5 मई 1997
15 वैशाख 1919 (शक)

May 5, 1997
Vaisakha 15, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक

All Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

दान राशियों की वार्षिक समीक्षा

ANNUAL REVIEW OF DONATIONS

कृपया 22 मार्च 1991 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं. डीआइआर. बीसी. 97/सी.347(जे) - 91 देखें, जिसके अनुसार बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे एक वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत दी गयी समस्त दान राशि के संबंध में एक समीक्षा नोट दान देने के तीन महीने के अंदर अपने बोर्ड को प्रस्तुत करें तथा उस समीक्षा की एक प्रति हमें तथा इस विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भी भेजें।

Please refer to our circular DBOD No. Dir. BC. 97/C.347(J)-91 dated March 22, 1991 in terms of which banks are required to submit to their Boards a review note of all donations made under different categories during a financial year within three months thereafter and send a copy of the review to us as well as concerned Regional Office of this department.

2. दान राशियों की वार्षिक समीक्षा संबंधी सूचना की प्रस्तुति में एकरूपता सुनिश्चित करने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि बैंक संलग्न फॉर्मेट में सभी दान राशियों की संगत सूचना सहित वार्षिक समीक्षा प्रस्तुत करें। तदनुसार, मार्च 1997 में समाप्त वर्ष के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर समीक्षा प्रस्तुत की जाय।

2. With a view to ensuring uniformity in submission of information in the annual review of donations, it has been decided that banks may furnish the annual review containing the relevant information of all donations, in the format enclosed. Accordingly review for the year ended March 1997 may be submitted in the prescribed format within the prescribed time limit.

भवदीय,

Yours faithfully,

(पी.सी. शर्मा)
सहायक महा प्रबंधक

(P.C. Sharma)
Assistant General Manager

अनुबंध

दान राशियों की वार्षिक समीक्षा

वर्ष 1 अप्रैल 199..... से 31 मार्च 199..... के लिए

बैंक का नाम _____

वर्ष _____ के लिए प्रकाशित लाभ

क्रम सं.	दान पाने वाले का नाम और पता	स्वीकृत राशि	भुगतान की राशि	स्वीकृत- कर्ता अधिकारी	स्वीकृत करने की तारीख	दान का प्रयोजन	किस तारीख को बोर्ड को प्रस्तुत किया गया

I. सामान्य

II. छूट प्राप्त

ANNEXURE

Annual Review of Donations

For the year 1st April 199... to 31st March 199...

Name of the bank _____

Published profit for the year _____

Sl. No.	Name of donee and address	Amount sanctioned	Date of payment	Sancti- oning autho- rity	Date of sanction	Purpose of dona- tion	Date on which put to Board

I. Normal

II. Exempted

21 मई 1997

May 21, 1997

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

बैंकों का तुलनपत्र - प्रकट करना

BALANCE SHEETS OF BANKS - DISCLOSURES

कृपया आप हमारा 23 अप्रैल 1996 का परिपत्र सं.बीपी. बीसी. 57/21.04.018/96 देखें, जिसमें बैंकों से कहा गया है कि वे पूंजी पर्याप्तता अनुपात के अपने मूल्यांकन तुलनपत्र से संलग्न “लेखा संबंधी टिप्पणियों” में शामिल करें, ताकि सांविधिक लेखापरीक्षक पूंजी पर्याप्तता अनुपात की लेखापरीक्षा कर सकें और सीआरएआर का सत्यापन कर सकें। इस बीच यह निर्णय लिया गया है कि बैंक 31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की “लेखा संबंधी टिप्पणियों” में निम्नलिखित अतिरिक्त बातें भी प्रकट करें।

Please refer to our Circular DBOD. No. BP. BC. 57/21.04.018/96 dated 23rd April 1996 advising banks to include their assessment of capital adequacy ratio in the ‘Notes on Accounts’ attached to the Balance Sheet, so as to enable the Statutory Auditors to carry out the audit of capital adequacy ratio and authenticate the CRAR. It has since been decided that banks should make the following additional disclosures in the ‘Notes on Account’ to the Balance Sheet for the year ended 31 March 1997 :

- (i) राष्ट्रीयकृत बैंकों में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत।
- (ii) शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध निष्क्रिय आस्तियों का प्रतिशत।
- (iii) वर्ष के दौरान निष्क्रिय आस्तियों के लिए किये गये प्रावधान, निवेशों के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान और आय कर के लिए प्रावधान (अन्य प्रावधानों और आकस्मिकताओं के साथ ये प्रावधान लाभ और हानि

- (i) Percentage of share holding of the Government of India in the nationalised banks.
- (ii) Percentage of net NPAs to net advances
- (iii) The amount of provisions made towards NPA, towards depreciation in the value of investments and provisions towards Income Tax during the year (these provisions along with other provisions and contingencies would

खाते में “प्रावधान और आकस्मिकताओं” के अंतर्गत रखी गयी राशि के जोड़ के बराबर होंगे)।

2. वर्तमान में चरण - II की पूंजी के रूप में जुटाये गये गौण ऋण की राशि तुलनपत्र में अथवा तुलनपत्र में संलग्न किसी भी अनुसूची में अलग से नहीं दर्शायी जाती। बैंक चरण - II की पूंजी के रूप में गौण ऋण की राशि तुलनपत्र में व्याख्यात्मक टिप्पणी देकर उपर्युक्त ढंग से दिखा सकते हैं और साथ ही “अन्य देयताएं और प्रावधान” से संबंधित अनुसूची 5 में भी दर्शा सकते हैं।

3. निवेशों से संबंधित अनुसूची 8 में भारत और भारत से बाहर के निवेशों का मूल्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत, मूल्यहास के लिए प्रावधान का समायोजन करने के बाद शुद्ध आधार पर दर्शाया जाता है। अब बैंक अनुसूची 8 में भारत और भारत से बाहर निवेशों का सकल मूल्य, भारत और भारत से बाहर निवेशों पर अलग-अलग मूल्यहास के लिए प्रावधानों का जोड़ दिखा सकते हैं और भारत और भारत से बाहर निवेशों का शुद्ध मूल्य निकाल सकते हैं, जिनका जोड़ तुलनपत्र में ले जाया जा सकता है। तथापि, निवेशों और प्रावधानों का सकल मूल्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक श्रेणी में दर्शाना आवश्यक नहीं है। भारत में और भारत से बाहर निवेशों का अलग-अलग केवल शुद्ध मूल्य (निवेशों के सकल मूल्य में से प्रावधान घटाकर) प्रत्येक विनिर्दिष्ट श्रेणी में दर्शाना आवश्यक है।

tally with the aggregate of the amount held under ‘Provisions and contingencies’ in the Profit and Loss account).

2. At present, the amount of subordinated debt raised as Tier-II capital is not separately shown in the Balance Sheet or in any of the Schedules annexed to the Balance Sheet. Banks may suitably indicate the amount of subordinated debt raised as Tier-II capital by way of explanatory notes/remarks in the Balance Sheet as well as in Schedule 5 relating to “Other Liabilities and Provisions”.

3. In Schedule 8, pertaining to ‘Investments’, the value of investments in India and outside India under each of the categories specified in the Schedule is shown on net basis after adjusting for provisions towards depreciation. Banks may now indicate in Schedule 8, the gross value of investments in India and outside India, the aggregate of provisions for depreciation separately on investments in India and outside India and arrive at the net value of investments in India and outside India, the total of which will be carried to the Balance Sheet. The gross value of investments and provisions need not, however, be shown against each of the categories specified in the Schedule. The break-up of net value of investments in India and outside India (gross value of investments less provision) under each of the specified category need only be shown.

4. निवेशों पर मूल्यहास के लिए किये गये अधिक प्रावधान को वापस लिखना

हमारे 9 अप्रैल 1997 के परिपत्र बीपी. बीसी. 30/21.04.048/97 के पैराग्राफ 3 में बैंकों से कहा गया है कि वे “व्यय प्रावधान और आकस्मिकताएं” शीर्ष के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में धारित निवेशों में मूल्यहास के लिए अधिक प्रावधान को एक जमा मद के रूप में लें और उसके बराबर राशि “प्रारक्षित पूंजी खाते” को अंतरित करें। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि किये गये अधिक प्रावधान को वापस लिखने और उसे “प्रारक्षित पूंजी खाते” में फिर से जमा दर्शाने का कार्य इस ढंग से किया जाये कि वर्ष के लिए शुद्ध लाभ बड़े नहीं।

भवदीय,

(अमलेंदु घोष)

मुख्य महा प्रबंधक

4. Write back of excess provision towards depreciation on investments

In para 3 of our Circular BP. BC. 30/21:04:048/97 dated April 9, 1997 banks were advised to take excess provision towards depreciation in investments held by them to Profit & Loss Account under the head ‘Expenditure-Provision and contingencies’ as a credit item and to transfer an equivalent amount to ‘Capital Reserve Account’. It is clarified in this connection that the write back of the excess provision and credit thereof to ‘Capital Reserve Account’ should be accounted for in such a manner that the net profit for the year does not get inflated.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)

Chief General Manager

12 जून 1997
22 ज्येष्ठ 1919 (शक)

June 12, 1997
Jyestha 22, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

निवेशों पर मूल्यहास के लिए किये गये अधिक प्रावधान
को वापस लिखना

**WRITE BACK OF EXCESS PROVI-
SION TOWARDS DEPRECIATION ON
INVESTMENTS.**

कृपया आप 21 मई 1997 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.
सं. बीपी. बीसी. 59/21.04.048/97 का पैराग्राफ 4
देखें। निवेशों पर मूल्यहास के लिए किये गये अधिक
प्रावधान को वापस लिखने और इस प्रारक्षित पूंजी
खाते को अंतरित करने संबंधी मामले की समीक्षा की
गयी है और अपनायी जानेवाली संशोधित क्रियाविधि
नीचे स्पष्ट की जाती है :

Please refer to para 4 of our circular DBOD.
No. BP. BC.59/21.04.048/97 dated May
21,1997. The issue of write back of excess
provision towards depreciation on
investments and its transfer to Capital Reserve
Account has been reviewed and the revised
procedure to be adopted, is clarified below :

1. निवेशों पर मूल्यहास के लिए किये गये अधिक
प्रावधान को लाभ और हानि खाते में “व्यय -
प्रावधान और आकस्मिकताएं” शीर्ष के अंतर्गत
जमा मद के रूप में लिया जाना है, जैसा कि
हमारे 9 अप्रैल 1997 के परिपत्र बीपी. बीसी.
30/21.04.048/97 में बताया जा चुका है। उसके
बाद शुद्ध लाभ निकाला जाना चाहिए। किये गये
अधिक प्रावधान को लाभ और हानि खाते में
‘विनियोजन’ शीर्ष के अंतर्गत विनियोजन द्वारा

(1) The excess provision towards depreciation
on investments is to be taken to the Profit &
Loss Account under the head “Expenditure-
Provision and Contingencies” as a credit item
as already advised in our Circular DBOD.
No.BP.BC. 30/21.04.048/97 dated 9 April
1997. Thereafter net profit should be arrived
at. The excess provision should be transferred
to Capital Reserve Account by way of
appropriation under the head

प्रारक्षित पूंजी खाते को अंतरित किया जाना चाहिए।

2. प्रारक्षित पूंजी खाते को अंतरित की जानेवाली राशि की गणना करें, यदि कोई हों, को निकालकर की जायेगी और शुद्ध राशि सांविधिक प्रारक्षित निधि को अंतरित की जायेगी, जैसा कि इस प्रकार के अधिक प्रावधान के लिए लागू है।

भवदीया,

(श्यामला गोपीनाथ)

अपर मुख्य महा प्रबंधक

बैंपवि.सं. बीसी. 68 /09.07.007/96-97

23 जून 1997
2 आषाढ़ 1919 (शक)

वाणिज्य बैंकों के
अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रिय महोदय,

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (जमा समाशोधन)

आपको विदित ही है कि इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा

“Appropriations” in the Profit & Loss Account.

2. The amount to be transferred to Capital Reserve Account shall be determined net of taxes, if any and net of transfer to statutory reserve as applicable to such excess provision.

Yours faithfully,

(Shyamala Gopinath)

Additional Chief General Manager

DBOD. No. BC. 68 /09.07.007/96-97

June 23, 1997
Aashadha 2, 1919 (Saka)

The Chairmen/Chief Executive Officers
of Commercial Banks

Dear Sir,

**ELECTRONIC CLEARING SERVICE
(CREDIT CLEARING)**

As you are aware, Electronic Clearing Service

(जमा समाशोधन) चार महानगरों अर्थात् चेन्नई, मुंबई, नयी दिल्ली और कलकत्ता में अप्रैल 1995 से प्रचलन में है। इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा में लाभांश/ब्याज/कमीशन जैसे थोक और पुनरावृत्ति वाले भुगतान लेनदेनों के लिए कागजी लिखतों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक अनुदेश देने की अभिकल्पना है।

2. यह सूचित किया जाता है कि **इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा** (जमा समाशोधन) के अंतर्गत अलग-अलग जमा सीमा 25,000 रुपये से बढ़ाकर तत्काल प्रभाव से 50,000 रुपये कर दी गयी है। इसलिए कृपया इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (जमा समाशोधन) के लिए क्रियाविधि संबंधी दिशा-निर्देशों के पृष्ठ 3 पर पैराग्राफ 5(वी), पृष्ठ 8 पर पैराग्राफ 20, पृष्ठ 9 पर पैराग्राफ 21 (रिकार्ड 3) और पृष्ठ 35 पर परिशिष्ट-VII (फार्म सं. ई. - 4) में आवश्यक संशोधन कर लें।

3. इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (जमा समाशोधन) को चार और केन्द्रों अर्थात् अहमदाबाद, बंगलूर, हैदराबाद और पुणे में जुलाई 1997 से लागू किया जाये। कृपया आप अपनी शाखाओं को इस मामले में उचित सूचना दे दें।

भवदीय,

(डी.वी. झवेरी)

महा प्रबंधक

(Credit Clearing) is in operation in four Metropolitan Cities viz. Chennai, Mumbai, New Delhi and Calcutta since April 1995. ECS envisages substitution of the paper instruments by electronic instructions for bulk and repetitive payment transactions, such as, dividend/interest/commission.

2 It is advised that the individual credit limit under **Electronic Clearing Service** (Credit Clearing) has been increased from Rs.25,000/- to Rs.50,000/- with immediate effect. Please, therefore, make necessary corrections in paragraph 5(v) on page 3, paragraph 20 on page 8, paragraph 21 (Record 3) on page 9 and Appendix VII (Form No.E-4) on page 35 the Procedural Guidelines for Electronic Clearing Service (Credit Clearing).

3. Further, it has been decided to extend Electronic Clearing Service (Credit Clearing) to four more centres viz. Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad and Pune from July 1997. Please advise your branches suitably in the matter.

Yours faithfully,

(D.V. Jhaveri)

General Manager

बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.79 /13.01.04/97

DBOD. No. Dir. BC. 79 /13.01.04/97

30 जून 1997
9 आषाढ़ 1919 (शक)

June 30, 1997
Aashadha 9, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

All Commercial Banks
(including Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sirs,

दावा ट्रिब्यूनलों द्वारा स्वीकृत क्षतिपूर्ति की राशि की
जमा और दावेदारों द्वारा इसका आहरण - सर्वोच्च
न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत

**DEPOSIT OF THE AMOUNT OF
COMPENSATION AWARDED BY THE
CLAIMS TRIBUNAL AND ITS
WITHDRAWAL BY THE CLAIMANTS
- GUIDELINES LAID DOWN BY THE
SUPREME COURT**

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना दावा
ट्रिब्यूनल द्वारा दिये गये अधिनिर्णय के विरुद्ध की गयी
अपील को निपटाते समय (1990 की सीएमए.सं.
470 - बी. शोभा और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य
सड़क परिवहन निगम) भारतीय रिज़र्व बैंक को कतिपय
निर्देश दिये हैं। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि भारतीय
रिज़र्व बैंक सभी वाणिज्य बैंकों के बीच लीलाबेन यू.
गोहेल बनाम ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले
में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति परिचालित
करे। तदनुसार, लीलाबेन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय
के निर्णय की एक प्रति अनुपालन हेतु संलग्न है। इस
प्रकार के मामलों में माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार
कार्रवाई की जानी चाहिए।

The Andhra Pradesh High Court while
disposing of the appeal against an award of
the Motor Accidents Claims Tribunal (CMA
No.470 of 1990 - B. Shobha and Others vs.
Andhra Pradesh State Road Transport
Corporation) has issued certain directions to
the Reserve Bank of India (RBI). The Court
has directed that a copy of the judgement of
the Supreme Court in the case of Lilaben U.
Gohel vs. Oriental Insurance Company Ltd.
should be circulated among all banks by RBI.
Accordingly, a copy of the Supreme Court
judgement in Lilaben's case is enclosed for
compliance. Similar cases should be dealt with
as directed by the Honourable Court.

भवदीय,

Yours faithfully,

(यशवंत मर्डिकर)
महा प्रबंधक

(Y.W. Mardikar)
General Manager

AIR 1996 SUPREME COURT 1605

(From :Gujarat)

A.M. AHMADI, C.J.I. AND N.P. SINGH, J.

Civil Appeal Nos. 4466-67 with 4468, 4469, 4470, 4471 and 4472-73 of 1996 (arising out of SLP (C) Nos. 16530-31 with 14022, 14096, 14784, 14785 and 14160-61 of 1993) with Writ Petn. (Civil) No. 716 of 1993), with C.A. No. 4474 of 1996 (arising out of SLP(C) No. 15273 of 1993), D/- 15-3-1996

Lilaben Udesing Gohel, Appellant v. Oriental Insurance Company Ltd. and others, Respondents.

WITH

Shyamala Shashidharan Nayyar and others, Appellants v. Hemraj Loduram Rajpur and another, Respondents.

WITH

Pramilaben Narendra Bhai Patel and others, Appellants v. Nandubhai Ambalal Thakkar and others, Respondents.

WITH

Ramabhai Shankarbai Chavda, Appellant v. Ganibhai Ambabhai Vora and another, Respondents.

WITH

Lilaben and others, Appellants v. Kaji Gulam Nabi Sheikh and others, Respondents.

WITH

Kantaben Anil Kumar Patel and others, Appellants v. Gujarat State Road Transport Corpn. and others, Respondents.

WITH

Motor Vahan Durghatna Sanghathan, Nadiad and others, Petitioners v. State of Gujarat and others, Respondents.

WITH

Shardaben Chandubhai Patel and others. Appellant v. Bachusha Dadusha and others. Respondents.

Motor Vehicles Act (1939), S. 110-B- Compensation - Payment to claimants-Guidelines to be followed.

The guidelines laid down by the Gujarat High Court in the case of Muljibhai (1982 (23) 1 Guj LR 756) and by the Supreme Court in the Union Carbide Case (AIR 1992 SC 248) are to be followed while making compensation to the claimants under the Motor Vehicles Act (1939). In the case of Jayantilal (1994 (35) 2 Guj LR 1308) the five Judge-Bench of the Gujarat High Court held that the guidelines laid down by the three Judge Bench of that High Court in the case of Kamlaben (AIR 1993 Guj 171) are in conflict with the guidelines laid down by the Supreme Court, the judgement was rendered per incuriam, and thus the five-Judge Bench in Jayantilal case restored earlier position. The Supreme Court in appeal against the decision in Kamlaben case (AIR 1993 Guj 171) held that the scheme laid down by Gujarat High Court in Kamlaben's case may throw up many operational difficulties. The Supreme Court further observed that even though the guidelines laid down in Muljibhai's case (1982 (23) 1 of Guj LR 756) have been approved and applied by Supreme Court, many Motor Accident Claims Tribunals and even some of the High Courts in other parts of country do not follow them. In claims that

are settled in or outside the Court or Tribunals, including Lok-Adalats or Lok-Nyayalayas, these guidelines are overlooked. The Supreme Court made it absolutely clear that in all cases in which compensation is awarded for, injury caused in a motor accident, whether by way of adjudication or agreement between the parties, the Court/Tribunal must apply these guidelines. Further, when the amount is invested in a fixed deposit, the bank should invariably be directed to affix a note on the Fixed Deposits Receipt that no loan or advance should be granted on the strength of the said FDR without the express permission of the Court/Tribunal which ordered the deposit. This will eliminate the practice of taking loans which may be upto 80% of the amount invested and thereby defeating the very purpose of the order. The Courts/Tribunals should realise their duty towards the victims of the accident so that a large part of the compensation amount is not lost to them. The very purpose of laying down the guidelines was to ensure the safety of the amount so that the claimants do not become victims of unscrupulous persons and unethical agreements or arrangements. The claimants should be protected from exploitation by such elements.

(Paras 14, 15, 16)

Cases Referred : Chronological
Paras

1994 AIR SCW 1356:(1994) 2 SCC 176:
AIR 1994
SC 1631 12,13
(1994) 35 (2) Guj LR 1308 (FB) 12,13
AIR 1992 SC 248: (1991) 4 SCC 584
7, 10, 12, 13

(1983) First Appeal No. 851 of 1977 D/- 26-7-1983

(Guj), Oriental Fire & General Insurance Co. v. Husseinbhai Abdulbhai Sheikh

(1982) 23 (1) Guj LR 756: 1983 ACC CJ 57
2A, 3, 7, 10, 12, 13, 15

AIR 1979 SC 1862

AHMADI, C.J.I. :- Special leave granted.

2. The principal judgement that has been, impugned in the 8 matters group together is the one dated 26th April 1993 in the case of New India Assurance Co. Ltd. v. Kamlaben Sultansinh Hakumsinh Jadav in First Appeal No. 61 of 1979 of the High Court of Gujarat 1993 (1) Gujarat Law Reporter 779 (AIR 1993 Guj 171). The Full Bench, in that case was called upon to decide the following questions, referred by the Division Bench:

“(i) What would be the extent of liability of the insurer under Section 95 (2) [of the Motor Vehicles Act, 1939] in respect of death or bodily injury to the passengers carried for hire or reward in a truck?

(ii) Which clause amongst (a), (b) or (c) will apply?

(iii) Whether the judgement of the Division Bench in Oriental Fire and General Insurance Co. Ltd., Husseinbhai Abdulbhai Sheikh, 1st Appeal 851 of 1977, decided on 26th July, 1983 is correctly decided and is correctly followed in some other cases?”

The Full Bench reframed the questions and at the end of the adjudication on these points the Court posed to itself the following questions:

“Whether compensation amount should be paid in lump sum or by periodical instalments.”

The High Court took note of the contention

that where lost earnings are still to be anticipated, or where the action is brought by the dependants of someone killed in an accident, a large part of the award is for future loss of earnings, and it is hard to see how it is appropriate to compensate this by a lump sum payment. A lump sum could be invested, according to this contention, to provide an income or use to purchase an annuity. Another important factor to be considered was that the recipient of the lumpsum compensation could be quite inexperienced in handling of large sums of money, and they may dissipate the money, or fall a prey to confidence tricksters or invest it in reckless and hopeless enterprises. The judgement then goes on to refer to the Supreme Court decision in the case of *Bishan Devi v. Sirbaksh Singh*, AIR 1979 SC 1862 and quotes paragraph 21 of that judgement, which is as under :

“ The insurance companies are now nationalised and the necessity for awarding lump sum payments to secure the interest of the dependants is no longer there. Regular monthly payments could be made through one of the nationalised banks nearest to the place of residents of the dependants. Payment of monthly instalments and avoidance of lump sum payment would reduce substantially the burden on the insurer and consequently of the insured. Ordinarily in arriving at the lump sum payable, the Court takes the figure at about 12 years payment. Thus, in the case of monthly compensation of Rs.250/- payable, the lump sum arrived at would be between 30,000 and 35,000. Regular monthly payments of Rs. 250/- can be made from the interest of the

lump sum alone and the payment will be restricted only for the period of dependency of the several dependants. In most cases it is seen that a lump sum payment is not to the advantage of the dependants as large part of it is frittered away during litigation and by payment to persons assisting in the litigation. It may also be provided that if the dependants are not satisfied with the minimum compensation payable they will be at liberty to pursue their remedies before the Motor Accidents Claims Tribunals.

(Emphasis supplied)”

2.A. The High Court then proceeds to refer to its own judgement in the case of *Muljibhai v. United India Insurance Co. Ltd.*, (1982) 23(1) Guj LR 756, and places reliance on the following part of that judgement:

“We are distressed to note that Claims Tribunals do not realise that it is not sufficient to award compensation to the victim of the accident or his legal representatives, as the case may be, but it is also its duty to ensure that the amount awarded is not frittered away. It must be remembered that lump sum compensation is paid to the claimants who are either the victims of the accidents or their legal representatives by applying an appropriate multiplier with a view to providing for his or their future. In other words, instead of spreading out the amount of compensation over a number of years having regard to the estimated future life span, as a measure of convenience, lump sum payments is ordered. If the whole or substantial part of the compensation money is paid to claimants who have never handled such huge amounts in their lives there is a danger of their frittering away the amount for

want of fiscal discipline in their lives. If the amount is squandered away, which in all probability may happen, the socio-economic objective intended to be achieved by the award of compensation will be wholly defeated. We are, therefore, of the opinion that in such cases it is imperative on the Claims Tribunal to protect such claimants, no matter they are adults, by directing the investments of lump sum compensation awarded to them.”

3. The impugned judgement goes on to say that the court in *Muljibhai's case* (1982 (23) 1 Guj LR 756) (Supra) had indicated broad guidelines which the Claims Tribunal should follow while disposing of the claim applications arising under the Motor Vehicles Act, 1939 to scotch complaints of misapplication of compensation money and that as per those guidelines the compensation money should be invested in a nationalised bank as a fixed deposit and the interest thereon should be paid directly to the claimant or his guardian, as the case may be. The Court observed that despite the compensation amount being deposited in banks unscrupulous persons by various means could get the money released from the bank thereby frustrating the intention of the Court to protect the interest of the accident victim or the heirs of a deceased in case of a fatal accident. The High Court pointed out that it was necessary to see :

(i) that the major part of the compensation amount reaches the victims or their dependants;

(ii) Large part of the compensation amount is not frittered away;

(iii) victims or their dependants are not again left at the mercy of the society; and

(iv) the amount, which is paid by the nationalised Insurance Companies, serves its purpose and the socio-economic object of the legislation is not defeated.

4. In the concluding paragraph of the judgement, the Court gave the following general directions :

(i) Normally, the Claims Tribunals should direct the Insurance Companies to pay the amount of compensation periodically by quarterly instalment by calculating interest at the rate of 15% per annum on the total amount of compensation determined by it and to pay the principal amount at the end of 10 to 20 years having regard to the facts of each case.

(ii) A further provision be made in case where the compensation amount is large or in case the claimants are illiterate and/or poor to pay the corpus after the prescribed period by 2 or 3 instalments depending upon the circumstances in each case.

(ii-a) It would be open to the Insurance Company to make the necessary arrangement through the General Insurance Corporation of India for making payment of annuity or periodical instalments as per the direction of the Motor Accident Claims Tribunal.

(iii) If the concerned Insurance Company or the General Insurance Corporation of India is not ready and willing to pay the amount in the aforesaid manner, it may be directed to deposit the amount of compensation with the Life Insurance Corporation of India. The Life Insurance Corporation of India may be directed, on receiving the said deposit, to provide for payment by an appropriate annuity

to the claimants. Learned advocate Mr. B.R. Shah, after obtaining instructions from the concerned authority has stated that the Life Insurance Corporation of India is having a large network and would pay the amount with interest by appropriate scheme of annuity.

(iv) In the case of Minor claimants, the Tribunal shall order that the amount of compensation shall be kept with the Insurance Company till the minor attains the age of 21 years but in any case not before expiry of 10 years from the date of the award.

(v) In personal injury cases if treatment is necessary, the Claims Tribunal on being satisfied about the same may after recording reasons for such satisfaction direct the insurance company to pay such amount to the claimant as is necessary for incurring the expenses for such treatment. This permission should be granted strictly after verifying the necessity of medical expenses.

(vi) These directions would also apply in the case of liability arising under section 92 of the Act or under section 140 of the Motor Vehicles Act, 1988- that is to say, in case of 'no fault liability'.

The High Court added by way of clarification.

"These guidelines for keeping the amount with the Insurance Company or depositing it with the Life Insurance Corporation of India are not exhaustive".

At the end of the judgement the learned judges directed to circulate the judgement to all the Claims Tribunals so that the amount of compensation is disbursed as stated above.

5. All the appeals challenge the judgement in Kamlaben's case (AIR 1993 Guj 171) as in the respective cases of the appellants orders were passed by the High Court or some Motor Accident Claims Tribunal on the basis of the guidelines laid down regarding the mode of disbursement of the compensation awarded. The writ petition No. 716/93 seeking a writ of certiorari for quashing the judgement is filed by way of public interest litigation for the benefit of the victims of the accidents.

6. Notices were issued to Chairman, General Insurance Corporation, in view of the statement having been made on its behalf before the full Bench of the High Court. Notice was also issued to the Supreme Court Legal Aid Committee. A stay against the impugned judgement was declined. However, a limited stay was granted by order dated 1-10-1993 to the effect that the impugned order will not deter payment to which the victim/legal heir of the victim becomes entitled under the statutory provisions of no fault liability.

7. Before proceeding to enumerate the various grounds on which the impugned judgement is challenged, it would be proper to have a look at the guidelines laid down in the case of Muljibhai (1982 (23) 1 Guj. LR 756), (supra). The following part of that judgement needs to be quoted for the purpose: "6. having regard to the fact that day in and day out thousands of rupees are paid by way of compensation to various categories of claimants, we think that before we part, we may indicate a few broad guidelines which the Claims Tribunals may follow while disposing of claim applications arising under the Motor Vehicles Act, 1939, to scotch complaints of misapplication of

compensation money:

(i) The Claims Tribunal should in the case of minors, invariably order the amount of compensation awarded to the minor invested in long term fixed deposits at least till the date of the minor attaining the majority. The expenses incurred by the guardian or next friend may however be allowed to be withdrawn;

(ii) In the case of illiterate claimants also the Claims Tribunal should follow the procedures set out in (i) above, but if lump sum payment is required for effecting purchases of any movable or immovable property, such as agricultural implements, rickshaw etc. to earn a living, the Tribunal may consider such a request after making sure that the amount is actually spent for the purpose and the demand is not a ruse to withdraw money;

(iii) In the case of semi-literate persons the Tribunal should ordinarily resort to the procedure set out at (i) above unless it is satisfied, for reasons to be stated in writing, that the whole or part of the amount is required for expanding and existing business or for purchasing some property as mentioned in (ii) above for earning his livelihood, in which case the Tribunal will ensure that the amount is invested for the purpose for which it is demanded and paid.

(iv) In the case of literate persons also the Tribunal may resort to the procedure indicated in (i) above, subject to the relaxation set out in (ii) and (iii) above, if having regard to the age, fiscal background and strata of society to which the claimant belongs and such other considerations, the Tribunal in the larger interest of the claimant

and with a view to ensuring the safety of the compensation awarded to him thinks it necessary to do order;

(v) In the case of widows the Claims Tribunal should invariably follow the procedure set out in (i) above;

(vi) In personal injury cases if further treatment is necessary the Claims Tribunal on being satisfied about the same, which shall be recorded in writing, permit withdrawal of such amount as is necessary for incurring the expenses for such treatment;

(vii) In all cases in which investment in long terms fixed deposits is made it should be on condition that the Bank will not permit any loan or advance on the fixed deposit and interest on the amount invested is paid monthly directly to the claimant or his guardian, as the case may be;

(viii) In all cases Tribunal should grant to the claimants liberty to apply for withdrawal in case of an emergency. To meet with such a contingency, if the amount awarded is substantial, the Claims Tribunal may invest it in more than 1 fixed deposit so that if need be one such F.D.R. can be liquidated.”

This court in the case of *Union Carbide Corporation v. Union of India* (1991) 4 SCC 584 (686) : (AIR 1992 SC 248 at P311) referred to the guidelines laid down in *Muljibhai's* case in laying down guidelines for disbursement of compensation to the gas victims of the well known Bhopal disaster. The guidelines laid down in *Union Carbide's* case were in spirit quite similar to those laid down in *Muljibhai's* case. The Court, however, did not include the clause regarding literate persons' compensation also to be given

the same treatment in case the Court found it necessary to do so to protect the compensation awarded to them.

8. One can easily notice the major shift in ideas in the impugned judgement. The thrust in the impugned judgement is on the concept of annuity so as to ensure periodic payment of a fixed amount and to prevent the awarded sum in lump sum falling into the hands of the claimant as long as possible. In order to ensure the periodic payment, which according to the judgement should be quarterly interest calculated at the rate of 15% on the total compensation amount, the insurance company itself has been made liable to make the necessary investment either in its own business or in the business of the General Insurance Corporation or that of the Life Insurance Corporation. The impugned judgement has shown further caution for minors who should wait till they are at least 21 and in any case for 10 years from the date of the award. It can be seen that the periodic payment is insisted upon for all claimants irrespective of their capacity to take care of large sums of money. Further, the arrangements described above was insisted upon also for payment of the small amount that is generally available on no-fault liability primarily to meet the immediate needs of the victims/heirs.

9. The minimum waiting period for 10 years before the claimant could be entitled to receive the compensation money awarded has been challenged as having the effect of depriving the claimant of his right to compensation. Such a procedure is said to be arbitrary and unreasonable and hence violative of fundamental rights under

Article 14 and right to property under Article 300A of the Constitution. Entrusting the capital amount to the insurance company had also been opposed. In the first place insurance companies having already contested the claim petition tooth and nail are likely to have lost the confidence of the claimants. In the second place, the nationalised status of the insurance company may or may not continue in future when it may become difficult to assume that the corpus can be safely left with them. The inflexibility of the rule, it is said, is likely to cause hardships in individual cases particularly when the claimant would be needing the amount for reimbursement of the medical expenses as well as other expenses incidental thereto. It is further said that those who are literate and wise should be given the charge of the compensation amount at the very outset because they may invest the amount in a more profitable way than what is suggested by the Court. The payment of lump sum is also favoured by the appellants as the amount may help the victim/injured or the heir of the deceased in making arrangements for a self-employing establishment which may be a better arrangement than receiving a fixed annuity periodically. So far as the minors are concerned detaining the payment till the claimant reaches the age of 21 years or at least for a minimum period of 10 years would amount, in particular cases, to detain the money till the claimant reaches the age of nearly 30 years. This again is challenged as unreasonable. Further they say that compensation amount is calculated on the basis of the multiplier method in which one third of the expected loss of estate is deducted and therefore unless the compensation so

awarded is paid in lump sum the interest alone will be illusory. Further according to them the amount of time lost in litigation will never be compensated if the victims are to receive only the interest amount.

10. The claimants have further said that the guidelines laid down in Muljibhai's case (1982 (23) 1 Guj LR 756) (supra) having been approved by the Supreme Court in the Union Carbide case (AIR 1992 SC 248) (supra), there was no necessity to lay down the directives in the impugned judgement and further that the questions referred to the Full Bench by the Division Bench of the High Court did not include the question of disbursement of the awarded amount and hence the determination of the guidelines itself is beyond the jurisdiction of the High Court.

11. Over and above the general challenges to the impugned judgement, each appellant has attempted to show why in his/her individual case the guidelines operate in a harsh and unjust manner.

12. Sometimes after the arguments in the matters were closed a Division Bench of the Gujarat High Court took note of the conflict between the guidelines laid down in Muljibhai's case (1982 (23) 1 Guj LR 756) (supra) as approved by this Court in Union Carbide case (AIR 1992 SC 248) (supra) and referred the question to a five-Judge Bench. The five-Judge Bench also took note of the observation of this Court in the case of General Manager, Kerala State Road Transport Corporation v. Susamma Thomas reported in 1994 SEJ 1 : (1994) to SCC 176: (1994 AIR SCW 1356) in which its guidelines in the Union Carbide case were

reiterated. The five-Judge Bench in Jayantilal Ambalal Parmar v. Gujarat State Road Transport Corporation (1994) 35 (2) Gujarat Law Reporter 1308, observed that the reference was to resolve the following questions:

“(1) Is there conflict between the guidelines laid down by the Hon'ble Supreme Court in relation to disbursement and investments of the amount of compensation awarded in Motor Accident Claim cases in the case of General Manager, Kerala State Road Transport Corporation v. Susamma Thomas reported in 1994 ACJ 1: (1994 AIR SCW 1356) (decided on January 6, 1993) and the guidelines laid down by a Full Bench consisting of 3 Hon'ble Judges of this High Court in the case of New India Assurance Co. Ltd. v. Kamlaben reported in 1993 (1) Guj LR 779 : (AIR 1993 Guj 171).

(2) If there is conflict, is it reconcilable? If not reconcilable, which guidelines are required to be followed by the High Court and the Motor Accident Claims Tribunals in the State?”

13. The five-Judge Bench came to the conclusion that the decision of this Court in Union Carbide case (AIR 1992 SC 248) (supra) wherein the guidelines laid down in Muljibhai's case (1982 (23) 1 Guj LR 756) were approved had not been brought to the notice of the three-Judge Bench which passed the impugned judgement i.e. the one in Kamlaben's case (AIR 1993 Guj 171). It also noticed that the fact that the same guidelines had been reiterated in the Kerala State Road Transport Corporation case (1994 AIR SCW 1356) had also not been brought to the notice of the three-Judge Bench. The five-Judge

Bench of the High Court concluded that there was a conflict in the guidelines laid down by this Court and those laid down by the three-Judge Bench. It observed :

“21 In the guidelines laid down by the Hon’ble Supreme Court and the guidelines laid down by Full Bench of this Court, there is conflict. It is not possible to reconcile the same. As per the guidelines laid down by the Full Bench of this Court, the Insurance Company which may have become liable to pay the amount of compensation is required to retain the amount with it. It is obliged to pay the same to the claimants periodically with interest at the rate of 15%. This is not the case in the guidelines laid down by the Hon’ble Supreme Court. The guidelines laid down by the Hon’ble Supreme Court requires that the amount of compensation should be deposited in the Tribunal. Thereafter, it is for the Tribunal to regulate disbursement and investment of the amount. Moreover, the guidelines laid down by the Hon’ble Supreme Court take care of all types of cases, wherein even the insurance company may not have been held liable to make payment of the compensation; while, in the case of guidelines laid down by the Full Bench of this Court, the guidelines are silent in the cases where the Insurance Company is not made liable to make payment of the amount of compensation and only the

owner of the vehicle or the driver is made liable to pay the compensation.

22. The guidelines issued by the Hon’ble Supreme Court take care of the provisions of Section 168 (3) of the Motor Vehicles Act, 1988, while, as indicated hereinabove, attention of the Full Bench has not been drawn to the provisions of Section 168 (3) of the Act, which requires a person liable to make payment of the amount of compensation to deposit the amount of compensation with Tribunal within 30 days from the date of announcement of the award.
23. In the guidelines laid down by the Hon’ble Supreme Court emphasis is to protect the interest of minor claimants and the interest of illiterate and semi-literate as well as poor claimants. The guidelines laid down by the Hon’ble Supreme Court also apply to literate and other claimants. But in such cases discretion is left with the Tribunal, indicating the circumstances and the manner in which the discretion may be exercised. While in the guidelines laid down by the Full Bench, it is difficult to read that any such discretion is left with the Tribunal. For the aforesaid reasons there is conflict between the guidelines laid down by the Hon’ble Supreme Court in the case of Union Carbide Corporation (supra) and again in the case of General Manager, Kerala State Road Transport Corporation (supra). Moreover, this conflict is irreconcilable in as much

as it would be impossible to implement both the guidelines simultaneously.”

(See *Jayantilal Ambalal Parmar v. Gujarat State Road Transport Corporation* (1994) 35 (2) Gujarat Law Reporter 1308).

14. The five-Judge Bench concluded saying that the guidelines laid down by the Supreme Court as indicated above have to be followed by all the Motor Accidents Claims Tribunals. Thus, the position in law as it stood before the decision rendered by the three-Judge Bench of High Court stands restored.

15. It may also be mentioned that before us both the General Insurance Corporation and the Life Insurance Corporation expressed their inability to work out and operate the annuity scheme proposed by the three-Judge Bench of the High Court and further expressed their inability to grant the proposed interest rate as it may conflict with Reserve Bank of India directives that may ensure from time to time. They too, therefore, expressed their inability to operate the scheme. Counsel for the Life Insurance Corporation clarified that when its counsel gave the consent before the three-Judge Bench, it did not visualise the various operational difficulties likely to arise in the implementation of the scheme proposed by the three-Judge Bench of the High Court. Thus, both the General Insurance Corporation and the Life Insurance Corporation feel that the said scheme is unworkable and fraught with several insurmountable difficulties. We too, are of the view that the scheme may throw up many operational difficulties. However, now that the larger bench of the High Court has restored the original position, nothing more

is required to be done. If any loopholes appear in the implementation of the guidelines laid down in *Muljibhai's case* (1982 (23) 1 Guj LR 756), they can always be plugged consistently with the guidelines.

16. Before we part we must observe that even though the guidelines laid down in *Muljibhai's case* (1982 (23) 1 Guj LR 756) have been approved and applied by this Court in the aforementioned two cases, many Motor Accidents Claims Tribunals and even some of the High Courts in other parts of the country do not follow them. We are also told that in claims that are settled in or outside the Court or Tribunal, including Lok-Adalats or Lok Nyayalayas, these guidelines are overlooked. We would like to make it absolutely clear that in all cases in which the compensation is awarded for injury caused in a motor accident, whether by way of adjudication or agreement between the parties, the Court/Tribunal must apply these guidelines. We must add one further guideline to the effect that when amount is invested in a fixed deposit, the bank should invariably be directed to affix a note on the Fixed Deposit Receipt that no loan or advance should be granted on the strength of the said FDR without the express permission of the Court/Tribunal which order the deposit. This will eliminate the practise of taking loans which may be upto 80 % of the amount invested and thereby defeating the very purpose of the order. We do hope that the Courts/Tribunals in the country will not succumb to the temptation of permitting huge withdrawals in the hope of disposing of the claims. We are sure that the Courts/Tribunals will realise their duty towards the victims of the accident so that a large part of the compensation amount is not lost to them. The very purpose of laying down the guidelines was to ensure the safety of the amount so that the claimants do not become victims of unscrupulous persons and unethical

agreements or arrangements. We do hope our anxiety to protect the claimants from exploitation by such elements will be equally shared by the Courts/Tribunals.

17. There is no need for any further discussion in the matter. The Writ Petition (Civil) No. 716/93 filed by the Motor Vahan Durghatana Sanghatan, Nadiad and others has become infructuous and is, therefore, so disposed of. The appeals arising out of special leave petitions are allowed accordingly. Further orders regarding disbursement etc., to be obtained from the concerned Tribunals/High Courts. No costs.
Order Accordingly.

बैंपवि. सं. बीसी. 83 /12.06.112/97

DBOD. No. BC. 83 /12.06.112/97

24 जुलाई 1997
2 श्रावण 1919 (शक)

July 24, 1997
Shravana 2, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक

All Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की
दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - 'द सुमितोमो बैंक लिमिटेड'

**INCLUSION IN THE SECOND
SCHEDULE TO RESERVE BANK OF
INDIA ACT, 1934 - " THE SUMITOMO
BANK LIMITED"**

हम सूचित करते हैं कि "द सुमितोमो बैंक लिमिटेड " **जापान**, का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में 7 जुलाई 1997 से अर्थात् 27 जनवरी 1997 की संबंधित अधिसूचना बैंपवि. सं. आइबीएस. 2188/23.13.080/96-97 के भारत के राजपत्र (भाग - III - खंड 4) में प्रकाशित होने की तारीख से शामिल कर लिया गया है, जिसका पता निम्नानुसार है :

We advise that the name of " **The Sumitomo Bank Limited**" **Japan**, has been included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from 7th July 1997 i.e. the date on which the relative Notification DBOD. No. IBS. 2188/23.13.080/96-97 dated 27th June 1997 was published in the Gazette of India (Part III -Sec.4). The address of the branch of the bank is as under :

द सुमितोमो बैंक लिमिटेड
15 वीं मंज़िल, जॉली मेकर चेम्बर्स - III,
225, नरीमन पॉइंट,
मुंबई-400 021.

" The Sumitomo Bank Limited"
Jolly Maker Chambers III,
15th floor,
225, Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

भवदीय,

Yours faithfully,

(**डी.वी. झवेरी**)
महा प्रबंधक

(**D.V. Jhaveri**)
General Manager

28 जुलाई 1997
6 श्रावण 1919 (शक)

July 28, 1997
Shravana 6, 1919 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Scheduled Commercial Banks,
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

**ब्याज कर अधिनियम, 1974 - ब्याज कर को
3% से घटाकर 2% करना**

कृपया 2 सितम्बर 1991 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 20/सी. 469(I)-91 का पैरा 1(ii) देखें जिसके द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सूचित किया गया था कि ऋण संस्थाओं द्वारा भारत में दिये गये ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज की सकल राशि के 3 प्रतिशत की दर पर ब्याज लगाया जायेगा। 14 मई 1997 की भारत के राजपत्र (असाधारण भाग II) में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 31 मार्च 1997 के बाद उपचित अथवा उत्पन्न किसी कर योग्य ब्याज के संबंध में उधारदात्री संस्थाओं की ब्याज संबंधी आय पर लगाये जानेवाले ब्याज कर को 3% से घटाकर 2% कर दिया गया है। अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे तदनुसार ब्याज-कर लगायें।

2. ब्याज कर की अन्य मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

(i) कर के लिए प्रभारयोग्य आय में प्रतिबद्धता प्रभार और वचनपत्रों तथा विनिमय बिलों पर बट्टा शामिल होगा। परंतु भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,

**INTEREST TAX ACT, 1974 -
REDUCTION OF INTEREST TAX
FROM 3% TO 2%**

Please refer to paragraph 1(ii) of our circular DBOD. No. BP.BC. 20/C.469(I)-91 dated 2 September 1991 advising you, inter alia, that interest tax will be levied at the rate of 3% of the gross amount of interest received by the credit institutions on loans and advances made in India. In terms of the notification issued by the Government of India in the Gazette of India (Extra-ordinary Part II) dated 14th May 1997, the levy of interest tax on the interest income of the lending institutions has been reduced from 3% to 2% in respect of any chargeable interest accruing or arising after the 31 March 1997. Banks are advised to levy interest tax accordingly.

2. The other salient features of Interest Tax are as under :

(i) The interest income chargeable to tax will include commitment charges and discount on promisory notes and bills of

1934 की धारा 42(1आ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा की गयी राशियों पर ब्याज और खज़ाना बिलों पर बट्टे की राशि प्रभारयोग्य ब्याज का हिस्सा नहीं होगी।

(ii) किसी ऋण संस्था द्वारा दूसरी ऋण संस्था को दिये गये ऋणों और अग्रिमों पर अर्जित ब्याज भी प्रभारयोग्य ब्याज का हिस्सा नहीं होगा।

(iii) ब्याज कर अधिनियम के अंतर्गत लगाये गये ब्याज कर को ऋण संस्था की आय कर के लिए प्रभार योग्य आय की गणना करते समय “कारोबार अथवा पेशे से लाभ और प्राप्तियां” शीर्ष के अंतर्गत घटाने की अनुमति होगी।

(iv) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने 10 मार्च 1993 की अपनी अधिसूचना सं. 9241-एफ सं. 133/40/93-टीपीएल द्वारा ब्याज कर अधिनियम, 1974 की धारा 2 के खंड (5ए) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी भी बैंकिंग कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए निर्यातक को निर्यात ऋण के रूप में उसके द्वारा प्रदत्त ऋण और अग्रिम पर 1 अप्रैल 1993 को या उसके बाद उपचित या प्रोद्भूत होनेवाले ब्याज को ब्याज कर की लेवी से छूट प्रदान की है। चूंकि निर्यात ऋण पर ब्याज की दरें पहले से ही देशी ब्याज दर से कम हैं और उन्हें ब्याज कर से छूट प्राप्त है, अतः प्रदत्त निधियों के अंतिम उपयोग पर बैंकों को प्रभावी निगरानी रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रियायती ऋण का कोई दुरुपयोग नहीं किया जाता है।

3. हम यह भी सूचित करते हैं कि बैंकों को चाहिए कि वे ब्याज-कर का भार, यथानुपात, अपने उधारकर्ताओं पर डालें, उधारकर्ताओं की श्रेणी और

exchange. However, interest on deposits made by a bank with the Reserve Bank of India under section 42 (1B) of the Reserve Bank of India Act, 1934 and discount on treasury bills will not form part of the chargeable interest.

(ii) Interest earned by a credit institution on loans and advances made to another credit institution will also not form part of the chargeable interest.

(iii) Interest tax levied under the Interest-Tax Act, will be allowed as a deduction in computing the income of the credit institution chargeable to income-tax under the head “Profits and gains of business or profession”.

(iv) Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue vide their notification No. 9241-F. No. 133/40/93-TPL dated 10 March 1993 have exempted interest accruing or arising on or after the 1st day of April 1993 to any banking company referred to in sub-clause (i) of clause (5A) of Section 2 of the Interest Tax Act, 1974 on loans and advances made by it, having regard to the guidelines issued by Reserve Bank of India, to any exporter as export credit, from the levy of interest tax. As the rates of interest on export credit are already lower than the domestic lending rates and are exempted from interest tax, the banks should effectively monitor the end-use of funds lent and ensure that there is no misuse of concessional credit.

3. We further advise that banks should pass on the incidence of the interest tax, pro-rata, to their borrowers, irrespective of the

अग्रिमों का प्रकार चाहे जो हो।

4. अग्रिमों पर ब्याज की दरों को नियमित करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये विभिन्न निदेश, चाहे सामान्य रूप में हों अथवा विशिष्ट प्रकार के अग्रिमों के संबंध में हों, ब्याज कर के भार के कारण बैंकों द्वारा उधारकर्ताओं से की गयी अतिरिक्त वसूली पर लागू नहीं होंगे और ब्याज कर का भार उधारकर्ताओं पर डालना निदेशों के उपबंधों का उल्लंघन नहीं होगा।

भवदीय,

(अमलेंदु घोष)

मुख्य महा प्रबंधक

category of borrowers and types of advances.

4. To the extent an additional recovery is made from the borrower by banks on account of the incidence of interest tax, the various directives issued by the Reserve Bank regulating the rates of interest on advances, either generally or in relation to specific types of advances, will not be applicable and such passing on the incidence of interest tax to the borrowers will not be construed to be a breach of the provisions of the directives.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)

Chief General Manager.

बैंपविवि.सं.बीसी. 85 /12.06.113/97

DBOD. No. BC. 85 /12.06.113/97

31 जुलाई 1997
9 श्रावण 1919 (शक)

July 31, 1997
Shravana 9, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक

All Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की
दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - 'हनिल बैंक', सिओल,
दक्षिण कोरिया

INCLUSION IN THE SECOND
SCHEDULE TO RESERVE BANK OF
INDIA ACT, 1934 - "HANIL BANK",
SEOUL, SOUTH KOREA

हम सूचित करते हैं कि हनिल बैंक, सिओल, दक्षिण
कोरिया का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,
1934 की दूसरी अनुसूची में 5 जुलाई 1997 से
अर्थात् 12 जून 1997 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि.
सं. आइबीएस. 2090/23.13.086/96-97 के भारत
के राजपत्र (भाग - III - खंड 4) में प्रकाशित होने की
तारीख से शामिल कर लिया गया है, जिसका पता
निम्नानुसार है :

We advise that the name of "Hanil Bank"
Seoul, South Korea has been included in the
Second Schedule to the Reserve Bank of India
Act, 1934 with effect from 5th July 1997 i.e.
the date on which the relative Notification
DBOD.No.IBS. 2090/23.13.086/96-97 dated
12th June 1997 was published in the Gazette
of India (Part III -Sec.4). The address of the
branch of the bank is as under :

हनिल बैंक
अम्बादीप बिल्डिंग,
तल मंज़िल, 14, कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली-110 001.

Hanil Bank
Ambadeep Building,
Ground floor,
14, Kasturba Gandhi Marg,
New Delhi - 110 001.

भवदीय,

Yours faithfully,

(डी.वी. ज़वेरी)
महा प्रबंधक

(D.V. Jhaveri)
General Manager

बैंपविवि.सं.बीसी. 89 /12.06.111/97-98

DBOD. No. BC. 89 /12.06.111/97-98

11 अगस्त 1997
20 श्रावण 1919 (शक)

August 11, 1997
Shravana 20, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक

All Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की
दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - 'दि कमर्शियल बैंक
ऑफ कोरिया लि.'

**INCLUSION IN THE SECOND
SCHEDULE TO RESERVE BANK OF
INDIA ACT, 1934 - "THE
COMMERCIAL BANK OF KOREA
LTD."**

हम सूचित करते हैं कि 'दि कमर्शियल बैंक ऑफ
कोरिया लि.' सिओल, दक्षिण कोरिया का नाम भारतीय
रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में
10 मई 1997 से अर्थात् 2 अप्रैल 1997 की संबंधित
अधिसूचना बैंपविवि. सं. आइबीएस. 1685/
23.13.089/97 के भारत के राजपत्र (भाग - III -
खंड 4) में प्रकाशित होने की तारीख से शामिल कर
लिया गया है, जिसका पता निम्नानुसार है :

We advise that the name of " The
Commercial Bank of Korea Ltd." Seoul,
South Korea has been included in the Second
Schedule to the Reserve Bank of India Act,
1934 with effect from 10th May 1997 i.e. the
date on which the relative Notification
DBOD. No. IBS. 1685/23.13.089/97 dated
2nd April 1997 was published in the Gazette
of India (Part III -Sec.4). The address of the
branch of the bank is as under :

दि कमर्शियल बैंक ऑफ कोरिया लि.

The Commercial Bank of Korea Ltd.,

डॉ. गोपालदास भवन,

Dr. Gopal Das Bhavan, 15th floor,

15 वीं मंज़िल,

28, Barakhamba Road,

28, बाराखंबा रोड,

New Delhi 110 001.

नई दिल्ली - 110 001.

भवदीय,

Yours faithfully,

(के.एस. छाबड़ा)

(K.S. Chhabra)

उप महा प्रबंधक

Deputy General Manager

बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 99 /21.03.054/97

DBOD.No. BP.BC. 99 /21.03.054/97

2 सितम्बर 1997
11 भाद्र 1919 (शक)

September 2, 1997
Bhadra 11, 1919 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

All Scheduled Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

अलग-अलग/समूह उधारकर्ताओं से
संबंधित ऋण जोखिम सीमाएं

LIMIT ON CREDIT EXPOSURE TO INDIVIDUAL / GROUP BORROWERS

कृपया उपर्युक्त विषय पर 26 मई 1989 का परिपत्र डीबीओडी. सं. बीपी. बीसी. 132/66-89 देखें, जिसमें यह सूचित किया गया था कि ऋण जोखिम (एक्सपोजर) की उच्चतम सीमा बैंक की पूंजी निधियों के अनुपात में अलग-अलग उधारकर्ता के मामले में 25 प्रतिशत और उधारकर्ता-समूह के मामले में 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। मूलभूत परियोजनाओं की भारी ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति की जरूरत को देखते हुए यह निश्चय किया गया है कि समूह से संबंधित उधारकर्ताओं का ऋण जोखिम बैंक की पूंजी निधियों के 50 प्रतिशत के जोखिम मानदंड के ऊपर 10 प्रतिशत (अर्थात् 60 प्रतिशत तक) बढ़ सकता है, बशर्ते अतिरिक्त ऋण जोखिम मूलभूत परियोजनाओं (अर्थात् विद्युत, दूरसंचार, सड़क और बंदरगाह) के संदर्भ में हो। किन्तु एकल उधारकर्ता के लिए ऋण जोखिम के संदर्भ में बैंक की पूंजी निधियों के 25 प्रतिशत के जोखिम मानदंड में कोई परिवर्तन नहीं है।

Please refer to Paragraph 1(a) of Circular DBOD. No. BP.BC. 132/66-89 dated May 26, 1989 wherein banks were advised that the exposure ceiling in relation to bank's capital funds shall not exceed 25 per cent in case of individual borrower and 50 per cent in case of borrower-group. Considering the need to meet the substantial credit requirements of infrastructure projects, it has been decided that credit exposure to borrowers belonging to a group may exceed the exposure norm of 50% of the bank's capital funds by an additional 10 per cent (i.e. upto 60%), provided the additional credit exposure is on account of infrastructure projects (i.e. power, telecommunication, roads and ports). However, there is no change in the exposure norm of 25 per cent of the bank's capital funds in respect of credit exposure to a single borrower.

2. हमारे उपर्युक्त परिपत्र में दी गयी अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

भवदीया,

(श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन)
महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 102/21.01.001/97

5 सितम्बर 1997
14 भाद्र 1919 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

ओज़ोन को कम करनेवाली वस्तुओं का उत्पादन/
उपभोग करनेवाले उद्योगों को वित्तीय सहायता

भारत सरकार ने सूचित किया है कि मांट्रियल प्रोटोकॉल, जिसका भारत भी एक पक्ष है, के अनुसार ओज़ोन कम करनेवाली वस्तुओं को उक्त प्रोटोकॉल में निर्धारित अनुसूची के अनुसार चरणबद्ध रूप में समाप्त करना है। तत्काल संदर्भ के लिए मांट्रियल प्रोटोकॉल के अनुबंध ए और बी में दिये गये रसायनों की सूची संलग्न है। उक्त प्रोटोकॉल में ओज़ोन कम करनेवाली

2. The other terms and conditions laid down in our above circular will remain unchanged.

Yours faithfully,

(Smt. Chitra Chandramouliswaran)
General Manager

DBOD. No.BP. BC. 102/21.01.001/97

September 5, 1997
Bhadra 14, 1919 (S)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

FINANCIAL ASSISTANCE TO INDUSTRIES PRODUCING/CONSUMING OZONE DEPLETING SUBSTANCES (ODS)

Government of India has advised that as per the Montreal Protocol, to which India is a party, Ozone Depleting Substances (ODS) are required to be phased out as per schedule prescribed therein. The list of chemicals given in Annexure A and B to the Montreal Protocol is enclosed for ready reference. The Protocol

मुख्य वस्तुओं को अभिनिर्धारित किया गया है और भविष्य में उनके उत्पादन / उपभोग को चरणबद्ध रूप से कम करने और अंततः उन्हें पूर्णतया समाप्त करने के लिए समय सीमा दी गयी है। भारत में ओज़ोन कम करनेवाली वस्तुओं को समाप्त करने वाली परियोजनाएं बहु पक्षीय निधि से अनुदान की पात्र हैं। चरणबद्ध कार्यक्रम में शामिल क्षेत्र नीचे दिये गये हैं :

सेक्टर	वस्तु का प्रकार
1. फोम के उत्पाद	क्लोरोफ्लोरोकार्बन -11 (सीएफसी -11)
2. रेफ्रिजरेटर और एअर कंडिशनर	सीएफसी -12
3. एरोसोल उत्पाद	सीएफसी -11 और सीएफसी -12 का मिश्रण
4. सफाई के कार्यों में प्रयुक्त विलायक (सोल्वेंट)	सीएफसी -113 कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म
5. अग्निशामक	हैलोन -1211, 1301, 2402

उपर्युक्त बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि बैंक ओज़ोन कम करनेवाली उपर्युक्त वस्तुओं का उपभोग/उत्पादन करनेवाले नये यूनिटों की स्थापना के लिए वित्त प्रदान न करें। इस संबंध में हम आपका ध्यान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा बैंकों को जारी किये गये 16 फरवरी 1996 के परिपत्र सं. एफआई/12/96-97 की ओर भी आकर्षित करते हैं, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया है कि सीएफसी

has identified the main ODS and set time limits on phasing out their production/ consumption in future leading to a complete phase out eventually. Projects for phasing out ODS in India are eligible for grants from the Multilateral Fund. The sectors covered in the phase out programme are given below :

Sector	Type of substance
1. Foam Products	Chlorofluoro carbon-11 (CFC-11)
2. Refrigerators and air conditioners	CFC-12
3. Aerosol products	Mixtures of CFC-11 and CFC-12
4. Solvents in clearing applications	CFC-113 Carbon tetrachloride, Methyl Chloroform
5. Fire extinguishers	Halons-1211, 1301, 2402

Keeping in view the above obligations, it has been decided that the banks should not extend finance for setting up of new units consuming/ producing above ODS. In this connection we also invite a reference to the circular No. FI/ 12/96-97 dated February 16, 1996 issued by Industrial Development Bank of India to banks advising that no financial assistance

का प्रयोग करनेवाले ऐरोसोल यूनितों के निर्माण में लगी लघु/मझौली इकाइयों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जानी चाहिए और यह कि इस क्षेत्र में किसी भी परियोजना को दी गयी सहायता को पुनर्वित्त प्रदान नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

(सी.आर. मुरलीधरन)

महा प्रबंधक

should be extended to small/medium scale units engaged in the manufacture of the aerosol units CFC and that no refinance would be extended to any project assisted in this sector.

Yours faithfully,

(C.R. Muralidharan)

General Manager

अनुबंध ए

नियंत्रित वस्तुएं

समूह	वस्तु	ओज़ोन कम करने की क्षमता*

समूह -I

CFCI ₃	(सीएफसी -11)	1.0
CF ₂ Cl ₂	(सीएफसी -12)	1.0
C ₂ F ₃ Cl ₃	(सीएफसी -113)	0.8
C ₂ F ₄ Cl ₂	(सीएफसी -114)	1.0
Cl	(सीएफसी -115)	0.6

समूह -II

CF ₂ BrCl	(हैलोन -1211)	3.0
CF ₃ Br	(हैलोन -1301)	10.0
C ₂ F ₄ Br ₂	(हैलोन -2402)	6.0

Annex A

Controlled Substances

Group	Substance	Ozone Depleting Potential*

Group I

CFCI ₃	(CFC -11)	1.0
CF ₂ Cl ₂	(CFC -12)	1.0
C ₂ F ₃ Cl ₃	(CFC -113)	0.8
C ₂ F ₄ Cl ₂	(CFC -114)	1.0
Cl	(CFC -115)	0.6

Group II

CF ₂ BrCl	(halon -1211)	3.0
CF ₃ Br	(halon -1301)	10.0
C ₂ F ₄ Br ₂	(halon -2402)	6.0

* ओज़ोन कम करने की इन क्षमताओं का अनुमान मौजूदा जानकारी पर आधारित है और समय-समय पर इसकी समीक्षा की जायेगी और इसे संशोधित किया जायेगा।

* These ozone depleting potentials are estimates based on existing knowledge and will be reviewed and revised periodically.

अनुबंध बी

नियंत्रित वस्तुएं

समूह	वस्तु	ओज़ोन कम करने की क्षमता*
समूह -I		
CF ₃ Cl	(सीएफसी -13)	1.0
C ₂ FCl ₅	(सीएफसी -111)	1.0
C ₂ F ₂ Cl ₄	(सीएफसी -112)	1.0
C ₃ FCl ₇	(सीएफसी -211)	1.0
C ₃ F ₂ Cl ₆	(सीएफसी -212)	1.0
C ₃ F ₃ Cl ₅	(सीएफसी -213)	1.0
C ₃ F ₄ Cl ₄	(सीएफसी -214)	1.0
C ₃ F ₅ Cl ₃	(सीएफसी -215)	1.0
C ₃ F ₆ Cl ₂	(सीएफसी -216)	1.0
C ₃ F ₇ Cl	(सीएफसी -217)	1.0
समूह -II		
CCl ₄	कार्बन टेट्राक्लोराइड	1.1
समूह -III		
C ₂ H ₃ Cl ₃ *	1,1,1-ट्राइक्लोरोस्थेन (मिथाइल क्लोरोफार्म)	0.1

* यह फार्मूला 1, 1,2 - ट्राइक्लोरोस्थेन के संदर्भ में नहीं है।

Annex B

Controlled Substances

Group	Substance	Ozone Depleting Potential*
Group I		
CF ₃ Cl	(CFC-13)	1.0
C ₂ FCl ₅	(CFC - 111)	1.0
C ₂ F ₂ Cl ₄	(CFC -112)	1.0
C ₃ FCl ₇	(CFC -211)	1.0
C ₃ F ₂ Cl ₆	(CFC -212)	1.0
C ₃ F ₃ Cl ₅	(CFC -213)	1.0
C ₃ F ₄ Cl ₄	(CFC -214)	1.0
C ₃ F ₅ Cl ₃	(CFC -215)	1.0
C ₃ F ₆ Cl ₂	(CFC -216)	1.0
C ₃ F ₇ Cl	(CFC -217)	1.0
Group II		
CCl ₄	carbon tetrachloride	1.1
Group III		
C ₂ H ₃ Cl ₃	1,1,1- trichloroethane (methyl chloroform)	0.1

* This formula does not refer to 1,1,2-trichloroethane

22 सितम्बर 1997
31 भाद्र 1919 (शक)

September 22, 1997
Bhadra 31, 1919 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

ब्याज कर अधिनियम, 1974 - ब्याज कर को
3% से घटाकर 2% करना

INTEREST TAX ACT, 1974 -
REDUCTION OF INTEREST TAX
FROM 3% TO 2%

कृपया 28 जुलाई 1997 का हमारा परिपत्र बैंपवि. सं. बीपी. बीसी. 84/21.01.007/97 देखें, जिसके द्वारा बैंकों को सूचित किया गया था कि 31 मार्च 1997 के बाद उपचित अथवा उत्पन्न किसी करयोग्य ब्याज के संबंध में उधार देनेवाली संस्थाओं की ब्याज संबंधी आय पर लगाये जानेवाले ब्याज कर को 3% से घटाकर 2% कर दिया गया है। कुछ बैंकों ने पूछा है कि 2% का ब्याज कर लगाने के बाद क्या ब्याज की दर को एकरूपता की दृष्टि से 0.05% या 0.25% के अगले उच्च स्तर पर पूर्णांकित करने की जरूरत है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज कर सहित लगायी जानेवाली 2% की ब्याज दर को पूर्णांकित नहीं किया जाना चाहिए।

Please refer to our circular DBOD. NO. BP.BC. 84/21.01.007/97 dated 28th July 1997 advising banks that levy of interest tax on the interest income of the lending institutions has been reduced from 3% to 2% in respect of any chargeable interest accruing or arising after 31st March 1997. Some banks have enquired whether the rate of interest after the loading of 2% interest tax needs to be rounded off to the next higher slab of 0.05% or 0.25% for the sake of uniformity. It is clarified that the rate of interest with interest tax levied at 2% should not be rounded off.

भवदीय,

Yours faithfully,

(सी.आर. मुरलीधरन्)
महा प्रबंधक

(C.R. Muralidharan)
General Manager

25 सितम्बर 1997
3 आश्विन 1919 (शक)

September 25, 1997
Ashwina 3, 1919 (Saka)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्यपालक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

**The Chief Executives of
all Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)**

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

चेकबुक जारी करना

ISSUE OF CHEQUE BOOKS

यह पाया गया है कि कुछ कंपनियां, विशेष रूप से वे जो बागान/कृषि पर आधारित कार्यकलापों में लगी हैं, कतिपय बैंकों से भारी संख्या में चेक बुकें प्राप्त कर रही हैं। इन चेकबुकों में कई हजार चेक फार्म होते हैं और ये कंपनियां अपनी विभिन्न निवेश योजनाओं के अंतर्गत अपने निवेशकों को एक वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की अवधि के उत्तर दिनांकित (पोस्ट डेटेड) चेक जारी करती हैं। यह रिपोर्ट दी गयी है कि इन कंपनियों के निवेशकों की संख्या लाखों में है।

It is observed that some companies particularly those engaged in plantation/agro based activities are obtaining large number of cheque books from certain banks, aggregating several thousands of cheque leaves and issue post-dated cheques to their investors, ranging from 1 to (as long a period as) 25 years under their various investment schemes. It is reported that there are lakhs of investors of these companies.

2. इस प्रकार की कंपनियों द्वारा अपनायी गयी क्रियाविधि कुछ निम्नलिखित प्रकार की होती है। कंपनी निवेशकों से एक करार पर हस्ताक्षर करने के लिए कहती है, जिसमें कंपनी को एक भूखंड की देखभाल के लिए प्राधिकृत किया जाता है। इस भूखंड का स्वामी निवेशक (यूनिट धारक) समझा जाता है और यह कि यूनिट धारक द्वारा अदा की गयी राशि उक्त भूखंड के विकास की लागत में इस्तेमाल की जायेगी। निवेशकों द्वारा जमा की गयी राशियों पर कंपनी 15 प्रतिशत से लेकर 24 प्रतिशत तक का मासिक अंतराल पर चक्रवृद्धि

2. The procedure adopted by such companies is somewhat on the following lines. The investors are required by the company to sign an agreement with it authorising it to maintain a piece of land of which the investor (unit holder) is supposed to be the owner and the amount paid by the unit holder would be utilised towards the development cost of the said piece of land. For the amounts of deposits made by the investors, the company assures returns

प्रतिलाभ देने का आश्वासन देती है। उदाहरणस्वरूप, किसी यूनिट धारक द्वारा किसी कंपनी में निवेश किये गये 1000 रुपये की राशि 25 वर्ष की अवधि के बाद लगभग 2 लाख रुपये की राशि उसे प्रदान करेगी और कंपनी अवधिपूर्ण होने पर मिलनेवाले मूल्य के लिए उत्तर दिनांकित चेक जारी कर देती है। इस प्रकार की एक कंपनी के 50 लाख से भी अधिक निवेशक बताये गये हैं और कंपनी भारी निधियां जमा करती है, जिनके लिए उत्तर दिनांकित चेक जारी करती है।

3. हमारे लिए चिन्ता की बात यह है कि छोटे-छोटे निवेशकों को शायद यह विश्वास दिला दिया जाता है कि इस प्रकार के उत्तर दिनांकित चेकों पर बैंक का नाम होने से उन्हें राशि की चुकौती निश्चित है। इस प्रकार की लम्बी अवधि के लिए उत्तर दिनांकित चेक जारी करना असामान्य बात है और किसी व्यक्ति के लिए भी इस प्रकार के चेक स्वीकार करना असामान्य बात है, क्योंकि यह सुनिश्चित करना संभव नहीं है कि खाता धारक कंपनी उसी बैंक में अपना खाता जारी रखेगी अथवा इस प्रकार के चेकों के संबंध में बननेवाली देयता को पूरा करने के लिए 25 वर्ष की लम्बी अवधि तक जमा शेष रखेगी। लम्बी अवधि में यह संभावना है कि इस प्रकार की देयता की राशि बहुत अधिक हो। ऐसी स्थिति में बैंक बहुत कठिन स्थिति में पड़ सकता है। इसलिए बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी रखें कि किसी खातेदार द्वारा चेकबुकों की असामान्य भारी मांग पर सावधानी से विचार किया जाये और यह निश्चित किया जाये कि चेक फार्मों की आवश्यकता केवल वास्तविक अल्पावधि कारोबार की पूर्ति के लिए ही है। इतनी लम्बी अवधि के लिए उत्तर दिनांकित चेक देकर लोगों को यह झूठा आश्वासन देकर निधियां जुटाने के लिए किसी ग्राहक द्वारा बैंकिंग सुविधाओं के

ranging from 15% to 24% compounded at monthly intervals. Illustratively, a sum of Rs. 1000/- invested in a company by the unit holder would fetch him a sum of about Rs. 2 Lakhs after a period of 25 years the company issues a post-dated cheque covering the maturity value. One such company is reported to be having over 50 lakhs investors and the company collects huge funds for which it issues a post-dated cheques.

3. Our concern is that perhaps gullible investors are made to believe that such post-dated cheques which bear a bank's name assure them of repayment of the amount. It is unusual to issue post-dated cheque for such long periods and also for any person to accept such cheques as it is not possible to ensure that the account holder company would maintain the account with that bank or keep the required credit balance over such a long period of 25 years to meet the liability arising in respect of such cheques. Over the period it is likely that such liability might amount to an enormous figure. In such an event the bank can get into a very difficult situation. It is, therefore, necessary for banks to take due care to ensure that any unusually large demand by any account holder for cheque books is looked into carefully to make sure that the cheque leaves are needed for genuine short-term business requirements. Banking facilities should not be allowed to be misused by any constituent for mobilising resources by giving

दुरुपयोग की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

4. बैंक अपनी यशाखाओं को उपयुक्त सूचना दें और जहाँ आवश्यक हो अपने विधि विभाग से परामर्श करके आवश्यक कार्रवाई करें।

भवदीया,

(श्यामला गोपीनाथ)

अपर मुख्य महा प्रबंधक

people a false sense of assurance through issue of such long duration post-dated cheques.

4. Banks may suitably advise their branches and take necessary action where appropriate, in consultation with their law departments.

Yours faithfully,

(Shyamala Gopinath)

Additional Chief General Manager

बैंपविवि.सं. 269/09.07.007/97-98

DBOD.No. 269/09.07.007/97-98

22 दिसंबर 1997
1 पौष 1919 (शक)

December 22, 1997
Pausha 1, 1919 (Saka)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
सभी राष्ट्रीयकृत बैंक

The Chairman and Managing Director
(All Nationalised Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

स्वैच्छिक आय घोषणा योजना, 1997 के अंतर्गत
प्रत्यक्ष करों को स्वीकार करना

**ACCEPTANCE OF DIRECT TAXES
UNDER VOLUNTARY DISCLOSURE
OF INCOME SCHEME (VDIS), 1997**

वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक के 15 कार्यालयों के
अलावा भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों
तथा 1969 में राष्ट्रीयकृत 14 बैंकों की नामित शाखाएं

Presently, besides 15 offices of Reserve Bank of India, designated branches of State Bank of India and its associate banks and 14 banks

स्वैच्छिक आय घोषणा योजना (वी डी आइ एस), 1997 के अंतर्गत भुगतान/जमाराशियां स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत हैं। वी डी आइ एस के अंतर्गत आयकरदाताओं और घोषणाकर्ताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंक नकदी प्राप्त करेंगे और उसी दिन ड्राफ्ट जारी करेंगे, जिन्हें बाद में 23 दिसंबर से 31 दिसंबर 1997 तक की अवधि के दौरान नामित शाखा में जमा कराया जा सकेगा। ड्राफ्ट “भारतीय रिज़र्व बैंक/नामित बैंक - वी डी आइ एस” के पक्ष में जारी किये जायेंगे। बैंक ड्राफ्ट जारी करने के लिए सामान्य प्रभार लगायेंगे, परंतु इस सेवा के लिए अधिकतम राशि 500 रुपये होगी।

भवदीय,

(अमर्तेदु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

nationalised in 1969 are authorised to accept the payments/deposits under Voluntary Disclosure of Income Scheme (VDIS); 1997. In order to extend facilities to the assesses and declare as under the VDIS, it has been decided that all nationalised banks will receive cash and issue drafts on the same date which can be deposited in the designated branch later during the period from 23rd December to 31st December 1997. The drafts will be issued in favour of ‘RBI/Designated Bank-VDIS’. The banks will levy usual charges for issue of drafts but with a maximum of Rupees 500 for this service.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Chief General Manager

23 दिसंबर 1997
2 पौष 1919 (शक)

December 23, 1997
Pausha 2, 1919 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक,
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

बैंकों का निवेश संविभाग - निवेशों का 'स्थायी'
और 'चालू' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकरण

**INVESTMENT PORTFOLIO OF BANKS
-CLASSIFICATION OF INVESTMENTS
UNDER "PERMANENT" AND
"CURRENT" CATEGORY**

जैसा कि आप जानते हैं, बैंकों को 27 अप्रैल 1992 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 129/21.04.043-92 के पैराग्राफ 3 में सूचित किया गया था कि वे अनुमोदित प्रतिभूतियों में किये गये अपने निवेशों को 'स्थायी' और 'चालू' श्रेणियों में विभाजित करें और लेखा वर्ष 1992-93 से अपने निवेश का 70 प्रतिशत से अधिक भाग 'स्थायी' श्रेणी में न रखें। अनुमोदित प्रतिभूतियों में 'स्थायी' निवेशों के संदर्भ में उच्चतम सीमा गत वर्षों में चरणों में नीचे सारणी में दर्शाये गये अनुसार क्रमिक रूप से कम की गयी है :

As you are aware, banks were advised in Paragraph 3 of our Circular DBOD. No. BP.BC. 129/21.04.043-92 dated April 27, 1992 to bifurcate their investments in approved securities into 'Permanent' and 'Current' categories and to keep not more than 70 per cent of their investment in the 'Permanent' category from the Accounting Year 1992-93. The ceiling in respect of 'Permanent' investments in approved securities has been brought down gradually in phases over the years as shown in the tabulation below :

वर्ष	अनुमोदित प्रतिभूतियों में स्थायी निवेशों का प्रतिशत
1992-95	70
1995-96	60
1996-97	50
1997-98	40

Year	Percentage of permanent investments in approved securities
1992-95	70
1995-96	60
1996-97	50
1997-98	40

इस प्रकार, वर्ष 1997-98 के दौरान अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंकों के स्थायी निवेश दिनांक 10 अप्रैल 1997 के हमारे परिपत्र बैंपवि. सं. बीपी. बीसी. 31/21.04.048/97 में सूचित किये गये अनुसार 40% से अधिक नहीं होने चाहिए।

2. कुछ बैंकों ने पूछा है कि क्या न्यूनतम राशि के रूप में निर्धारित की गयी राशि की तुलना में चालू वर्ष अर्थात् 1997-98 और साथ ही पिछले वर्ष 1996-97 के दौरान निवेशों का अधिक प्रतिशत 'चालू' श्रेणी में अंतरित करना उनके लिए उचित होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुमोदित प्रतिभूतियों की स्थायी श्रेणी का अनुपात क्रमिक रूप से कम करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के सक्रिय और स्वस्थ द्वितीयक बाजार के विकास में सहायता देने के लिए प्रगामी रूप से पूर्णतः 'बाजार भाव' के आधार पर सभी निवेशों का मूल्यांकन करने की अंतरराष्ट्रीय प्रथा की दिशा में बढ़ें। अतः बैंकों के लिए यह उचित होगा कि वे संबंधित वर्षों के लिए निर्धारित प्रतिशत की तुलना में अधिक मात्रा में अनुमोदित प्रतिभूतियों को बाजार भाव पर दर्शाएँ। यह बात दोहरायी जाती है कि जिन बैंकों ने निर्धारित प्रतिशत की तुलना में अधिक मात्रा में अपनी प्रतिभूतियों को बाजार भाव पर दर्शाया है, उन्हें बाद में 'चालू' श्रेणी की प्रतिभूतियों के अनुपात को कम नहीं करना चाहिए।

भवदीय,

(सी.आर. मुरलीधरन)
महा प्रबंधक

Thus, during the year 1997-98 the permanent investments of the banks in approved securities should not exceed 40% as advised in our Circular DBOD. No. BP.BC. 31/21.04.048/97 dated April 10, 1997

2. Some banks have enquired whether it will be in order for them to transfer higher percentage of investments to 'Current' category than that prescribed as the minimum during current year i.e. 1997-98 as well as the preceding year 1996-97. It is clarified that the intention in gradually reducing the proportion of permanent category of approved securities is to ensure that the banks move progressively towards the international practise of valuing all investments on fully 'marked to market' basis at the earliest to facilitate the development of an active and healthy secondary market in Government securities. It will, therefore, be in order for the banks to mark to market approved securities higher than at the prescribed percentage for the respective years. It is reiterated that banks which have marked to market their securities at a higher percentage than prescribed should not bring down the proportion of 'current' category securities later.

Yours faithfully,

(C.R. Muralidharan)
General Manager

